

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**(सिविल)
उत्तर प्रदेश सरकार**

विषय सूची

संदर्भ

प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
-------------------	-----------------

प्राक्कथन	ix
-----------	----

विहंगावलोकन	xi
-------------	----

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना	1.1	1
राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई प्रणाली	1.2	3
समूह प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संयोजन	1.3	5
संसाधनों का उपयोग	1.4	9
आबंटनीय प्राथमिकताओं द्वारा व्यय	1.5	14
दुर्बिनियोग, हानि, गबन इत्यादि	1.6	19
परिसम्पत्तियों एवं देयतायें	1.7	19
अयुक्त देयतायें	1.8	24
ऋण टिकाऊपन	1.9	26
घाटे का प्रबंधन	1.10	28
राजकोषीय अनुपात	1.11	31
निष्कर्ष	1.12	32

अध्याय - 2

आबंटनीय प्राथमिकतायें एवं विनियोग

प्रस्तावना	2.1	35
विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण	2.2	35
आबंटनीय प्राथमिकतायें द्वारा विनियोग	2.3	36
असमाधानित व्यय	2.4	40
व्यय का बाहुल्य	2.5	40

अध्याय-3

निष्पादन लेखा परीक्षा

आवास एवं नगर नियोजन विभाग

लेखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्य प्रणाली	3.1	41
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र	3.2	59
राजस्व विभाग		
उत्तर प्रदेश में भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	3.3	74
वित्त विभाग		
राज्य कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण पर सूचना तकनीकी समीक्षा	3.4	86
नगर विकास विभाग		
अर्द्ध कुम्भ मेला का प्रबन्धन	3.5	94
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग		
क्षेत्रीय निदान केन्द्र	3.6	102
माध्यमिक शिक्षा विभाग		
कन्या विद्या धन योजना	3.7	107

अध्याय-4

लेनदेनों की लेखापरीक्षा

कपटपूर्ण आहरण/दुर्विनियोजन/गबन/हानि/अधिक भुगतान	4.1	111
लोक निर्माण विभाग		
प्रष्ट आचरण के परिणामस्वरूप अधिक व्यय	4.1.1	111
मार्ग सुदृढ़ीकरण पर अतिरिक्त परिहार्य भुगतान एवं संदिग्ध जालसाजी	4.1.2	112
ग्राम्य विकास विभाग		
वाटर रिचार्जिंग योजना पर निष्कल व्यय	4.1.3	113
कम्प्यूटर क्य हेतु कपटपूर्ण आहरण	4.1.4	114
नगर विकास विभाग		
सीमेन्ट कंकरीट सड़क के निर्माण पर व्ययाधिक्य	4.1.5	116

अधिक भुगतान/निर्थक/निष्कल व्यय	4.2	117
लोक निर्माण विभाग		
बिटुमिनस कार्यों पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय	4.2.1	117
उच्चतर रोड मेटल दर के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान	4.2.2	118
ग्राम्य विकास विभाग		
सेन्ट्रेज प्रभार का अधिक भुगतान	4.2.3	119
माध्यमिक शिक्षा विभाग		
वाहन चालक के वेतन भेत्तों का दोहरा आहरण	4.2.4	120
नगर विकास विभाग		
निर्थक व्यय एवं निधियों का अवरोधन	4.2.5	121
संविदात्मक बाध्यता का उल्लंघन/ठेकेदारों को अनुचित लाभ/ परिहार्य व्यय	4.3	122
सिंचाई विभाग		
नहर के लाइनिंग कार्य पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय	4.3.1	122
ब्याज का परिहार्य भुगतान	4.3.2	123
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
सीमा शुल्क का परिहार्य व्यय	4.3.3	125
शहरी विकास विभाग		
त्रिटिपूर्ण नियोजन से निधियों का अवरोधन एवं परिहार्य भुगतान	4.3.4	126
ब्याज का परिहार्य भुगतान	4.3.5	127
निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधि का अवरोधन/उपकरणों के प्रतिस्थापन में विलम्ब / अपवर्तन / निधियों का दुरुपयोग	4.4	128
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग		
ऊर्जा पार्क हेतु निर्धारित निधियों का अवरोधन	4.4.1	128
पशुपालन विभाग		
रेफ्रीजरेटरों के क्य पर अलाभकारी व्यय	4.4.2	129
सिंचाई विभाग		
अपूर्ण रजबाहे पर अलाभकारी व्यय	4.4.3	130
नाले के पुनर्निर्माण कार्य पर अलाभकारी व्यय	4.4.4	131

कटक नाले पर निष्फल व्यय	4.4.5	131
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग		
उपकरण पर अलाभकारी निवेश	4.4.6	132
सपोर्टिंग सिस्टम के बिना चिकित्सा उपकरण का क्रय	4.4.7	133
लोक निर्माण विभाग		
अनुरक्षण कार्य पर अतिरिक्त व्यय	4.4.8	134
राजस्व विभाग		
प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण में अनुपयोगी निवेश	4.4.9	135
कोषागार प्रखण्ड के निर्माण पर अनुपयोगी निवेश	4.4.10	136
ग्राम्य विकास विभाग		
सरस केन्द्रों पर निष्फल व्यय	4.4.11	137
समाज कल्याण एवं ग्राम्य विकास विभाग		
अन-अधिसूचित बैंकों में लेखा संचालन के कारण हानि	4.4.12	138
पर्यटन विभाग		
कार्यालय भवन के अप्रयुक्त भाग पर अलाभकारी व्यय	4.4.13	138
नगर विकास/आवास एवं नगर नियोजन विभाग		
अव्यवहार्य परियोजना पर अलाभकारी व्यय	4.4.14	139
भाहरी विकास विभाग		
अनुत्पादक व्यय	4.4.15	141
नियमितता एवं अन्य प्रकरण	4.5	142
वन विभाग		
क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागत की कम वसूली	4.5.1	142
उच्च शिक्षा विभाग		
अनुश्रवण में विफलता के कारण अलाभकारी व्यय	4.5.2	143
श्रम विभाग		
समारोहों के आयोजन पर अनियमित व्यय	4.5.3	144
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग		
बारहवें वित्त आयोग के अनुदान का विचलन	4.5.4	145

लोक निर्माण विभाग		
निधियों का अपवर्तन तथा परिहार्य व्यय	4.5.5	146
लोक निर्माण / सिंचाई विभाग		
व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण	4.5.6	146
ग्राम्य विकास विभाग		
शासकीय लेखे से बाहर धन का अवरोधन	4.5.7	148
आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली		
गृह विभाग		
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली	5	151

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1 (भाग अ)	सरकारी लेखों का ढांचा एवं स्वरूप	167
1.1 (भाग ब)	वित्त लेखे का खाका	168
1.1 (भाग स)	अध्याय 1 में प्रयुक्त शब्दों की सूची तथा उनकी गणना का आधार	169
1.2	31 मार्च 2007 को उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार	170
1.3	वर्ष 2006–07 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	171
1.4	वर्ष 2006–07 के लिए निधियों के स्रोत एवं उपयोग	173
1.5	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े	174
1.6	राज्य के अपने राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम	176
1.7	उपभोग प्रमाण पत्रों के प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब	178
1.8	लेखों का अप्रस्तुतीकरण	179
1.9	विभागदार/वर्षवार प्रकरणों का विघटन जिनमें अंतिम कार्यवाही सितम्बर 2007 तक लम्बित थी	180
1.10	प्रोफार्मा लेखे की तैयारी की लम्बित स्थिति	181
1.11	शासन द्वारा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में किया गया निवेश	182
1.12	शासकीय वाणिज्यिक एवं अर्धवाणिज्यिक उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	183
1.13	परिवहन एवं उर्जा उपक्रमों के पी एस यू के संग्रहीत हानियों को दर्शाने वाला विवरण	184
2.1	विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत प्रावधानों के विरुद्ध बचतों का विवरण	185
2.2	अनुदानों/भारित विनियोगों से अधिक व्यय	189
2.3	प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक बचतों का विवरण जो कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक थी	191
2.4	1990–91 से 2005–06 तक से सम्बंधित विगत वर्षों में प्रावधान के सापेक्ष अधिक व्यय	193
2.5	अनुदान जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुए	195

2.6	आधिक्य व्यय के आच्छादन हेतु अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान	197
2.7	प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक की बचतों का विवरण जो अभ्यर्पित नहीं की गई	199
2.8	मार्च 2007 में अभ्यर्पण	201
2.9	व्यय का बाहुल्य	202
3.1.1	निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत न किये गये अभिलेखों का विवरण	203
3.1.2	वर्ष 2002–03 से 2005–06 की अवधि में लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियां तथा दायित्व	204
	वर्ष 2002–03 से 2005–06 की अवधि में प्राप्तियाँ तथा भुगतानों का विवरण	205
3.1.3	31 मार्च 2007 को असमायोजित अग्रिमों का विवरण	206
3.1.4	मार्च 2007 तक अधिग्रहीत भूमि, अभिनिर्णीत प्रतिकर एवं ब्याज भुगतान का विवरण	206
3.1.5	भवन उपविधियों के प्रवर्तन के आंकड़ों का विवरण	207
3.1.6	डॉ राम मनोहर लोहिया पार्क के विकास में कार्यों के नाम, उनकी निविदा लागत तथा अंतिम लागत	208
3.1.7	प्रत्येक योजना में बिना लाटरी के अन्य आवेदकों को आवंटित सम्पत्तियों की संख्या, योजनाओं के नाम तथा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या का विवरण	208
3.1.8	31 मार्च 2006 को बिना बिकी सम्पत्ति का विवरण	209
3.2.1	एफ डब्ल्यू पी का बजट आवंटन एवं व्यय	210
	डीसीवीबीडी का बजट आवंटन एवं व्यय (केन्द्र एवं राज्य के बीच निधियों की साझेदारी)	210
	एनबीसीपी का बजट आवंटन एवं व्यय (केन्द्र पुरोनिधनित योजना)	210
	आरएनटीसीपी का बजट आवंटन एवं व्यय (केन्द्र पुरोनिधनित योजना)	210
3.2.2	एम एम आर लक्ष्य को न प्राप्त करना	211
3.2.3	गुणवत्ता जांच के बिना औषधियों का वितरण	212
3.2.4	नये स्पुटम धनात्मक की खोज दर का आरएनटीसीपी में लक्ष्य एवं उपलब्धि	213
	माइक्रोस्कोप केन्द्रों/डाट्स केन्द्रों की कमियों, आरएनटीसीपी के अन्तर्गत प्रशिक्षण की स्थिति	213

3.2.5	मनव शक्ति, 31 मार्च 2007 को मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की स्थीकृति पदों एवं कार्यरत की स्थिति	214
3.2.6	31 मार्च 2007 को नमूना जांच जिलों के 101 साठेयाँको में कर्मचारियों की स्थिति	215
	31 मार्च 2007 को नमूना जांच जिलों के 719 पीएचसी में मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति	215
3.2.7	वर्ष 2002–07 में प्रशिक्षण के संचालन की प्रगति	216
3.2.8	डीडी किटों एवं औषधियों की कम प्राप्ति	217
3.2.9	31 मार्च 2007 को आन्तरिक लेखा परीक्षा की अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण	218
3.3.1	मैनुअल एवं कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों के अनुसार तहसीलों के क्षेत्रफल में अंतर	219
3.5.1	स्वीकृति, अवमुक्त तथा व्यय का विवरण	220
3.5.2	महत्त्वपूर्ण अवसरों पर भीड़ का विवरण	221
3.5.3	संगम क्षेत्र में उपलब्ध पानी की गुणवत्ता का विवरण	221
3.6.1	उपकरणों की स्थापना में विलम्ब	222
3.6.2	उपकरणों का अकियाशील रहना	222
3.6.3	2004–07 की अवधि में सम्पादित वार्षिक रख—रखाव सम्बंधी अनुबंध का विवरण	223
3.6.4	उपकरणों के डाउन टाइम की अवधि का विवरण	223
4.1	मंहगी सङ्क गिटटी के मूल्य के कारण अधिक भुगतान	224
4.2	प्रस्तावित कार्यों का साइट प्लान	225
4.3	आई. ओ. सी. को भेजी गई धनराशि का विवरण	226
4.4	बैंक डाफट की सूची : रद्द एवं अन्य को भुगतान	227
5.1	दायित्वों का विवरण	228
5.2	कार्यरत स्टाफ की स्थिति	229
5.3	परिचालन स्टाफ की स्थिति	230

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 और 2 में 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के कमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जांच से उत्पन्न मामलों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यकलापों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां सम्मिलित हैं।
3. अध्याय-3 निष्पादन लेखा परीक्षा के निष्कर्षों एवं अध्याय-4 लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग सहित विभिन्न विभागों में लेन-देनों की लेखापरीक्षा से सम्बंधित है। अध्याय-5 में राज्य के एक चयनित विभाग में विद्यमान आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर टिप्पणी है।
4. सांविधिक निगमों, राजस्व प्राप्तियों एवं प्राथमिक शिक्षा में नेशनल प्रोग्राम आफ न्यूट्रीशनल सपोर्ट से सम्बंधित टिप्पणियों वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
5. प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2006-07 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये, साथ-साथ उनमें से जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आये थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके, वर्ष 2006-07 के बाद के ऐसे प्रकरण जहां आवश्यक हुये, भी सम्मिलित किये गये हैं।

कारण साफ्टवेयर में निरन्तर परिवर्तन हुए, अभिलिखित पासवर्ड नीति के अभाव में भौतिक एवं तार्किक अभिगमन नियंत्रण अपर्याप्त थे। पेंशनरों के ऑकड़ों के वैधीकरण के अभाव में पेंशन भुगतान से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली प्रभावी नहीं थी। मानक मद स्तर तक तक बजट नियंत्रण अप्रभावी था, क्योंकि बजट प्रावधान एवं आहरण वितरण अधिकारी के आबंटन के सापेक्ष अधिक व्यय, व्यय संशोधन के विकल्प के माध्यम से हुआ।

(प्रस्तर 3.4)

अर्द्धकुम्भ मेला इलाहाबाद में जनवरी/फरवरी 2007 में सम्पन्न हुआ। संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं को स्नान हेतु उपयुक्त जल उपलब्ध कराने सहित मेला सुचारू रूप से सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व मेला प्रशासन का था। यद्यपि अत्यधिक बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड तथा कॉलीफार्म होने के कारण जल नहाने योग्य नहीं था। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं आपदा प्रबन्धन योजना अपर्याप्त थी। सम्भावित श्रद्धालुओं के बढ़ चढ़कर आकलन तथा व्यवस्थाओं का सही ढंग से सुनियोजन न किये जाने के फलस्वरूप ट्यूबवेल आदि में अनावश्यक व्यय किया गया, इसके अतिरिक्त पान्तून तथा सामग्रियों पर धन अवसोधित रहा।

(प्रस्तर 3.5)

क्षेत्रीय निदान केन्द्रों का उद्देश्य जनता को निदान सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना था। संस्कृति से इतर उपकरणों का क्य किया गया था। एक तरफ तो क्य किये गये उपकरण काफी समय तक बिना स्थापना के पड़े रहे जबकि दूसरी तरफ स्थापित उपकरण विभिन्न कारणों से आक्रियाशील रहे। उपकरणों के रख-रखाव तथा मरम्मत हेतु बजट सहित कोई भी कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। मण्डल के राजकीय असमतालों द्वारा निदान/चिकित्सीय परीक्षण हेतु मरीजों को केन्द्रों को संदर्भित नहीं किया गया था जबकि अपात्र लोगों को निदान/चिकित्सीय परीक्षण हेतु निःशुल्क सुविधा प्रदान की गयी थी।

(प्रस्तर 3.6)

प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कन्या विद्या धन योजना लागू की गयी थी(सितंबर 2004)। योजना का क्रियान्वयन दोषपूर्ण था। उपभोग ब्रामण-पत्रों की प्राप्तियों एवं अव्ययित अवशेषों के अभ्यर्पण का अनुश्रवण जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा नहीं किया गया। आवेदनों, चयनित सूचियों एवं अभिभावकों के आय प्रमाण पत्रों की अपर्याप्त जांच के परिणाम स्वरूप प्रोत्साहन धनराशि अपात्र लाभार्थियों को दी गयी। प्रोत्साहन धनराशि के वितरण हेतु आयोजित समारोहों पर मानक से अधिक व्यय भी संज्ञान में आया।

(प्रस्तर 3.7)

विमाग के आंतरिक नियंत्रण के मूल्यांकन से परिलक्षित हुआ कि नियंत्रण कमजोरियों एवं कमियों से ग्रसित था। वित्तीय प्रबंधन और बजटीय नियंत्रण अपर्याप्त थे। माडल प्रिजन मैनुअल लागू नहीं किया गया था। वीडियो कान्फ्रॉसिंग सिस्टम की स्थापना में

विलम्ब से बन्दियों को भागने में मदद मिली। कारागारों में प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रवेश को रोकने में निरीक्षण/तलाशी प्रभावकारी नहीं थे। कारागारों में अत्यधिक भीड़ की समस्या कारागार आधुनिकीकरण योजना की धीमी प्रगति के कारण हल नहीं हो सकी थी। अपर्याप्त मानव संसाधन प्रबंधन के कारण कारागारों में फर्जी बन्दीरक्षक कार्यरत थे। विभाग में कारागार के कार्यकलापों की समीक्षा के प्रति उदासीन मनोवृत्ति व सतर्कता प्रणाली को संस्थापित न किया जाना भी संज्ञान में आया।

(प्रस्तर 5)

प्रस्तर 5.1 दूर्विनियोग / हानियां

एटा जनपद में अलीगंज सराय अघट मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुमोदित सामग्री को स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर अधिक मूल्यवान सामग्री से प्रतिस्थापित किया गया। इस भ्रष्ट आचारण के परिणामस्वरूप 92 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

(प्रस्तर 4.1.1)

50 मिमी⁰ की आवश्यकता के स्थान पर 75 मिमी मोटे बिटुमिन मैकाडम से जनपद फिरोजाबाद के मुस्तफाबाद—एका मार्ग के सुदृढ़ीकरण में कपटपूर्ण भुगतान की संभावना के साथ 43.35 लाख रुपये का अधिक व्यय किया गया।

(प्रस्तर 4.1.2)

तराई क्षेत्र के भारी वर्षा परिक्षेत्र जनपद गोरखपुर में वाटर रिचार्जिंग परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर 1.63 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा। सम्पादित परियोजनाओं को विभाग के किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.1.3)

जनपद जालौन के प्रशासन अधिकारियों की मिलीभगत से कय—नियमों के उल्लंघन की सुगमता से एक फर्म द्वारा विभाग के 22.50 लाख रुपये के कपटपूर्ण आहरण को बढ़ावा मिला।

(प्रस्तर 4.1.4)

नगर पालिका परिषद सम्मल, मुरादाबाद द्वारा सीमेन्ट कंकरीट सड़क के उच्च दरों का लोक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापन कराये बिना भुगतान करने से ठेकेदार को 34.72 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 4.1.5)

अधिक भुगतान / निरर्थक / निष्फल व्यय

नजदीक के खदानों में ग्रिट की उपलब्धता की अनदेखी करते हुए एवं दूर से सामग्री संग्रह का सत्यापन किये बिना दूरस्थ खदानों से लुम्बनी दुद्धी मार्ग के बिटुमिनस कार्यों हेतु महंगी ग्रिट के उपयोग के फलस्वरूप बस्ती जनपद के शासकीय खजाने से 1.02 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निष्कासन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

(प्रस्तर 4.2.1)

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत हैण्ड एम्पो के अधिष्ठापन एवं री—बोरिं के लिये कार्यदायी संस्थाओं के आगणनों की जाँच करने में विफलता के कारण कार्यदायी संस्थाओं को 1.60 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 4.2.3)

मध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रत्येक स्तर पर असफल तंत्रात्मक व्यवस्था के कारण स्थानान्तरित वाहन चालक के वेतन भत्तों के 1.11 लाख रुपये का दोहरा आहरण किया गया।

(प्रस्तर 4.2.4)

लखनऊ में हथकरघा एवं हस्तकला क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत भूमि का विधिक स्वामित्व प्राप्त किए बिना कार्य प्रारम्भ करने से 15.70 लाख रुपये का व्यय निर्वर्थक एवं 1.33 करोड़ रुपये अवरुद्ध हुआ।

(प्रस्तर 4.2.5)

संविदात्मक बाध्यता का उल्लंघन/ठेकेदारों को अनुचित लाभ/परिहार्य व्यय

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण किये बिना स्थल विकास पर 4.20 करोड़ रुपये के व्यय के परिणामस्वरूप कार्य के परित्याग के अतिरिक्त 1.98 करोड़ रुपये परिहार्य ब्याज का भुगतान और 1.78 करोड़ रुपये का अवरोधन हुआ।

(प्रस्तर 4.3.4)

निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/धन का अवरोधन, उपक्रमों की स्थापना में विलम्ब, व्यवर्तन/धन का दुरुपयोग

इलाहाबाद में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क के लिये उपयुक्त स्थल की व्यवस्था करने में शासन की विफलता के परिणामस्वरूप 1.26 करोड़ रुपये की निधि का अवरोधन हुआ।

(प्रस्तर 4.4.1)

वैकसीन की कूल चेन बनाये रखने के लिये आवश्यकता का आकलन एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना पशुपालन विभाग में रेफ्रीजरेटरों के क्य पर किया गया 1.15 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 4.4.2)

अज्जूपूरा रजबाहे के निर्माण हेतु सम्पूर्ण रीच की भूमि का अधिग्रहण न किये जाने के परिणामस्वरूप 2.30 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा क्योंकि रजबाहे को संरक्षण में गैप्स के कारण कियाशील नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 4.4.3)

समाज कल्याण एवं ग्रामीण विकास विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा आर्थिक संब्यवहारों पर समुचित परीक्षणों के प्रयोग में असफलता से 98.31 लाख रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 4.4.12)

आवास योजना के लिये लखनऊ की निम्न तलीय क्षेत्र में विवादित भूमि के आवंटन के परिणामस्वरूप 1440 आवासों के अधूरे निर्माण पर 4.47 करोड़ रुपये व्यय करने के पश्चात निर्माण कार्य के रुकने के अतिरिक्त 1.23 करोड़ रुपये की लागत के अतिरिक्त मदों का कार्य सम्पादित हुआ।

(प्रस्तर 4.4.14)

कार्य की प्रगति के अनुश्रवण की कमी के कारण लखनऊ में गोमती नदी के जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम सम्बन्धी परियोजना पर धन उपलब्धता के बावजूद 33.66 करोड़ रुपये का व्यय अनुत्पादक रहा।

(प्रस्तर 4.4.15)

नियमितता एवं अन्य प्रकरण

स्थानीय अभ्यर्थियों की परिवहन व्यवस्था, मानक से अधिक दरों पर बसों के किराये पर लिये जाने एवं बेरोजगारी भूत्ता योजना के अन्तर्गत आच्छादित न होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर 3.74 करोड़ रुपये का अस्वीकार्य व्यय किया गया।

(प्रस्तर 4.5.3)

वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिये 11.03 करोड़ रुपये की धनराशि का वितरण हेतु तुरन्त आवश्यकता न होते हुए भी आहारित कर बैंक ड्राफ्ट में बदलकर रखा गया।

(प्रस्तर 4.5.6)

वित्तीय नियमों की उपेक्षा कर बिना तत्काल आवश्यकता के राजकोष से 1.49 करोड़ रुपये का आहरण किया गया। तथा एक से तीन वर्षों तक बैंक के बचत खाते में एवं कार्यदायी संस्थाओं के पीस रखा गया।

(प्रस्तर 4.5.7)

अध्याय-१

राज्य सरकार के वित्त

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार का लेखा तीन भागों में रखा जाता है। (1) समेकित निधि (2) आकस्मिकता निधि एवं (3) लोक लेखा (**परिशिष्ट 1.1-भाग ३**)। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे में उन्नीस विवरण होते हैं जो राज्य सरकार की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में प्राप्तियों एवं व्यय, राजस्व तथा पूँजी को प्रदर्शित करते हैं। वित्त लेखा की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1-भाग ३** में दर्शायी गयी है।

1.1.1 प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

सारणी-1.1 में उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2006-07 के वित्त का सारांश दिया गया है जिसमें वित्त लेखा के विवरण-१ तथा अन्य विस्तृत विवरणों से उद्धरित राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय, पूँजीगत प्राप्तियों एवं व्यय, लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरण को आच्छादित किया गया है।

सारणी-1.1 : वर्ष 2006-07 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश
(करोड़ रुपये में)

2005-06	प्राप्ति	2006-07	2005-06	संवितरण	2006-07		
भाग-अ : राजस्व							
45,349.15	1-राजस्व प्राप्तियां	60,599.52	46,617.14	1-राजस्व व्यय	46,000.42	9,698.48	55,698.90
18,858.10	कर राजस्व	22,997.97	20,919.68	सामान्य सेवायें	24,180.50	118.82	24,299.32
2,930.32	कर-मिल्न राजस्व	6,532.64	15,609.70	सामाजिक सेवायें	11,879.62	7,368.44	19,248.06
18,202.93	संघीय करों/शुल्कों का अश	23,218.31	7,755.84	आर्थिक सेवायें	7,198.05	2,211.22	9,409.27
5,357.80	भारत सरकार से अनुदान	7,850.60	2,331.92	सहायक अनुदान एवं अंशादान	2,742.25	----	2,742.25
भाग-ब : पूँजी							
----	II-विविध पूँजीगत प्राप्तियां	----	8,711.23	II- पूँजीगत परिव्यय	671.64	13,312.49	13,984.13
585.05	III-ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	355.64	683.84	III-ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	325.69	561.86	887.55
14,257.46*	IV-लोक ऋण प्राप्तियां	11,711.50	5,252.34**	IV-लोक ऋणों का पुनर्भुगतान	5,912.08	----	5,912.08
298.52	V-आकस्मिकता निधि	644.79	182.77	V-आकस्मिकता निधि	9.57	----	9.57
52,528.51	VI-लोक लेखा प्राप्तियां	63,075.25	43,171.84	VI-लोक लेखा संवितरण	52,901.28	----	52,901.28
95.16	प्रारम्भिक अवशेष	8,494.69	8,494.69	अंतिम अवशेष	15,487.88	----	15,487.88
1,13,113.85	योग	1,44,881.39	1,13,113.85	योग			1,44,881.39

* अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरडाफ्ट को छोड़कर।

** 25.48 करोड़ रुपये का अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत शुद्ध लेनदेन भी सम्मिलित है।

विगत वर्ष से 2006–07 के दौरान निम्नलिखित सार्थक बदलाव आये:—

- विगत वर्ष के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में 15,251 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई। यह मुख्यतया कर-राजस्व (4,140 करोड़ रुपये), कर-भिन्न राजस्व (3,603 करोड़ रुपये) एवं राज्यों के संघीय कर एवं शुल्क (5,015 करोड़ रुपये) की बढ़ोत्तरी के कारण थी।
- विगत वर्ष के सापेक्ष राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में कमशः 9,082 करोड़ रुपये तथा 5,273 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई।
- ऋण एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2005–06 में 585 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2006–07 में 356 करोड़ रुपये हो गयी। जबकि संवितरण (888 करोड़ रुपये) में विगत वर्ष के सापेक्ष 204 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई।
- विगत वर्ष के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियों में 2,546 करोड़ रुपये की घटोत्तरी हुई जिसका मुख्य कारण आन्तरिक ऋण प्राप्तियों में कमी थी। यद्यपि, लोक ऋण के पुनर्भुगतान में विगत वर्ष के सापेक्ष 659.74 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई।
- विगत वर्ष के सापेक्ष लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में कमशः 10,547 करोड़ रुपये एवं 9,729 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई।
- विगत वर्ष के सापेक्ष राज्य सरकार के रोकड़ अवशेष में 6,993 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई।

1.1.2 मुख्य सूचकों द्वारा राज्य की राजकोषीय स्थिति

मुख्य राजकोषीय सूचकों के द्वारा राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति गतवर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सारणी-1.2 में दी गई है:—

सारणी-1.2

(करोड़ रुपये में)

2005-06	क्रम संख्या	मुख्य समूह	2006-07
45,349	1.	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	60,600 ¹
18,858	2.	कर राजस्व (शुद्ध)	22,998
2,930	3.	कर भिन्न राजस्व	6,533
23,561	4.	अन्य प्राप्तियां	31,069
585	5.	ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां	356
585	6.	जिसमें ऋणों की वसूली	356
45,934	7.	कुल प्राप्तियां (1+5)	60,956
40,816	8.	आयोजनेत्तर व्यय	46,998
40,172	9.	राजस्व लेखा पर	46,000
9,098	10.	जिसमें व्याज भुगतान	10,477
539	11.	पूंजीगत लेखा पर	672
105	12.	ऋणों के संवितरण पर	326
15,196	13.	आयोजनागत व्यय	23,573
6,445	14.	राजस्व लेखा पर	9,699
8,172	15.	पूंजीगत लेखा पर	13,312
579	16.	ऋणों के संवितरण पर	562
56,012	17.	कुल व्यय (13+8)	70,571 ²
(-) 1,268	18.	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) [1-(9+14)]	(+) 4,901
(-) 10,078	19.	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (1+5-17)	(-) 9,615
(-) 980	20.	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) [7-(17-10)]	(+) 862

¹ विगत वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अवमुक्त 344.12 करोड़ रुपये के समायोजन को शामिल करते हुए।

² विभागीय समायोजन लेखा एवं वर्ष 1992–2006 के मध्य राज्य आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के कारण अंतिम व्यय के रूप में 320.24 करोड़ रुपये का समायोजन शामिल करते हुए।

गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 15,251 करोड़ रुपये (33.63 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में 9,082 करोड़ रुपये (19.48 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप वर्ष 2005–06 के 1,268 करोड़ रुपये के घाटे से राजस्व लेखे में 6,169 करोड़ रुपये के आधिक्य के रूप में वृद्धि हुई। 229 करोड़ रुपये की घटोत्तरी के साथ विद्यमान राजस्व आधिक्य के परिपेक्ष्य में पूंजीगत व्यय में 5,273 करोड़ रुपये (60.53 प्रतिशत) एवं उधार तथा अग्रिमों के संवितरण में 204 करोड़ रुपये की वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्तमान वर्ष में वित्तीय घाटा वर्ष 2005–06 के 10,078 करोड़ रुपये के स्तर से 463 करोड़ रुपया कम हो गया। ब्याज भुगतान में 1,379 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ राजकोषीय घाटे में गिरावट के परिणामस्वरूप विगत वर्ष के 980 करोड़ रुपये के प्राथमिक घाटे की अपेक्षा प्राथमिक आधिक्य 862 करोड़ रुपये हो गया।

वर्ष 2006–07 के राजस्व आधिक्य के संदर्भ में राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार वर्ष 2006–07 के वित्त लेखे में अंकित 2,127.42 करोड़ रुपये के ऋण अधित्याग जिसमें वर्ष 2005–06 के 1,063.71 करोड़ रुपया भी सम्मिलित है, को ध्यान में रखते हुए आकलित किया जाना चाहिए।

1.2 राजकोषीय स्थिति के निधारण हेतु अपनाई गई प्रणाली

प्राप्तियों एवं संवितरण के मुख्य राजकोषीय समूहों की प्रवृत्ति का विश्लेषण वर्ष 2001–02 से 2006–07 की अवधि के वित्त लेखे के विवरणों के आधार पर किया गया। वर्तमान वर्ष के मुख्य वित्तीय समूहों की प्रवृत्ति एवं पद्धति के गुणात्मक विश्लेषण के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय समूहों के लिए निधारित मानदण्ड/सीलिंग एवं उनके प्रक्षेपकों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा, उनके उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबन्धन अधिनियमों एवं अन्य विवरणों जिसे अधिनियम के अन्तर्गत विधायिका को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, वचनबद्धता/प्रक्षेपकों का उपयोग किया गया है। यह मानकर कि निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित स रा घ उ, (सारणी-1.3) राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा संकेतक है, मुख्य राजकोषीय समूहों जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय आदि के लिए उत्पादवक्ता के प्रक्षेपकों को स रा घ उ से उद्भूत आधार के संदर्भ में उतारों/चढ़ावों से आकलन का आधार बनाया गया है। इस उद्देश्य हेतु मुख्य राजकोषीय समूहों को चार मुख्य समूहों में समाहित किया जाता है (1) कुल प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन (2) संसाधनों का उपयोग (3) सम्पत्ति एवं देयताएं एवं (4) घाटे का प्रबंधन। संसाधन संग्रह प्रयत्नों के संचित प्रभाव, ऋण सेवा एवं राजकोषीय सुधार मानदण्ड को ध्यान रखते हुए भी आकलन किया गया है। सम्पूर्ण रूप से राज्य सरकार की सामूहिक संस्था के रूप में वित्तीय निष्पादन के लिए अनुपातों के समूह को जिसे राजकोषीय समूहों की सम्बन्धात्मक व्याख्या हेतु सामान्य रूप से अपनाया जाता है, का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, सरकार के वित्तीय निष्पादन के मुख्य चयनित सूचक इस भाग में सूचीबद्ध किये गये हैं, इस संदर्भ में उपयोग किए गये शब्दावली को परिशिष्ट-1.1-भाग स में विश्लेषित किया गया है। राज्य सरकार के 31 मार्च 2007 की वित्तीय स्थिति का सारांश वर्ष 2006–07 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार, निधियों का स्रोत एवं उपयोग एवं राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े परिशिष्ट -1.2 से 1.5 में दिये गये हैं।

सारणी-1.3 स रा घ उ की वृद्धि एवं संघटकों में प्रवृत्ति

अनुमान	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रुपये में)	1,90,407	2,05,395	2,24,859	2,42,282	2,73,785*	3,11,709**
स रा घ उ (वृद्धि की दर प्रतिशत में)	5.18	7.87	9.48	7.75	13.00	13.85

* तीव्र आकलन ** अप्रिम आकलन

1.2.1 उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2004

राजकोषीय स्थिरता एवं निरन्तरता, प्रचुर मात्रा में राजस्व आधिक्य प्राप्त करके सामाजिक एवं भौतिक ढांचा एवं मानव विकास में सुधार करके कार्यक्षेत्र में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन की रुकावटों को दूर करने, उधार की सीमा, शासकीय प्रतिभूति, ऋण एवं घाटा को सीमित करके राजकोषीय कार्यों में वृहत्तर पारदर्शिता एवं मध्यकालिक राजकोषीय ढांचा एवं उससे सम्बंधित कार्यों में कुशल ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2004 लागू किया गया। शासन की जिम्मेदारी थी कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति (एम टी एफ आर पी) विधान सभा में रखे जिसमें निर्धारित राजकोषीय सूचकों को पांच वर्षों में प्राप्त करने का परिवर्तनीय लक्ष्य निर्धारित हो एवं अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नियम बनाये। एफ आर बी एम नियमों को अक्टूबर 2006 में अधिसूचित किया गया।

अधिनियम में प्रावधानित राजकोषीय सिद्धान्त को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार के लिए निम्न वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गये:—

- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले पांच वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य पर लाया जाना।
- 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे को प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) के तीन प्रतिशत से अनधिक तक कम किया जाना।
- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले 14 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करना कि अन्तिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।
- सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं दी जाये।

इसके अतिरिक्त, आन्तरिक गड़बड़ियों या दैवीय आपदाओं से उपजी अप्रत्याशित मांग को इस शर्त के साथ कि आपदा को प्रदान की गई वास्तविक राजकोषीय लागत से अधिक न हो, को छोड़कर, राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा को नहीं लांघ सकता है।

1.2.2 राजकोषीय नीति विवरण 2006-07

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार ने एफ आर बी एम अधिनियम एवं बारहवें वित्त आयोग के अवार्ड के हेतु भारत सरकार द्वारा निकाली गई राज्य की राजकोषीय घाटे की आकलित वार्षिक कमी दर को ध्यान में रखते हुए अपना स्वयं राजकोषीय सुधार पथ (एफ.सी.पी.) विकसित किया जिसमें वर्ष 2004-05 से

2009-10 (परिशिष्ट -1.6) तक कियान्वयन की लक्षित तिथियों को दर्शाते हुए परिणामी सूचकों के लक्ष्य निर्धारित किए गये।

शासन ने वर्ष 2005-10 हेतु राजकोषीय सुधार पथ को वर्ष 2006-07 के वार्षिक बजट के साथ राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा (फरवरी 2006)। जिसमें मुख्यतः निम्न बिन्दु सम्प्रिलिपि थे :—

- राज्य की आर्थिक नीति का विहंगावलोकन दर्शाते हुए बहुत आर्थिक ढांचा विवरण।
- राजकोषीय लक्ष्यों एवं पूर्वानुमानों को प्राप्त करने हेतु मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति विवरण का निर्धारण।
- राज्य के कर, व्यय एवं ऋणों इत्यादि से सम्बंधित आगामी वर्षों की राजकोषीय नीति।
- राज्य सरकार के वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतानों से सम्बंधित व्यय।

1.2.3 राजकोषीय स्थिति की मध्यकालिक समीक्षा

एफ आर बी एम अधिनियम 2004 की धारा 6(2) के अनुपालन में राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत अद्वार्षिक समीक्षा के अनुसार सितम्बर 2006 के अंत तक राजस्व संग्रहण लक्ष्य के नीचे था जबकि राजस्व एवं पूंजीगत व्यय लक्ष्य सीमा के अंदर रखा गया। किन्तु राजकोषीय असंतुलन में सुधार हेतु लगातार प्रयास करने के कारण राजस्व वसूली (29,531 करोड़ रुपये) मार्च 2007 के अंत तक एफ सी पी में राजस्व के प्रक्षेपित लक्ष्य (25,281.90 करोड़ रुपये एवं टी एफ सी के आकलन (25,395.88 करोड़ रुपये) से बढ़ गई तथापि बजट प्राक्कलन (35,092.50 करोड़ रुपये) के काफी नीचे थी। राजस्व व्यय (55,699 करोड़ रुपये) एफ सी पी में प्रक्षेपित लक्ष्य (54,256 करोड़ रुपये) एवं बजट प्राक्कलन (55,021.23 करोड़ रुपये) से अधिक था। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) 46,000 करोड़ रुपये था जोकि वर्ष के लिए टी एफ सी के अनुमान (37,140.59 करोड़ रुपये) के सापेक्ष 8,859.41 करोड़ रुपये बढ़ गया।

राज्य द्वारा दो वर्ष पूर्व अधिनियम में निर्धारित राजस्व घाटे को कम करने के राजकोषीय लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया जिससे वर्तमान वर्ष के अंत में राजस्व आधिक्य 4,901 करोड़ रुपये हुआ। राजकोषीय सुधार पथ में प्रक्षेपित 4.08 प्रतिशत में सुधार करते हुए राजकोषीय घाटा 9,615 करोड़ रुपये स रा घ उ का 3.08 प्रतिशत था। एफ सी पी में प्रक्षेपित 50.1 प्रतिशत के विरुद्ध स रा घ उ से बकाया राजकोषीय दायित्व का अनुपात बढ़कर 52.02 प्रतिशत रहा। यद्यपि राजकोषीय सूचकों में कुल मिलाकर सुधार के कारण भारत सरकार से ऋण संकलन एवं सहायता सुविधा¹ के अंतर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2006-07 में 2,127.42 करोड़ रुपये की ऋण मुक्ति प्राप्त किया।

1.3 समूह प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं आयोजन

राज्य सरकार की सकल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती हैं, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, राज्यों के संघीय करों एवं शुल्क

¹ राज्यों के वित्तीय संकलन एवं राजस्व घाटे की समाप्ति हेतु बाहरवे वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य ऋण संकलन एवं राहत सुविधा (डी सी आर एफ) (2005-06 से 2009-10) योजना बनाई गयी जिसमें सामान्य ऋण राहत केन्द्रीय ऋणों के सकलन एवं अत्यन्त कम ब्याज दर पर एफ आर बी एम एकट के लागू करने पर दिया जाता है तथा राज्यों के राजस्व घाटे में कमी से सम्बद्ध वित्तीय निष्पादन के आधार ऋण मुक्ति प्रदान की जाती है।

तथा भारत सरकार (जी ओ आई) से प्राप्त सहायक अनुदान समिलित होते हैं। पूँजीगत प्राप्तियां में प्रकीर्ण पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋण और अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम के साथ लोक लेखे से संभूति समिलित हैं। सारणी-1.4 से ज्ञात होता है कि वर्ष 2006-07 की अवधि में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां 1,36,387 करोड़ रुपये थीं। इसमें से 60,600 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियों का था जो कुल प्राप्तियों का 44 प्रतिशत था। शेष पूँजीगत प्राप्तियों, ऋणों, आकस्मिकता निधियों की प्राप्तियों और लोक लेखे से प्राप्त हुए (परिशिष्ट -1.5)।

सारणी-1.4 समूह प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं घटक

(करोड़ रुपये में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
I राजस्व प्राप्तियां	25,598	27,821	31,638	37,617	45,349	60,600
II पूँजीगत प्राप्तियां	11,749	12,609	34,608	17,741	14,842	12,067
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	366	219	12,498	278	585	356
लोक ऋण प्राप्तियां	11,383	12,390	22,110	17,463	14,257	11,711
विविध पूँजीगत प्राप्तियां	----	----	----	----	----	----
III आकस्मिकता निधि	81	----	52	76	299	645
IV लोक लेखा प्राप्तियां	36,965	37,327	46,875	45,213	52,529	63,075
अ. लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	1,935	3,116	3,124	3,226	3,605	4,858
ब. आरक्षित निधि	1,667	1,829	2,222	2,710	3,182	3,074
स. निष्केप एवं अग्रिम	11,020	6,689	12,760	12,395	16,549	15,249
द. उचन्त एवं विविध	28,362	23,854	24,072	21,787	20,952	27,430
य. प्रेषण	(-) 6,019	1,839	4,697	5,095	8,241	12,464
कुल प्राप्तियां	74,393	77,757	1,13,173	1,00,647	1,13,019	1,36,387

राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियां, कुल प्राप्तियों की कमशः 44 एवं 9 प्रतिशत संघटित थीं। तथापि अन्य प्राप्तियां लोक लेखे एवं आकस्मिकता निधि से प्राप्त हुई। राज्य की कुल प्राप्तियां 2001-02 में 74,393 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006-07 में 1,36,387 करोड़ रुपये हो गयी। ऋण पूँजीगत प्राप्तियां जो भविष्य पुर्णभुगतान बाध्यता उत्पन्न करती हैं, 2002-03 में 12,390 करोड़ रुपये से तीव्रता से बढ़कर 2003-04 में 22,110 करोड़ रुपये हो गयी किन्तु 2006-07 में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाते हुए 11,711 करोड़ रुपये हो गयी।

1.3.1 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे का विवरण-11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों को वर्णित करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त अनुदान समिलित हैं। समग्र राजस्व प्राप्तियां, इसकी वार्षिक वृद्धि दर, इन प्राप्तियों का राज्य की सकल राज्य धरेलू उत्पाद से अनुपात तथा इसकी उत्पावकता सारणी-1.5 में प्रदर्शित है।

सारणी-1.5 : राजस्व प्राप्तियां-प्राथमिक प्राचल

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व प्राप्तियां (आर आर) (करोड़ रुपये में)	25,598	27,821	31,638	37,617	45,349	60,600
स्व कर (प्रतिशत)	10,330 (40.35)	12,767 (45.89)	13,601 (42.99)	15,693 (41.72)	18,858 (41.58)	22,998 (37.95)
कर भिन्न राजस्व (प्रतिशत)	1,787 (6.98)	1,913 (6.88)	2,282 (7.21)	2,720 (7.23)	2,930 (6.46)	6,533 (10.78)
केन्द्रीय कर हस्तांतरण (प्रतिशत)	10,189 (39.80)	10,832 (38.93)	13,273 (41.95)	15,055 (40.02)	18,203 (40.14)	23,218 (38.31)
सहायक अनुदान (प्रतिशत)	3,292 (12.86)	2,309 (8.30)	2,482 (7.85)	4,149 (11.03)	5,358 (11.82)	7,851 (12.96)
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.46	8.68	13.72	18.90	20.55	33.63
राजस्व प्राप्तियां/स रा घ उ (प्रतिशत)	13.44	13.55	14.07	15.53	16.56	19.44
राजस्व उत्प्लावकता (अनुपात) ¹	0.668	1.103	1.447	2.439	1.581	2.428
राज्य के स्व कर की उत्प्लावकता (अनुपात)	(-) 1.143	2.997	0.689	1.985	1.552	1.585
राज्य के स्व कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (अनुपात)	(-) 0.584	0.368	2.100	1.229	1.019	1.532
संकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत)	5.18	7.87	9.48	7.75	13.00	13.85

सामान्य प्रवृत्ति

अवधि 2001–06 में राजस्व प्राप्तियों में अपने संघटकों स्व–कर अंश, कर–भिन्न राजस्व एवं केन्द्रीय कर हस्तांतरण में नाममात्र के परिवर्तन के साथ बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति देखी गई। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 33.63 प्रतिशत की वृद्धि दर गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2006–07 में मुख्य रूप से राज्य के स्व–कर (22 प्रतिशत), कर–भिन्न राजस्व (123 प्रतिशत) एवं केन्द्रीय कर हस्तांतरण (28 प्रतिशत) के कारण हुई। यद्यपि, राजस्व प्राप्तियों में स्व–कर का अंश वर्ष 2005–06 के 41.58 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2006–07 में 37.95 प्रतिशत रहा जबकि करेत्तर राजस्व का आनुपातिक अंश विगत वर्ष के 6.46 प्रतिशत से बढ़कर 10.78 प्रतिशत हो गया। राजस्व उत्प्लावकता अनुपात वर्ष 2005–06 के 1.581 में मामूली सुधार के साथ 2006–07 में 2.428 हो गया। राज्य के स्व–कर के संदर्भ में भी राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2005–06 में 1.019 से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 1.532 हो गई, जो कि वर्ष में राज्य के स्व–कर में वृद्धि की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।

कर राजस्व

कर राजस्व (22,998 करोड़ रुपये) विगत वर्ष (18,858 करोड़ रुपये) से 22 प्रतिशत बढ़ गया यद्यपि, चालू वर्ष में राजस्व प्राप्ति में इसकी प्रतिशतता वर्ष 2005–06 के 42 प्रतिशत से गिरकर 38 प्रतिशत हो गई। न केवल कर राजस्व में मुख्य अंश व्यापार कर से प्राप्त राजस्व 58 प्रतिशत का था बल्कि विगत वर्ष की अपेक्षा इसमें 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी भी हुई। यद्यपि, राज्य में मूल्य वर्धित कर (वी ए टी) क्रियान्वित नहीं किया गया था। स्टांप एवं पंजीकरण (20 प्रतिशत) राज्य आबकारी (15 प्रतिशत) एवं वाहन पर कर (चार प्रतिशत), राज्य के स्व–कर राजस्व के शेष मुख्य घटक थे। नीचे सारणी-1.6 वर्ष 2001–07 की अवधि में कर राजस्व की प्रवृत्ति इंगित करती है।

¹ आधारभूत परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के संदर्भ में उत्प्लावकता अनुपात राजकोषीय परिवर्ती की अनुकूलता अथवा लचीलेपन को दर्शाता है। उदाहरणस्वरूप वर्ष 2006–07 में 2.42 की राजस्व उत्प्लावकता राजस्व प्राप्तियों के 2.42 प्रतिशत अंकों की बढ़ोत्तरी संज्ञान को दर्शाता है, यदि स रा घ उ एक प्रतिशत की दर से बढ़ती है।

सारणी-1.6 : कर राजस्व

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
भूमि राजस्व	73	64	118	102	109	188
स्टाप्प और निबन्धन	1,429	2,079	2,296	2,682	2,997	4,514
राज्य उत्पाद	1,961	2,555	2,472	2,686	3,089	3,551
व्यापार कर/ बिकी कर	6,163	7,124	7,684	8,888	11,285	13,279
वाहनों पर कर	503	619	677	776	965	1,018
अन्य कर*	201	326	354	559	413	448
योग	10,330	12,767	13,601	15,693	18,858	22,998

* अन्य कर जिसमें आय एवं व्यय पर कर, कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्ति पर कर, माल एवं सवारी पर कर, सेवाओं एवं विद्युत पर कर, सेवाओं एवं शुल्क तथा उपयोगी वस्तु पर अन्य कर सम्मिलित है।

स्टैम्प एवं पंजीकरण मद में 1,517 करोड़ रुपये की वृद्धि का मुख्य कारण न्यायिक स्टैम्प में 1,288 करोड़ रुपये की बिकी में वृद्धि थी।

कर भिन्न राजस्व

कर भिन्न राजस्व जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.78 प्रतिशत था, गत वर्ष पर 123 प्रतिशत वृद्धि के साथ 3,603 करोड़ रुपये बढ़ गया। मुख्य रूप से भारत सरकार से डी सी आर एफ में निहित विविध सामान्य प्राप्तियों के अंतर्गत ऋण अधित्याग के रूप में प्राप्त 2,127.42 करोड़ रुपये के अंकन के कारण करेत्तर राजस्व में तीव्र वृद्धि हुई। अन्य क्षेत्र जहां पर्याप्त वृद्धि देखी गई उसमें ऊर्जा (1,012.31 करोड़ रुपये), व्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ (372.13 करोड़ रुपये), पुलिस (112.94 करोड़ रुपये) एवं मध्यम सिंचाई (89.51 करोड़ रुपये) सम्मिलित हैं।

राज्य के अपने संसाधन संग्रहण, जैसाकि टी एफ सी एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में अनुमान किया गया है, नीचे दिया गया है:-

	टी एफ सी एफ संग्रहण अनुमानित	राजकोषीय सुधार पथ में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित	बारतविक
	(1)	(2)	(3)
कर राजस्व	22,413.41	22,640.00	22,997.97
कर-भिन्न राजस्व	2,982.47	2,641.90	6,532.64

राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय सुधार पथ में प्रक्षेपित एवं टी एफ सी के स्तर से अनुमानित कर एवं करेत्तर राजस्व में वृद्धि हुई। करेत्तर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि का मुख्य कारण विविध सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ऋण अधित्याग की विपरीत प्रविष्टि थी।

केन्द्रीय कर स्थानान्तरण

विगत वर्ष के सापेक्ष केन्द्रीय कर स्थानान्तरण में 5,015 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जो राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत था। यह बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से निगम कर (2,220.66 करोड़ रुपये), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (857.61 करोड़ रुपये), सीमा शुल्क (979.88 करोड़ रुपये) एवं सेवा कर (885.17 करोड़ रुपये) में वृद्धि के कारण थे।

सहायक अनुदान

भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान 2005-06 में 5,358 करोड़ रुपये से चालू वर्ष में 7,851 करोड़ रुपये हो गयी। केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं (6.35 करोड़ रुपये) में आंशिक कमी के साथ राज्य आयोजनागत योजनाओं (921.33 करोड़ रुपये),

आयोजनेत्तर अनुदान (667.30 करोड़ रूपये) एवं केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं (910.52 करोड़ रूपये) के अंतर्गत मुख्यतया बढ़ोत्तरी हुई। विगत वर्ष के सापेक्ष राज्य आयोजनागत योजनाओं के अनुदान में 922 करोड़ रूपये की सारभूत वृद्धि का मुख्य कारण ब्लाक अनुदान में 537 करोड़ रूपये की वृद्धि थी। वर्ष में केन्द्र पुरोनिधानित योजना में कुल वृद्धि 910 करोड़ रूपये में मुख्य अंश (476 करोड़ रूपये) प्राथमिक शिक्षा का था। टी एफ सी के 2006–07 में आयोजनेत्तर विशिष्ट उद्देश्यों¹ (2,184.13 करोड़ रूपये), स्थानीय निकायों को सहायता (689 करोड़ रूपये) एवं दैवीय आपदा (228.36 करोड़ रूपये), मद में 3101.49 करोड़ रूपये के अनुमोदन के विरुद्ध टी एफ सी की संस्तुतियों के अनुसार भारत सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सड़क एवं पुलों के अनुरक्षण, परम्परागत सम्पत्ति के अनुरक्षण एवं वन्य जीवों के संदर्भ में पूर्ण अनुदान अवमुक्त किया केवल 50 प्रतिशत अनुदान (75.03 करोड़ रूपये) लोक भवनों के अनुरक्षण के लिए वर्तमान वर्ष में मुक्त की गयी। राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के आवंटन के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए 175 करोड़ रूपये का अनुदान मुक्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में 292.80 करोड़ रूपये की वर्ष 2006–07 के लिए द्वितीय किश्त भी नहीं मुक्त की गई। भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायक अनुदानों का विवरण सारणी–1.7 में प्रदर्शित है।

सारणी–1.7 भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायक अनुदान

	(करोड़ रूपये में)					
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1,994	1,223	1,347	2,400	1,916	2,838
आयोजनेत्तर अनुदान	453	425	569	335	2,027	2,694
केन्द्रीय योजनाओं के लिए अनुदान	80	123	36	190	159	153
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना एवं केन्द्र के लिए अनुदान	765	538	530	1,224	1,256	2,166
योग	3,292	2,309	2,482	4,149	5,358	7,851
बढ़ोत्तरी की प्रतिशतता	18.72	(-) 29.86	7.49	67.16	29.14	46.53

1.4 संसाधनों का उपयोग

1.4.1 व्यय की वृद्धि

वित्त लेखे का विवरण 12 राजस्व व्यय को लघु लेखा शीर्षवार तथा पूंजीगत व्यय को मुख्य लेखा शीर्ष द्वारा दर्शाता है। राज्यों द्वारा अपने सार्वभौमिक प्रयोजनों के संपादन, वर्तमान प्रकृति की सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं को बनाये रखने, इन सेवाओं के जाल को पूंजीगत व्यय एवं निवेश द्वारा विस्तारित करने तथा ऋण सेवाओं के दायित्व के निर्वहन हेतु अपने संसाधनों की वृद्धि की जाती है। राज्य का कुल व्यय वर्ष 2001–02 में 35,875 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 70,571 करोड़ रूपये हो गया। कुल व्यय, उसकी वार्षिक वृद्धि दर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद से व्यय का अनुपात एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इसकी उत्पादकता एवं राजस्व प्राप्तियां सारणी–1.8 में दर्शित हैं।

¹ शिक्षा : 806.87 करोड़ रूपये, स्वास्थ्य क्षेत्र : 409.90 करोड़ रूपये, सड़के एवं पुल : 600.79 करोड़ रूपये, सार्वजनिक भवनों का अनुरक्षण : 150.07 करोड़ रूपये, वनों के संरक्षण : 4 करोड़ रूपये, एतेहासिक स्मारकों का संरक्षण : 12.50 करोड़ रूपये एवं राज्य की विशिष्ट आवश्यकताएँ : 200 करोड़ रूपये,

**सारणी-1.8 : कुल व्यय—प्राथमिक प्राचल
(मूल्य करोड़ रुपये में और अन्य प्रतिशत में)**

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कुल व्यय (टी.ई.)* (करोड़ रुपये में)	35,875	37,537	60,783	50,892	56,012	70,571
वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.87	4.63	61.93	(-16.27)	10.06	25.99
कुल व्यय/स रा घ उ अनुपात (प्रतिशत)	18.84	19.01	27.94	21.59	21.56	22.64
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय अनुपात (प्रतिशत)	71.35	74.12	52.05	73.92	80.96	85.87
कुल व्यय की उत्पावकता (निम्न के संदर्भ में)						
स रा घ उ (अनुपात)	0.361	0.521	6.072	--	0.983	1.877
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.540	0.533	4.514	--	0.490	0.773

* कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम सम्बलित है।

विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय में 14,559 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई जिसमें राजस्व व्यय का अंश 9,082 करोड़ रुपये, पूंजीगत व्यय का अंशदान 5,273 करोड़ रुपये तथा साथ में ऋण एवं अग्रिम का संवितरण 204 करोड़ रुपये था। चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय के 86 प्रतिशत की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों एवं बाकी उधार निधि एवं पूंजीगत प्राप्तियों से की गई। 2006-07 में स रा घ उ से कुल व्यय की उत्पावकता 1.88 थी, जो यह दर्शाती है कि स रा घ उ के सापेक्ष कुल व्यय में उच्चतर लचीलापन का एवं आय में वृद्धि के सापेक्ष अधिक व्यय की प्रवृत्ति थी।

कुल व्यय वर्ष 2001-02 में 35,875 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 60,783 करोड़ रुपये हो गया। यह वर्ष 2004-05 में 50,892 करोड़ रुपये तक नीचे गिरा एवं वर्ष 2006-07 में 70,571 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। गत वर्ष के विरुद्ध इस वर्ष राजस्व व्यय सामान्य सेवाओं में 3,379.65 करोड़ रुपये, सामाजिक सेवाओं में 3,638.36 करोड़ रुपये एवं आर्थिक सेवाओं में 1,653.43 करोड़ रुपये से बढ़ा। पूंजीगत व्यय भी आर्थिक सेवाओं में सारभूत रूप से 3,911.63 करोड़ रुपये बढ़ा जबकि सामाजिक सेवाओं में यह वृद्धि 1,021 करोड़ रुपये की थी।


क्रियाकलाप के आधार पर कुल व्यय की प्रवृत्ति

क्रियाकलापों के संदर्भ में कुल व्यय के अंतर्गत ब्याज भुगतान, सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को सम्मिलित करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायता अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम पर व्यय आता है। कुल व्यय में इन घटकों के अनुपाती अंश को सारणी-1.9 में दर्शाया गया है।

सारणी-1.9 : व्यय के घटक—अनुपाती अंश

(प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
सामान्य सेवाएं	45.45	42.39	32.52	45.23	37.91	35.36
जिसमें ब्याज भुगतान	22.91	18.81	16.66	23.33	16.24	14.85
सामाजिक सेवाएं	26.61	28.23	17.58	26.70	29.94	30.36
आर्थिक सेवाएं	23.88	24.13	45.63	23.34	26.77	29.13
सहायता अनुदान	2.59	3.11	2.23	3.49	4.16	3.89
ऋण एवं अग्रिम	1.47	2.14	2.04	1.24	1.22	1.26



सामान्य सेवाओं पर कुल व्यय का अंश वर्ष 2001-02 में 45.45 प्रतिशत से वर्ष 2006-07 में अन्तर्वर्षीय विचलन के साथ गिरकर 35.36 प्रतिशत हो गया। यद्यपि कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2004-05 में 26.70 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 30.36 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के संदर्भ में वही स्थिति थी जहां 2004-05 में 23.34 प्रतिशत में सुधार दर्ज कराते हुए 2006-07 में 29.13 प्रतिशत वृद्धि हो गई। आयोजनागत पूंजीगत व्यय में तीन गुनी वृद्धि के कारण आर्थिक सेवाओं में मुख्यतया वृद्धि हुई। 2001-07 के दौरान ऋण एवं अग्रिम का संवितरण 1.22 प्रतिशत एवं 2.14 प्रतिशत के बीच रहा।

1.4.2 राजस्व व्यय का प्रभाव

कुल व्यय में राजस्व व्यय प्रभावी अंश था। राजस्व व्यय को सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिये एवं पुराने आभारों के भुगतान हेतु किया जाता है जिससे राज्य के ढांचागत एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि का कोई परिलक्षण नहीं होता है। समस्त राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, राजस्व व्यय का राज्य के स रा घ उ तथा राजस्व प्राप्तियों से अनुपात एवं इसकी उत्पावकता को **सारणी-1.10** में दर्शाया गया है।

सारणी-1.10 : राजस्व व्यय : प्राथमिक प्राचल

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व व्यय (रा.व्यय) जिसमें	31,793	32,939	50,221	44,610	46,617	55,699
आयोजनेतर राजस्व व्यय (आयो. रा. व्यय)	28,232	29,364	46,945	39,512	40,172	46,000
आयोजनागत राजस्व व्यय (आयो. रा. व्यय)	3,561	3,575	3,276	5,098	6,445	9,699
वृद्धि दर (प्रतिशत)						
आयो. रा. व्यय	3.25	4.01	59.87	(-)15.83	1.67	14.51
आयो. रा. व्यय	(-3.39)	0.39	(-)8.36	55.62	26.42	50.49
आयो. रा. व्यय/ स रा घ उ (प्रतिशत)	15.57	14.87	21.58	16.77	15.46	14.76
कुल व्यय से आयोजनेतर राजस्व व्यय का प्रतिशत	78.70	78.23	77.23	77.64	71.72	65.18
राजस्व प्राप्तियों से आयोजनेतर राजस्व व्यय का प्रतिशत	110.29	105.55	148.38	105.04	88.58	75.91
राजस्व व्यय की उत्पावकता						
सकल राज्य धरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.518	0.405	5.144	(-)1.343	0.440	1.406
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.712	0.415	3.824	(-)0.591	0.219	0.579

राजस्व व्यय वर्ष 2001-02 के 31,793 करोड़ रुपये में 75 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2006-07 में बढ़कर 55,699 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2003-04 (93.48 प्रतिशत) को

छोड़कर जिसमें कि ऊर्जा क्षेत्र के ऋण (12,277.40 करोड़ रुपये) के अपलेखन किये जाने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में तेज वृद्धि प्रदर्शित हुई थी, वर्ष 2001-07 के मध्य आयोजनेत्तर राजस्व व्यय लगातार राजस्व व्यय के प्रधान अंश के साथ 83 से 89 प्रतिशत के बीच रहा। दूसरी ओर आयोजनागत राजस्व व्यय में विस्तृत उतार-चढ़ाव परिलक्षित हुआ जो 2003-04 में 8.36 प्रतिशत की गिरावट एवं चालू वर्ष के दौरान 50.49 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रकाश में आयी। दूसरी ओर चालू वर्ष के दौरान आयोजनागत व्यय में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण वेतन (2,079.28 करोड़ रुपये), पेंशन (858.79 करोड़ रुपये), ब्याज भुगतान (1,379 करोड़ रुपये) में बढ़ोत्तरी थी। विगत वर्ष की तुलना में आयोजनागत राजस्व व्यय में 3,254 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (985.93 करोड़ रुपये), समाज कल्याण एवं पुष्टाहार (833.22 करोड़ रुपये), जल वितरण, सेनिटेशन, नगरी आवास विकास (373.66 करोड़ रुपये), ग्राम्य विकास (388.18 करोड़ रुपये) में वृद्धि थी।

राज्य सरकार एवं टी एफ सी के द्वारा 2006-07 के लिए अनुमानित आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के सापेक्ष वास्तविक व्यय को नीचे प्रदर्शित किया जा रहा है।

(करोड़ रुपये में)

	टी एफ सी द्वारा अनुमानित	राजकोषीय सुधार पथ में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित	वास्तविक एन.पी.आर.ई
	(1)	(2)	(3)
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	37,140.59	47,972.97	46,000

यद्यपि आयोजनेत्तर राजस्व व्यय वर्ष के लिए शासन द्वारा उसके राजकोषीय सुधार पथ के अनुमान से नीचे रहा किन्तु टी एफ सी के अनुमान 37,140.59 करोड़ रुपये से 8,859.41 करोड़ रुपये ऊपर था।

1.4.3 ववनबद्ध व्यय

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर शीर्षों के अंतर्गत वेतन पर व्यय की प्रवृत्ति सारणी-1.11 में प्रदर्शित की गई है।

सारणी-1.11 : वेतन पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
वेतन एवं मजदूरी पर व्यय	11,243.96	12,348.12	13,603.83	14,332.85	15,652.87	17,946.02
जिसमें आयोजनेत्तर शीर्ष	10,804.50	11,895.75	13,107.81	13,767.48	15,125.08	17,204.36
योजनागत शीर्ष	439.46	452.37	496.02	565.37	527.79	741.66
स.रा.घ.उ.से प्रतिशत	5.90	6.01	6.05	5.92	5.72	5.77
राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	43.93	44.38	43.00	38.10	34.52	29.67

* राजस्व एवं पूर्जीगत अनुभागों के आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर के अंतर्गत शीर्ष 01—वेतन, 02—मजदूरी, 03—महंगाई भत्ते, 06—अच्य भत्ते, 38—आन्तरिम राहत, 50—महंगाई वेतन एवं 43—सहायता अनुदान वेतन के सम्बन्ध में व्यय।

** आयोजनागत शीर्ष में केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत वेतन एवं भत्तों पर भुगतान भी सम्मिलित है।

चालू वर्ष के दौरान, वेतन एवं भत्तों पर आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्यय के अंतर्गत 741.66 करोड़ रुपये एवं 17,204.36 करोड़ रुपये का व्यय हुआ जो क्रमशः 40.52 प्रतिशत एवं 13.75 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्शाता है। वेतन व्यय यद्यपि, एफ सी पी के प्रक्षेपित व्यय (16,303.01 करोड़ रुपये) से 1,643.01 करोड़ रुपये बढ़ गया। राजस्व व्यय के सापेक्ष कुल वेतन देयक, ब्याज भुगतान तथा पेंशन भुगतान 44.45 प्रतिशत रहा जो वर्ष 2006-07 के मध्य टी एफ सी द्वारा संस्तुत सीमा 35 प्रतिशत के मानक से अधिक था।

पेंशन भुगतान

सारणी-1.12 : पेंशन पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
पेंशन पर व्यय	2,391.74	2,751.13	2,900.10	3,561.15	3,990.80	4,849.59
वृद्धि की दर	1056	15.03	5.41	22.79	12.06	21.52
स रा घ उ से प्रतिशत	1.26	1.34	1.29	1.47	1.46	1.56
राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	9.34	9.89	9.17	9.47	8.80	8.00
आर ई से प्रतिशत	7.52	8.35	5.77	7.98	8.56	8.71

गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में 21.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए पेंशन पर व्यय 858.79 करोड़ रुपये बढ़ गया। राज्य सरकार एवं टी एफ सी के अनुमान/प्रक्षेपण के सापेक्ष रूझान (सारणी-1.13) एवं वास्तविक पेंशन भुगतान के तुलनात्मक विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वास्तविक पेंशन भुगतान टी एफ सी के अनुमान एवं एफ सी पी के प्रक्षेपित व्यय की सीमा के नीचे रहा।

सारणी-1.13 : वास्तविक पेंशन भुगतान एवं उनके रूझान

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	टी एफ सी द्वारा अनुमानित	राज्यकोषीय सुधार पथ से राज्य सरकार द्वारा अनुमानित	पेंशन पर वास्तविक व्यय
	(1)	(2)	(3)
पेंशन	5,013.34	5,021.87	4,849.59

1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद भर्ती किये गये कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा पहले ही से अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है जो भविष्य में बढ़ी हुई पेंशन देयताओं के प्रभाव को कम करेगी।

ब्याज भुगतान

कुल राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान एवं उसकी प्रतिशतता निम्न सारणी में प्रदर्शित है:

सारणी-1.14 ब्याज भुगतान

वर्ष	कुल राजस्व प्राप्तियां	कुल राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान	निम्न के संदर्भ में ब्याज भुगतान का प्रतिशत	
				कुल राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय
2001-02	25,598	31,793	8,220	32	26
2002-03	27,821	32,939	7,060	25	21
2003-04	31,638	50,221	10,124	32	20
2004-05	37,617	44,610	11,873	32	27
2005-06	45,349	46,617	9,098	20	20
2006-07	60,600	55,699	10,477	17	19

उधार का मुख्य स्रोत 6 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के मध्य की ब्याज दरों पर बाजार ऋण थे। कुल राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में ब्याज भुगतान में वर्ष 2001-02 के 32 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 17 प्रतिशत हो गया जबकि राजस्व व्यय के संदर्भ में यह 19 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2005-06 में ब्याज भुगतान में 2,775 करोड़ रुपये की कमी मुख्य रूप से टी एफ सी की संस्तुतियों के अनुसार भारत सरकार के उच्च लागत ऋणों के पुनर्निर्धारण एवं ब्याज दर को घटाकार 7.5 प्रतिशत कर दिए जाने के कारण हुई। विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2006-07 में ब्याज भुगतानों में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण भारत सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि से निधि निर्गत विशेष

प्रतिभूति पर राज्य सरकार द्वारा किया गया 718.16 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान में वृद्धि था। यद्यपि, 2006–07 के मध्य ब्याज भुगतान (10,477 करोड़ रुपये) वर्ष में राज्य के राजकोषीय सुधार पथ में अनुमानित (11,299 करोड़ रुपये) धनराशि से कम था लेकिन टी एफ सी के अनुमान (9,688.60 करोड़ रुपये) से अधिक था।

परिदान

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों को परिदान दिया जा रहा था किन्तु बारहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य के वित्त लेखे में परिदान लेनदेनों का लेखा रखे जाने की संस्तुति के बाद भी राज्य बजट में परिदान को अलग मद के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया।

1.5 आवंटनीय प्राथमिकताओं द्वारा व्यय

1.5.1 व्यय की गुणवत्ता

अच्छे सामाजिक एवं भौतिक ढांचे की उपलब्धता राज्य के व्यय की गुणवत्ता प्रदर्शित करती है। इसलिये पूंजीगत व्यय का कुल व्यय के साथ-साथ स रा घ उ से अनुपात एवं वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के दक्षतापूर्वक एवं सुचारू संचालन हेतु किये जा रहे राजस्व व्यय का समानुपात व्यय की गुणवत्ता निर्धारित करेगा। कुल व्यय एवं स रा घ उ से इन मदों का उच्चतर अनुपात ही गुणवत्तापरक व्यय को प्रदर्शित करता है। सारणी-1.15 वर्ष 2001–07 के मध्य इनके अनुपात को दर्शित करती है।

सारणी-1.15 : गुणवत्तापरक व्यय के सूचक

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
पूंजीगत व्यय	3,556	3,794	9,320	5,653	8,711	13,984
राजस्व व्यय	31,793	32,939	50,221	44,610	46,617	55,699
जिसमें						
सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें	14,686.32	16,191.25	29,324.05	20,066.00	23,365.55	28,657.33
(i) वेतन एवं मजदूरी घटक	3,347.61	3,643.65	3,987.05	4,161.84	4,377.92	4,863.73
(ii) और वेतन एवं मजदूरी घटक	11,338.71	12,547.60	25,337.00	15,904.16	18,987.63	23,793.60
कुल व्यय से प्रतिशत्ता						
पूंजीगत व्यय	9.91	10.11	15.33	11.11	15.55	19.82
राजस्व व्यय	88.62	87.75	82.62	87.66	83.23	78.93
स रा घ उ से प्रतिशत						
पूंजीगत व्यय	1.87	1.85	4.14	2.33	3.18	4.49
राजस्व व्यय	16.70	16.04	22.33	18.41	17.03	17.87

यद्यपि पूंजीगत व्यय में प्राथमिकता हेतु कोई विशेष मानक नहीं बनाये गये थे तथापि विगत दो वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय में कमिक बढ़ोत्तरी यह दर्शाती है कि परिस्मृतियों के सुजन हेतु व्यय के गुण और आवेग में सुधार हुआ है। ऊर्जा (3,083.75 करोड़ रुपये), परिवहन (4,557.30 करोड़ रुपये), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (1,481.67 करोड़ रुपये) और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण (2,373.13 करोड़ रुपये) लाभान्वित क्षेत्र थे जहां व्यय अवशोषित हो गये थे। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत और वेतन और मजदूरी घटक, राजस्व व्यय का 83 प्रतिशत था। वर्ष के एफ सी पी में प्रक्षेपित 3.39 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2006–07 के दौरान पूंजीगत व्यय स रा घ उ का 4.49 प्रतिशत था। एफ सी पी में 9,770 करोड़ रुपये के प्रक्षेप के विरुद्ध पूंजीगत व्यय (13,984 करोड़ रुपये) में 4,214 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी थी।

1.5.2 सामाजिक सेवाओं पर व्यय

यह तथ्य कि मानव विकास सूचकों यथा प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, सफाई सुविधाओं आदि का मजबूत संबंध गरीबी हटाने एवं आर्थिक प्रगति से है, यह विवेकपूर्ण होगा कि राज्य में इन सेवाओं के प्रभावी प्राविधान एवं विस्तार के संदर्भ में इस सेवाओं का मूल्यांकन किया जाय। 2001-07 के दौरान इनका अनुपात सारणी-1.16 में इंगित है।

सारणी-1.16 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	6,088.10	6,137.28	6,315.77	7,379.08	9,112.03	11,001.77
राजस्व व्यय	6,042.38	6,067.05	6,254.58	7,272.46	8,789.90	10,704.44
जिसमें						
(अ) वेतन एवं मजदूरी घटक	321.88	370.91	379.32	392.47	426.20	491.39
(ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक ¹	5,720.50	5,696.14	5,875.26	6,879.99	8,363.70	10,213.05
पूँजीगत व्यय	45.72	70.23	61.19	106.62	322.13	297.33
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,376.51	1,579.27	1,896.57	2,254.89	3,067.43	4,301.83
राजस्व व्यय	1,356.11	1,565.01	1,753.85	2,037.25	2,595.61	2,820.16
जिसमें						
(अ) वेतन एवं मजदूरी घटक	1,009.24	1,128.86	1,306.75	1,395.56	1,497.28	1,615.85
(ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक	346.87	436.15	447.10	641.69	1,098.33	1,204.31
पूँजीगत व्यय	20.40	14.26	142.72	217.64	471.82	1,481.67
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	710.04	514.98	593.31	692.41	1,520.51	1,507.41
राजस्व व्यय	614.39	484.32	528.18	564.64	753.34	1,188.37
जिसमें						
(अ) वेतन एवं मजदूरी घटक	5.39	5.78	6.46	6.88	7.24	8.71
(ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक	609.00	478.54	521.72	557.76	746.10	1,179.66
पूँजीगत व्यय	95.65	30.66	65.13	127.77	267.17	319.04
अन्य सामाजिक सेवाएं	1,373.00	2,364.70	1,877.56	3,259.55	3,568.57	4,616.88
राजस्व व्यय	1,323.71	2,191.66	1,817.74	3,215.37	3,470.86	4,535.09
जिसमें						
(अ) वेतन एवं मजदूरी घटक	190.81	213.72	222.52	232.94	257.11	294.81
(ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक	1,132.90	1,977.94	1,595.22	2,982.43	3,213.75	4,240.28
पूँजीगत व्यय	49.29	173.04	59.82	44.18	97.71	81.79
कुल (सामाजिक सेवाएं)	9,547.65	10,596.23	10,683.21	13,585.93	16,768.54	*21,427.89(31)
राजस्व व्यय	9,336.59	10,308.04	10,354.35	13,089.72	15,609.71	19,248.06
जिसमें						
(अ) वेतन एवं मजदूरी घटक	1,527.32	1,719.27	1,915.05	2,027.85	2,187.83	**2,410.76 (11)
(ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक	7,809.27	8,588.77	8,439.30	11,061.87	13,421.88	16,837.30
पूँजीगत व्यय	211.06	288.19	328.86	496.21	1,158.83	2,179.83

* कुल व्यय के सापेक्ष कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर परिव्यय का प्रतिशत दर्शाता है।

** वेतन एवं मजदूरी मद के सापेक्ष कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े सामाजिक सेवाओं पर हुए इसके प्रतिशत को दर्शाता है।

¹ सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन पर व्यय सम्मिलित है। (2001-02 : 4,163.08 करोड़ रुपये; 2002-03 : 4,746.39 करोड़ रुपये; 2003-04 : 5,394.08 करोड़ रुपये; 2004-05 : 5,687.06 करोड़ रुपये, 2005-06 : 6,385.66 करोड़ रुपये तथा 2006-07 : 7,515.59 करोड़ रुपये)

वर्ष 2001–02 में सामाजिक क्षेत्र में व्यय 9,548 करोड़ रूपये से बढ़कर 2006–07 में 21,428 करोड़ रूपये हो गया जो कि सरकार की समाज को सामाजिक कल्याणार्थ वचनबद्धता की सूचक थी। वर्तमान वर्ष में सामाजिक सेवाओं पर व्यय कुल व्यय का 30 प्रतिशत और विकास व्यय¹ का 51 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। शिक्षा पर व्यय—पिछले वर्ष की अपेक्षा 1,890 करोड़ रूपये बढ़ा जो मुख्य रूप से स्थानीय निकायों को प्रारम्भिक शिक्षा के सुधार हेतु शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करने के कारण था जबकि 1,234 करोड़ रूपये व्यय की बढ़ोत्तरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में भी हुई। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाये जाने की आवश्यकता को समझते हुए टी एफ सी ने संस्तुति की थी कि आयोजनेत्तर वेतन व्यय में शिक्षा एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत पांच से छः प्रतिशत की वृद्धि हो जबकि वेतन के अतिरिक्त आयोजनेत्तर व्यय के शीर्ष के अंतर्गत 30 प्रतिशत की प्रतिवर्ष अधिनिर्णय अवधि में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। यद्यपि, व्यय की प्रवृत्ति (आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर दोनों के अंतर्गत किए गये व्यय) दर्शाती है कि शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी संघटक वर्ष 2005–06 से 15 प्रतिशत बढ़ा एवं गैर वेतन एवं मजदूरी के संघटक में 22 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। इसी प्रकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी संघटक में 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जबकि आयोजनेत्तर वेतन एवं मजदूरी संघटक में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं दोनों में व्यय की पद्धति टी एफ सी के मानक के अनुसार न होने के कारण इस पर आने वाले वर्षों में सुधार की आवश्यकता है।

वर्ष 2005–06 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर पूँजीगत व्यय 471.82 करोड़ रूपये सारभूत रूप से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 1,481.67 करोड़ रूपये हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत आजमगढ़, कन्नौज, जालौन एवं झांसी में सरकारी मेडिकल कालेजों के निर्माण कार्य पर व्यय (708 करोड़ रूपये) के कारण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य पर मुख्यतः नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण (296.66 करोड़ रूपये) के कारण थी।

1.5.3 आर्थिक सेवाओं पर व्यय

राज्य की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक क्षमता में वृद्धि हेतु किये जाने वाले व्यय आर्थिक सेवाओं के व्यय में सम्मिलित होते हैं। आर्थिक सेवाओं पर व्यय (20,560 करोड़ रूपये) कुल व्यय का 29 प्रतिशत एवं विकास व्यय का 49 प्रतिशत था (सारणी—1.17)। परिवहन में 29 प्रतिशत उसके बाद ऊर्जा (24 प्रतिशत) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (21 प्रतिशत) का आर्थिक सेवाओं पर व्यय राज्य में भूतल परिवहन, विद्युत आपूर्ति एवं सिंचाई अवस्थापना में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। विगत वर्ष के 11 प्रतिशत के विरुद्ध कृषि एवं सहायक क्रियाकलाप पर व्यय, आर्थिक सेवाओं के कुल व्यय का केवल 8 प्रतिशत था। वर्ष 2001–02 की तुलना में वर्ष 2006–07 में परिवहन (653 प्रतिशत), ऊर्जा (354 प्रतिशत) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (104 प्रतिशत) में पर्याप्त बढ़ोत्तरी देखी गई जबकि कृषि एवं उससे सम्बंधित क्रियाकलापों पर इस अवधि में 27 प्रतिशत की गिरावट थी जो कि राज्य के कृषि क्रियाकलाप के संकुचन को प्रदर्शित करता है।

¹ विकास व्यय, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय को परिमापित करता है।

सारणी-1.17 : आर्थिक क्षेत्रों पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कृषि, अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	2,324.07	1,914.93	1,515.70	2,351.44	1,711.96	1,697.20
राजस्व व्यय	1,335.14	1,319.21	1,342.36	1,397.11	1,480.40	1,848.72
जिसमें						
(अ) वेतन एवं मजदूरी घटक	555.00	607.96	664.70	696.54	801.15	892.91
(ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक	780.14	711.25	677.66	700.57	679.25	955.81
पूंजीगत व्यय	988.93	595.72	173.34	954.33	231.56	(-) 151.52 ¹
सिंचाइ एवं बाढ़ नियंत्रण	2,108.15	2,265.02	2,221.39	2,459.00	3,032.00	4,292.85
राजस्व व्यय	1,338.05	1,536.82	1,480.41	1,580.34	1,390.73	1,919.72
जिसमें						
(अ) वेतन एवं मजदूरी घटक	511.11	550.18	605.33	645.29	636.53	910.90
(ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक	826.94	986.64	875.08	935.05	754.20	1,008.82
पूंजीगत व्यय	770.10	728.20	740.98	878.66	1,641.27	2,373.13
ऊर्जा एवं शक्ति	1,091.36	745.78	1,9673.49	2,490.08	2,161.13	4,953.55
राजस्व व्यय	350.00	413.76	13,438.68	1,443.89	1,401.05	1,869.80
जिसमें						
(अ) वेतन एवं मजदूरी घटक	----	----	----	----	----	----
(ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक	350.00	413.76	13,438.68	1,443.89	1,401.05	1,869.80
पूंजीगत व्यय	741.36	332.02	6,234.81	1,046.19	760.08	3,083.75
परिवहन	782.85	1,554.05	1,613.14	1,709.58	3,951.52	5,892.37
राजस्व व्यय	564.65	704.48	709.22	517.42	764.53	1,335.07
जिसमें						
(अ) वेतन एवं मजदूरी घटक	21.58	23.34	25.41	27.09	28.95	32.61
(ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक	543.07	681.14	683.81	490.33	735.58	1,302.46
पूंजीगत व्यय	218.20	849.57	903.92	1,192.16	3,186.99	4,557.30
अन्य आर्थिक सेवायें	2,259.57	2,579.78	2,713.44	2,867.87	4,138.09	3,723.79
राजस्व व्यय	1,761.89	1,908.94	1,999.03	2,037.51	2,719.13	2,435.96
जिसमें						
(अ) वेतन एवं मजदूरी घटक	732.60	742.90	776.57	765.06	723.46	616.55
(ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक	1,029.29	1,166.04	1,222.46	1,272.45	1,995.67	1,819.41
पूंजीगत व्यय	497.68	670.84	714.41	830.36	1,418.96	1,287.83
योग (आर्थिक सेवायें)	8,566.00	9,059.56	27,737.16	11,877.97	14,994.70	* 20,559.76(29)
राजस्व व्यय	5,349.73	5,883.21	18,969.70	6,976.27	7,755.84	9,409.27
जिसमें						
(अ) वेतन एवं मजदूरी घटक	1,820.29	1,924.38	2072.01	2133.98	2,190.09	** 2,452.97(12)
(ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक	3,529.44	3,958.83	16897.69	4842.29	5,565.75	6,956.30
पूंजीगत व्यय	3,216.27	3,176.35	8767.46	4901.70	7,238.86	11,150.49

* कुल व्यय के सापेक्ष कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं पर परिव्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

** वेतन एवं मजदूरी मद के सापेक्ष कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े आर्थिक सेवाओं पर हुए इसके प्रतिशत को दर्शाते हैं।

¹ खाद्य संग्रहण एवं आवास के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में व्यय से अधिक प्राप्तियों के कारण मुख्यतः ऋणात्मक व्यय (413.23 करोड़ रुपये)

आर्थिक सेवाओं के कुल व्यय में वेतन मद में व्यय, वर्ष 2003–04 को छोड़कर, जिसमें 2002–03 के सापेक्ष केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि जो मुख्यतः गैर वेतन मद में व्यय (16,898 करोड़ रुपये) में वृद्धि (12,929 करोड़ रुपये) जो कि आर्थिक सेवाओं ऊर्जा क्षेत्र के ऋण माफी (12,277.40 करोड़ रुपये) के कारण थी, वर्ष 2001–02 में 21 प्रतिशत से घटकर 2006–07 में 12 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2001–07 के दौरान राजस्व व्यय में वेतन मद पर व्यय 10.92 प्रतिशत से 34.03 प्रतिशत के मध्य था जबकि गैर वेतन मद का अंश धीरे-धीरे बढ़कर वर्ष 2001–02 के 65.97 प्रतिशत (3,529 करोड़ रुपये) से वर्ष 2006–07 में 74 प्रतिशत (6,956 करोड़ रुपये) हो गया। गैर वेतन मद के संगत अंश में व्यय की अत्यधिक वृद्धि आर्थिक क्षेत्र में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के रखरखाव एवं सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर में सुधार को दर्शाती है।

आर्थिक सेवाओं पर राजस्व एवं पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति दर्शाती है कि आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में वर्ष 2001–02 में 3,216 करोड़ रुपये (37.55 प्रतिशत) से अनवरत रूप से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 11,150 करोड़ रुपये (54.23 प्रतिशत) हो गया जबकि उसी अवधि में राजस्व व्यय के सापेक्ष यह अंश 62.45 प्रतिशत (5,350 करोड़ रुपये) से कम होकर 45.76 प्रतिशत (9,409 करोड़ रुपये) हो गया। विगत वर्ष के राजस्व व्यय के सापेक्ष वर्ष 2006–07 में 1,653 करोड़ रुपये (21 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा (469 करोड़ रुपये), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (529 करोड़ रुपये), यातायात (571 करोड़ रुपये) एवं कृषि एवं सहायक कियाकलापों (368 करोड़ रुपये) में वृद्धि के कारण थी। विगत वर्ष के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में 3,912 करोड़ रुपये (54 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा (2,324 करोड़ रुपये), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (732 करोड़ रुपये), एवं यातायात (1,370 करोड़ रुपये) में वृद्धि के कारण थी।

1.5.4 राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

वर्ष 2001–07 के छः वर्ष की अवधि में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दी गयी अनुदान एवं ऋण सहायता की मात्रा सारणी—1.18 में प्रदर्शित की गयी है।

सारणी—1.18 : स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	(करोड़ रुपये में) 2006-07
शैक्षिक संस्थाएँ (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त विद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि)	147.42	1.64	703.08	181.00	1,575.66	1,381.81
नगर निगम एवं नगर पालिका परिषदें	50.89	77.40	68.73	89.99	452.01	365.24
जिला परिषदें एवं पचायाती राज संस्थाएँ	--	----	---	1,115.18	1,691.31	1,194.18
विकास अभियान	1,300.62	----	835.46	288.49	361.02	479.57
चिकित्सालय एवं अन्य थैरेटेबल संस्थाएँ	60.26	37.62	244.66	248.13	504.33	376.37
अन्य संस्थाएँ	479.67	641.87	1,600.90	1,617.02	1,851.11	4,287.23
योग	2,038.86	758.53	3,452.83	3,539.81	6,435.44	8,084.40
राजस्व व्यय के सापेक्ष सहायता का प्रतिशत	7	2	7	8	11	15

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दिये गये अनुदान एवं ऋण में वृद्धि का अन्तर्वर्षीय विचलन 2005–06 में 6435 करोड़ रुपये से वर्तमान वर्ष में 26 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8084 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व व्यय में निधि एवं ऋणों का अंश 2001–07 के दौरान 7 और 15 प्रतिशत के बीच रहा, सिवाय 2002–03 के जिसमें 2 प्रतिशत की कमी हुई। सारणी—1.18 से एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति उभरी कि शिक्षण संस्थाओं का अंश बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत भारत सरकार से

¹ बेसिक शिक्षा (1,183.25 करोड़ रुपये) एवं माध्यमिक शिक्षा (292.30 करोड़ रुपये) के अंतर्गत आंकड़ों के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण वर्ष 2005–06 में आंकड़ों की मिन्ता प्रदर्शित करती है।

प्राप्त अतिरिक्त अनुदानों के कारण वर्ष 2005-06 से सारभूत रूप से बढ़ा। पिछले वित्तीय वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्यतः केन्द्रीय सहायता (292.80 करोड़ रूपये) की द्वितीय किश्त के प्राप्त न होने के कारण जिला परिषदों एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता में 497.13 करोड़ रूपये की कमी आयी। अन्य संस्थाओं को दिया जाने वाला अश तेजी से दुगुनी से भी अधिक वृद्धि के साथ 2005-06 के 1,851.11 करोड़ रूपये से बढ़कर 2006-07 में 4,287.23 करोड़ रूपये हो गया, जो कि इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार की विभिन्न संस्थाओं को तदर्थ आधार पर भारी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2006-07 में इस श्रेणी के अंतर्गत मुख्य रूप से लाभग्राही संस्था, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम (3,865.81 करोड़ रूपये) थी।

1.5.5 उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विलम्ब से प्रेरण

वर्ष 2005-06 तक अनुदान एवं ऋण से सम्बंधित किये गये कुल 5,046.27 करोड़ रूपये के भुगतान के सन्दर्भ में 3,070 प्राप्य उपयोगिता प्रमाण पत्र में से, 1,398.32 करोड़ रूपये के 1,608 उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष थे। विभागवार वर्गीकृत बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों के विवरण परिशिष्ट-1.7 में दर्शाये गये हैं।

1.5.6 लेखों का अप्रस्तुतीकरण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अधीन धारा 14 व 15, 19(3) व 20(1) में आकर्षित होने वाली संस्थाओं को चिह्नित करने के लिये, सरकार/विभागाध्यक्ष को विभिन्न संस्थाओं को दी गयी वित्तीय सहायता का विवरण, सहायता का उद्देश्य एवं संस्था के कुल व्यय का विस्तृत विवरण लेखा परीक्षा को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना चाहिये। लेखा परीक्षा को लेखे का प्रस्तुतीकरण अधिनियम के अन्तर्गत इसलिए बाध्यकारी है कि यह जांच की जा सके कि क्या ये संस्थायें अधिनियम के अंतर्गत लेखा परीक्षा को आकृष्ट करती हैं या नहीं। जबकि प्रधान महालेखाकार को एक से सात वर्षों की अवधि के आठ स्वायत्त निकायों (दो निकाय एक वर्ष के लिए एवं छः निकाय तीन या अधिक वर्ष के लिए जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1.8 में है) के 29 लेखों की प्रस्तुति सितम्बर 2007 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षित थी।

1.6 दुर्विनियोग, हानियों आदि विवरण

राज्य सरकार द्वारा सितम्बर 2007 तक दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के 101 मामले रिपोर्ट किये गये जिनमें 5.23 करोड़ रूपये का सरकारी धन निहित था जिस पर अंतिम कार्यवाही नहीं की गयी थी। विभागवार वर्गीकृत बकाया मामलों का विवरण परिशिष्ट-1.9 में दर्शित है।

1.6.1 हानियों आदि का अपलेखन

वर्ष 2006-07 के दौरान हानियों आदि के अपलेखन का एक प्रकरण धनराशि 3.23 लाख रूपये का उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (निर्माण खण्ड-3, पी डब्ल्यू डी, लखनऊ) द्वारा प्रतिवेदित था।

1.7 परिसम्पत्तियों एवं देयतायें

सरकारी लेखा प्रणाली में सरकार के अपने भूमि भवनों इत्यादि जैसी अचल परिसम्पत्तियों को समग्र रूप से लेखा बद्ध नहीं किया जाता है फिर भी सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सुजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। परिशिष्ट-1.2 31 मार्च 2007 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के सार को प्रस्तुत करता है जो 31 मार्च 2006 के समतुल्य स्थिति से तुलना करती है। जबकि देयतायें, जिसमें मुख्य रूप से आन्तरिक ऋणों, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक

लेखे एवं रक्षित निधियों से प्राप्तियां दर्शायी गयी हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्यरूप से पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ अवशेष का विवरण दिया गया है। वास्तविकता में विगत वर्ष के सापेक्ष परिसम्पत्तियों में 18,189 करोड़ रुपये (24.08 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और देयताओं में 13,288 करोड़ रुपये (8.93 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो निरन्तर विगत वर्षों की ही तरह थी। पूँजीगत परिव्ययों में उच्च प्राथमिकता एवं विकास के कियाकलापों में बढ़ोत्तरी के साथ राजकोषीय घाटे में कमी से परिसम्पत्तियों के सूजन में अनुकूल प्रभाव पड़ा। यद्यपि, चालू वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई, देयताओं का परिसम्पत्तियों से अनुपात 0.58 पर बना रहा। इस प्रकार 42 प्रतिशत देयताओं को परिसम्पत्तियों का कोई समर्थन नहीं था। इसके अतिरिक्त, एफ सी पी में 50.1 प्रतिशत प्रक्षेप के विरुद्ध राजकोषीय देयताओं का सरांश से अनुपात 52.02 पर पहुँच गया था।

1.7.1 सरकारी निवेश का वित्तीय विश्लेषण

सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

वर्ष 2006–07 के दौरान वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियां (181.65 करोड़ रुपये) उनके संचालन एवं अनुरक्षण पर किये गये 1,776 करोड़ रुपये के व्यय का केवल 10.23 प्रतिशत थी और इस प्रकार इस वर्ष टी एफ सी द्वारा लागत वसूली आकलन के 60 प्रतिशत से काफी नीचे थी।

वर्ष 2006–07 के वित्तीय लेखे के अनुसार मार्च 2007 के अंत तक 16 वृहद सिंचाई परियोजनाओं पर 4,268 करोड़ रुपये का पूँजीगत परिव्यय के साथ उनके वित्तीय परिणाम से ज्ञात हुआ कि उन परियोजनाओं से वर्ष 2006–07 में राजस्व वसूली (26.96 करोड़ रुपये) वर्ष 2006–07 की अवधि में पूँजीगत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विगत वर्ष के 3.35 प्रतिशत से नीचे गिरकर 0.63 प्रतिशत हो गयी एवं इस प्रकार यह वर्ष 2006–07 के दौरान पूँजीगत निवेश पर ब्याज (226.14 करोड़ रुपये) को भी वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कार्यशील एवं अनुरक्षण व्यय (292.83 करोड़ रुपये) को पूरा करने के उपरांत योजनाओं पर विगत वर्ष के 187.39 करोड़ रुपये के विरुद्ध 492 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। इन योजनाओं पर दोगुने से अधिक, शुद्ध हानि में पर्याप्त वृद्धि दर्शाती है कि घटोत्तरी की यह प्रवृत्ति टी एफ सी द्वारा संस्तुत लागत वसूली मानक¹ के विपरीत थी।

अपूर्ण परियोजनाओं

सिंचाई एवं लोक निर्माण विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 31 सितम्बर 2007 को अपूर्ण परियोजनाओं (प्रत्येक की लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक) की स्थिति सारणी-1.19 में दी गयी है।

सारणी-1.19 : अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार पाश्वर्चित्र

(करोड रुपये में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की लागत	प्रारम्भिक लागत	लागत वृद्धि	परियोजनाओं की कुल प्रत्यक्षित लागत	31.3.2007 को योगिक वास्तविक व्यय
सिंचाई	48	2,923.44	6,173.32	9,096.76	5,301.58
लोक निर्माण	10	120.97	80.41	201.38	105.11
योग	58	3,044.41	6,253.73	9,298.14	5,406.69

¹ उपयोक्ता प्रभार की वसूली की वृद्धि दर उससे सम्बंधित व्यय की वृद्धि दर से ऊँचे स्तर पर निर्धारित की जाय।

सारणी से परिलक्षित होता है कि 6,253.73 करोड़ रुपये लागत वृद्धि के बावजूद 5,406.69 करोड़ रुपये का व्यय (मार्च 2007) अधिकांशतः अलाभकारी रहा। अग्रेतर, वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण होने में निर्धारित समय से एक से 34 वर्षों की समय में वृद्धि हुई जबकि लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं पर यह समय वृद्धि सात वर्षों तक की थी। सिंचाई विभाग में सरयू नहर परियोजना 1,820.83 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद भी अपूर्ण थी (लागत वृद्धि 2,443.34 करोड़ रुपये एवं समय वृद्धि 32 वर्ष)। बाण सागर परियोजना भी 938.20 करोड़ रुपये व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण थी (लागत वृद्धि 1,547.28 करोड़ रुपये, समय वृद्धि 29 वर्ष)। परियोजनाओं का निर्धारित समयावधि में पूर्ण न होने से केवल लागत वृद्धि एवं समयवृद्धि ही नहीं हुई अपितु इस बात का भी सूचक था कि ऋण वापसी को सुनिश्चित करने के लिए उनसे प्राप्त होने वाले प्रतिफल की कीमत पर नयी परिसम्पत्तियों के सृजन को प्राथमिकता दी गयी।

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

अर्द्ध वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रम पूरा करते हैं। इन उपक्रमों को वित्तीय प्रक्रिया के परिणाम दर्शाते हुए नियत किये प्रारूप में प्रोफार्मा लेखे प्रत्येक वर्ष बनाना आवश्यक है जिससे सरकार उनकी कार्यविधि के परिणाम का आंकलन कर सके। प्रोफार्मा लेखे की तैयारी में विभागवार विलम्ब की स्थिति तथा सरकार द्वारा उनमें निवेश इत्यादि के विवरण का सारांश **परिशिष्ट-1.10** से **1.11** तक में दिया गया है। शासन द्वारा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में किया गया निवेश एवं उनके संक्षिप्त वित्तीय परिणाम का विवरण **परिशिष्ट-1.12** में दिया गया है।

यह दृष्टव्य होगा कि राज्य सरकार के अधीन 11 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम थे (एक उपक्रम को छोड़कर जिसके लेखे स्थापना से अवशेष थे) जिससे मार्च 2007 तक राज्य सरकार द्वारा 549.66 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। इनमें से एक उपक्रम ने उसकी स्थापना से अपना लेखा तैयार नहीं किया था, जबकि दो उपक्रमों द्वारा 15 से अधिक वर्षों के एवं एक उपक्रम द्वारा तीन से अधिक वर्ष का लेखा तैयार नहीं किया गया था।

सरकार के वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के वित्तीय परिणाम सार के विवरण से दर्शित हुआ कि पशुपालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं स्वास्थ्य विभागों के अधीन प्रत्येक के एक उपक्रम¹ द्वारा वर्ष 2006–07 के मध्य अपनी औसत पूंजी (317.16 करोड़ रुपये) का कोई प्रतिफल नहीं दिया गया। सिंचाई विभाग के छः सिंचाई कार्यशाला प्रखण्डों द्वारा यद्यपि वर्ष के मध्य अपनी औसत पूंजी का 28.70 प्रतिशत प्रतिफल दिया गया।

सरकारी निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2007 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों तथा सहकारिता में 18,546 करोड़ रुपये का निवेश किया था (**सारणी-1.20**)। वर्ष 2006–07 में जिन क्षेत्रों में बड़े निवेश किये गये थे वे (1) ऊर्जा परियोजनाएं (3,039.45 करोड़ रुपये) (2) सड़क परिवहन (47 करोड़ रुपये) और (3) दुग्ध विकास (7.43 करोड़ रुपये) थे। 2001–07 के मध्य इन निवेशों पर प्रतिफल 0.001 प्रतिशत से 0.15 प्रतिशत के बीच रहा जबकि इनके उधारों पर सरकार द्वारा वर्ष 2001–07 के मध्य 6.49 से 9.49 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया गया। 71 सरकारी कम्पनियों में 17,708 करोड़ रुपये के निवेश के विरुद्ध, केवल एक द्वारा वर्ष 2006–07 में 0.15 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया गया।

¹ खाद्यान्त के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना

सारणी-1.20 : निवेश पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष के अंत तक निवेश (करोड़ रुपये में)	प्रतिफल	प्रतिफल की प्रतिशतता		सरकार द्वारा ऋण लेने पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	ब्याज दर तथा प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)
			प्रतिफल की प्रतिशतता	प्रतिशत		
2001-02	4,033.27 ¹	6.24	0.15	9.49	3.25	
2002-03	9,049.70 ²	7.26	0.08	7.22	(-)0.04	
2003-04	9,412.65 ³	7.40	0.07	9.13	1.73	
2004-05	9,535.57 ⁴	--	--	9.47	9.47	
2005-06	15,464.60 ⁵	0.15	0.001	6.49	6.34	
2006-07	18,545.82 ⁶	0.85	0.005	6.74	5.89	

वर्ष 2003-04 के ऊर्जा क्षेत्र के 12,277.40 करोड़ रुपये के ऋण को अपलेखित किये जाने एवं अक्टूबर 2001 में 15 वर्षों तक के लिए विशेष बाण्ड (5,871.86 करोड़ रुपये) के जारी किये जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को 31 मार्च 2005 तक 6,321.39 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई परिशिष्ट-1.13। वर्ष 2005-06 की समाप्ति पर उत्तर प्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम द्वारा 738.34 करोड़ रुपये की संचित हानि सूचित की गयी। इस प्रकार राज्य स्तरीय लोक उपकरणों (एस ऎल पी ई) में भारी मात्रा में अवरोधित निधियों के संदर्भ में अति निम्न प्रतिफलों/हानियों की प्रवृत्ति ने बारहवें वित्त आयोग की वर्ष 2009-10 तक छोटे परन्तु व्यवहार्य राज्य स्तरीय लोक उपकरणों को बनाये रखने के उददेश्य को निष्प्रभावी कर दिया।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त इनके बहुत से संगठनों/संस्थाओं को सरकार ऋण एवं अग्रिम दे रही है। 31 मार्च 2007 को ऋण एवं अग्रिमों का कुल बकाया 8,692 करोड़ रुपये था (सारणी-1.21)। गत वर्ष के 0.76 प्रतिशत के विरुद्ध दिये गये इन ऋण एवं अग्रिमों पर वर्ष 2006-07 में प्राप्त ब्याज 0.55 प्रतिशत था। उधार ली गई निधियों पर भुगतानित ब्याज 9.49 प्रतिशत से 6.74 प्रतिशत के बीच रहा जिसके विरुद्ध पूरे समयान्तराल में बकाया ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियां केवल 2003-04 एवं 2004-05 को छोड़कर एक प्रतिशत से बहुत नीचे रही जिससे यह संकेत मिलता है कि ऋणों पर ब्याज के दायित्व की पूर्ति के लिए राजस्व प्राप्तियां पर्याप्त नहीं थीं।

**सारणी-1.21: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज
(करोड़ रुपये में)**

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्रारम्भिक अवशेष	18,218	18,379	18,965	7,709	8,061	8,160
वर्ष में दी गई अग्रिम धनराशि	527	805	1242	629	684	888
वर्ष में पुनर्भुगतान की गई राशि	366	219	12498	278	585	356
अन्तिम अवशेष	18,379	18,965	7,709	8,060	8,160	8,692
शुद्ध बढ़ोत्तरी	161	586	(-) 11256	351	99	531
प्राप्त ब्याज	51	42	187	106	62	48
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों से प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	0.28	0.22	2.43	1.31	0.76	0.55
राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण पर औसत ब्याज दर भुगतान (प्रतिशत)	9.49	7.22	9.13	9.47	6.49	6.74
औसत ब्याज भुगतान तथा प्राप्ति में अंतर (प्रतिशत)	(-) 9.21	(-) 7.00	(-) 6.70	(-) 8.16	(-) 5.73	(-) 6.19

¹ समाशोधन में 596.37 करोड़ रुपये सम्मिलित नहीं है।

² समाशोधन में 4,044.60 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

³ समाशोधन में 1,834.60 करोड़ रुपये सम्मिलित नहीं है।

⁴ समाशोधन में 2,774.90 करोड़ रुपये सम्मिलित नहीं है।

⁵ समाशोधन में 2,289.78 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

⁶ समाशोधन में 1,953.63 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

चालू वर्ष में ऋण अग्रिमों का मुख्य भाग राज्य सरकार के उपकरणों/निगमों/स्वायत्त निकायों (103 करोड़ रुपये) को सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वित्तीय तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु, स्थानीय निकायों (220 करोड़ रुपये) को सामाजिक सेवाओं में विकास से सम्बंधित कियाकलापों हेतु एवं उद्योग तथा खनिज (339 करोड़ रुपये) को आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत दिया गया। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ऋण का मुख्य भाग सहकारी चीनी मिलों (164.59 करोड़ रुपये), औद्योगिक वित्तीय संस्थानों (88.60 करोड़ रुपये), ऊर्जा परियोजनाओं (35 करोड़ रुपये) एवं सहकारी कर्ताई मिलों (33.14 करोड़ रुपये) को गया।

1.7.2 रोकड़ शेष का प्रबंधन

यह सामान्यतया अपेक्षित है कि राज्य के संसाधनों का प्रवाह इसके व्यय दायित्वों के संतुलन में हो। फिर भी, संसाधनों के प्रवाह एवं व्यय के दायित्वों में किसी अस्थाई असन्तुलन को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम (डब्लू एम ए) के एक तंत्र को विकसित किया गया है। तीन वर्ष की औसत राजस्व प्राप्तियों को ध्यान में रखकर साधारण अर्थोपाय अग्रिमों की क्रियाशील सीमा का निर्धारण किया जाता है जबकि विशेष अर्थोपाय अग्रिमों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर धारित सरकारी प्रत्याभूतियों के आधार पर संचालन सीमा का निर्धारण किया जाता है।

चालू वर्ष के अंत में राज्य सरकार का रोकड़ शेष 15,487.88 करोड़ रुपये था। जिसका मुख्य भाग (15,459.07 करोड़ रुपये) रोकड़ शेष निवेश लेखे में निवेशित था। चालू वर्ष में सरकार ने 2,40,532.68 करोड़ रुपये के ट्रेजरी बिलों को क्य किया था एवं 2,33,403.65 करोड़ रुपये ट्रेजरी बिलों का विक्य किया गया था जिससे 491.34 करोड़ रुपये के ब्याज की आय हुई। इसके अतिरिक्त 45.20 करोड़ रुपये की धनराशि का निवेश निर्धारित निधियों में हुआ। वर्ष 2001-07 के मध्य राज्य द्वारा लिए गये अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एम ए) एवं अधिविकर्ष, इनके लिए जाने के अवसरों की संख्या एवं भुगतानित ब्याज का विवरण सारणी-1.22 में दिया गया है। सारणी से यह ज्ञात होता है कि राज्य द्वारा शुरू किये गये राजकोषीय सुधारों से वर्ष 2006-07 में इसकी वित्तीय स्थिति में स्पष्ट सुधार हुआ एवं पिछले कई वर्षों में पहली बार राज्य अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष से बचने में समर्थ हुआ है।

सारणी-1.22 : राज्य के अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष तथा इस पर भुगतानित ब्याज

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
अर्थोपाय अग्रिम						
वर्ष में लिया गया	6,146.49	7,663.83	11,526.87	13,982.12	2,707.99	-----
अवसरों की संख्या	91	115	147	158	30	-----
बकाया अर्थोपाय अग्रिम यदि कोई	746.12	-----	-----	25.48	-----	-----
ब्याज भुगतान	21.70	28.67	34.08	40.91	4.56	-----
दिवसों की संख्या	-----	224	322	324	48	-----
ओवर ड्राफ्ट						
वर्ष में लिया गया	3,282.11	3,753.64	4,904.18	6,268.88	373.16	-----
दिवसों की संख्या	88	88	100	98	11	-----
ब्याज भुगतान	4.79	4.31	9.56	8.23	0.57	-----

1.8 अयुक्त देयताएं

यू.पी.एफ.आर.बी.एम.अधिनियम-2004 के अनुसार कुल देयता का अभिप्राय राज्य की संचित निधि एवं राज्य लोक लेखे पर देयता के साथ-साथ राज्य लोक उपकरणों एवं अन्य तत्त्वों की प्रत्याभूतियों को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा लिए गये उधार जिसमें मूल धन और/अथवा ब्याज का भुगतान राज्य के बजट से किया जाता है, से है।

1.8.1 राजकोषीय देयताएं-लोक ऋण एवं प्रत्याभूतियाँ


लोक ऋण एवं अन्य देयताएं नाम से दो तरह की देयताएं होती हैं। लोक ऋण में समेकित निधि-पूँजीगत लेखा के अधीन वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रत्यावेदित राज्य के आंतरिक ऋण सम्मिलित होते हैं। इसमें बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत विशेष प्रत्याभूतियाँ एवं केन्द्र सरकार के ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य समय-समय पर उसकी विधायिका द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार निर्धारित सीमा के अंतर्गत अपनी समेकित निधि की प्रत्याभूति पर भारत की सीमा के अंदर उधार ले सकता है एवं उस सीमा के अंदर जो निर्धारित की गई हो, गारंटी दे सकता है। अन्य देयताओं में, जो लोक लेखा का भाग होती है, में लघु बचत योजनायें, भविष्य निधि तथा अन्य निष्केप सम्मिलित होती हैं।

सारणी-1.23 राज्य की राजकोषीय देयताएं, इसकी वृद्धि दर, इन देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्व प्राप्तियों तथा अपने संसाधनों से अनुपात एवं इनके प्राचल के संबंध में वित्तीय देयताओं की उत्पादकता को भी प्रदर्शित करती है।

सारणी-1.23 : राजकोषीय देयताएं-प्राथमिक प्राचल

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजकोषीय देयताएं (करोड रुपये में)	92,982	1,02,485	1,19,240	1,31,401	1,48,868	1,62,156
वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.75	10.22	16.35	10.20	13.29	8.93
राजकोषीय देयताओं का अनुपात						
स रा घ उ से (प्रतिशत)	48.83	49.90	53.03	54.23	54.37	52.02
राजस्व प्राप्तिया से (प्रतिशत)	363.2	368.4	376.9	349.3	328.30	267.6
अपने संसाधनों से (प्रतिशत)	767.4	698.1	750.7	713.6	683.9	549.1
राजकोषीय देयताओं की उत्पादकता						
स रा घ उ से (अनुपात)	3.040	1.299	1.725	1.316	1.022	0.645
राजस्व प्राप्तियों से (अनुपात)	4.558	1.177	1.192	0.540	0.647	0.265
अपने संसाधनों से (अनुपात)	*	0.483	1.995	0.640	0.730	0.251

* वर्ष 2001-02 में अपने संसाधनों में वृद्धि नकारात्मक हो गयी थी।



राज्य की कुल राजकोषीय देयतायें वर्ष 2001–02 में 92,982 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 1,62,156 करोड़ रूपये हो गयी। राज्य की राजकोषीय देयताओं में संचित निधि एवं लोक ऋण देयतायें शामिल हैं। संचित निधि देयता (1,04,010 करोड़ रूपये) में बाजार ऋण (82,046 करोड़ रूपये) एवं भारत सरकार द्वारा दिया गया ऋण (21,964 करोड़ रूपये) शामिल था। लोक लेखा देयताओं (58,146 करोड़ रूपये) में लघु बचत, प्राविडेण्ट फण्ड (19,963 करोड़ रूपये) व्याज धारित देयतायें (5,652 करोड़ रूपये) और व्याज रहित देयताएं (32,531 करोड़ रूपये) सम्मिलित हैं। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2006–07 में यह वृद्धि दर 8.93 प्रतिशत थी। सराघत से राजकोषीय देयताओं का अनुपात भी 2001–02 में 48.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006–07 में लगभग 52.02 प्रतिशत हो गया। यह देयतायें वर्ष 2006–07 के अंत में राजस्व प्राप्तियों से 2.68 गुना अधिक तथा राज्य के अपने संसाधनों से 5.49 गुना अधिक थीं। वर्ष के दौरान सराघत के सापेक्ष देयताओं की उत्पलावक्ता 0.645 थी जो प्रदर्शित करती है कि सराघत में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिये राजकोषीय देयतायें 0.65 प्रतिशत बढ़ती हैं।

राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से ऋण की प्रतिभूति से बचने के लिए सिंकिंग फण्ड बनाया गया है जिसमें प्रतिवर्ष निधि के निवेश पर अर्जित व्याज एवं राजस्व से योगदान किया जाता है। 31 मार्च 2007 के अंत तक सिंकिंग फण्ड का अधिशेष 18,433.39 करोड़ रूपये था।

1.8.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें

राज्य के समेकित निधि के ऊपर प्रत्याभूतियां वे आकस्मिक देयतायें हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिये प्रत्याभूति विस्तारित की गई थी, द्वारा अदायगी न करने के कारण उत्पन्न होती हैं। वित्त लेखा के विवरण-6 के अनुसार वर्ष 2001–02 से राज्य द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि एवं बकाया प्रत्याभूतियां जो वर्ष के अंत में थीं, सारणी-1.24 में दी गयी हैं।

सारणी-1.24 : उ प्र सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियां

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	अधिशेष प्रत्याभूतियों की राशि	राजस्व प्राप्तियां	कुल राजस्व प्राप्तियों पर प्रत्याभूति की अधिकतम राशि का प्रतिशतता
2001-02	11,013	6,997	25,598	43.02
2002-03	10,840	6,270	27,821	38.96
2003-04	10,549	3,601	31,638	33.34
2004-05	22,770	10,354	37,617	60.53
2005-06	15,073	8,433	45,349	33.24
2006-07	12,235	11,056	60,600	20.19

सरकार द्वारा ऐसी देयताओं को पूरा करने के लिये, कोई निधि नहीं बनाई गयी है जो प्रत्याभूतियों के मोचन की स्थिति में उत्पन्न हो। सरकार द्वारा यद्यपि उन प्रत्याभूति प्राप्तकर्ता समूहों से प्रति-प्रत्याभूति लेकर अपने हित की सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है।

1.8.3 बजट से इतर ऋण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293(1) राज्य के ऋण को शासित करता है। सारणी-1.23 में दर्शित देयताओं के अतिरिक्त, सरकारी कम्पनियों/निगमों द्वारा लिये गये ऋणों पर सरकार ने प्रत्याभूति दी थी। इन कम्पनियों/निगमों द्वारा राज्य के वित्तीय योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य बजट से बाहर बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधियां उधार ली गयी थी। यद्यपि, राज्य सरकार की परियोजनाओं के

आयोजनागत कार्यक्रमों के आकलन में यह दर्शाया जाता है कि उनका वहन कम्पनियों/निगमों द्वारा राज्य बजट के बाहर अपने स्रोत से किया जायगा जबकि वास्तविकता में इनमें से कई प्रतिष्ठानों द्वारा लिये गये ऋण अन्ततः राज्य सरकार की बजट देयतायें बन जाती हैं जिसे आफ बजट बारोइंग कहा जाता है। यद्यपि, वित्त विभाग द्वारा (सितम्बर 2007) बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी भी स्पेशल परपज वेहिकल्स के माध्यम से बजट से इतर ऋण का आश्रय नहीं लिया।

1.9. ऋण टिकाऊपन

ऋण टिकाऊपन एक समयावधि में ऋण—स रा घ उ के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है तथा यह संस्था की ऋण देने सम्बंधी योग्यता भी प्रस्तुत करती है। ऋण टिकाऊपन चालू एवं वचनबद्ध अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता, अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से प्रतिफल के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता का भी संकेत करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में बढ़ोत्तरी तथा ऋण प्रदान करने की क्षमता की वृद्धि में सादृश्यता होनी चाहिए। ऋण टिकाऊपन की प्राथमिक शर्त ऋण/ स रा घ उ अनुपात के सन्दर्भ में ऋण स्थिरता से है।

1.9.1 ऋण स्थिरता

ऋण स्थिरता की एक आवश्यक शर्त यह है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक होती है तो ऋण/ स रा घ उ अनुपात में स्थिरता की सम्भाव्यता रहती है बशर्ते कि प्राथमिक शेष शून्य या धनात्मक या बहुत कम ऋणात्मक हो। दिया गया दर विस्तार (स रा घ उ वृद्धि दर—ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण X दर विस्तार), ऋण टिकाऊपन की स्थिति यह प्रदर्शित करता है यदि प्रामात्रा विस्तार प्राथमिक घाटे के साथ शून्य है तो ऋण—स रा घ उ अनुपात स्थिर होगा या अन्ततोगत्वा ऋण स्थिर होगा। दूसरी तरफ, यदि प्राथमिक घाटा प्रमात्रा विस्तार के साथ ऋणात्मक होता है तो ऋण—स रा घ उ अनुपात बढ़ता हुआ होगा एवं यदि यह धनात्मक है तो ऋण—स रा घ उ अनुपात अन्ततः नीचे गिरेगा। ऋण स्थिरता में प्रगति से सम्बंधित राजकोषीय विचलनों की प्रवृत्ति का संकेत सारणी—1.26 में प्रदर्शित है।

सारणी—1.25 : ऋण टिकाऊपन—ब्याज दर एवं स रा घ उ वृद्धि (प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
औसत ब्याज दर	9.49	7.22	9.13	9.47	6.49	6.74
स रा घ उ वृद्धि	5.18	7.87	9.48	7.75	13.00	13.85
ब्याज विस्तार	(-) 4.31	0.65	0.35	(-) 1.72	6.51	7.11
राजकोषीय देयतायें (करोड रुपये)	80,331	92,982	1,02,485	1,19,240	1,31,401	1,48,868
प्रमात्रा विस्तार (करोड रुपये)	(-) 3,462	604	359	(-) 2,051	84	10,585
प्राथमिक घाटा(—)/आधिक्य (+) (करोड रुपये)	(-) 1,691	(-) 2,437	(-) 6,523	(-) 1,124	(-) 980	(+) 862

सारणी—1.25 से प्रकट है कि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा विस्तार 2001—05 के दौरान ऋणात्मक रहा है जिससे उन वर्षों के मध्य ऋण—स रा घ उ के अनुपात में बढ़ोत्तरी का संकेत मिलता है। ऋण—स रा घ उ वर्ष 2001—02 के 48.83 प्रतिशत से नियमित रूप से बढ़कर वर्ष 2004—05 में 54.23 प्रतिशत हो गया। सिर्फ 2005—06 से ही प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा विस्तार धनात्मक रहा जिसके फलस्वरूप वर्ष 2006—07 में ऋण—स रा घ उ अनुपात घटकर 52.02 हो गया। स रा घ उ से

राजकोषीय घाटे का अनुपात उसी प्रकार से सिर्फ 2004-05 के बाद से सारभूत घटोत्तरी दर्शाता है तथा यह 2006-07 में घटकर 3.08 प्रतिशत हो गया। यह प्रवृत्तियाँ यह संकेत करती हैं कि राज्य ऋण स्थिरता की ओर बढ़ रहा था जो कि मध्यम से लम्बी अवधि के ऋण टिकाऊपन प्राप्त करने की ओर एक कदम है।

1.9.2 ऋणेतर प्राप्तियों की पर्याप्तता

ऋण स्थिरता एवं इसके टिकाऊपन का एक और संकेत वृद्धिमान ब्याज दायित्व एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की वृद्धिमान ऋणेतर प्राप्तियों की पर्याप्तता है। यदि वृद्धिमान ऋणेतर प्राप्तियाँ वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके तो ऋण टिकाऊपन को सारभूत रूप से बल मिलेगा। सारणी-1.26 में वर्ष 2002-07 में संसाधनों के अंतराल का संकेत करती है।

सारणी-1.26 : वृद्धिमान राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय

(करोड रुपये में)

अवधि	वृद्धिमान				संसाधन अंतराल में
	ऋणेतर प्राप्तियाँ	प्राथमिक व्यय	ब्याज भुगतान	कुल व्यय	
2001-02	925	(-) 109	768	659	(+) 266
2002-03	2,076	2,822	(-) 1,160	1,662	(+) 414
2003-04	16,096	20,182	3,064	23,246	(-) 7,150
2004-05	(-) 6,241	(-) 11,640	1,749	(-) 9,891	(+) 3,650
2005-06	8,039	7,895	(-) 2,775	5,120	(+) 2,919
2006-07	15,022	13,180	1,379	14,559	(+) 463

संसाधन में ऋणात्मक अंतराल ऋण के अटिकाऊपन की ओर संकेत करता है जबकि संसाधन में धनात्मक अन्तराल राज्य की ऋण टिकाऊपन की क्षमता की मजबूती की ओर संकेत करता है। अवधि 2001-07 के मध्य केवल एक वर्ष (2003-04) ऋणात्मक अंतराल प्रदर्शित करता है जबकि शेष वर्ष राज्य की मध्यम एवं लम्बे समय तक ऋण धारित करने की बढ़ती हुई क्षमता के संकेतक है। वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में ऋणेतर प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय से न केवल अधिक थीं बल्कि वृद्धिमान ब्याज दायित्वों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त थीं जो यह प्रदर्शित करता है कि ऋणेतर प्राप्तियाँ पूंजीगत लेखे में किये जाने वाले व्यय के लिए उपलब्ध थीं।

1.9.3 उधार निधियों की शुद्ध उपलब्धता

राज्य का ऋण टिकाऊपन (1) ऋण विमोचन (मूल धन+ब्याज भुगतान) के कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात एवं (2) उधार निधियों के उपयोग पर निर्भर करता है। ऋण विमोचन का ऋण प्राप्तियों से अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि किस सीमा तक उधार निधियों की शुद्ध उपलब्धता की ओर संकेत करते हुए ऋण विमोचन हेतु ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है। राज्य सरकार की ऋण समस्या का निदान उधार निधियों के उपयोग में निहित है जैसेकि इनका उपयोग (अ) राजस्व व्यय के वित्त पोषण में नहीं हो रहा है तथा (ब) दक्षतापूर्ण तथा उत्पादकतापूर्ण तरीके से पूंजीगत व्यय के लिए हो रहा है जिससे कि या तो सीधे प्रतिफल उपलब्ध होता है या सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुयी उत्पादकता के परिणाम प्राप्त होते हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सकती है।

सारणी—1.27 राज्य की पिछले छः वर्षों में आन्तरिक ऋण की प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान की स्थिति तथा उधार निधियों की शुद्ध उपलब्धता सहित अन्य राजकोषीय दायित्वों को प्रकट करती है।

सारणी—1.27 : उधार निधियों की शुद्ध उपलब्धता

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
आन्तरिक ऋण						
प्राप्ति	7,935	9,282	19,029	14,597	13,931	11,332
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	4,467	3,895	7,545	10,412	10,286	10,725
उपलब्ध शुद्ध निधि	3,468	5,387	11,484	4,185	3,645	607
उपलब्ध शुद्ध निधि (प्रतिशत)	44	58	60	29	26	5
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम						
प्राप्ति	2,757	3,108	3,081	2,841	326	379
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	5,378	7,747	10,673	9,640	3,110	4,022
उपलब्ध शुद्ध निधि	(-) 2,621	(-) 4,639	(-) 7,592	(-) 6799	(-) 2784	(-) 3,643
उपलब्ध शुद्ध निधि (प्रतिशत)	(-) 95	(-) 149	(-) 246	(-) 239	(-) 854	(-) 961
अन्य बायताये						
प्राप्ति	14,538	11,556	18,025	18,238	23,184	22,972
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	11,643	9,334	15,285	15,361	15,651	17,125
उपलब्ध शुद्ध निधि	2,895	2,222	2,740	2,877	7,533	5,847
उपलब्ध शुद्ध निधि (प्रतिशत)	19.91	19.23	15.20	15.77	32.49	25.45
कुल देयताये						
प्राप्ति	25,230	23,946	40,135	35,676	37,441	34,683
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	21,488	20,976	33,503	35,413	29,047	31,872
उपलब्ध शुद्ध निधि	3,742	2,970	6,632	263	8,394	2,811
उपलब्ध शुद्ध निधि (प्रतिशत)	14.83	12.40	16.52	0.74	22.42	8.10

ब्याज एवं पुनर्भुगतान का प्रावधान करने के पश्चात आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों से निधियों की शुद्ध उपलब्धता 2001-07 की अवधि में 0.74 प्रतिशत से 22.42 प्रतिशत के बीच रही। चालू वर्ष के दौरान सरकार ने 3737.72 करोड़ रुपये के आंतरिक ऋण का, भारत सरकार के ऋण का 2174.36 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान किया तथा साथ ही 10476.78 करोड़ रुपये के ब्याज सहित 15483 करोड़ रुपये के अन्य दायित्वों का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप उधार निधियों की उपलब्धता का प्रतिशत कम होकर 8.10 प्रतिशत तक हो गया। चालू वर्ष के दौरान अधिक रोकड़ अवशेष के कारण सरकार बाजार तथा भारत सरकार से लिए गये ऋणों के ब्याज सहित मूलधन के देयताओं को अदा करने में सक्षम हुई।

1.10 घाटे का प्रबंधन

सरकारी लेखे में घाटा, प्राप्तियों एवं व्यय के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रवृत्ति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन में विवेक का सूचक है। इसके अतिरिक्त जिस विधि से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है तथा सृजित संसाधनों का उपयोग किया जात है, वे राजकोषीय स्वास्थ्य के संकेतक हैं।


1.10.1 घाटे में प्रवृत्तियों

राज्य में राजकोषीय प्राचलों में प्रवृत्ति राजकोषीय संतुलन की स्थिति को दर्शाता है जो सारणी-1.28 में प्रस्तुत है।

सारणी-1.28 : राजकोषीय असंतुलन-प्राथमिक प्राचल

(मूल्य करोड़ रुपये में और प्रतिशत में)

प्राचल	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व घाटा (करोड़ रुपये)	(-6,195)	(-5,118)	(-18,583)	(-6,993)	(-1,268)	(+4,901)
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये)	(-9,911)	(-9,497)	(-16,647)	(-12,997)	(-10,078)	(-9,615)
प्राथमिक घाटा (करोड़ रुपये)	(-1,691)	(-2,437)	(-6,523)	(-1,124)	(-980)	(+862)
राजस्व घाटा / स.रा.घ.उ (प्रतिशत)	3.25	2.49	8.26	2.89	0.46	----
राजकोषीय घाटा / स.रा.घ.उ (प्रतिशत)	5.21	4.62	7.40	5.36	3.68	3.08
प्राथमिक घाटा / स.रा.घ.उ (प्रतिशत)	0.89	1.19	2.90	0.46	0.36	----
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)	62.51	53.89	111.63	53.80	12.58	----



सारणी-1.28 यह प्रदर्शित करती है कि 2001-05 की अवधि के दौरान राजस्व लेखे में वृहद घाटे की स्थिति थी जो इन वर्षों में औसतन 9,222 करोड़ रुपये के आसपास थी। वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व घाटा तेजी से घटकर 1,268 करोड़ रुपये तक आ गया और इस वर्ष राजस्व लेखा 4,901 करोड़ रुपये के राजस्व आधिकाय में बदल गया। चालू वर्ष के दौरान राजस्व लेखे में बदलाव की स्थिति का मुख्य कारण राजस्व व्यय (19.48 प्रतिशत) में 9,082 करोड़ रुपये की वृद्धि के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों (33.63 प्रतिशत) में 15,251 करोड़ रुपये की वृद्धि थी। वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में तेज वृद्धि का कारण मुख्यतया राज्य के स्वकरों में 4,139.87 करोड़ रुपये (21.95 प्रतिशत) कर भिन्न राजस्व में 3,602.32 करोड़ रुपये (27.55 प्रतिशत), केन्द्रीय कर हस्तांतरण में 5,015.38 करोड़ रुपये (27.55 प्रतिशत) और भारत सरकार से अनुदान में 2,492.80 करोड़ रुपये (46.53 प्रतिशत) बढ़ोत्तरी थी। करेतर राजस्व में

सारभूत वृद्धि वर्ष 2006–07 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के रूप में भारत सरकार द्वारा डी सी आर एफ के अंतर्गत ऋण अधिक्याग हेतु दिये गये 2,127.42 करोड़ रुपये की करेतर प्राप्तियों के रूप में विपरीत प्रविष्टि के कारण थी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय हस्तांतरण में 5,015.38 करोड़ रुपये की वृद्धि के परिणाम स्वरूप वर्ष में भारी आधिक्य हुआ। दूसरी तरफ आयोजनागत राजस्व व्यय में तेजी से उछाल (50 प्रतिशत) के बावजूद सरकार राजस्व व्यय में वृद्धि को आयोजनेतर व्यय (14.51 प्रतिशत) को सीमित करके राजस्व प्राप्तियों के नीचे बनाये रखने में सफल हो सकी।

राजकोषीय घाटा जो सरकार के कुल उधार एवं संसाधन अंतराल को व्यक्त करता है, वर्ष 2005–06 के 10,078 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2006–07 में 9,615 करोड़ रुपये हो गया। यद्यपि यह वर्ष 2001–02 के 9,911 करोड़ रुपये के बराबर अधिक्तर बना रहा। इसके बावजूद वर्तमान वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में 5,273 करोड़ रुपये की तीव्र वृद्धि एवं ऋण एवं अग्रिमों के वितरण 204 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटा नाम भात्र को 463 करोड़ रुपये से घटा।

वर्ष 2001–06 की अवधि में प्राथमिक घाटा, राज्य के बजट में बना रहा किन्तु यह मुख्य रूप से चालू वर्ष में ब्याज भुगतान में 1,379 करोड़ रुपये की वृद्धि एवं राजकोषीय घाटे में 463 करोड़ रुपये की कमी के कारण 862 करोड़ रुपये के प्राथमिक आधिक्य में बदल गया।

1.10.2 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्रारम्भिक राजस्व घाटे में प्रारम्भिक घाटे¹ के अपघटन एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करके) राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटे से वित्तीय घाटे का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि किस सीमा तक उधार की निधियों का उपयोग चालू व्यय को पूरा करने के लिए किया गया। आर डी से एफ डी का अनुपात वर्ष 2003–04 में 111.63 प्रतिशत से अत्यधिक नीचे गिरकर 2005–06 में 12.58 प्रतिशत तक आ गया और आगे यह समाप्त होकर चालू वर्ष के दौरान आधिक्य में बदल गया। यह सुधारपथ प्रदर्शित करता है कि घाटे के गुणों में धीरे-धीरे सुधार हुआ है और 2006–07 के दौरान उधारों (राजकोषीय उत्तरदायित्वों) का उपयोग कियाकलापों में किया गया जिसके परिणामस्वरूप राज्य की सम्पत्ति में विस्तार हुआ।

2001–07 में राज्य के प्राथमिक घाटे या आधिक्य का कारण घटकों का बटवारा रहा जो यह दर्शाता है कि (सारणी-1.29) 2001–06 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों, पूंजीगत व्यय के कारण प्राथमिक घाटा हुआ। दूसरे शब्दों में, राज्य के ऋण से भिन्न प्राप्तियां राजस्व लेखे में प्रारम्भिक व्यय² की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त थीं तथा बची हुई कुछ प्राप्तियां पूंजीगत लेखे के अंतर्गत व्यय के लिये भी शेष थीं। लेकिन ऋण से भिन्न प्राप्तियों का आधिक्य पूंजीगत लेखे के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं था। परिणामस्वरूप प्रारम्भिक घाटा हुआ। यद्यपि पहली बार 2006–07 में ऋण से भिन्न प्राप्तियां प्रारम्भिक व्यय से अधिक थीं, जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक आधिक्य हुआ। यह प्रदर्शित करता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण प्रारम्भिक घाटा हुआ जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए वांछित हो सकता है।

¹ प्राथमिक राजस्व घाटा राज्य के ब्याज रहित राजस्व व्यय के अन्तराल को दर्शाता है तथा ऋणेतर प्राप्तियों यह प्रदर्शित करती हैं कि जो ऋणेतर प्राप्तियों हैं वो राजस्व लेखे के अन्तर्गत प्राथमिक व्यय को पूर्ण करने हेतु सक्षम हैं।

² राज्य का प्राथमिक व्यय कुल व्यय को प्रदर्शित करता है, शुद्ध ब्याज भुगतान वर्ष के दौरान लेन-देनों के अन्तर्गत व्यय को प्रदर्शित करता है।

सारणी-1.29 : प्राथमिक घाटा / आधिक्य-घटकों का द्विशाखन

वर्ष	गैर अशोध्य प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं बंगाल	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) राजस्व व्यय के संदर्भ में	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) पूँजीगत व्यय के संदर्भ में
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2001-02	25,964	23,573	3,556	526	27,655	(+) 2,391	(-) 1,691
2002-03	28,040	25,879	3,794	804	30,477	(+) 2,161	(-) 2,437
2003-04	44,136	40,097	9,320	1,242	50,659	(+) 4,039	(-) 6,523
2004-05	37,895	32,737	5,653	629	39,019	(+) 5,158	(-) 1,124
2005-06	45,934	37,519	8,711	684	46,914	(+) 8,415	(-) 980
2006-07	60,956	45,222	13,984	888	60,094	(+) 15,734	(+) 862

1.11 राजकोषीय अनुपात

राज्य की वित्त व्यवस्था टिकाऊ, लचीली एवं अभेद्य होनी चाहिए। नीचे दी गई सारणी-1.30 मुख्य संकेतकों के संदर्भ में वर्ष 2001-07 तक सरकार की वित्त व्यवस्था की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करती है जो उपलब्ध संसाधनों एवं उनके प्रयोग की पर्याप्तता तथा प्रभावशीलता के आकलन में सहायक होती है, तथा चिंता वाले क्षेत्रों को उजागर करती है एवं महत्त्वपूर्ण पहलुओं को अभिग्रहीत करती है।

सारणी-1.30 : राजकोषीय स्वास्थ्य के सूचक

(प्रतिशत)

राजकोषीय सूचक	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	
	1	2	3	4	5	6	7
I संसाधनों की गतिशीलता							
राजस्व प्राप्ति/स रा घ उ	13.44	13.55	14.07	15.53	16.56	19.44	
राजस्व उत्पादकता	0.668	1.103	1.447	2.439	1.581	2.428	
स्व कर / स रा घ उ	5.43	6.22	6.05	6.48	6.89	7.38	
II व्यय प्रबंधन							
कुल व्यय/स रा घ उ	18.84	18.28	27.03	21.01	20.46	22.64	
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	71.35	74.12	52.05	73.92	80.96	85.87	
राजस्व व्यय/कुल व्यय	88.62	87.75	82.62	87.66	83.23	78.93	
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं/ राजस्व व्यय पर वेतन एवं मजदूरी व्यय	10.53	11.06	7.94	9.33	9.39	8.73	
सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें/ राजस्व व्यय पर गैर वेतन एवं मजदूरी व्यय	35.66	38.09	50.45	35.65	40.73	42.72	
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	10.06	10.33	15.65	11.25	15.74	19.82	
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	9.55	9.23	14.97	10.61	14.99	18.89	
कुल व्यय की उत्पादकता राजस्व प्राप्तियों के साथ	0.540	0.533	4.514	(-) 0.861	0.490	0.773	
राजस्व प्राप्ति के साथ राजस्व व्यय की उत्पादकता	0.712	0.415	3.824	(-) 0.591	0.219	0.579	
III राजकोषीय असतुलन का प्रबंधन							
राजस्व घाटा (करोड़ रुपये)	(-) 6,195	(-) 5,118	(-) 18,583	(-) 6,993	(-) 1,268	----	
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये)	(-) 9,911	(-) 9,497	(-) 16,647	(-) 12,997	(-) 10,078	(-) 9,615	
प्राथमिक घाटा (करोड़ रुपये)	(-) 1,691	(-) 2,437	(-) 6,523	(-) 1,124	(-) 980	----	
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(-) 62.51	(-) 53.89	(-) 111.63	(-) 53.80	(-) 12.58	----	
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन							
राजकोषीय देयतायें/ स रा घ उ	48.8	49.9	53.0	54.2	54.4	52.02	
राजकोषीय देयतायें/ राजस्व प्राप्तियाँ	363.2	368.4	376.9	349.3	328.3	267.6	
राजस्व प्राप्ति के साथ राजकोषीय देयताओं की उत्पादकता	4.558	1.177	1.192	0.540	0.647	0.265	
स्व प्राप्ति से राजकोषीय देयताओं की उत्पादकता	(-) 2.519	0.483	1.995	0.640	0.730	0.251	
प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा	(-) 4.31	0.65	0.35	(-) 1.72	6.51	7.11	
उपलब्ध शुद्ध निधियाँ	14.83	12.40	16.52	0.74	22.42	8.10	
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक							
निवेश पर प्रतिफल	6.24	7.26	7.40	--	0.15	0.85	
चालू राजस्व से अवशेष (करोड़ रुपये)	(-) 4147	(-) 1918	(-) 15401	(-) 3413	4482	12314	
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/ देयतायें	0.56	0.55	0.46	0.45	0.51	0.58	

राजस्व प्राप्तियों एवं राज्य की स्व करों का स रा घ उ से अनुपात संसाधनों की पर्याप्तता को प्रदर्शित करता है। राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता कर प्रणाली की प्रकृति और राज्य की संसाधनों तक पहुंच में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। राजस्व प्राप्तियों में न केवल राज्य के कर एवं कर भिन्न स्रोत समाविष्ट हैं बल्कि संघ सरकार से अंतरण भी समाविष्ट हैं। 2006–07 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का स रा घ उ से अनुपात गत वर्ष की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत बढ़कर 19.44 प्रतिशत हो गया। स्व करों का स रा घ उ से अनुपात यह भी दर्शाता है कि 2001–07 की सभी अवधि में इसमें निरंतर सुधार हुआ सिवाय 2003–04 के, जिसमें मामूली घटोत्तरी हुई थी।

राज्य के व्यय प्रबंधन से सम्बंधित विभिन्न अनुपात इसके व्ययों की गुणवत्ता एवं स्थिरता को इनके संसाधनों के संग्रहण के सम्बंध में किये गये प्रयासों को प्रदर्शित करता है। राजस्व व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 2004–05 तक लगभग 88 प्रतिशत के आस–पास स्थिर रहा (सिवाय 2003–04 के लिए 83 प्रतिशत) और इसके पश्चात इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी। राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष राजस्व व्यय की तुलना में कुल व्यय की उच्चतर उत्प्लावकता इस तथ्य की सूचक थी कि अन्य बातों के अलावा राज्य सरकार का झुकाव पूँजीगत व्यय के सहारे सम्पत्ति स्थापित करना था। कुल व्यय के वित्त पोषण हेतु राजस्व प्राप्तियों पर बढ़ता हुआ विश्वास जो 2006–07 के दौरान 86 प्रतिशत थी यह सूचित करता है कि उधार निधियों पर निर्भरता घटी है। वित्तीय दायित्व का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात में कमी से भी यह प्रतिबिम्बित है। कुल व्यय में योजना व्यय और पूँजीगत व्यय के अनुपात में बढ़ोत्तरी भी सूचित करता है कि विकास और व्यय की गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है।

वर्ष 2006–07 के दौरान राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे में सार्थक गिरावट यह प्रदर्शित करता है कि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ है। चालू राजस्व से अवशेष (बी सी आर) (12,314 करोड़ रुपये) विगत वर्ष से 175 प्रतिशत बढ़ा इस प्रकार परिसंपत्तियों के सृजन एवं राज्य योजना कार्यकमों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध थी।

1.12 निष्कर्ष

मुख्य राजकोषीय प्राचल–राजस्व एवं राजकोषीय घाटा–विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2006–07 में राज्य की राजकोषीय स्थिति में सारभूत सुधार दर्शाता है। विगत वर्ष के 1,268 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे के सापेक्ष वर्ष 2006–07 में 4,901 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य था। तथापि इसका आकलन इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि विगत वर्ष की तुलना में 2006–07 में 49 प्रतिशत (15,251 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी, संघीय कर एवं शुल्क में राज्य के अंश का केन्द्रीय हस्तांतरण में वृद्धि (5,015 करोड़ रुपये) एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान (2,493 करोड़ रुपये) के योगदान के कारण थी। इसके अतिरिक्त राज्य के अपने संसाधनों में 7,743 करोड़ रुपये लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण वर्ष के दौरान ऋण अधित्याग के विविध सामान्य प्राप्तियों में विपरीत प्रविष्टि के कारण थी। वर्ष 2001–07 के दौरान राज्य के व्यय का तरीका यह प्रदर्शित करता है कि राजस्व व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 79–89 प्रतिशत अल्प दायरे के बीच रहा, जिससे सम्पत्तियों के सृजन एवं सेवा विस्तार हेतु अपर्याप्त संसाधन छोड़े गये जिसके परिणामस्वरूप राज्य की राजकोषीय देयताओं के 42 प्रतिशत हेतु वर्ष 2006–07 में किसी सम्पत्ति का सहारा नहीं था। इसके अतिरिक्त 2006–07 में राजस्व व्यय के अंतर्गत आयोजनेत्तर व्यय 46,000 करोड़ रुपये पर टी एफ सी द्वारा वर्ष के लिए आकलित 37,141 करोड़ रुपये से सारभूत रूप से अधिक था। अग्रेतर तीन मद–वेतन व्यय, पेंशन दायित्व एवं ब्याज भुगतान वर्ष 2006–07 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 72 प्रतिशत रहा। व्यय की यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि आवंटनीय प्राथमिकताओं में

परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकारी निवेशों के नगण्य प्रतिफल तथा ऋण एवं अग्रिमों पर अपर्याप्त ब्याज, लागत वसूली के साथ ही राजकोषीय घाटे की लगातार वृद्धि के कारण बढ़ता हुआ राजकोषीय दायित्व राज्य पर मध्यम एवं लम्बे समय पर राजकोषीय दबाव डाल सकता है जब तक कि आगामी वर्षों में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय को कम करने एवं कर तथा करेतर दोनों प्रकार के श्रोतों से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए ऋण एवं अग्रिमों के साथ ही निवेशों को वाणिज्यिक रूप से व्ययहार्य बनाने के लिए उचित मानदण्डों को लागू नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006-07 में राजकोषीय दायित्वों का स रा घ उ के सापेक्ष 52 प्रतिशत पर होना विशेष रूप से एफ आर बी एम के आगामी दस वर्षों के दौरान 25 प्रतिशत पर सीमित किये जाने के लक्ष्य से ऊँचे प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की 48 मुख्य एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में असाधारण विलम्ब, जिसके परिणामस्वरूप उन परियोजनाओं पर 6,173 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि एवं राज्य के अंतिम रोकड़ अवशेष में 6,993 करोड़ रुपये की अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप जो वर्ष के अंत में बढ़कर 15,488 करोड़ रुपये हो गयी, जैसाकि प्रतिवेदन से ही स्पष्ट है, पर राज्य सरकार के द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

अध्याय-2

आबंटनीय प्राथमिकतायें एवं विनियोग

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हुए विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत व्यय के दोनों भारित एवं दत्तमत मदों सहित प्रतिवर्ष तैयार किये जाते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक विनियोग के लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न अनुदानों में किये गये व्यय वास्तव में प्राधिकृत विनियोग अधिनियमों के अन्तर्गत हैं या नहीं और जो व्यय भारित के लिये आवश्यक है वह अधिनियमों के प्रावधान के अनुरूप भारित किये गये हैं। यह, यह भी निश्चित करता है कि जो व्यय किया जा रहा है वह विधि, प्रासंगिक नियमों, अधिनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण

वर्ष 2006-07 में अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्नवत थी :

(करोड़ रुपये में)

	व्यय का स्पर्श	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
दत्तमत	I- राजस्व	42,364.42	2,152.87	44,517.29	42,349.42	(-) 2,167.87
	II- पूँजीगत	18,940.11	2,048.69	20,988.80	20,515.15	(-) 473.65
	III- ऋण तथा अग्रिम	785.40	103.00	888.40	887.55	(-) 0.85
योग – दत्तमत		62,089.93	4,304.56	66,394.49	63,752.12	(-) 2,642.37
भारित	IV- राजस्व	13,685.34	378.23	14,063.57	13,607.37	(-) 456.20
	V- पूँजीगत	11.59	9.35	20.94	17.50	(-) 3.44
	VI- लोक ऋण	14,585.39	0.00	14,585.39	5,912.08	(-) 8,673.31
योग – भारित		28,282.32	387.58	28,669.90	19,536.95	(-) 9,132.95
कुल योग		90,372.25	4,692.14	95,064.39	83,289.07	(-) 11,775.32

नोट:- वास्तविक व्यय के आंकड़े सकल आंकड़े हैं जिसमें दत्तमत राजस्व व्यय 102.89 करोड़ रुपये तथा पूँजीगत व्यय 6,548.51 करोड़ रुपये तथा राजस्व व्यय (भारित) 155 करोड़ रुपये के अन्तर्गत वसूलियां को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

अनुदान एवं विनियोगों के 156 प्रकरणों में 14,580.03 करोड़ रुपये की बचत का शुद्ध परिणाम कुल बचत 11,775.32 करोड़ रुपये उपरोक्तानुसार थी (**परिशिष्ट 2.1**) जिसे अनुदानों एवं विनियोगों के 44 प्रकरणों में 2,804.71 करोड़ रुपये के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था (**परिशिष्ट 2.2**)। 11,775.32 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत अनुपूरक प्रावधान से ढाई गुना अधिक (4,692.14 करोड़ रुपये) थी। बचत/आधिक्य के ब्योरे (ब्योरेवार विनियोग लेखा) नियंत्रण अधिकारी को महत्वपूर्ण विचलनों की व्याख्या के लिये भेजे गये थे जो अभी तक (अक्टूबर 2007) प्राप्त नहीं हुये।

2.3 आबंटनीय प्राथमिकताएँ द्वारा विनियोग

**2.3.1 अनुदानें जहाँ बचतें 300 करोड़ रुपये एवं अधिक की थीं
अनुदान संख्या 61—वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)**

(करोड़ रुपये में)

पूँजीगत (भारित)	योग (मूल + अनुपूरक)	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	13,052.14	13,052.14	4,379.32
अनुपूरक	शून्य		8,672.82

बचतें मुख्यतया शीर्ष 6003—राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण के पुनर्भुगतान के अन्तर्गत थीं।

अनुदान संख्या 21—खाद्य एवं रसद विभाग

(करोड़ रुपये में)

पूँजीगत (दत्तमत)	योग (मूल + अनुपूरक)	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	5,776.69	5,776.69	4,170.00
अनुपूरक	शून्य		1,606.69

कुल बचतें 1,606.69 करोड़ रुपये का कारण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 83—समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

(करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)	योग (मूल + अनुपूरक)	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	2,243.67	2,243.87	1,847.69
अनुपूरक	0.20		396.18

मुख्यतया बचतें शीर्ष 2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—शिक्षा (101.02 करोड़ रुपये) तथा अनुसूचित जातियां घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत (71.37 करोड़ रुपये) थीं।

अनुदान संख्या 54—लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

(करोड़ रुपये में)

पूँजीगत (दत्तमत)	योग (मूल + अनुपूरक)	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	633.07	645.67	289.87
अनुपूरक	12.60		355.80

बचतें शीर्ष—2059 लोक निर्माण के अन्तर्गत 321.38 करोड़ रुपये अधिष्ठान पर व्यय के यथानुपात समायोजन के कारण थीं।

2.3.2 प्रत्येक प्रकरण में बचत एक करोड़ रुपये से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक थी

राजस्व (दत्तमत) के 29 अनुदानों, पूंजीगत (दत्तमत) के 17 अनुदानों, राजस्व (भारित) के 2 अनुदानों तथा पूंजीगत (भारित) के 2 अनुदानों के प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक की बचत थी। इस प्रकार की बचतों की कुल धनराशि 13,598.49 करोड़ रुपये थी (परिशिष्ट 2.3) जो कुल बचत का 93 प्रतिशत था तथा यह प्रदर्शित करता है कि बजट आकलन अवास्तविक थे एवं वास्तविक आवश्यकता से उसका कोई सामन्जस्य नहीं था।

2.3.3 अनवरत बचतें

चार प्रकरणों में जिनमें चार अनुदानें सम्मिलित थीं, विगत चार वर्षों से प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक की अनवरत बचत थी, जिसका विवरण निम्नवत है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का विवरण	बचत की धनराशि प्रतिशत सहित कोष्ठक में			
			2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
		राजस्व—दत्तमत				
1	40	नियोजन विभाग	5.02 (12)	4.41 (10)	6.71 (12)	9.27 (15)
2	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	41.76 (10)	62.64 (8)	37.33 (4)	200.47 (14)
		पूंजीगत—दत्तमत				
3	26	गृह विभाग (पुलिस)	77.79 (52)	108.80 (49)	135.55 (50)	157.87 (50)
4	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाये एवं अन्य व्यय)	39.42 (68)	38.61 (67)	25.97 (20)	138.40 (45)

2.3.4 आधिक्य के नियमन की आवश्यकता

विगत वर्षों के आधिक्य प्रावधान के नियमन की आवश्यकता

भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत, राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि वह अनुदान/विनियोग से आधिक्य को राज्य विधान मंडल द्वारा विनियमित करा ले। किन्तु 1990-91 से 2005-06 तक के 33,422.20 करोड़ रुपये आधिक्य व्यय का अभी तक (अक्टूबर 2007) नियमन नहीं कराया गया। यह विनियोग पर विधायकी नियंत्रण का उल्लंघन था। विवरण परिशिष्ट 2.4 में दिया गया है।

वर्ष 2006-07 के दौरान आधिक्य प्रावधान के नियमन की आवश्यकता

44 अनुदानों एवं विनियोगों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान हुआ कुल आधिक्य व्यय 2,804.71 करोड़ रुपये में से 320.24 करोड़ रुपये का आधिक्य विभागीय समायोजन लेखा (29.28 करोड़ रुपये) एवं 290.96 करोड़ रुपये वर्ष 1992-2006 के दौरान आकस्मिक निधि से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति के निस्तारण के कारण रहा। संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत शुद्ध आधिक्य व्यय 2,484.47 करोड़ रुपये के नियमन की आवश्यकता है। विवरण परिशिष्ट 2.2 में दिया गया है।

2.3.5 मूल बजट एवं अनुपूरक प्रावधान

इस वर्ष के दौरान अनुपूरक प्रावधान (4,692.14 करोड़ रुपये) था जो मूल प्रावधान (90,372.25 करोड़ रुपये) का 5 प्रतिशत था। जबकि, विगत वर्ष में 11 प्रतिशत था। इस वर्ष के दौरान अनुपूरक प्रावधान में कमी होने के बावजूद कुल बचतें 14,345.42 करोड़ रुपये (वर्ष 2005-06) से बढ़कर 14,580.03 करोड़ रुपये हो गयी।

2.3.6 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 68 प्रकरणों में अनुपूरक प्रावधान 485.26 करोड़ रुपये अनावश्यक सिद्ध हुये क्योंकि इन प्रकरणों में व्यय मूल अनुदान से भी कम था तथा बचतों को या तो अभ्यर्पित करना पड़ा या पुनर्विनियोजित करना पड़ा। ऐसी बचतें (2,845.12 करोड़ रुपये) कुल बचतों की लगभग 20 प्रतिशत थी। विवरण **परिशिष्ट 2.5** में उपलब्ध है।

2.3.7 आधिक्य व्यय के आच्छादन हेतु अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

26 प्रकरणों में, कुल 2,402.61 करोड़ रुपये का अधिक व्यय था क्योंकि अनुपूरक अनुदान 1,748.17 करोड़ रुपये अपर्याप्त सिद्ध हुये। अन्य 18 प्रकरणों में अनुपूरक अनुदान की मांग का आकलन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप 402.10 करोड़ रुपये का अनाच्छादित अधिक व्यय हुआ। यह न केवल अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के अनुमान हेतु विभाग की असफलता को दर्शाता है अपितु व्यय की अनुश्रवण की पद्धति की कमी को भी दर्शाता है (**परिशिष्ट 2.6**)।

2.3.8 अनवरत आधिक्य

महत्वपूर्ण अनवरत आधिक्य लोक निर्माण विभाग (भवन) अनुदान संख्या 55-पूंजीगत (दत्तमत) के अन्तर्गत था। विगत 6 वर्षों में यह 448 से 1,691 प्रतिशत के मध्य रहा जैसा कि नीचे दिया गया है। अनवरत आधिक्य बजट नियंत्रण के कमी को दर्शाता है जिसकी सरकार के द्वारा जांच आवश्यक है।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	आधिक्य (प्रतिशत)
2001-02	18.75	120.12	540
2002-03	13.41	151.57	1030
2003-04	26.19	170.57	551
2004-05	29.53	161.70	448
2005-06	20.64	198.34	861
2006-07	24.56	439.83	1691

2.3.9. अभ्यर्पित न की गई पूर्वानुमानित बचतें

बजट मैनुअल के अनुसार जब कभी बचतों की प्रत्याशा हो व्यय करने वाले विभागों को अनुदान/विनियोग या आंशिक बचतों को वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिये। फिर भी, वर्ष 2006-07 के अन्त में 50 ऐसे प्रकरण थे जिसमें 2,723.30 करोड़ रुपये की बचतें जो प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक की थीं, अभ्यर्पित नहीं की गई। 18 प्रकरणों में आंशिक अभ्यर्पण के पश्चात भी 771.22 करोड़ रुपये जिसमें बचतें प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक की थीं। विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 31 प्रकरणों में 11,205.89 करोड़ रुपये मार्च 2007 में अभ्यर्पित किये गये जो व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है। विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिया गया है।

2.3.10 अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण

निम्नलिखित प्रकरणों में, 14 अनुदानों के अन्तर्गत मार्च 2007 में अविवेकपूर्ण एवं अवास्तविक अभ्यर्पण किये गये जबकि उनमें कुल प्रावधानों से अधिक का व्यय पहले ही किया गया था।

(करोड़ रुपये में)

प्राथमिक सेवा तथा उपचार विभाग	प्रदानी द्वारा विपरीत विभाग	माह 2007 में अस्थापन कराया गया
राजस्व-दत्तमत		
2— आवास विभाग	44.18	2.78
24— गन्ना विकास विभाग (घीनी उद्योग)	3.05	8.20
38— नागरिक उड्डयन विभाग	0.01	0.19
58— लोक निर्माण विभाग (संचार-सङ्कर)	53.05	62.81
61— वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	54.85	33.82
73— शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	6.17	1.19
95— सिंचाई विभाग (अधिकारी)	8.30	0.76
पूंजीगत-दत्तमत		
7— उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	76.99	28.29
37— नगर विकास विभाग	17.07	14.30
57— लोक निर्माण विभाग (संचार-पुल)	28.32	8.25
58— लोक निर्माण विभाग (संचार-सङ्कर)	861.52	124.40
89— संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	19.11	1.06
96— सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	443.07	31.69
पूंजीगत भारित		
1— आबकारी विभाग	4.81	0.04
20— कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	0.13	0.57

2.3.11 उपलब्ध बचतों से अधिक का अभ्यर्पण

निम्नलिखित प्रकरणों में बचतों से अधिक अभ्यर्पण था। 17 अनुदानों में पूर्वानुमानित बचतों से अधिक धनराशियों का अभ्यर्पण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय पर कमजोर अनुश्रवण और नियंत्रण को प्रतिबिम्बित करता है। परिणामी आधिकर्यों का नियमन अपेक्षित होगा।

प्राथमिक सेवा तथा उपचार विभाग	बचतें	अभ्यर्पण
राजस्व-दत्तमत		
1— आबकारी विभाग	4.62	4.66
4— उद्योग विभाग (खनन एवं खनिज)	0.40	0.53
8— उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन-सामग्री)	0.75	5.41
12— कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	9.48	10.84
18— कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1.65	2.50
21— खाद्य एवं रसद विभाग	13.93	15.37
37— नगर विकास विभाग	17.95	42.59
39— भाषा विभाग	0.17	0.60
41— निर्वाचन विभाग	6.24	6.60
43— परिवहन विभाग	2.44	2.55
46— प्रशासनिक सुधार विभाग	1.03	1.14
57— लोक निर्माण विभाग (संचार-पुल)	0.49	1.04
70— विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4.57	7.52
78— संचारगत प्रशासन विभाग	21.15	22.06
92— सांस्कृतिक विभाग	9.05	9.56
पूंजीगत-दत्तमत		
21— खाद्य एवं रसद विभाग	1606.69	1801.60
42— न्याय विभाग	20.22	22.19
61— वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	138.40	203.31
राजस्व-भारित		
18— कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	0.81	1.19
42— न्याय विभाग	5.92	6.58
पूंजीगत भारित		
61— वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	8672.82	8722.00

2.4 असमाधानित व्यय

प्रत्येक माह में व्यय के विभागीय आंकड़ों का समाधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों से किया जाना चाहिये। फिर भी विभिन्न विभागों में समाधान कराया जाना बाकी था। नियंत्रण अधिकारियों की संख्या जिन्होंने अपने आंकड़ों एवं धनराशियों का गत तीन वर्षों से समाधान नहीं कराया, का विवरण निम्नवत् था:

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की संख्या जिन्होंने आंकड़ों का समाधान नहीं कराया	(करोड़ रुपये में) असमाधानित धनराशि
2004-05	57	30,314.72
2005-06	48	16,816.78
2006-07	37	12,127.16

वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत 166 नियंत्रण अधिकारियों में से 37 नियंत्रण अधिकारियों ने कुल 12,127.16 करोड़ रुपये के व्यय के आंकड़ों का समाधान नहीं कराया (सम्पूर्ण व्यय का 15 प्रतिशत)।

2.5 व्यय का बाहुल्य

वित्तीय नियमानुसार व्यय का वितरण समान रूप से पूरे वर्ष में करना चाहिये तथा माह के अन्त में व्यय के बाहुल्य से बचना चाहिये। फिर भी, ऐसा देखा गया कि मार्च 2007 में 20 लेखा शीर्षों में व्यय कुल व्यय का 43 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य रहा। विवरण परिशिष्ट 2.9 में दिया गया है।

अध्याय 3

निष्पादन लेखा परीक्षा

इस अध्याय में लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण एवं कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण पर सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा पर निष्पादन लेखा परीक्षा तथा अर्धकुम्भ मेला, क्षेत्रीय निदान केन्द्र एवं कन्या विद्या धन योजना पर तीन वृहद् प्रस्तर शामिल हैं।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

3.1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली

लखनऊ विकास प्राधिकरण का गठन (सितम्बर 1974) उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत नगर के सुनियोजित विकास के लिए हुआ था। इसकी कार्यप्रणाली के निष्पादन लेखापरीक्षा में महायोजना को तैयार करने में विलम्ब, वित्तीय प्रबन्धन में कमी एवं महायोजना/योजनाओं के कियान्वयन में कमियां पायी गयी। लेखापरीक्षा का आच्छादन, हालांकि अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण सीमित रहा।

मुख्य अंश

प्राधिकरण के वाषिक लेखाओं को ज्ञ तो साविधिक सम्प्रेक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया था। और न छोड़ा सब को प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2006 के अन्तामे प्राधिकरण एवं विभिन्न बैंकों के अभिलेखों में 17.77 करोड़ रुपये की भिन्नता थी जिसका समाधान नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 3.1.6.2 एवं 3.1.6.3)

2003-06 में बजट प्रबंधान से 150 प्रतिशत से 239 प्रतिशत तक अधिक व्यय अंगित करता था कि प्राधिकरण को बजट पक्किया त्रुटिपूण थी।

(प्रस्तर 3.1.6.4)

प्राधिकरण के कम्युनियों एवं शासकीय विभागों/अभिकरणों को दी गयी अंगित घनराशि 194.33 करोड़ रुपये विगत एक से 20 वर्षों से असमायोजित थी जब कि अस्थायी अंगिमों का समायोजन एक माह के अन्दर किया जाना था।

(प्रस्तर 3.1.6.6)

10.5 प्रति आवासीय योजनाओं का नगर नियाम को छहसात्तरित न करने के परिणामस्वरूप उनके अनुरक्षण पर 2004-07 की अवधि में 80.54 करोड़ रुपये का परिवार्य व्यय किया गया।

(प्रस्तर 3.1.6.7)

कुल विकसित 13940 हेक्टेयर क्षेत्र में 2377 हेक्टेयर (17 प्रतिशत) में संशोधित महायोजना 2001 में प्रस्तावित भू-उपयोगों के विलम्ब निजी व्यक्तियों (1690 हेक्टर) एवं शासकीय/अम्बद्धासकीय विभागों नियाम प्राधिकरण द्वारा शामिल था (687 हेक्टर)।

(प्रस्तर 3.1.8.1)

गोमतीनगर विस्तार अधिनियम जी के हस्तिक्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट थी को पर्यावरण विभाग द्वारा अन्तर्मिति घोषणा की गयी बिना विकास करने के परिणामस्वरूप इसे शीघ्र भी राकड़ा पड़ा एवं इसके उत्तराधिकारी एवं विकास पर किया गया 206.66 करोड़ रुपये का दायर अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.1.8.5)

लखनऊ नगर में विकासित हो गयी दो स्तो इकलालिस अन्तर्धिकृत कालोनिया प्राधिकरण के प्रवर्तन प्रयासों में कभी झंगत करती थी। इसके अतिरिक्त, अन्तर्धिकृत निर्माणों को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सामले 779 (मार्च 2003) से बढ़कर 3238 (मार्च 2007) हो गये।

(प्रस्तर 3.1.8.6 एवं 3.1.8.7)

विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2002–07 में सीवेज शोधन संयंत्र एवं गाटर सालाई वक्स हेतु 205.34 करोड़ रुपये भाग्य करने के बाद भी लखनऊ विकास प्राधिकरण आबादियों का स्वायत्तशासन नहीं किया।

(प्रस्तर 3.1.9.5)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अत्यावश्यकता उपधारा के अन्तर्गत 1981–83 में अधिग्रहीत 1355.97 एकड़ भास्त्रमें से 373.21 एकड़ भूमि अंगरेज 2007 तक अनुपायजित पड़ी थी।

(प्रस्तर 3.1.10.1)

वर्ष 2002–07 में आबादित 20095 सम्पत्तियों में से 7533 (37 प्रतिशत) का आबंटन बिना लाटरी बोली या नीचासी के किया गया था। 263.08 करोड़ रुपये मूल्य की 1296 सम्पत्तियां अनिस्तारित पड़ी थीं। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत 56 आबंटन फत्रावलियों में से 11 आबंटन फजीकरण के मात्र 11 (1 आबादियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के बिना किया गया।

(प्रस्तर 3.1.10.2 एवं 3.1.10.3)

3.1.1 प्रस्तावना

लखनऊ विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) का गठन (सितम्बर 1974) उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम) के अन्तर्गत नगर के सुनियोजित विकास के लिए हुआ था। अधिनियम प्राधिकरण को भूमि एवं सम्पत्तियों के अधिग्रहण, धारित करने, प्रबन्धन एवं निस्तारण, भवन एवं अन्य कियाकलापों के विनियमन, जल एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित कार्यों के निष्पादन, सीवेज निस्तारण एवं अन्य सेवाओं एवं सुविधाओं का रखरखाव करने एवं सामान्यतया ऐसे विकास हेतु आवश्यक तथा जरूरी कार्यों को करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्राधिकरण के मुख्य कार्य महायोजना को तैयार कर उसे क्रियान्वित करना, भूमि अधिग्रहण एवं उसका विकास, भवनों/आवासों का निर्माण, सम्पत्तियों का विक्रय तथा भवन उपविधियों का प्रवर्तन करना था। प्राधिकरण महायोजना को तैयार करने एवं इसका क्रियान्वयन तथा इसके साथ अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी था।

3.1.2 सारांशात्मक ढांचा

प्राधिकरण प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है तथा इसका प्रबंधन एक बोर्ड में निहित है जिसके अध्यक्ष

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं 11 अन्य सदस्य¹ हैं। उपाध्यक्ष, सचिव, वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियंता एवं मुख्य नगर नियोजक के सहयोग से, दैनिन्दिन कार्यों हेतु उत्तरदायी थे। प्राधिकरण में 14 अभियंत्रण जोन अधिशासी अभियंताओं के अधीन थे, जो कि अपने जोन के अन्तर्गत विकास/अनुरक्षण/निर्माण कार्यों, नक्शों की स्वीकृति एवं प्रवर्तन कार्यों हेतु उत्तरदायी थे।

3.1.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में निम्नलिखित को निर्धारित करना था :

- विभिन्न योजनाओं हेतु निधियों का आबंटन एवं उपभोग न्यायोचित एवं समुचित था;
- महायोजना 2021 सम्यक सर्वेक्षण के उपरान्त तैयार की गई थी तथा अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स फारम्यूलेशन एण्ड इम्पलीमेंटेशन (यूडीपीएफआई) गाइडलाईन्स के अनुरूप थी एवं प्रभावकारी ठंग से कियान्वयन किया गया था;
- विकास/निर्माण कार्य मितव्ययी, प्रभावी एवं सही ठंग से किये गये थे;
- सम्पत्तियों के आबंटन की नीति का कड़ाई से पालन किया गया था; तथा
- भवन उपविधियों का प्रवर्तन प्रभावी था।

3.1.4 लेखा परीक्षा का मापदण्ड

प्राधिकरण के कियाकलाप का निर्धारण निम्नलिखित के संदर्भ में किया गया था :

- अधिनियम, उपविधि एवं उनके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावलियों के प्रावधान एवं शासकीय आदेश
- यूडीपीएफआई के दिशानिर्देश
- लखनऊ नगर की महायोजना

3.1.5 लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र एवं प्रक्रिया

प्राधिकरण की 2002–07 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत मार्च 2007 से अगस्त 2007 के दौरान सम्पादित की गयी थी।

महायोजना 2001 एवं 2021 को तैयार करने एवं उसके कियान्वयन, वार्षिक लेखाओं, बजट अभिलेखों, बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच लेखापरीक्षा में की गयी थी। इसके अतिरिक्त मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक (सीटीसीपी) उ0प्र० शासन, नगर निगम, लखनऊ, उ0प्र० प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, लखनऊ एवं आवास बन्धु² से भी सूचनाएं एकत्रित की गयी थी। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों एवं मापदण्ड पर विभागीय सचिव के साथ अप्रैल 2007 को हुए प्रारम्भिक विचार-विमर्श में सहमति प्रदान की गयी थी। तथ्यों, आकड़ों एवं संस्तुतियों को अक्टूबर 2007 में हुए अन्तिम विचार विमर्श में स्वीकार किया गया था।

लेखापरीक्षा की सीमा

किसी इकाई के कार्यक्रम के कियान्वयन में निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा मूल्य संवर्द्धन तभी सम्भव है जब सम्परीक्षित इकाई द्वारा लेखापरीक्षा को समुचित सूचनाएं एवं

¹ विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव वित्त विभाग, उपाध्यक्ष, प्राधिकरण, मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक उ0प्र०, महाप्रबंधक जल निगम, नगर आयुक्त लखनऊ, जिलाधिकारी, लखनऊ तथा नगर निगम के चार सभासद।

² आवास एवं नगर नियोजन विभाग के अन्तर्गत एक निकाय, जो कि विकास प्राधिकरणों के मासिक प्रतिवेदन को संकलित एवं विश्लेषण करने एवं शासन को प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है।

अभिलेख उपलब्ध करायें जाये। विभागीय सचिव द्वारा प्रारम्भिक विचार विमर्श 17 अप्रैल 2007 को आश्वस्त किया गया था कि लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गये समस्त अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

लेखापरीक्षा दल को अभिलेख एवं उनके द्वारा निर्गत आडिट मेमों के उत्तर नहीं दिये जाने के कारण उप महालेखाकार द्वारा उपाध्यक्ष, प्राधिकरण के साथ 19 जुलाई 2007 को बैठक की गयी एवं 30 जुलाई 2007 को पुनः अद्व्य शासकीय पत्र के माध्यम से अनुस्मारक दिया गया। प्रकरण को प्रधान महालेखाकार द्वारा विभागीय प्रमुख सचिव एवं प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के साथ 23 अगस्त 2007 एवं पुनः 19 सितम्बर 2007 को उठाया गया लेकिन विकास/निर्माण कार्य, सम्पत्तियों के आबंटन, अधिष्ठान, उपविधियों के प्रवर्तन से सम्बन्धित अधिकतर सूचनाएं/अभिलेख एवं वार्षिक लेखे (2006-07) अक्टूबर 2007 तक उपलब्ध नहीं कराये गये। 17 अक्टूबर 2007 को अन्तिम विचार-विमर्श में प्रमुख सचिव ने आश्वस्त किया कि समस्त अभिलेख एवं आडिट मेमों के उत्तर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये जायेंगे लेकिन न तो अभिलेख एवं न ही 126 आडिट मेमों के उत्तर दिये गये (परिशिष्ट-3.1.1)। अभिलेखों को प्रस्तुत न करने एवं विभिन्न आडिट मेमों के द्वारा मांगी गयी सूचनाएं उपलब्ध न कराने के कारण लेखापरीक्षा का आच्छादन सीमित रहा।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

3.1.6 वित्तीय प्रबन्धन

3.1.6.1 वित्तीय स्थिति

प्राधिकरण की आय प्रमुखतः भूखण्डों/भवनों/व्यावसायिक रथलों/भवनों की बिकी, किराया, शुल्क, अनधिकृत निमार्णों पर दण्ड आदि से होती है। व्यय मुख्य रूप से कर्मचारियों के वेतन, भूमि के अधिग्रहण एवं विकास, अवस्थापना रखरखाव, ऋणों का पुर्णभुगतान आदि से सम्बन्धित है। प्राधिकरण की वर्ष 2002-06 की वित्तीय स्थिति निम्नवत् थी :

विवरण	2002.03	2003.04	2004.05	(करोड़ रुपये में) 2005.06
प्राप्तियाँ				
प्रारम्भिक अवशेष	42.11	52.46	120.45	263.99
राजस्व	13.47	32.57	25.19	25.67
पूंजीगत	342.84	313.36	403.02	593.59
शासकीय अनुदान	45.10	37.49	10.00	61.24
शासकीय ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	443.52	435.88	558.66	944.49
भुगतान				
राजस्व	37.21	36.84	44.37	76.00
पूंजीगत	319.54	211.76	227.45	436.97
शासकीय अनुदान	32.11	51.61	12.24	30.52
शासकीय ऋण	2.20	15.22	10.61	30.10
अन्तिम अवशेष	52.46	120.45 ¹	263.99 ¹	370.90 ¹
योग	443.52	435.88	558.66	944.49

¹ प्राधिकरण द्वारा विनियोजन के कारण परिशिष्ट 3.1.2 में दिये गये आकड़ों से 4-करोड़ रुपये की भिन्नता है।

प्राधिकरण का, मार्च 2006 के अन्त में, अन्तिम अवशेष 370.90 करोड़ रुपये एवं विनियोग 275.29 करोड़ रुपये था। प्राधिकरण द्वारा अत्यधिक रोकड़ शेष के रखरखाव एवं विनियोजित पोर्टफोलियो के प्रबन्धन कुशलता का लेखापरीक्षा में सत्यापन प्राधिकरण के विनियोजन नीति, यदि कोई हो, एवं इससे सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण नहीं किया जा सका। वर्ष 2002–03 से 2005–06 तक की सम्पत्तियों एवं दायित्वों तथा 2002–03 से 2005–06 की अवधि के प्राप्तियों एवं भुगतानों की स्थिति परिशिष्ट-3.1.2 में दी गयी है।

3.1.6.2 वार्षिक लेखाओं का प्रमाणीकरण

वार्षिक लेखे सांविधिक संभ्रेक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं किये गये एवं शासन को प्रस्तुत नहीं किये गये।

प्राधिकरण वार्षिक लेखा तैयार करता है जिसमें आय-व्यय लेखा एवं तुलन पत्र होते हैं। प्राधिकरण के वार्षिक लेखाओं का संकलन सनदी लेखाकारों की एक फर्म से कराया गया था। अधिनियम के अनुसार प्राधिकरण के लेखाओं की सम्परीक्षा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा की जानी थी। परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा मात्र आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य किया जा रहा था एवं वार्षिक लेखाओं का प्रमाणीकरण नहीं किया गया था। लेखे शासन को, जैसा कि धारा-22(4) में प्रावधानित था, प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

3.1.6.3 बैंक समाधान

प्राधिकरण एवं बैंक के मध्य मार्च 2006 को 17.77 करोड़ रुपये की गिनता का समाधान नहीं किया गया था।

विभिन्न बैंक खातों के बैंक समाधान विवरणों के अनुसार 17.77 करोड़ रुपये का असमाधानित अन्तर प्राधिकरण के अभिलेखों (37.54 करोड़ रुपये) एवं बैंक अभिलेखों (19.77 करोड़ रुपये) के अनुसार बैंक में नगद धनराशि के आंकड़ों के मध्य, 31 मार्च 2006 को, था। 31 मार्च 2007 के बैंक समाधान विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

3.1.6.4 बजट से अधिक व्यय

प्राधिकरण वर्ष के दौरान प्रस्तावित आय एवं व्यय को दर्शाते हुए बजट तैयार करता है। 2003–04 से 2005–06 के दौरान विकास कार्यों हेतु 300.43 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरुद्ध 533.10 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया गया, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य(प्रतिशत)
1	2003–04	73.98	190.69	116.71(157)
2	2004–05	86.25	292.02	205.77(239)
3	2005–06	140.20	350.82	210.62(150)
	योग	300.43	833.53	533.10

शासन ने, उत्तर में बताया (नवम्बर 2007) कि अधिक व्यय को अगले वर्ष के बजट में पुनरीक्षित व्यय प्रदर्शित करते हुये बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। यह तथ्य था कि बजट प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि बजट प्रावधान से अधिक व्यय 150 प्रतिशत एवं 239 प्रतिशत के मध्य था।

3.1.6.5 अनियमित व्यय

नगरों के अवस्थापना विकास में विकास प्राधिकरणों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु शासन ने उनके स्तर पर अवस्थापना विकास संचित निधि (निधि) के सृजन का आदेश (जनवरी 1998) दिया। इस निधि में विकास प्राधिकरणों के कुछ स्रोतों से आय का एक

निश्चित अंश जमा किया जाना था। इस निधि से व्यय मण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति जिसके सदस्य उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी, लखनऊ, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम थे, के अनुमोदन के पश्चात ही किया जाना था।

प्राधिकरण ने 2003–07 के दौरान विभिन्न कार्यों पर समिति के अनुमोदन के बिना ही 32.10 करोड़¹ रुपये का व्यय किया। उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में व्यय किया गया था। जिसके लिये कार्यवाही की जा रही थी। यह तथ्य था कि निधि से व्यय 2003–04 से बिना समिति का अनुमोदन प्राप्त किये, किया गया था।

3.1.6.6 असमायोजित अग्रिम

अक्टूबर 2007 को 194.33 करोड़ रुपये के अग्रिम 1 से 20 वर्षों से असमायोजित रहे।

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण वित्त एवं लेखा मैनुअल 2004 के प्रस्तार 3.9.2 के अनुसार अस्थायी अग्रदाय अग्रिम एक माह के अन्दर समायोजित हो जाने चाहिये तथापि 1987 से 2007 के मध्य 220 कर्मचारियों को दिये गये 35.43 करोड़ रुपये के अग्रिम मार्च 2007 को असमायोजित/वसूल करने को शेष थे इनमें 47 मामले सम्मिलित थे जिनमें 4 से 16 अग्रिम बिना पूर्व अग्रिमों के समायोजन के दिये गये थे। इसके अतिरिक्त 8 विभागों/संस्थाओं को विभिन्न कार्यों हेतु दिये गये 274.38 करोड़ रुपये भी एक से बीस वर्षों से अवशेष थे (परिशिष्ट-3.1.3)। इसके अतिरिक्त, अग्रिमों को लेखे में अन्तिम व्यय के रूप में प्रदर्शित किया गया था। शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि 309.81 करोड़ रुपये में से अगस्त 2007 तक 115.48 करोड़ रुपये समायोजित किये जा चुके थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अप्रैल 2005 से सितम्बर 2005 के बीच 29 अवर अभियन्ताओं को निर्गत किये गये 31560 बोरी सीमेन्ट एवं 18.355 मिट्रिक टन स्टील जिसकी लागत 47 लाख रुपये थी, जुलाई 2007 से असमायोजित था। सामग्रियों के समायोजन या वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि समायोजन/वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी।

3.1.6.7 परिहार्य व्यय

19 पूर्ण आवासीय कालानियों को नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं किया गया।

शासन ने समर्त विकास प्राधिकरणों की आवासीय योजनाओं को उनके पूर्ण होने के एक माह के अन्दर, उन पर अनुरक्षण व्यय को बचाने हेतु, नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने का निर्देश दिया (नवम्बर 2004)।

तथापि, मार्च 2004 तक पूर्ण 19 योजनाओं को नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं किया गया। इनमें से 10 योजनाओं के अनुरक्षण पर 2004–07 के दौरान 80.54 करोड़ रुपये व्यय किया। यह व्यय परिहार्य था, यदि इन योजनाओं को नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया होता। बाकी 9 योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि जितनी जल्दी हो सके इन योजनाओं को नगर निगम को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही थी।

3.1.6.8 व्याज का परिहार्य भुगतान

भूमि प्रतिकर के भुगतान में विलम्ब के कारण 25.63 करोड़ रुपये के व्याज का परिहार्य भुगतान

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के धारा 34 के अनुसार यदि भूमि का कब्जा लेने के समय या पहले भूमि के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाता है तो भूमि का कब्जा

¹ 2003–04: 20.40 करोड़ रुपये, 2004–05: 4.20 करोड़ रुपये, 2005–06: 3.64 करोड़ रुपये एवं 2006–07: 3.86 करोड़ रुपये।

लेने की तिथि से प्रथम वर्ष के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से एवं उसके बाद 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जायेगा।

प्राधिकरण ने 1983–84 से 1993–94 के दौरान 3097.33 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की थी एवं भूमि का कब्जा तुरन्त प्राप्त कर लिया। लेकिन समय से प्रतिकर का भुगतान नहीं किया। समय से प्रतिकर का भुगतान न करने के कारण प्राधिकरण को 25.63 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करना पड़ा (**परिशिष्ट-3.1.4**)। इसके अतिरिक्त, 9 आवासीय योजनाओं में अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु 10.59 करोड़ रुपये जिसमें 4.53 करोड़ रुपये ब्याज सम्मिलित है, भुगतान हेतु मार्च 2007 में देय था। ब्याज की देयता 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही थी।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2007) कि प्रतिकर का भुगतान अपर जिलाधिकारी, भूमि अधिग्रहण (एडीएम–एलए) की मांग के अनुसार किया गया एवं ब्याज को सम्पत्तियों पर भारित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि एडीएम–एलए द्वारा प्रतिकर के भुगतान हेतु धन की मांग बार–बार की गयी थी लेकिन प्राधिकरण द्वारा धन उपलब्ध नहीं कराया जा सका एवं अन्ततः परिहार्य ब्याज की लागत सम्पत्तियों के क्रेताओं को वहन करनी पड़ेगी।

3.1.7 महायोजना का तैयार किया जाना

3.1.7.1 महायोजना को तैयार करने में विलम्ब

लखनऊ नगर की प्रथम महायोजना 1995 सीटीसीपी द्वारा तैयार की गयी थी जो कि जनवरी 1970 से प्रभावी थी। पुनरीक्षित महायोजना 2001 सीटीसीपी द्वारा तैयार (फरवरी 1992) की गयी थी जो कि फरवरी 1992 से प्रभावी थी।

महायोजना 2021 दिसम्बर 2001 तक तैयार की जानी थी एवं जनवरी 2002 से लागू किया जाना था। प्राधिकरण ने कार्य में 0 कन्सल्टिंग इन्जीनियरिंग सर्विसेज (कईस), नई दिल्ली को सौंपा (नवम्बर 1999) जिसे 6 माह में पूर्ण किया जाना था। कईस निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में विफल रहा एवं प्राधिकरण ने अनुबन्ध निरस्त (दिसम्बर 2001) कर दिया। कार्य सात माह में पूर्ण करने हेतु सीटीसीपी को सौंपा (जनवरी 2002) गया। हालांकि, सीटीसीपी ने महायोजना 2021 का मसौदा फरवरी 2003 में सौंपा जिसे प्राधिकरण द्वारा मार्च 2003 में स्वीकार कर लिया गया एवं सुझाव/आपत्ति मांगे गये (अप्रैल 2003)। सुझाव/आपत्ति पर सुनवाई के बाद अन्तिम मसौदा अक्टूबर 2003 में तैयार था। तथापि, प्राधिकरण ने शासन से महायोजना 2021 पर मार्गदर्शी सिद्धान्त प्राप्त करने का निर्णय अक्टूबर 2003 में किया। शासन ने महायोजना 2021 को तैयार करने में यूडीपीएफ आई के मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं लखनऊ नगर की वर्तमान अवस्थापना सुविधाओं के बेस मैप¹ का प्रयोग करने का निर्देश दिया (नवम्बर 2004)। प्राधिकरण ने सीटीसीपी को दिसम्बर 2004 में सूचित कर दिया। लेकिन, शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

यू डी पी एफ आई मार्गदर्शी सिद्धान्तों में प्रावधानित था कि महायोजना को तैयार करने एवं लागू करने में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोक भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। लेकिन महायोजना 2021 के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण बोर्ड की बैठक के दौरान लखनऊ नगर के 110 जन प्रतिनिधियों में से मात्र चार ने भागीदारी की। इसके अतिरिक्त 161 गांवों, जिन्हें लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था, के कोई प्रतिनिधि नहीं थे।

¹ बेस मैप नगर की वर्तमान स्थितियों का सर्वेक्षण एवं ग्राउण्ड इमेजिंग सेटलाइट मैपिंग के आधार पर तैयार किया जाना है।

महायोजना 2021 को प्राधिकरण एवं शासन द्वारा मार्च 2005 में अनुमोदित किया गया। इस प्रकार समुचित नियोजन के अभाव में महायोजना का क्रियान्वयन तीन से अधिक वर्षों से विलम्बित रहा।

3.1.7.2 महायोजना में कमियां :

महायोजना 2021 की जांच में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आयी:

- महायोजना 2001 में लखनऊ नगर की जनसंख्या 2001 में 15 लाख लक्षित थी जबकि मात्र लखनऊ नगर निगम क्षेत्र की इस वर्ष में जनसंख्या 21.86 लाख थी। महायोजना 2021 में भविष्य प्रक्षेपण हेतु 2001 में लखनऊ की जनसंख्या 21.86 लाख ली गयी थी लेकिन नगर निगम सीमा के बाहर 161 गांवों जोकि लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित थे, की जनसंख्या (2.89 लाख) को नहीं लिया गया था। इस प्रकार महायोजना 2021 में जनसंख्या का मूल प्रक्षेपण 13 प्रतिशत कम था।
- महायोजना में विभिन्न वर्गों के लिए 2001 में आवासीय, सामुदायिक एवं शैक्षणिक सेवाओं के वर्तमान अवस्थापना से संबंधित आंकड़े नहीं दिये गये थे। विभिन्न अवधियों में प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर इन सेवाओं की आवश्यकता का विश्लेषण, महायोजना 2021 के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक विकास योजना बनाने हेतु नहीं किया गया था।
- भू-उपयोग श्रेणी 'यातायात' के अन्तर्गत सड़कों, रेल एवं वायु सेवाओं हेतु भू-उपयोग सम्मिलित था। महायोजना 2021 में 1987 तक यातायात के अन्तर्गत विकसित 952 हेक्टेएर भूमि को आधार के रूप में लिया गया था जबकि विभागीय सर्वे के अनुसार 956 हेक्टेएर भूमि 1987 तक रेल के अन्तर्गत विकसित की जा चुकी थी जो प्रदर्शित करता था कि भविष्य की आवश्यकताओं के आकलन हेतु वर्तमान सुविधाओं का सही बेस मैप तैयार नहीं किया गया था। वर्तमान अवस्थापना सुविधाओं के गलत आंकड़ों/बेस मैप का उपयोग करने के कारण महायोजना 2021 के लक्ष्य अवास्तविक थे एवं नगर के नियोजित विकास को अवरुद्ध करेंगे।
- महायोजना को तैयार करने के दौरान विभिन्न भू-उपयोग श्रेणियों के मध्य भूमि के वितरण से संबंधित यूडीपीएफआई के दिशा निर्देशों में मानक दिये गये थे। शासन ने प्राधिकरण को इन दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश (नवम्बर 2004) दिया था। महायोजना 2021 में विभिन्न भू-उपयोगों के मध्य भूमि के वितरण के निर्धारित मानक एवं वास्तविक वितरण, आधिकार्य/कमी की स्थिति निम्नवत् थी :

(क्षेत्र हेक्टेएर में)

क्रम संख्या	भू-उपयोग वर्ग	महायोजना 2021 में भूमि का वास्तविक वितरण	महायोजना 2021 में क्षत्रफल का प्रतिशत	यूडीपीएफआई दिशानिर्देशों के मानकों का प्रतिशत	आधिकार्य (+) या कमी (-) प्रतिशत में
1	आवासीय	20100	49	35–40	(+) 9
2	वाणिज्यिक	1450	3	4–5	(-) 1
3	औद्योगिक	1655	4	10–12	(-) 6
4	सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालय/सुविधाएं एवं सामाजिक सुविधाएं	3215	8	12–14	(-) 4
5	मनोरंजनात्मक	8400	20	18–20	
6	परिवहन	6540	16	12–14	(+) 2
	योग	41360	100		

यूडीपीएफआई मानक एवं महायोजना 2021 में दिये गये भू-उपयोगों के मध्य असंतुलन से एक ओर तो जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर सामुदायिक सेवाओं हेतु भूमि की उपलब्धता में कमी होगी।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि यूडीपीएफआई के दिशानिर्देशों का महायोजना 2021 की समीक्षा के समय पालन किया जायेगा।

3.1.7.3 जोनल विकास योजना/पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजना का न तैयार किया जाना

जोनल विकास योजना/
पंचवर्षीय योजना/
वार्षिक योजना तैयार
नहीं की गयी।

अधिनियम में प्राविधान है कि महायोजना को तैयार करने के साथ या जितनी जल्दी सम्भव हो, प्राधिकरण प्रत्येक जोन के लिए जोनल विकास योजना को तैयार करेगा जिसमें साईट प्लान एवं उपयोग प्लान, जनसंख्या घनत्व एवं भवन घनत्व का मानक आदि सम्मिलित रहेगा। महायोजना 2021 में भी इसका उल्लेख था। पुनः यूडीपीएफआई दिशा निर्देशों में भी प्राविधान था कि एक मध्यम अवधि (5 वर्ष) की विस्तृत विकास योजना अनुमोदित महायोजना की संरचना के अन्तर्गत जिसमें महायोजना के विभिन्न मर्दों हेतु नीतियां एवं भौतिक प्रस्तावों के रूप में प्रस्तावित कार्यों के विस्तृत विवरण हो एवं एक वार्षिक योजना जिसमें प्राथमिकताओं के अनुसार क्रियान्वयन हेतु चिह्नित नयी योजनाओं/परियोजनायें हो, को बनाया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने न तो 22 जोनों में से किसी के लिए जोनल विकास योजनायें तैयार की, और न ही विकास/वार्षिक योजनायें तैयार की।

सीटीसीपी ने स्वीकार किया (जून 2007) कि प्राधिकरण द्वारा जोनल विकास योजनाओं का न बनाया जाना महायोजना के लक्ष्यों की उपलब्धि न होने का मुख्य कारक था।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2007) कि चार जोनों की जोनल विकास योजना बनायी जा रही थी।

3.1.8 महायोजना का कार्यान्वयन

3.1.8.1 महायोजना में प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त न करना एवं भू-उपयोगों में विचलन

महायोजना 2001 के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

संशोधित महायोजना 2001 माह फरवरी 1992 से मार्च 2005 तक प्रभावी थी। उक्त अवधि में विभिन्न भू-उपयोगों में विकास हेतु प्रस्तावित 23682 हेक्टर भूमि में से 13940 हेक्टेयर भूमि (59 प्रतिशत) निम्न विवरणानुसार विकसित हुई।

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्रम संख्या	भू-उपयोग वर्ग	लक्ष्य	उपलब्धि	आधिकार्य(+)/ या कमी (-) प्रतिशत में
1	आवासीय	15923.80	8945	(-) 66
2	वाणिज्यिक	983.20	360	(-) 37
3	सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय	378.50	560	(+) 48
4	औद्योगिक	731.00	990	(+) 35
5	मनोरंजनात्मक	1868.50	435	(-) 23
6	सामुदायिक सुविधाएं	1537.00	1410	(-) 8
7	परिवहन	2260.00	1240	(-) 45
योग		23682.00	13940	

संशोधित
महायोजना-2001 के
भू-उपयोग प्रावधानों का
उल्लंघन किया गया।

कुल विकसित 13940 हेक्टेयर क्षेत्र में से, 2377 हेक्टेयर (17 प्रतिशत) में संशोधित महायोजना 2001 में प्रस्तावित भू-उपयोगों के विरुद्ध निजी व्यक्तियों (1690 हेक्टेयर) एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण भी शामिल था (687 हेक्टेयर), द्वारा निम्न विवरणानुसार निर्माण/विकास किया गया था:

- 1941 हेक्टेयर भूमि का उपयोग आवासीय में किया गया जबकि उक्त भूमि वाणिज्यिक (243 हेक्टेयर), औद्योगिक (81 हेक्टेयर), सामुदायिक सुविधाये (82 हेक्टेयर), यातायात (53 हेक्टेयर), मनोरंजन/खेलकूद (405 हेक्टेयर), एवं कृषि (1077 हेक्टेयर) भू-उपयोगों हेतु चिह्नित थी।
- 64 हेक्टेयर भूमि का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु किया गया जबकि उक्त भूमि आवासीय (59 हेक्टेयर) एवं यातायात (5 हेक्टेयर) हेतु चिह्नित थी।
- 241 हेक्टेयर भूमि का उपयोग सामुदायिक सुविधाओं में किया गया जबकि उक्त भूमि आवासीय (55 हेक्टेयर) एवं कृषि (186 हेक्टेयर) हेतु चिह्नित थी।
- 131 हेक्टेयर भूमि का उपयोग कार्यालय प्रयोजन में किया गया। जबकि उक्त भूमि आवासीय (104 हेक्टेयर), कृषि (27 हेक्टेयर) प्रयोजन हेतु चिह्नित थी।

प्राधिकरण द्वारा महायोजना के भू-उपयोग के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहने के परिणामस्वरूप नगर का अनियोजित विकास हुआ।

उत्तर में सीटीसीपी ने स्वीकार किया (जून 2007) कि यह स्थिति महायोजना के प्राविधानों एवं भवन उपविधि को लागू करने में प्राधिकरण स्तर पर की गयी विफलता के कारण हुयी। महायोजना 2021 में पर्यावरण पार्क, प्रदर्शनी स्थल, ट्रक/बस अवसान, आटो मार्केट, सब्जी मण्डी, सीवेज फार्म, ठोस उपदिष्ट का निस्तारण स्थल, आरा मशीनों हेतु औद्योगिक स्थल एवं पार्किंग स्थल के विकास से सम्बन्धित कार्यों हेतु 2005–07 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कोई उपलब्धि नहीं थी। मार्गों के निर्माण एवं संस्थागत भू-उपयोग विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

3.1.8.2 प्रदूषण उत्पन्न कर रहे औद्योगिक इकाइयों का स्थानान्तरण

महायोजना 2001 एवं 2021 में नगर के घने बसे आवासीय क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों जैसे पेपरमिल, ब्रीवरीज, आरा मशीनों, डेरी, प्लाईबोर्ड फैक्ट्री, प्लास्टिक फैक्ट्री एवं पशु बधशाला, जो वातावरण को प्रदूषित करने के साथ-साथ यातायात की समस्या भी उत्पन्न कर रहे थे, को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव किया गया था परन्तु अक्टूबर 2007 तक स्थानान्तरण की कार्यवाही वांकित थी।

3.1.8.3 नगर निगम को ठोस उपदिष्ट निस्तारण स्थल उपलब्ध कराया जाना

म्युनिस्पिल ठोस उपदिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के अन्तर्गत प्राविधानित था कि वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु ठोस उपदिष्टों को एकत्रित एवं प्रबंधन करने हेतु विकास प्राधिकरणों द्वारा कूड़ा निस्तारण स्थल सम्बन्धित नगर निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। शासन द्वारा भी समय-समय पर आदेश निर्गत कर विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया था कि नगर निगम को ठोस उपदिष्ट निस्तारण स्थल उपलब्ध कराया जाय। परन्तु महायोजना 2021 में चार निस्तारण स्थलों हेतु प्राविधान करने के पश्चात भी प्राधिकरण द्वारा नगर निगम लखनऊ को ठोस उपदिष्ट निस्तारण स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके परिणामस्वरूप ठोस उपदिष्ट/कूड़ा खुले स्थानों/मार्गाधिकार पर एकत्रित किया जाता था। जिसका कुप्रभाव वातावरण एवं लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा था।

नगर निगम द्वारा बताया गया (जून 2007) कि प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु जो स्थल चिन्हित किया गया था वह जल भराव क्षेत्र था एवं ठोस उपदिष्ट के निस्तारण हेतु उपयुक्त नहीं था।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2007) कि इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

3.1.8.4 घनी बस्तियों वाले क्षेत्रों हेतु विशेष भवन निर्माण एवं विकास उपविधि

पुनरीक्षित महायोजना 2001 एवं महायोजना 2021 में नगर के मध्य में विद्यमान मौलवीगंज, नजरबाग, मकबूलगंज, गणेशगंज, कश्मीरी मोहल्ला, अशर्फाबाद, याहियागंज, मसकगंज, हुसेनगंज, कुण्डरी रकाबगंज, राजेन्द्रनगर, भद्रेवा, लालकुओँ, वसीरतगंज, घना बसा क्षेत्र चिन्हित किया गया था। यह क्षेत्र लखनऊ नगर के कुल क्षेत्र का पांच प्रतिशत भाग था लेकिन इस क्षेत्र में कुल जनसंख्या के 30 प्रतिशत व्यक्ति निवास करते थे। लखनऊ नगर की औसत जनसंख्या घनत्व 67 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर की तुलना में इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से भी अधिक था। इसके अतिरिक्त यहां विद्यमान थोक व्यापार केन्द्रों के विक्रेन्द्रीकरण की कार्यवाही नहीं की गयी जिससे उक्त क्षेत्र अत्यन्त भीड़–भाड़ युक्त था। यह क्षेत्र दोनों महायोजनाओं की वरीयता सूची में सम्मिलित था। इसके विकास को विनियमित करने हेतु विशिष्ट भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तैयार की जानी थी जबकि इस प्रकार की कोई उपविधि नवम्बर 2007 तक तैयार नहीं की गयी।

3.1.8.5 हरित पट्टी का आवासीय योजना में विपथन

महायोजना 2001 में गोमती नदी से लगे हुये क्षेत्र को 'हरित पट्टी' के रूप चिन्हित किया गया था। शासन ने आदेश दिया (मार्च 1999) कि महायोजना में हरित पट्टी के रूप में चिन्हित किये गये भूमि का उपयोग पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना परिवर्तित नहीं किया जायेगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने संस्तुति दी थी कि उन क्षेत्रों में आवासीय कालोनी की अनुमति नहीं होनी चाहिये जिनका स्तर विगत 25 वर्षों में बाढ़ के उच्चतम स्तर से नीचे हो। प्राधिकरण ने वर्ष 2000 में निर्धारित भू–उपयोग के विरुद्ध 105.10 करोड़ रुपये की लागत में भूमि का अधिगृहण किया और उसे गोमती नगर विस्तार आवासीय योजना के रूप में विकसित करना प्रारम्भ किया तथा 2002–2007 के दौरान सड़क, नाली व्यवस्था, पार्क इत्यादि के विकास पर 101.56 करोड़ रुपये का व्यय किया। जब महायोजना 2021 का अन्तिमीकरण किया जा रहा था तो सीटीसीपी ने बताया (अप्रैल 2003) कि यह क्षेत्र निचला एवं रेतीला होने के कारण जल संचयन हेतु अत्यधिक उपयुक्त था एवं इसे हरित पट्टी के रूप में चिन्हित किया। चूंकि प्राधिकरण द्वारा इसके विकास पर 206.66 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका था, इस योजना को महायोजना 2021 में अन्तिम रूप से समायोजित किया गया था। तदनुसार शासन द्वारा सीटीसीपी के आपत्ति की अनदेखी करते हुए एवं पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना इस क्षेत्र को हरित पट्टी से आवासीय उपयोग में परिवर्तित (2006) किया गया था।

उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने समस्त निर्माण / विकास कार्य एवं आवंटन पर इस आधार पर रोक लगा दी थी (दिसम्बर 2006) कि पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भू–उपयोग परिवर्तन किया गया था। कार्य बंद होने के परिणामस्वरूप 206.66 करोड़ रुपये की धनराशि अवरुद्ध हो गयी।

पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना हरित पट्टी का भू–उपयोग बदल दिया गया।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2007) कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव पर्यावरण विभाग को प्रेषित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, जानकीपुरम् आवासीय योजना के सेक्टर जी एवं एफ हेतु स्वीकृत ले आउट में हरित पट्टी हेतु चिन्हित भूमि 5513.60 वर्गमीटर को 18 भूखण्डों में बदल कर प्राधिकरण द्वारा विक्रय किया गया। इन भूखण्डों को, योजना के अन्तर्गत भूखण्डों की उस समय प्रचलित दरों पर लागत 52.87 लाख रुपये के विरुद्ध मात्र 5.23 लाख रुपये में बेचा गया (1994–97) जिससे 47.64 लाख रुपये की हानि हुई।

प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक ने बताया (जुलाई 2007) कि स्वीकृत ले आउट में उक्त क्षेत्र अभी भी (जुलाई 2007) हरित पट्टी के रूप में दर्शाया गया था।

3.1.8.6 अनधिकृत कालोनियां

अधिनियम में प्राविधानित था कि विकास प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई निर्माण/विकास कार्य नहीं किया जायेगा। किसी अनधिकृत निर्माण/कालोनी को उपाध्यक्ष द्वारा शमन शुल्क लगाकर, अन्य नियम एवं शर्तों के अधीन, नियमित किया जा सकता था। प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किये बिना लखनऊ नगर में 241 कालोनियां विकसित हो गयी थीं।

लखनऊ नगर में 241 कालोनियों का विकसित हो जाना, प्राधिकरण की अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने में प्रवर्तन प्रयासों की विफलता दर्शाता था।

3.1.8.7 अनाधिकृत निर्माण

**अनाधिकृत निर्माण
2003–07 के दौरान 779
ये बढ़कर 3238 हो गये।**

शासन ने सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया (अप्रैल 2003) कि अधिनियम की धारा 27 एवं 28 के अनुसार सभी अनाधिकृत निर्माणों को हटाने, सील करने, ध्वस्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाये जाय।

प्राधिकरण ने शहर में अनाधिकृत निर्माणों को हटाने, सील करने, एवं ध्वस्त करने के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। फलस्वरूप अनाधिकृत निर्माण, जिनकी संख्या माह मार्च 2003 के अन्त में 779 थी, मार्च 2007 तक बढ़कर 3238 हो गयी। यद्यपि मार्च 2007 तक 1701 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे, 1628 प्रकरणों (95 प्रतिशत) में आदेश का पालन नहीं हुआ था जबकि 1367 तथा 243 प्रकरणों में निर्गत क्रमशः ध्वस्तीकरण एवं परिसर सील करने के आदेश लम्बित थे (परिशिष्ट-3.1.5)। यह दर्शाता है कि सर्तकता प्रणाली कमज़ोर थी तथा अनाधिकृत निर्माणों में लगातार वृद्धि से नियोजित विकास का उद्देश्य विफल हुआ। भवन उपविधि निष्पादन से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

3.1.8.8 वर्षा जल संचयन नीति का क्रियान्वयन

शासन ने (जून 2003) में 300 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्र में निर्मित भवन के छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया था। इसी क्रम में विकास प्राधिकरणों को इस सम्बन्ध में आदेश के अनुपालन हेतु उत्तरदायी बनाया गया था। प्राधिकरण को दोषियों के विरुद्ध या तो सम्पत्ति सील करने या अभियोजन की कार्यवाही आगे बढ़ानी थी। लेकिन वर्ष 2004–07 के दौरान 42 से 95 प्रतिशत प्रकरणों में प्राधिकरण छत पर वर्षा जल संचयन के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहा। प्राधिकरण ने दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही आगे नहीं बढ़ायी क्योंकि 26 से 42 प्रतिशत प्रकरणों में

कार्यवाही लम्बित थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है :

क्रम सं०	वर्ष	स्वीकृत मानचित्र (300 वर्मी से अधिक)	वर्षा जल संवर्धन की व्यवस्था की गयी	वर्षा जल संवर्धन की व्यवस्था नहीं की गयी (कालम 3 का प्रतिशत)	कार्यवाही की गयी (सीलिंग/अभियोजन)	कार्यवाही लम्बित (सीलिंग/अभियोजन) (कालम 3 का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2004–05	138	55	83 (60)	47	36 (26)
2	2005–06	12	7	5 (42)	0	5 (42)
3	2006–07	177	8	169 (95)	94	75 (42)
	योग	327	70			

3.1.9. निर्माण/विकास कार्यों का कार्यान्वयन

3.1.9.1 जमा कार्य पर अनधिकृत व्यय

शासन से निधि की अवमुक्ति के बिना जमा कार्यों पर 4.37 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

मुख्यमंत्री ने इच्छा व्यक्त की (फरवरी 2003) कि गांधी सेतु एवं गोमती बैराज के समीप स्थित भूमि को रमाबाई पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाय। प्राधिकरण बोर्ड में वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 580, जो प्रावधानित करता है कि डिपार्जिट कार्यों पर व्यय को प्राप्त धनराशि तक सीमित रखना चाहिए, के उल्लंघन में, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा शासन से निधियों के अवमुक्त होने की प्रत्याशा में कार्य निष्पादित करने का निर्णय किया (मार्च 2003)।

कार्य को शासन से निधि मिलने की प्रत्याशा में जमा कार्य के रूप में लिया गया एवं मई 2003 तक 4.37 करोड़ रुपये का व्यय इस पर किया गया था।

प्राधिकरण ने शासन से धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रभावी ढंग से प्रयास नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप धनराशि अवशेष थी (मार्च 2007)। उत्तर में प्राधिकरण ने बताया (नवम्बर 2007) कि उसने अक्टूबर 2007 में निधि के अवमुक्त हेतु शासन को लिखा।

3.1.9.2 डा० राम मनोहर लोहिया पार्क का निर्माण

प्राधिकरण बोर्ड ने शासन के निर्देश पर, गोमती नगर आवासीय योजना में 14.54 करोड़ रुपये की लागत से 58 एकड़ क्षेत्र पर डा० राम मनोहर लोहिया पार्क (पार्क) के निर्माण का अनुमोदन किया (नवम्बर 2004)। बाद में क्षेत्र को बढ़ाकर 80 एकड़ एवं लागत को संशोधित कर 62.13 करोड़ रुपये कर दिया गया।

प्राधिकरण ने एक वास्तुविद की नियुक्ति की (अगस्त 2004) और विभिन्न कार्यों हेतु तीन निविदायें स्वीकार की एवं बोर्ड के अनुमोदन के पहले ही अक्टूबर 2004 में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। जांच में निम्नलिखित प्रकाश में आया:

- 6 कार्यों की निविदित लागत 21.28 करोड़ रुपये थी। कार्य के आंबटन के बाद कार्य के क्षेत्र को बार-बार बढ़ाया गया एवं कार्य निविदित लागत से 24.42 करोड़ रुपये (47 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी के साथ 45.70 करोड़ रुपये की लागत में पूर्ण हुआ। मदवार बढ़ोत्तरी 40 प्रतिशत (पाथवे) एवं 5341 प्रतिशत के बीच थी (परिशिष्ट-3.1.6)। प्राधिकरण ने अतिरिक्त/अधिक कार्य हेतु नयी निविदायें आमंत्रित करने के बजाय कार्य उसी ठेकेदार को उसी दर पर सौंप दिया।
- तीन पाली में श्रमिक कार्य हेतु 1.08 करोड़ रुपये एवं विद्युत व्यय के रूप में 0.18 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जो कि कार्य को निर्धारित समय अर्थात् 5 मार्च 2005

के अन्दर पूर्ण करने के लिए आवश्यक था। चूंकि पार्क का निर्माण अत्यावश्यक प्रकृति का नहीं था, इन मदों पर अतिरिक्त व्यय परिहार्य था।

- प्राधिकरण ने इस आधार पर कि पार्क का विकास शासन के निर्देश पर किया गया था, शासन से 3.25 करोड़ रुपये के अनुरक्षण अनुदान की मांग (नवम्बर 2006) की लेकिन शासन ने यह कहते हुए अनुदान स्वीकृति नहीं किया कि इसका निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया गया था। प्रवेश शुल्क के रूप में छह माह में मात्र 5.78 लाख रुपये एकत्रित किये गये थे।
- कुल व्यय 62.13 करोड़ रुपये में से प्राधिकरण ने अवस्थापना विकास संचित निधि समिति के अनुमोदन के बिना 2004–05 (9 करोड़ रुपये) एवं 2005–06 (3.89 करोड़ रुपये) में 12.89 करोड़ रुपये अवस्थापना विकास निधि को डेविट करने का निर्णय किया एवं 37.70 करोड़ रुपये इस निधि में भविष्य में होने वाली आय से समायोजित किया जाना था क्योंकि इसमें कोई अवशेष उपलब्ध नहीं था।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि समय की कमी के कारण नयी निविदायें आमंत्रित नहीं की गयी एवं तीन पाली में श्रमिक कार्य एवं विद्युत व्यय का प्रावधान समिलित किया गया।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पार्क का निर्माण अत्यावश्यक प्रकृति का नहीं था।

3.1.9.3 जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र का निर्माण

शासन ने डा० राम मनोहर लोहिया पार्क के निकट जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (केन्द्र) के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया था (जून 2006)। प्राधिकरण को केन्द्र के लिए भूमि उपलब्ध करानी थी।

तदनुरूप, 10633 वर्ग मी० भूमि, जिसकी लागत 8.09 करोड़ रुपये थी, परियोजना के लिए प्रस्तावित की गयी थी। प्राधिकरण ने जनवरी 2007 तक केन्द्र के विकास पर 31.70 लाख रुपये व्यय किये थे। शासन ने न तो भूमि की लागत का भुगतान किया था और न ही केन्द्र के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराई थी। कार्य फरवरी 2007 में शासन से निधि न मिलने के कारण बंद कर दिया गया था।

इस प्रकार, प्राधिकरण ने अपने स्त्रोतों से 31.70 लाख रुपये का व्यय एक जमा कार्य पर किया तथा 8.09 करोड़ रुपये की अपनी भूमि बिना निधि की उपलब्धता सुनिश्चित किये उपयोग की थी।

प्राधिकरण ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2007) कि धनराशि की वसूली के लिए अक्टूबर 2007 में मांग की गयी थी।

3.1.9.4 आवासीय योजना का अनियमित विकास

उच्चम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में शासन ने सभी तालाबों, झीलों तथा जलाशयों को जुलाई 1952 की स्थिति में लाने के लिए आदेश (अक्टूबर 2001) दिये थे। प्राधिकरण ने विभिन्न आवासीय योजनाओं में फैली तालाबों, झीलों तथा जलाशयों की 32.861 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण कर उन पर भूखण्डों/भवनों का विकास एवं निर्माण कर उसे जनता एवं निजी भवन निर्माताओं को विक्रय कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका पर आदेश दिया (मार्च 2007) था कि ऐसी भूमि पर किये गये सभी आबंटनों को निरस्त कर दिया जाये तथा तालाबों, झीलों इत्यादि को प्राधिकरण के खर्च पर उनकी मूल स्थिति में लाया जाय तथा आबटियों को वैकल्पिक भूखण्ड दिये जायें। प्राधिकरण, यद्यपि, अभीतक (नवम्बर 2007) कब्जा किये गये तालाबों, झीलों तथा जलाशयों को मूल स्थिति में नहीं ला पाया था।

तालाबों, झीलों आदि के 32.861 हेक्टेअर भूमि की स्थिति बदली गई एवं उनको मूल स्थिति में पुर्णस्थापित नहीं किया गया।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2007) कि उसने किसी तालाब, झील इत्यादि की स्थिति को नहीं बदला था तथा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही थी ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्देशों पर तैयार (जनवरी 2007) की गयी रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि तालाबों, झीलों इत्यादि की 32.861 हेक्टेएर भूमि की स्थिति को प्राधिकरण ने बदला था तथा तालाबों, झीलों इत्यादि को अपनी मूल स्थिति में लाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी (नवम्बर 2007) ।

3.1.9.5 आवासीय कालोनियों में जल एवं सीवेज शोधन सुविधाओं का प्रावधान न करना

जलापूर्ति एवं सीवेज शोधन सुविधाओं हेतु 205.34 करोड़ रुपये भारित करने के बाद भी प्राधिकरण सम्पत्तियों के केताओं को ये सुविधायें प्रदान नहीं कर सका ।

विभिन्न आवासीय योजनाओं के भूखण्डों/भवनों तथा अन्य सम्पत्तियों की लागत भूमि अधिग्रहण, अन्तरिक एवं वाहय विकास, जल सुविधाओं तथा सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) सहित, की लागत पर आधारित थी । तदनुरूप गोमतीनगर विस्तार आवासीय योजना के भूखण्डों की लागत में, 321.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा 689.94 रुपये प्रति वर्ग मीटर कमशः वाटर वर्क्स तथा एक एसटीपी के निर्माण के लिए शामिल था तथा विकसित भूखण्ड की दर प्रति वर्ग मीटर 3000 रुपये निर्धारित थी । 2002-07 की अवधि में, 2915 भूखण्ड, जिनका क्षेत्रफल 5.19 लाख वर्ग मीटर था, विक्य किये गये थे तथा आबंटियों से इन सेवाओं के लिए 52.48 करोड़ रुपये प्रभारित किये गये थे । लेकिन, योजना में ये सेवाएं जुलाई 2007 तक उपलब्ध नहीं कराई गई थी ।

अन्य आवासीय योजनाओं में भी, प्राधिकरण ने 2002-07 की अवधि में वाटर वर्क्स तथा एसटीपी के लिए भूखण्डों/भवनों/अन्य सम्पत्तियों के केताओं से धनराशि प्रभारित की थी (विक्य क्षेत्रफल 18.24 लाख वर्ग मीटर) किन्तु ये सुविधाओं उपलब्ध नहीं कराई गयी थीं । चूंकि इन आवासीय योजनाओं की सम्पत्तियों की लागत से सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे, इन सुविधाओं के लिए प्रभारित की गयी वास्तविक धनराशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी । 2002-07 की अवधि में सम्पत्तियों की प्राककलित औसत लागत के आधार पर, इन आवासीय योजनाओं में इन सेवाओं के लिए 152.86 करोड़ रुपये (लगभग) की धनराशि प्रभारित की गयी थी ।

इस प्रकार, प्राधिकरण ने इन सेवाओं के लिए कुल 205.34 करोड़ रुपये बिना सुविधाएं उपलब्ध कराये एकत्रित किये थे ।

प्राधिकरण ने अपने द्वारा विकसित/विकसित हो रही आवासीय योजनाओं में सीवेज शोधन की कोई व्यवस्था अब तक (अगस्त 2007) नहीं की थी तथा सीवेज या तो खुले स्थान पर या नालों में छोड़ा जा रहा था तथा अन्ततः गोमती नदी में जा रहा था और उसे प्रदूषित कर रहा था ।

प्राधिकरण ने बताया (नवम्बर 2007) कि एसटीपी तथा वाटर वर्क्स की स्थापना के लिए कार्यवाही की जा रही थी ।

3.1.9.6 'सब के लिए आवास' का कियान्वयन

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग को वहन योग्य आश्रय उपलब्ध कराने के लिए शासन ने 2002-07 की अवधि में 33124 मकानों के निर्माण एवं 14700 भूखण्डों के विकास के लक्ष्य निर्धारित किये थे । यद्यपि, प्राधिकरण केवल 5493 मकानों (17 प्रतिशत) का निर्माण एवं 4250 भूखण्डों (29 प्रतिशत) का विकास कर सका । इस प्रकार, प्राधिकरण योजना को कियान्वयित करने में असफल रहा तथा समाज का आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग अपनी आवासीय आवश्यकताओं से वंचित रहा था ।

शासन ने अपने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2007) ।

67 निर्माण/विकास कार्य 6 से 62 माह बाद मी अपूर्ण थे।

3.1.9.7 अपूर्ण विकास कार्य

जोन 1,4,5,7,8 तथा 14 के 67 निर्माण/विकास कार्य जिसमें 52.28 करोड़ रुपये अन्तर्गत थे, मार्च 2007 को 6 से 62 माह से मुख्यतः सामग्री की कमी (16), विवाद रहित स्थल उपलब्ध कराने में प्राधिकरण की अक्षमता (27) के कारण, अपूर्ण पड़े थे। बाकी के 24 कार्य स्थल, ड्राईंग में परिवर्तन आदि के कारण विलम्बित थे।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर (नवम्बर 2007) में बताया था कि कार्यों को पूर्ण कराने के लिए अवरोध को हटाने की कार्यवाही की जा रही थी।

3.1.9.8 फर्जी मापन के कारण अधिक व्यय

अभिलेखों में फर्जी मापन के द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को 41.35 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

उपाध्यक्ष द्वारा कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत बिजनौर मार्ग से ट्रान्सपोर्ट नगर तक एवं डिस्पोजल पम्प से प्रस्तावित 'सीवेज शोधन संयंत्र' तक ट्रंक सीवर लाईन डालने का कार्य 14.47 करोड़ रुपये हेतु इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया (अप्रैल 2006) कि पाईप एवं मैनहोल ढक्कन सीधे निर्माणकर्ता फर्म से लिया जायेगा।

तथापि, निदेशक, उद्योग द्वारा दर स्वीकृत (1100 एमएम: 2491 रुपये एवं 1400 एमएम: 4459 रुपये प्रति मीटर) प्राप्त निर्माणकर्ताओं से आपूर्ति लेने के स्थान पर 2911 रुपये एवं 4491 रुपये प्रति मीटर की अधिक दरों पर आपूर्ति लेने हेतु तीन ठेकेदारों से अनुबन्ध किये गये जिसकी दर क्रमशः 420 रुपये एवं 32 रुपये अधिक थी। अगस्त 2007 तक 1400 एमएम की 540 मीटर की आपूर्ति हेतु 0.17 लाख रुपये अधिक भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त अभिलेखों में पाईपों के फर्जी मापन के कारण तीन ठेकेदारों को उनके द्वारा किये गये वास्तविक आपूर्ति से 41.18 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया (मार्च 2007)। यद्यपि, सम्बन्धित अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया था, अधिक व्यय 41.18 लाख रुपये की वसूली/समायोजन प्रतीक्षित (अक्टूबर 2007) थी।

3.1.10 समाप्ति का प्रवधन

1981–83 में अधिगृहीत 373.21 एकड़ भूमि अनुपयोजित थी।

3.1.10.1 अनुपयोजित भूमि

प्राधिकरण ने 1981 से 1983 की अवधि में हरदोई रोड आवासीय योजना के लिए 1355.97 एकड़ भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अत्यावश्यकता उपधारा के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपये की लागत पर अधिग्रहित की थी, जिसमें से 20.28 करोड़ रुपये अभी तक (अगस्त 2007) भूस्वामियों को भुगतान के लिए बकाया थी। भूमि के लिए अभिनिर्णय 1986 में घोषित हुआ था तथा कब्जा 1984 तथा 1987 के मध्य लिया गया था।

1355.97 एकड़ भूमि में से 972.76 एकड़ भूमि विकसित एवं उपयोग की गयी थी जबकि 373.21 एकड़ भूमि अगस्त 2007 तक अनुपयोजित पड़ी थी। दस एकड़ भूमि विवादित थी। इस प्रकार अत्यावश्यकता उपधारा के अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि के अनुपयोजित रहने के परिणामस्वरूप जनता को आवासीय सुविधा से वंचित रखा गया था।

प्राधिकरण ने बताया (नवम्बर 2007) कि वह 1997 तक अभिनिर्णय में घोषित भूमि की दरों के अपर्याप्त रहने के कारण भूस्वामियों के विरोध के कारण विकास कार्य प्रारम्भ नहीं कर सका था। जून 1997 में, शासन ने अक्टूबर 1991 से 15 प्रतिशत ब्याज के साथ नयी दरें घोषित की थी। तदनुसार भुगतान किया जा रहा था तथा उपलब्ध भूमि पर विकास कार्य प्रारम्भ किया जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्राधिकरण, शासन द्वारा नयी दरें अनुमोदित होने के दस वर्ष पश्चात् भी, प्रतिकर का भुगतान नहीं कर सका था।

3.1.10.2 सम्पत्ति का आवंटन

2002–07 की अवधि में
आवंटित 20095
सम्पत्तियों में से 7533
(37 प्रतिशत) का
आवंटन बिना
लाटरी/बोली या
नीलामी के किया गया।

आवासीय सम्पत्ति के आवंटन की प्रक्रिया के अनुसार, यदि विक्रय हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों की संख्या भवनों/भूखण्डों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या से कम है तो उन्हें सम्पत्ति आवंटित हो जायेगी किन्तु यदि आवेदनों की संख्या सम्पत्तियों से अधिक है तो वे लाटरी पद्धति से आवंटित की जायेगी। वाणिज्यिक सम्पत्ति नीलामी में बोली के आधार पर आवंटित की जायेगी।

प्राधिकरण ने वर्षावार एवं सम्पत्तिवार निर्माण, विकास तथा भवनों, भूखण्डों, दुकानों इत्यादि के आवंटन के आंकड़े तैयार नहीं किये थे। लेखापरीक्षा को 2002–03 से 2006–07 तक सम्पत्तियों के आवंटन के कम्प्यूटरीकृत आंकड़े उपलब्ध कराये गये थे।

प्राधिकरण ने 2002–07 के दौरान 20,095 सम्पत्तियां आवंटित की थी जिसमें बिना लाटरी या बोली तथा नीलामी के आवंटित 7,533 सम्पत्तियां (37 प्रतिशत) शामिल थी।

सम्पत्ति के आवंटन में शामिल न किये गये आवेदकों के आंकड़ों तथा बिना लाटरी के आवंटन के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि 12 आवासीय योजनाओं में 2685 आवासीय सम्पत्तियों के लिये 17081 आवेदकों तथा 5 आवासीय योजनाओं में, 45 वाणिज्यिक सम्पत्तियों के लिये 58 आवेदकों को आवंटन के लिये विचार नहीं किया गया तथा ये सम्पत्तियां अन्य आवेदकों को उनके अनुरोध पर बिना लाटरी, बोली या नीलामी के आवंटित कर दी गयी (*परिशिष्ट-3.1.7*)। लेखापरीक्षा को 2685 मामलों में से, उपलब्ध कराई गयी 56 आवंटन पत्रावलियों से प्रकाश में आया कि ये सभी आवंटन बिना लाटरी के किये गये थे। इन 56 मामलों में, 11 मामलों में आवंटन पंजीकरण के पूर्व ही कर दिया गया था, 11 मामलों में आवंटन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के बिना कर दिया गया था, 10 मामलों में भूखण्डों को एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तित किया गया था किन्तु परिवर्तन शुल्क माफ कर दिया गया था तथा तीन मामलों में विलम्ब भुगतान पर दण्ड व्याज माफ कर दिया गया था।

शेष 2629 आवंटन पत्रावलियां लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयीं।

प्राधिकरण ने बताया (नवम्बर 2007) कि बिना लाटरी या बोली के आवंटन किया गया था क्योंकि ये सम्पत्तियां लोकप्रिय नहीं थी तथा अनावंटित पड़ी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन सम्पत्तियों के लिए कई आवेदक थे।

3.1.10.3 सम्पत्तियों का अनिस्तारण

263.08 करोड़ रुपये
मूल्य की 1296
सम्पत्तियाँ अनिस्तारित
पड़ी थीं।

मांग के अभाव के कारण आवासीय योजनाओं में 1296 सम्पत्तियां (आवासीय 826, संस्थानिक 19, वाणिज्यिक 451) बिना बिके पड़ी थीं। इसके परिणामस्वरूप 263.08 करोड़ रुपये अवरुद्ध थे (*परिशिष्ट-3.1.8*)। यह दिखाता है कि आवासीय योजनाओं की परियोजनाओं को प्रारम्भ करने से पहले विभिन्न वर्ग की सम्पत्तियों की मांग से संबंधित सर्वेक्षण तथा उचित नियोजन का अभाव था। प्राधिकरण ने बताया (नवम्बर 2007) कि इन सम्पत्तियों को निस्तारित करने हेतु कार्यवाही की जा रही थी।

किसी परियोजना को प्रारम्भ करने से पहले प्राधिकरण को भूमि के अविवादित स्वामित्व को, भविष्य के विवादों से बचने के लिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए था। तथापि, इसने गोमतीनगर योजना, फेज-1 के नेहरू इंक्लेव में वर्ष 1989 में 99 फ्लैट्स का निर्माण 10.07 करोड़ रुपये की लागत पर प्रारम्भ कर दिया था। इसी बीच, रक्षा विभाग ने दावा किया (1994) कि भूमि उसकी थी। परिणामस्वरूप इन फ्लैट्स को बेचा नहीं जा सका जिससे 10.07 करोड़ रुपये का निवेश निष्क्रिय था (अगस्त 2007)।

3.1.11 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

महायोजना में स्थलीय-आर्थिक विकास नीतियों, उपाय तथा अगले 20 वर्षों में नगरीय केन्द्र के विकास से संबंधित सामान्य कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। यह नगरीय क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए अवस्थापना के विकास से सम्बन्धित दीर्घावधि नीतियों

को भी शामिल करती है। अधिनियम के अनुसार, प्राधिकरण न केवल इसको तैयार करने बल्कि इसके क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी था। चूंकि विकास कार्य कई स्थानीय निकायों/एजेंसियों/ विभागों द्वारा किये गये थे, प्राधिकरण को महा योजना में प्रावधानित विकास क्रियाकलापों को करने में इनका अनुश्रवण तथा उनके मध्य समन्वय स्थापित करना था। यूडीपीएफआई दिशा-निर्देशों में भी योजनाओं के क्रियान्वयन के मूल्यांकन का प्रावधान है। तथापि, प्राधिकरण में सफलता, असफलता तथा विरोधाभासों के क्षेत्रों को चिह्नित कर भविष्य की क्रियाविधि को निर्देशित करने के लिये विभिन्न क्रियाकलापों के समन्वय, निर्धारण तथा मूल्यांकन की प्रणाली नहीं थी।

3.1.12 अन्वरत अनियमितताएं

प्राधिकरण की कार्य प्रणाली पर एक समीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश शासन 31 मार्च 1995 में शामिल की गयी थी। उस समीक्षा में पूर्ण योजनाओं को नगर निगम को हस्तान्तरित न करने तथा अग्रिमों के असमायोजन के बिन्दु उठाये गये थे जो कि अभी भी जारी थे, जैसा कि ऊपर बताया गया था।

3.1.13 निष्कर्ष

प्राधिकरण नगर को सुनियोजित ढंग से विकसित करने के उसके दायित्व में असफल था। लेखाओं का प्रमाणीकरण न किया जाना, बजट नियंत्रण का अभाव तथा अग्रिमों का समायोजन न होना वित्तीय प्रबंधन में कमी दर्शाता था। महायोजना के क्रियान्वयन में कमी के परिणामस्वरूप अपेक्षित उद्देश्यों की अप्राप्ति, अनियोजित विकास तथा अनधिकृत कालोनियों/ निर्माण कार्यों की बढ़ोत्तरी रही। सम्पत्तियों के समुचित प्रबंधन में अभाव का परिणाम अनियमित आवंटन तथा सम्पत्तियों का कई वर्षों से निस्तारण न होना रहा।

3.1.14 संस्कृतियाँ

- वार्षिक लेखे समुचित ढंग से प्रमाणीकृत किये जाने चाहिए एवं शासन को प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
- बजट तैयार करने की प्रक्रिया को इसे वार्षिक बनाने एवं विनियोगों से अत्यधिक व्यय को बचाने के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- महायोजना आवश्यक सर्वेक्षणों के पश्चात् तैयार किये गये बेस मैप के आधार पर तैयार की जानी चाहिए।
- महायोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोनल विकास योजनाएं/विकास योजनाएं/वार्षिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।
- प्राधिकरण को महायोजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु एक नियामक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए।
- पूर्ण आवासीय योजनाएं शीघ्रातिशीघ्र नगर निगम को हस्तान्तरित की जानी चाहिए एवं
- अनधिकृत निर्माणों को नियंत्रित करने के लिए सर्तकता प्रणाली मजबूत की जानी चाहिए।

प्रकरण शासन को सितम्बर 2007 में प्रतिवेदित किया गया था, शासन से प्राप्त (नवम्बर 2007) उत्तर को समीक्षा में उपयुक्त स्थानों पर समावेशित किया गया था।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.2 उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी को ग्रामीण क्षेत्रों में उपचारात्मक एवं विशिष्ट चिकित्सकीय सुविधाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) एवं उपकेन्द्रों (एससी) के माध्यम से उपलब्ध कराना निहित था। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ से सम्बन्धित कार्यक्रमों की निष्पादन लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्रामीण जनों को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने में कमियाँ थीं :

मुख्य अंश

मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएसओ) के प्रस्तावों के बिना बढ़ा हुआ बजट प्रावृत्ति तैयार करने के परिणामस्वरूप 953.24 करोड़ रुपये समर्पित किया गया जिसमें से 840.50 करोड़ रुपये (88 प्रतिशत) का प्रावृत्ति वर्ष 2002–07 की अवधि में रिक्त पदों से सम्बन्धित था।

(प्रस्तर 3.2.6)

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाएँ के लक्ष्य प्राप्त न होने का मुख्य कारण एन्टी-मूल क्षयर में कमी कम संस्थागत प्रसव या अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कराये गये प्रसव एवं आयरन-फोलिक एसिड टेबलेट की आपूर्ति न किया जाना था। 40.43 करोड़ रुपये मूल्य की आवधियों का वितरण बिना उनकी गुणवत्ता परीक्षण के किया गया।

(प्रस्तर 3.2.7.2 एवं 3.2.7.3)

टीको एवं कीटनाशकों की कम उपलब्धता के कारण जापानी इन्सेफिलाइटिस प्रभावित जनपदों में टीकाकरण फॉर्मिंग एवं छिडकाव की पूर्ण रूप से आवश्यक नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.2.7.4)

प्रदेश में मुनरीक्षित राष्ट्रीय टीबी नियन्त्रण कार्यक्रम 18 जनपदों में बिना टीबी क्लॉनिक भवनों के और 14 जनपदों में बिना जनपदीय क्षय सोग अधिकारियों के क्रियान्वित किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बलगम परीक्षणों के लिए माइक्रोप्रोकेन्ड्रों की स्थापना में 17 प्रतिशत की कमी के फलस्वरूप धनात्मक बलाम परीक्षण की दर में कमी 7 से 30 प्रतिशत तक रही।

(प्रस्तर 3.2.7.4)

भारत सरकार के मानकों के अनुसार प्रदेश में एससी पीएचसी और सीएचसी की सुख्ता में 22 प्रतिशत का प्रतिशत और 72 प्रतिशत की कमी थी। नमूना जाव जनपदों के 90 सीएचसी, 762 पीएचसी एवं 3205 एससी आवश्यक सुविधाओं से विनियत थे एवं 2002–07 की अवधि में 79 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 58 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कमता संकेत उपयोग हो रहा था।

(प्रस्तर 3.2.8.1 एवं 3.2.9)

जात नमूना जाव के जनपदों में 19 प्रतिशत मेडिकल स्टाफ और 23 प्रतिशत पेरा मेडिकल स्टाफ की कमी थी। इसके अतिरिक्त 39 चिकित्सा अधिकारी विवात एक से दस वर्षों से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे।

(प्रस्तर 3.2.10.1)

एन्टी रैबीज वेक्सीन एवं डल्टामिट्रिक स्ट्रपलाइजरों का क्रय अधिक दर पर किया गया जिसके कारण 2,53 लाख लोगों का अन्तिरिक्त व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3.2.11.1 एवं 3.2.11.2)

योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रणाली प्रभावशाली नहीं थी।

(प्रस्तर 3.2.14)

3.2.1 प्रस्तावना

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने से सम्बन्धित प्रणाली तीन स्तरों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) एवं उपकेन्द्र (एससी) की थी। शासन द्वारा ग्रामीण आबादी के गहन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिये 372 सीएचसी, 3,640 पीएचसी एवं 20,521 एससी की स्थापना की गई। विभिन्न केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें, यथा आबादी की स्थिरता के लिये परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्लूपी), क्षय रोग (टीबी) के नियंत्रण के लिये पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी), अंधता निवारण के लिये राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम (एनबीसीपी) एवं बीमारियों के रोकथाम के लिये राष्ट्रीय संचारी जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) भी इन स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा क्रियान्वित किया गया था।

3.2.2 संगठनात्मक दाया

प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जिनकी सहायता सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा सचिव, परिवार कल्याण करते थे, प्रशासनिक मुखिया थे एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को तैयार करने एवं क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी थे। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (डीजीएमएच) लोक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख, प्रशिक्षण, औषधि नियंत्रण एवं मध्यम स्तर के चिकित्सालयों के लिये उत्तरदायी थे तथा महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (डीजीएनपीएमई) परिवार कल्याण एवं अन्य केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी थे। जिनकी सहायता प्रदेश स्तर पर नौ निदेशकों, मंडल स्तर पर अपर निदेशक (एडी) एवं जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सेक्टर (आरएचएस) के कार्यों का समन्वय सीएचसी/पीएचसी के चिकित्सा अधीक्षकों एवं चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किया गया था।

3.2.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि :

- ग्रामीण आबादी के लिये लागू कार्यक्रम एवं योजनायें वास्तविक आंकड़ों पर आधारित थे एवं व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित किये जा रहे थे;
- विभिन्न योजनाओं के लिये स्वीकृत विधियाँ आवश्यकता के अनुरूप थीं तथा उनका समुचित उपयोग किया गया था;
- संचालित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभाव स्वास्थ्य सूचकों पर पड़ा था
- कौशल वृद्धि, गुणवत्ता सुनिश्चितता एवं सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ी थी;
- सुदृढ़ रोग निगरानी एवं नियंत्रण प्रणाली तथा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के द्वारा लोक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ी थी; और
- विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण प्रणाली प्रभावी ढंग से संचालित थी।

3.2.4 लेखा परीक्षा मापदण्ड

ग्रामीण स्वास्थ्य सेक्टर के क्रियाकलापों का मूल्यांकन इन वर्णित मापदण्डों पर आधारित था :

- वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड-V),
- बजट मैनुअल, उप्र मेडिकल मैनुअल एवं मेडिकल सेवा नियम,
- ग्रामीण स्वास्थ सेक्टर के लिये विभिन्न योजनाओं के दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर जारी शासनादेश,

3.2.5 लेखा परीक्षा आक्छादन एवं प्रणाली

डीजीएमएच, डीजीएनपीएमई के कार्यालयों तथा 16 जनपदों के सीएमओ (पीपीएसडब्लूआर¹ विधि से 15 चयनित जनपद² एवं लखनऊ राजधानी होने के कारण) जिसका व्यय 1,116.83 करोड़ रुपये था, के अभिलेखों की नमूना जाँच मार्च 2007 से अक्टूबर 2007 तक कर 2002–07 की अवधि की निष्पादन लेखा परीक्षा की गई, साथ ही इन जनपदों में स्थित 101 सीएचसी, 762 पीएचसी एवं 3205 एससी के अभिलेख देखे गये। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जनपदों में रैन्डम पद्धति से चयनित एक सीएचसी एवं एक पीएचसी का संयुक्त निरीक्षण सीएमओ के एक प्रतिनिधि के साथ किया गया तथा संबंधित अभिलेख यथा; औषधि स्टॉक पंजिका, अंतः एवं बाह्य रोगी पंजिकाओं तथा मौतिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर का सत्यापन भी किया गया।

अप्रैल 2007 में पीएस के साथ परिचयात्मक गोष्ठी की गई जिसमें लेखा परीक्षा के उद्देश्यों/मापदण्डों को स्वीकार किया गया। ड्राफ्ट समीक्षा शासन को (सितम्बर-2007) भेजी गई तथा 16 अक्टूबर 2007 में पीएस के साथ समापन गोष्ठी सम्पन्न की गई। तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की गई तथा संस्तुतियों को शासन द्वारा स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा परिणाम**3.2.6 वित्तीय प्रबंधन**

विभाग द्वारा गलत बजट आवंटन प्रक्रिया के कारण 953.24 करोड़ रुपये अधिक आवंटन प्राप्त किया गया जिसे समर्पित करना पड़ा।

शासन द्वारा एफडब्लूपी एवं एनवीबीडीसी के लिये प्राप्त धनराशि का उपयोग बजट के माध्यम से किया गया जबकि आरएनटीसीपी एवं एनबीसीपी ने धनराशि सीधे भारत सरकार से, संबंधित राज्य सोसाइटियों के माध्यम से प्राप्त किया। इन सभी योजनाओं से संबंधित, 2002–07 की अवधि के आवंटन एवं व्ययों का विवरण **परिशिष्ट 3.2.1** में दर्शाया गया है।

2002–07 की अवधि के राजस्व एवं पूँजीगत के अन्तर्गत कुल बजट आवंटन एवं व्यय³ की स्थिति निम्नवत थी:

¹ प्रोबेलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज विद रिप्लेसमेन्ट

² औरेया, बाराबंकी, बस्ती, बरेली, फतेहपुर, जौनपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, कुशीनगर, महराजगंज, मुरादाबाद,

³ एफ.डब्लू.पी. एवं एनवीबीडीसीपी के व्ययों को सम्मिलित करके

सारणी-1

(रु करोड़ में)

वर्ष	राजस्व				पूंजीगत		
	आबंटन	व्यय	समर्पण	आबंटन	व्यय	समर्पण	
1	2	3	4 (2-3)	5	6	7 (5-6)	
2002-03	900.26	730.20	170.06	26.10	17.66	8.44	
2003-04	1,102.67	892.54	210.13	15.45	10.09	5.36	
2004-05	1,144.66	935.10	209.56	46.67	41.30	5.37	
2005-06	1,263.58	1,107.54	156.04	150.87	148.58	2.29	
2006-07	1,361.92	1,154.47	207.45	487.02	472.60	14.42	
कुल	5,773.09	4,819.85	953.24	726.11	690.23	35.88	

डीजीएमएच एवं डीजीएनपीएमई द्वारा बजट प्राक्कलन (बीई) तैयार करने में दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के कारण राजस्व मद में कुल समर्पित धनराशि 953.24 करोड़ रुपये में से 840.50 करोड़ रुपये रिक्त पदों के बेतन मद का प्रावधान था। विभाग द्वारा सीएमओ के प्रस्ताव के बिना ही बीई तैयार किया गया। वित्त विभाग ने भी रिक्त पदों की प्रावधानित राशि को बिना काटे हुये प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया था।

उपर्युक्त आबंटन में बारहवे वित्त आयोग की संस्तुतियों (एफसी) के अन्तर्गत जीवनरक्षक औषधियों एवं वैक्सीन के क्रय के लिये प्राप्त 47.15 करोड़ रुपये (मार्च 2006) शामिल था जो शासन द्वारा देर से अवमुक्त करने के कारण उपयोग नहीं किया जा सका। पाँच करोड़ रुपये को तुरन्त समर्पित कर दिया गया तथा 42.15 करोड़ रुपये को जून 2006 तक उपयोग करने के लिये किंग जार्ज विश्वविद्यालय के पर्सनल लेजर एकाउन्ट (पीएलए) में रख दिया गया। 20.84 करोड़ रुपये का उपयोग मार्च 2007 तक किया गया था। नवम्बर 2007 तक 64.74¹ करोड़ रुपये शासन को वापस करने के स्थान पर पीएलए में बिना किसी उपयोग के पड़ा था।

पूंजीगत मद के अन्तर्गत 35.88 करोड़ रुपये का समर्पण मुख्यतया प्रशासनिक अनुमोदन को जारी न किया जाना और धनराशियों को वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी किया जाना था।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि अब से बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार बजट तैयार किया जायेगा तथा पीएलए में रखी धनराशि का उपयोग शीघ्र कर लिया जायेगा।

3.2.7 परिचालन प्रबंधन

3.2.7.1 नियोजन

योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट उप्र डेवलमेंट रिपोर्ट के अनुसार, विभाग द्वारा आवश्यकता एवं उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच की कमियों को ढूँढ़कर, वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मुख्य स्वास्थ्य परिणामों को जोड़ते हुये स्पष्ट लक्ष्य स्थापित कर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान बनाया जाना आवश्यक था। परन्तु, महानिदेशालय स्तर पर फील्ड से बैकअप आंकड़े प्राप्त किये बिना लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था।

शासन ने जनपदों से प्राप्त फीड बैंक के आधार पर स्टेट हेल्थ प्लान बनाये जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया (नवम्बर 2007)।

3.2.7.2 लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

अनुश्रवण योग्य स्वास्थ्य मानकों पर आधारित जिला स्वास्थ्य योजना नहीं तैयार की गई थी।

स्वास्थ्य सूचकों के सम्बन्ध में दशम योजना के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में विभाग असफल रहा।

ग्रामीण जन के स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं में सुधार के लिये प्रदेश में एफडब्ल्यूपी, आरएनटीसीपी, एनबीसीपी एवं एनवीबीडीसीपी लागू किया गया था। दशम पंचवर्षीय

¹ जीवन रक्षक औषधियों एवं वैक्सीन : ₹0 21.31 करोड़, औषधि एवं उपकरण ₹0 43.43 करोड़

योजना के अन्तर्गत संचारी एवं असंचारी रोग के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। एफडब्लूपी के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सूचकों की दशम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति मार्च 2007 तक निम्नवत थी—

सारणी-2

क्रम संख्या	लक्ष्य	दशम पंचवर्षीय योजना की स्थिति	उपलब्धि	परिवर्तन
1.	मातृत्व मृत्यु दर	प्रति लाख	400	517
2.	एन्टी नेटल केयर	प्रतिशत	70	27.3
3.	संस्थागत प्रसव	प्रतिशत	38	22.3
4.	प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कराया गया प्रसव	प्रतिशत	65	33
5.	कुल प्रजनन दर	बच्चों की संख्या	3.32	3.8
6.	जन्म दर (बीआर)	प्रति 1000 आबादी	22	35.2
7.	मृत्यु दर (डी.आर.)	प्रति 1000 आबादी	9	9.8
8.	शिशु मृत्यु दर	प्रति 1000 आबादी	72	73

मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर)¹

27.52 लाख गर्भवती महिलाओं को आईएफए टैबलेट वितरित नहीं किया गया।

गर्भवती महिलाओं को रक्त अल्पता से सुरक्षा प्रदान करने के लिये उनको आयरन फोलिक एसिड टैबलेट (आईएफए) प्रदान कर एमएमआर कम किया जा सकता था जो कि एमएमआर का एक अप्रत्यक्ष कारण था। नमूना जाँच जनपदों में 2002–07 की अवधि में 60.93 लाख पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 27.52 लाख (45 प्रतिशत) महिलाओं को आईएफए टैबलेट नहीं दिया गया था (*परिशिष्ट-3.2.2*)। इसके अतिरिक्त, 18 सीएचसी (20 प्रतिशत) एवं 635 पीएचसी (83 प्रतिशत) में सतत प्रसव सुविधा नहीं थी जिससे मातृत्व मृत्यु दर प्रभावित हुयी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आगजलरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) किट, जिसमें आईएफए एवं विटामिन ए टैबलेट रहता है, के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा 38.49 करोड़ रुपये अवमुक्त (मार्च 2006) किया गया था। फिर भी अगस्त 2007 तक प्रोक्योरमेंट एजेन्सी निर्धारित न किये जाने के कारण विभाग एएनएम किट क्रय करने में विफल रहा। उल्लेखनीय था कि नमूना जाँच के जनपदों में सभी पीएचसी/सीएचसी/एससी, डीजीएनपीएमई को प्रेषित अपनी प्रगति विवरणों (2005–07) में गर्भवती महिलाओं को आईएफए एवं विटामिन-ए टैबलेट्स का वितरण प्रदर्शित कर रहे थे जबकि इस अवधि में ये औषधियाँ उनके पास उपलब्ध ही नहीं थी।

शासन ने (नवम्बर 2007) उत्तर दिया कि एएनएम को आईएफए शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

एन्टी नेटल केयर (एएनसी)

70 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 27 प्रतिशत को एएनसी के अन्तर्गत आच्छादित किया गया।

एएनसी में गर्भवती महिलाओं को गर्भवस्था की अवधि में कम से कम तीन बार रक्तचाप, वजन, रक्त अल्पता एवं मूत्र की जाँच किया जाना आवश्यक था। 2002–07 की अवधि में एएनसी के अन्तर्गत 70 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को आच्छादित किया जाना था जबकि इसके विरुद्ध केवल 27 प्रतिशत की उपलब्धि रही। एएनएम की कमी तथा उनके द्वारा पल्स पोलियों एवं अन्य कार्यक्रमों में लगाये जाने से लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका जिससे कम उपलब्धि हुयी।

¹ गर्भवती महिला की गर्भवस्था में मृत्यु अथवा 42 दिनों के अंदर गर्भपात्र प्रबन्धन या अन्य किसी कारण से मृत्यु

संस्थागत प्रसव एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कराया गया प्रसव

आवश्यक 2.03 करोड़ डीडी किट के विरुद्ध केवल 71.82 लाख किटों को उपलब्ध कराया गया।

दशम पंचवर्षीय योजना के अनुसार, संस्थागत एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा केवल 55 प्रतिशत प्रसव कार्य सम्पादित किये गये तथा शेष 45 प्रतिशत प्रसव घर में हुये। संस्थागत/प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कराये गये प्रसव में कमी का कारण (i) सीएचसी/पीएचसी में दिन रात प्रसव सुविधा में कमी (ii) दाई¹ (77 प्रतिशत) एवं एएनएम (सात प्रतिशत) की कमी रही।

पुनः, प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कराये गये प्रसव भी असुरक्षित थे क्योंकि 2002–07 की अवधि में आवश्यक 2.03 करोड़ डिस्पोजेबुल डिलेवरी किट (डीडी किट्स) के विरुद्ध विभाग ने प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अंतर्गत वर्ष 2002–04 में 10.62 करोड़ रुपये की लागत से क्रय कर केवल 71.82 लाख डीडी किट्स प्रदान किया गया। 45.65 लाख डीडी किटों के क्रय हेतु भारत सरकार ने भी आरसीएच कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.74 करोड़ रुपये अवमुक्त किया था (जनवरी 2004)। लेकिन, निविदाओं के मई 2007 तक अन्तिमीकरण न होने के कारण डीडी किटों को क्रय करने में विभाग असफल रहा और समस्त धनराशि भारत सरकार को वापस कर दी गयी (मई 2007)। वर्ष 2004–07 में डीडीकिटों के क्रय हेतु जनवरी 2004 के बाद कोई बजट आबंटित नहीं किया गया।

इस प्रकार, वर्ष 2002–07 की अवधि में कुल सूचित 2.03 करोड़ प्रसवों के विरुद्ध घरों में हुये 1.31 करोड़ प्रसव (65 प्रतिशत), डीडी किट के बिना कराये गये थे।

सकल प्रजनन दर (टीएफआर) एवं जन्म दर (बीआर)

जन्म दर एवं मृत्यु दर के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया।

टीएफआर और बीआर को परिवार नियोजन की विधियां जैसे बन्ध्याकरण, इन्द्रा यूरिनल डिवाइस, कन्ट्रासेप्टिव निरोध और खाने की गोली के माध्यम से कम किया जा सकता था। विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 की अवधि में एफडब्लूपी पर 1956.07 करोड़² रुपये का व्यय बीआर, डीआर एवं आईएमआर के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया गया था जैसा कि तालिका-2 में उल्लिखित था। टीएफआर के सम्बन्ध में 3.3 बच्चे प्रति परिवार और बीआर के लक्ष्यों 22 प्रति हजार जनसंख्या की पूर्ति, वर्ष 2002–07 की अवधि में न होना यह प्रदर्शित करता था कि विभाग एफडब्लूपी को सफलतापूर्वक लागू करने में विफल रहा।

3.2.7.3 गुणवत्ता जाँच किये बिना औषधियों का वितरण

जैसा कि दर अनुबंध में उल्लिखित था, औषधियों का उपयोग जन विश्लेषक द्वारा नमूना जाँच किये जाने के उपरांत ही किया जाना चाहिए। 10 सीएमओ³ द्वारा यद्यपि 23.96 करोड़ रुपये की औषधियों का क्रय किया गया था परन्तु वर्ष 2002–07 की अवधि में, वितरण से पूर्व आवश्यक गुणवत्ता की जाँच किये बिना इनका वितरण/खपत किया गया। इन जनपदों में 4465 नमूने लेने आवश्यक थे परन्तु इनके विरुद्ध केबल कुल 205 (5 प्रतिशत) नमूने (*परिशिष्ट-3.2.3*) ही एकत्र किया गया। किसी भी प्रकरण में जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी। औरेया एवं कौशाम्बी जनपदों में एक भी नमूना एकत्र नहीं किया गया था।

¹ ट्रेडिशनल वर्ष अटेन्डेन्ट: स्वीकृत पद 2.14 लाख, उपलब्ध 0.50 लाख

² राजस्व : 1887.15 करोड़ रुपये, पूंजीगत: 68.92 करोड़ रुपये

³ औरेया, बाराबकी, बरेली, फतेहपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, सीतापुर, महाराजगंज, मुरादाबाद एवं मुजफ्फरनगर

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय औषधि भण्डार विभाग (सीएमएसडी) द्वारा ₹0 16.47 करोड़ की ऐन्टी रेबीज वैक्सीन का वितरण वर्ष 2006–07 में जन विश्लेषक द्वारा जाँच किये बिना बांटी गयी।

शासन ने उत्तर (नवम्बर–2007) में स्वीकार किया कि औषधियों का वितरण गुणवत्ता जाँच के उपरान्त ही किया जाना चाहिए था।

3.2.7.4 संचारी और असंचारी रोग

जापानी इन्सेफलाइटिस (जेर्झ)

जेर्झ से प्रभावित जनपदों को टीकाकरण, फॉगिंग और छिड़काव से समुचित रूप से आच्छादित नहीं किया गया।

निदेशक, संचारी एवं वैक्टर बार्न रोग (डीसीवीबीडी), प्रदेश में जेर्झ के नियंत्रण के लिये टीकाकरण, फागिंग एवं छिड़काव की योजनाओं को लागू करने के उत्तरदायी थे। प्रदेश में 34 जनपदों को जेर्झ प्रभावित क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया था। इन जनपदों में से देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर एवं महाराजगंज दो दशकों से जेर्झ से मृत्यु हो रही थी। वर्ष 2002–07 की अवधि में 2667 मृतकों में से 1666 मृतक (62 प्रतिशत) इन चार जनपदों के थे। वर्ष 2002 में डीसीवीबीडी ने बच्चों के टीकाकरण कराने का निर्णय लिया परन्तु केन्द्रीय शोध संस्थान, कसौली द्वारा वैक्सीन की कम आपूर्ति किये जाने के कारण इसे गोरखपुर तथा तक कुशीनगर में आंशिक रूप से वर्ष 2002 में किया जा सका। वर्ष 2005 में डीसीवीबीडी ने पुनः जेर्झ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण, फागिंग एवं छिड़काव कराने का निर्णय लिया। वैक्सीन एवं कीटनाशकों की कम उपलब्धता के कारण केवल सात जनपदों¹ में टीकाकरण तथा 34 जनपदों में आंशिक फागिंग और छिड़काव मार्च 2007 तक किया गया। दो जनपदों² के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 450 मिट्रिक टन (एमटी) की आवश्यकता के विरुद्ध 220 एमटी (49 प्रतिशत) कीटनाशक ही 2005–07 की अवधि में डीसीवीबीडी द्वारा उपलब्ध कराया गया जिसके कारण इन जनपदों के कुल 1712 गाँवों में से केवल 296 (17 प्रतिशत) गाँवों को ही आच्छादित किया जा सका।

इस प्रकार डीसीवीबीडी चार अतिप्रभावित जनपदों में भी जेर्झ के रोकथाम करने में विफल रहा।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी)

राज्य टीबी नियंत्रण समिति टीबी उन्मूलन के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा।

क्षय रोग से नियंत्रण के लिए, राज्य क्षय रोग नियंत्रण संस्था के अन्तर्गत आरएनटीसीपी वर्ष 1998 में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू किया गया। पूरे प्रदेश में इसको वर्ष 2003 तक अच्छादित किया जाना था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 70 प्रतिशत संक्रमित रोगियों की खोज तथा उसकी निरन्तरता बनाये रखने और रोगियों के 85 प्रतिशत बलगमों की जाँच कर रोग मुक्त करना और डाट प्रणाली (डीओटी) द्वारा क्षय रोग से पूर्ण रोग मुक्त होने के लिए रोगी द्वारा सभी औषधियों का उपयोग और उनकी देखभाल किया जाना, प्रमुख था।

18 जनपदों में बिना टीबी क्लीनिक भवनों और 14 जनपदों में बिना जनपदीय क्षय रोग अधिकारी के आरएनटीसीपी कार्यक्रम, 70 जनपदों में 2 वर्षों के विलम्ब से, वर्ष 2005 से क्रियान्वित कर दिया गया। 2002–06 की अवधि के लिए नये धनात्मक बलगम परीक्षण की दर का लक्ष्य क्षय रोगियों के लिए 67 प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया। लक्ष्यों की उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पायी क्योंकि यह कमी 7 से 30 प्रतिशत के मध्य रही (परिशिष्ट 3.2.4)। इसका कारण सीएचसी पर बलगम परीक्षण के लिए माइक्रोस्कोपिक केन्द्रों की स्थापना में 17 प्रतिशत तक की कमी थी। जाँच में यह भी

¹ देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर

² कुशीनगर और महाराजगंज

पाया गया कि पंजीकृत रोगियों की निगरानी नहीं होने के कारण संस्था बीच में छोड़ने वाले रोगियों को रोकने में भी असफल रही जो कि क्षय रोग ग्रसित रोगियों के 4 प्रतिशत की अनुमन्य सीमा के विरुद्ध 8 प्रतिशत थी। प्रदेश में 12 प्रतिशत डॉट केन्द्रों की भी कमी थी। इसके अतिरिक्त, 37 प्रतिशत एमओ, 57 प्रतिशत ट्रीटमेन्ट आरगेनाइजर और 43 प्रतिशत पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमएचडब्लू) आरएनटीसीपी के अन्तर्गत प्रशिक्षित नहीं किये गये थे (परिशिष्ट-3.2.4)। वर्ष 2003-06 की अवधि में प्रशिक्षण के लिए आवंटित 1.41 करोड़ रुपये में से 51.37 लाख (37 प्रतिशत) का व्यावर्तन भी किया गया था।

राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम (एनबीसीपी)

मोतियाबिन्द आपरेशन, कॉर्निया एकत्रीकरण, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए चश्मा वितरण इत्यादि अन्धेपन को कम करने के लिए एनबीसीपी कार्यक्रम वर्ष 1976 से लागू किया गया। सीएचसी/पीएचसी द्वारा गाँवों में सर्वेक्षण कर ऐसे प्रकरणों की सूची बनाकर उनकी निगरानी के लिए “नेत्रहीन पंजिका” नामक एक पंजिका में सम्बन्धित प्रविष्टि की जानी थी। इस पर भारत सरकार ने सितम्बर, 2005 में वर्गवार लाभार्थियों (एससी/एस.टी. गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं) की सूची बनाये जाने का निर्देश जारी किया जिससे उनका इलाज निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किया जा सके। वर्ष 2003-07 की अवधि में लक्ष्यों और उपलब्धि का विवरण निम्नवत था :

सारणी-3

क्र० सं०	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी
1	मोतियाबिन्द आपरेशन (लाख में)	12.98	6.00	6.98
2	आँखों की जांच (लाख में)	239.60	96.86	142.74
3	चश्मों की वितरण (लाख में)	5.18	2.58	2.60
4	कार्निया एकत्र करना (संख्या में)	6000	224	5776

सीएचसी/पीएचसी द्वारा वर्ग वार लाभार्थियों की सूची नहीं बनायी गयी थी। उपलब्धियों में कमी का कारण सीएचसी स्तर पर नेत्र सर्जन (64 प्रतिशत; स्वीकृतः 432, तैनातः 154), नेत्र सहायक (11 प्रतिशत; स्वीकृतः 931, तैनातः 830) और लेन्स प्रत्यारोपण केन्द्रों (63 प्रतिशत; आवश्यकः 234, उपलब्धः 87) की कमी थी।

3.2.8 आधारभूत सरचनाओं में कमी

जनसंख्या मानकों के अनुसार सीएचसी, पीएचसी एवं एससी की स्थापना नहीं की गयी।

भारत सरकार के मानकों के अनुसार, एससी की स्थापना मैदानी क्षेत्रों के लिए 5,000 की ग्रामीण की आबादी पर तथा पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में 3,000 की जनसंख्या पर की जानी चाहिए। पीएचसी/सीएचसी के लिए मैदानी क्षेत्र का मानक 30,000 एवं एक लाख तथा पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में क्रमशः 20,000 और 80,000 था। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार आवश्यक एससी, पीएचसी तथा सीएचसी की संख्या क्रमशः 26,340, 4,390 और 1,317 थी जिसके विरुद्ध 20,521 एससी, 3,640 पीएचसी और 372 सीएचसी उपलब्ध थे। इस प्रकार एससी में 5819 (22 प्रतिशत), पीएचसी में 750 (17 प्रतिशत), सीएचसी में 945 (72 प्रतिशत) की कमी थी।

दशम पंचमवर्षीय योजना के पूर्व 1591 पीएचसी और 11,454 एससी किराये के भवनों में चल रहे थे, जिसमें जगह तथा आधारभूत सुविधाओं का अभाव था। शासन द्वारा वर्ष 2002-07 की अवधि में 165 सीएचसी, 912 पीएचसी, 1784 एससी के निर्माण की स्वीकृति 599.47 करोड़¹ रुपये की लागत पर प्रदान की गयी जिसके विरुद्ध मार्च 2007

¹ सीएचसी : रु0 209.71 करोड़ : पीएचसी रु0 313.93 करोड़, एससी रु0 75.83 करोड़

तक 24 सीएचसी, 114 पीएचसी और 974 एससी 298.89 करोड़¹ रूपये व्यय करने के उपरान्त पूर्ण करके विभाग को हस्तानान्तरित किया गया। अवशेष धनराशि 300.58 करोड़ रूपये निर्माण एजेन्सियों के पास थे। सीएचसी/पीएचसी/एससी के निर्माण में विलम्ब का कारण पुनरीक्षित प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत न होना (2005–06) और मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैप्लिङं का कार्यदायी संस्थाओं से अन्तिमीकरण न होना (2006–07), प्रमुख था।

शासन द्वारा कहा गया (नवम्बर 2007) कि अवशेष भवनों का निर्माण मार्च 2008 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

3.2.8.1 सीएचसी/पीएचसी/एससी में अपर्याप्त अवस्थापना

16 नमूना जांच जनपदों के 90 सीएचसी, 762 पीएचसी और 3205 एससी से प्राप्त सूचना एवं अभिलेखों के अनुसार, अवस्थापनाओं की सुविधाओं जैसे प्रसव कक्ष, आपरेशन कक्ष, सेवा योग्य बेड, 24 घण्टे प्रसव की सुविधायें इत्यादि का अभाव था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

सारणी-4

स्थानस्थ	संख्या	प्रसव कक्ष	आपरेशन कक्ष	24 घण्टे प्रसव की सुविधा	विद्युत की सुविधा	प्रयोजल की सुविधा	आकर्षिक सुविधा	आवास	संचारी गौसम में यातायात सुविधा
केन्द्र का नाम									
पीएचसी	762	558	517	635	162	182	595	0	0
सीएचसी	90	14	2	18	17	8	37	0	0
एससी	3,205	0	0	0	1,134	1,196	0	2,069	537

डीजीएमएच की रिपोर्ट के अनुसार 372 सीएचसी और 3640 पीएचसी में 26,966 बेड उपलब्ध था लेकिन नमूना जांच के जनपदों के 11 सीएचसी² और चार पीएचसी³ के संयुक्त निरीक्षण में देखा गया कि स्वीकृत 350 बेड के स्थान पर 212 बेड (61 प्रतिशत) ही सही अवस्था में थे, शेष 138 बेड (39 प्रतिशत) सेवा योग्य नहीं थे।

3.2.8.2 सीएचसी और पीएचसी में बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन

बीएमडब्लूएम व्यवस्था को स्थापित न करने से स्वारक्ष्य केन्द्रों में अस्वास्थ्यकर स्थिति थी।

बायोमेडिकल अपशिष्ट (प्रबंधन और रखरखाव) नियम 1998 के अनुसार जनपद स्तर पर सम्बन्धित सीएमओ, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन (बीएमडब्लूएम) की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे। चयनित जनपदों के 16 सीएचसी और 16 पीएचसी के संयुक्त निरीक्षण और सम्बन्धित एमएस और एमओ द्वारा दी गई सूचनाओं⁴ के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि किसी भी सीएचसी और पीएचसी पर बीएमडब्लूएम का प्रावधान नहीं था। बायोमेडिकल अपशिष्ट को सीएचसी और पीएचसी के प्रांगण में खुले गढ़दे में इकट्ठा किया जाता था। तीन सीएचसी और नौ पीएचसी में मुख्य भवन, वार्ड, बेसिन और शौचालय जीर्ण शीर्ण और अस्वच्छ थे। पीएचसी में सफाई व्यवस्था के लिए सफाई कर्मी का पद भी विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं था।

¹ सीएचसी : रु0 84.78 करोड़ : पीएचसी रु0 161.56 करोड़, एससी : रु0 52.55 करोड़

² फरेन्दा, महाराजगांज, झीझक, औरया, काधला, खतोली, फरीदपुर, अमेठी, बिलारी, सिधौली, कनैली।

³ लक्ष्मणपुर, रामपुर, कुँआ डॉंडा और कठवारा।

⁴ 90 सीएचसी और 762 पीएचसी

शासन द्वारा स्वीकार किया (नवम्बर 2007) कि बीएमडब्लूएम व्यवस्था वर्तमान में राज्य स्तर के पीएचसी पर मौजूद नहीं है, शीघ्र ही 10 संयुक्त शोधन सुविधाओं द्वारा यूपी हेत्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3.2.9 सीएचसी और पीएचसी का क्षमता से कम उपयोग

चयनित 16 जनपदों के 58 सीएचसी 79 पीएचसी के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि सीएचसी/पीएचसी में अन्तः एवं बाह्य रोगियों का आगमन निम्नवत् विवरण के अनुसार बहुत कम था :

सारणी-5

प्रतिदिन ¹ मर्ती किये भरीजों की संख्या (औसत) अवधि 2002-07	अन्तःरोगी (30 बेड) की संख्या (कुल 58 सीएचसी का प्रतिशत)	पीएचसी की संख्या (6 बेड) (कुल 79 पीएचसी का प्रतिशत)
शून्य	11 (19)	13 (16)
1	35 (60)	63 (80)
2-5	12 (21)	3 (4)

सारणी-6

प्रतिदिन ² औसत मरीजों की संख्या अवधि 2002-07	बाह्यरोगी सीएचसी की संख्या (30 बेड) (कुल 58 सीएचसी का प्रतिशत)	पीएचसी की संख्या (6 बेड) (कुल 79 पीएचसी का प्रतिशत)
50	12 (21)	51 (65)
51-100	26 (45)	22 (28)
100 से ऊपर	20 (34)	06 (7)

रोगियों की संख्या में कमी का कारण चिकित्सकों की अनुपस्थिति, कर्मचारियों की कमी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना था, चयनित जिलों के शेष 43 सीएचसी और 683 पीएचसी द्वारा अकुपेंसी और बाह्य रोगियों की संख्या के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण सत्यापन नहीं किया गया।

3.2.10 मानव शक्ति प्रबंधन

निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :

3.2.10.1 मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ में कमी

मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी एवं अनुपस्थिति से स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित थी।

12,336 मेडिकल स्टॉफ के स्वीकृत पदों (एसएस) के विरुद्ध 9,953 (81 प्रतिशत) 31 मार्च 2007 तक तैनात थे (**परिशिष्ट 3.2.5**)। पुरुष विशेषज्ञ में 11 प्रतिशत और महिला विशेषज्ञ में 49 प्रतिशत की कमी उल्लेखनीय थी। सामान्य पुरुष विशेषज्ञ में 24 प्रतिशत की कमी थी। इस प्रकार पैरा मेडिकल स्टाफ के स्वीकृत पद 53,498 के विरुद्ध 41,159 (77 प्रतिशत) तैनात थे। स्टाफ की कमी के कारण आरएचएस के अन्तर्गत विशिष्ट चिकित्सकीय सुविधा, जो कि सीएचसी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, सीधे तौर पर प्रभावित रही। 16 जनपदों की नमूना जांच में देखा गया कि 101

¹ पांच वर्षों में कुल रोगी संख्या को पांच वर्षों के दिनों से विभाजित करने पर प्राप्त औसत।

² पांच वर्षों में कुल रोगी संख्या को पांच वर्षों के दिनों से विभाजित करने पर प्राप्त औसत।

सीएचसी में विशेषज्ञों की कमी 32 से 76 प्रतिशत और पैरामेडिकल स्टॉफ में 30 से 69 प्रतिशत तक की थी। इसी प्रकार 719 पीएचसी में एमओ के पदों में 34 प्रतिशत और पैरामेडिकल स्टॉफ में 7 से 48 प्रतिशत (**परिशिष्ट 3.2.6**) तक की कमी थी। यह भी देखा गया कि नमूना जाँच जनपदों के 15 सीएचसी और 19 पीएचसी में 39 चिकित्सक¹ एक से दस वर्षों तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे थे, लेकिन उनके विरुद्ध अगस्त 2007 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। उत्तर में शासन ने (नवम्बर 2007) में बताया कि पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

चयनित जनपदों के 16 सीएचसी और 16 पीएचसी के अभिलेखों की नमूना जाँच और संयुक्त निरीक्षण में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

- जनपद लखनऊ में वर्ष 2002–07 की अवधि में दो सीएचसी (माल और इटौन्जा) में सामान्य सर्जन (जी.एस.), निश्चेतक और सम्बन्धित उपकरण के अभाव में बेकार रहे। सीएचसी, माल में स्वीकृत एक पद के विरुद्ध दो दन्त चिकित्सक, उपकरण के अभाव में, तैनात थे। सीएचसी, चिन्हट, इटौन्जा और बकरी का तालाब, लखनऊ में दन्त उपकरण दन्त सर्जन के बिना बेकार पड़े थे यद्यपि दन्त सर्जन का एक पद प्रत्येक सीएचसी में स्वीकृत था।
- सीएचसी, कांधला में जी.एस. और निश्चेतक तैनात थे जबकि उनके द्वारा विगत चार वर्षों से कोई सर्जरी नहीं की गई थी। दो सीएचसी, कानपुर देहात और सुल्तानपुर में जीएस वर्ष 2002–07 की अवधि में तैनात नहीं रहे।
- जनपद सीतापुर के सीएचसी, हरगाँव में चार बाल रोग विशेषज्ञ स्वीकृत पद एक के विरुद्ध तैनात थे जबकि सीएचसी, हुसैनगंज, फतेहपुर में वर्ष 2002–07 की अवधि में बाल रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त था।
- दो सीएचसी हुसैनगंज, फतेहपुर और झींझक, कानपुर देहात में फिजीशियन और रेडियोलाजिस्ट का पद वर्ष 2002–07 की अवधि में रिक्त था।
- दो सीएचसी, झींझक, कानपुर देहात एवं अमेठी, सुल्तानपुर में निश्चेतक, रेडियोलॉजिस्ट, एक्स–रे तकनीशियन वर्ष 2002–07 की अवधि में तैनात नहीं रहे।
- तीन सीएचसी, टिकैत नगर, जनपद बाराबंकी, हुसैनगंज जनपद फतेहपुर, और झींझक, जनपद कानपुर देहात में स्त्री रोग विशेषज्ञ और स्टॉफ नर्स वर्ष 2002–07 की अवधि में तैनात नहीं रहे जबकि सीएचसी, खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर और सूरतगंज, जनपद बाराबंकी में स्त्री रोग विशेषज्ञ और स्टॉफ नर्स कार्यरत होने के बाद भी कोई प्रसव नहीं कराया गया।
- ग्यारह सीएचसी,² में 15.51 लाख रूपये मूल्य के ग्यारह एक्स–रे मशीन रेडियोलाजिस्ट और एक्स–रे तकनीशियन के अभाव में एक से पाँच वर्ष तक बेकार पड़ी थी।

3.2.10.2 प्रथम सन्दर्भित इकाई (एफआरयू)

मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की तैनाती न किये जाने तथा ल्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण एफआरयू पूर्णतया क्रियाशील नहीं थे।

जैसा कि आरसीएच-II के अन्तर्गत वर्ष 2005–2010 की अवधि में 130 सीएचसी का क्रमबद्ध ढंग से एफआरयू के रूप में परिचालित किया जाना प्राविधानित था जिसमें आपात प्रसूति सहायता, जटिल प्रसूति एवं उपचार, नवजात शिशु देखभाल सुविधायें, 24 घण्टे प्रसव सुविधा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुविधा प्रदान किया जाना था। 70 सीएचसी जहां आपरेशन कक्ष, प्रसव कक्ष तथा प्रयोगशाला कक्ष के उच्चीकरण के साथ सिविल कार्य 6.35 करोड़ रूपये की लागत से वर्ष 2004–05 में पूर्ण किया जा चुका था, उसे वर्ष 2005–06 (50) एवं 2006–07 (20) में परिचालित किया जाना था।

¹ फतेहपुर : 4, कौशाम्बी: 2, प्रतापगढ़: 3, मुरादाबाद: 10, मुजफ्फरनगर : 2, सीतापुर: 13, सुल्तानपुर: 5

² लालगंज : प्रतापगढ़, झींझक : कानपुर देहात, टिकैत नगर, हैदरगढ़, सूरतगंज: बाराबंकी, खतौली, कांधला, कैरना : मुजफ्फरनगर, अमेठी: सुल्तानपुर, बिलारी: मुरादाबाद, इटौन्जा : लखनऊ

अभिलेखों की संवीक्षा में देखा गया कि 16 चयनित जनपदों के 17 एफआरयू को आवश्यक मेडिकल और पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति न किये जाने (संविदा के आधार पर भी) तथा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुविधा की स्थापना न होने के कारण पूर्णतया परिचालित नहीं किया जा सका।

3.2.10.3 प्रशिक्षण

उपलब्ध मेडिकल और पैरामेडिकल स्टॉफ के कौशल क्षमता में वृद्धि करने के लिए राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ प्रशिक्षण कोर्स को चिन्हित करने, प्रशिक्षण पठचर्या तैयार करने, संस्थाओं को चिन्हित कर धनराशि जारी किये जाने एवं प्रशिक्षण के पर्यवेक्षण/अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी थे। एकीकृत कौशल प्रशिक्षण (आईएसटी), विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण (एसएसटी)¹ और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम वर्ष 1998–99 से प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2002–07 (परिशिष्ट 3.2.7) की अवधि में आईएसटी और एसएसटी के लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि में कमी क्रमशः 17 से 73 प्रतिशत तक थी। यह भी पाया गया कि अन्य श्रेणी के बचे कर्मियों को आईएसटी प्रशिक्षण नहीं दिया गया और न ही इन्डक्शन और रिफ्रेशर कोर्स कराया गया। विभाग द्वारा उत्तर में बताया (अगस्त 2007) कि मात्र उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में वृहद स्थानान्तरण होने और निरन्तर पल्स पोलियो कार्यक्रम के कारण प्रशिक्षण में कमी आयी।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि चिकित्सकों का स्थानान्तरण विभाग के अन्तर्गत होने के कारण उनकी संख्या पर असर नहीं पड़ता था। इसके अतिरिक्त, आईएसटी और एसएसटी एक समयबद्ध कार्यक्रम था जिसमें प्रशिक्षण का कार्यक्रम मेडिकल और पैरामेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए था।

3.2.11 क्रय प्रक्रियाएँ में अप्राप्ति

डीजीएनपीएमई, डीजीएमएच एवं सीएमएसडी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया :

3.2.11.1 एन्टी रैबीज वैक्सीन (एआरवी) के क्रय में व्याधिक्य

11.75 लाख एआरवी वायलों के क्रय हेतु सीएमएसडी ने (मई 2006) निविदाएं आमन्त्रित कीं। निविदा प्रक्रिया में तीन फर्मों ने भाग लिया। निविदा का अन्तिमीकरण मई, 2006 को होना था। निविदाओं के अन्तिमीकरण के उपरान्त, 11.75 लाख वायलों की आपूर्ति हेतु विभाग ने न्यूनतम निविदादाता से आपूर्ति की अवधि के सम्बन्ध में पूछा (जून 2006)। परन्तु, फर्म ने (जून 2006) अधिकतम दो लाख वायलों की आपूर्ति मार्च 2007 तक करना स्वीकार किया। सीएमएसडी ने फर्म से 204.98 रु० प्रति वायल की न्यूनतम दर से दो लाख एआरवी वायल का क्रय किया। उपर्युक्त क्रय के पश्चात, पीएस, एमएचएफडब्लू की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा (सितम्बर 2006) वांछित एआरवी की मात्रा 9.75 लाख वायल को कम करके पॉच लाख वायल कर दिया गया तथा चार लाख (सितम्बर 2006) और एक लाख वायल (मार्च 2007) के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई थी तदानुसार, सीएमएचडी ने पॉच लाख वायल 247.38 रुपये प्रति वायल की उच्च दर से अन्य दो निविदादाताओं से क्रय करके 2.12 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया।

क्रय नीतियों के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता वांछित मात्रा की आपूर्ति करने में असमर्थ रहता है तो पुनः निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिए परन्तु

¹ आरसीएच के अन्तर्गत नव नियुक्त मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों की कौशल वृद्धि हेतु एसएसटी: चिकित्सीय गर्भपात लेप्रो और आईयूडी

विभाग द्वारा इस आधार पर ऐसा नहीं किया गया कि उपर्युक्त तीन फर्म केवल उत्पादक फर्म हैं।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (नवम्बर 2007) कि राज्य में एआरवी की आवश्यकता को देखते हुए इनका क्रय उच्च दरों पर किया गया।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि भारत सरकार की सूची के अनुसार (अक्टूबर 2006) चार अन्य फर्म एआरवी का उत्पादन करती थीं जिनकी उपर्युक्त वायलों की संख्या की आपूर्ति की क्षमता थी तथा वे तुलनात्मक रूप से कम दर पर एआरवी की आपूर्ति हेतु तैयार थे।

3.2.11.2 इलेक्ट्रिक स्टरलाइजर का क्रय

शासन द्वारा पीएमजीवाई के अन्तर्गत 3,268 पीएचसी और 372 सीएचसी के लिए 4,012 इलेक्ट्रिक स्टरलाइजरों के क्रय हेतु 1.72 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया (फरवरी 2004)। सीएमएसडी ने 4,012 इलेक्ट्रिक स्टरलाइजर का क्रय (फरवरी 2005) महानिदेशक, आपूर्ति एवं निस्तारण के दर अनुबन्ध (आरसी) के अन्तर्गत रु0 2,876 प्रति नग की दर से किया जबकि इसी आरसी के अन्तर्गत न्यूनतम दर रु0 1850 प्रति नग उपलब्ध था। परिणामस्वरूप, 41.16 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (नवम्बर 2007) कि उपर्युक्त फर्म के इलेक्ट्रिक स्टरलाइजरों की दर को पुनरीक्षित (अप्रैल 2004) किया गया क्योंकि यह आईएसआई मार्क का था।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि इनके क्रय अवधि में उसी आरसी के अन्तर्गत एक ही विशिष्टि के इलेक्ट्रिक स्टरलाइजर आईएसआई मार्क के साथ कम दर पर उपलब्ध थे।

3.2.12 अभिलेखों के सम्बन्ध में कमियों

निम्नलिखित कमियाँ प्रकाश में आयीं :

3.2.12.1 सीएचसी एवं पीएचसी पर औषधियों के खपत सम्बन्धी अभिलेख का रखरखाव न किया जाना।

दैनिक वितरण पंजिका के रख-रखाव न किये जाने के कारण वितरित औषधि को सत्यापित नहीं किया जा सका।

वित्तीय नियमों¹ के अनुसार विभागीय अधिकारियों जिन्हें भण्डारों के निर्गम/खपत का दायित्व सौंपा गया था, उन भण्डारों के सम्बन्ध में अभिलेखों के सही रखरखाव तथा सही विवरणियाँ तैयार करने के लिए उत्तरदायी थे।

यह संज्ञान में आया कि सीएमओ से प्राप्त औषधियों को फार्मासिस्ट द्वारा सम्बन्धित सीएचसी एवं पीएचसी के चिकित्साधिकारियों के लिखित पर्चियों के आधार पर रोगियों को वितरित किया गया था परन्तु नमूना जांच किये गये किसी भी सीएचसी एवं पीएचसी द्वारा रोगी व दैनिक वितरित औषधि की पंजिका का रखरखाव नहीं किया गया था। इन अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण वितरित औषधियों की वास्तविक मात्रा का सत्यापन नहीं किया जा सका।

विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया (नवम्बर 2007) कि सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रों को निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों के रखरखाव का निर्देश दे दिया गया है।

¹ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के प्रस्तर 255, 257

फर्मों के द्वारा आपूर्ति की गयी 98.88 लाख रुपये मूल्य की 6.68 लाख डीडीकिटों और 9.94 लाख रुपये मूल्य की औषधियों को सीएमओ के भण्डार पंजिका में नहीं दर्शाया गया।

3.2.12.2 डीडी किटों एवं औषधियों की प्राप्ति कम दर्शाना।

भण्डार पंजिकाओं की नमूना जॉच में देखा गया कि वर्ष 2002–04 में आपूर्ति कर्ता फर्मों से प्राप्त 13.12 लाख डीडी किटों की वास्तविक आपूर्ति के विरुद्ध 11 सीएमओ¹ के भण्डार पंजिकाओं में केवल 6.44 लाख डीडी किटों की प्राप्ति प्रदर्शित थी। रुपये 98.88 लाख मूल्य के शेष 6.68 लाख डीडी किटों को स्टाक पंजिकाओं में प्रविष्ट नहीं किया गया था (परिशिष्ट 3.2.8)। शासन द्वारा उत्तर (नवम्बर 2007) में सम्बन्धित सीएमओ से प्राप्त डीडी किटों के सत्यापित बीजकों को प्रस्तुत किया गया। इन बीजकों में प्रदर्शित मात्रा सीएमओ द्वारा उपर्युक्त किटों के कम अभिलिखित किये जाने की पुष्टि करते थे जिसकी छानबीन किये जाने की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त, सीएमएसडी द्वारा वर्ष 2004–07 में सीएमओ, आजमगढ़ को 14 प्रकार की औषधियाँ जिनका मूल्य 22.30 लाख रुपये था, उपलब्ध कराया गया परन्तु सीएमओ की भण्डार पंजिका में चार प्रकार की औषधियों मूल्य 4.56 लाख रुपये अभिलिखित ही नहीं किया गया और अन्य 10 प्रकार की औषधियों मूल्य 5.38 लाख रुपये को भण्डार में कम अंकित किया गया। सीएमओ ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2007) कि फर्मासिस्ट द्वारा औषधियों का दुर्विनियोग किया गया। समुचित कार्यवाही के लिए तथ्यों की छानबीन की आवश्यकता थी।

3.2.13 आन्तरिक लेखा परीक्षा (आईए)

आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रस्तरों के निस्तारण में कमी

डीजीएमएच एवं डीजीएनपीएमई के नियंत्रणाधीन दो आंतरिक लेखा परीक्षा इकाईयां क्रियाशील थीं, जो दोनों निदेशालयों 70 सीएमओ एवं इनमें सन्निहित इकाइयों को आच्छादित करते हुए वार्षिक लेखा परीक्षा करती थीं। आईए को संचालित करने तथा विभागीय लेखा परीक्षा मैनुअल तैयार करने के लिए वित्त नियंत्रक उत्तरदायी थे लेकिन लेखा परीक्षा मैनुअल नवम्बर 2007 तक तैयार नहीं किया गया था। आईए के स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा वर्ष 2004–05 से आरम्भ की गयी। 2006–07 तक की अवधि में आच्छादित इकाइयों की संख्या गत वर्षों के आच्छादित इकाइयों की तुलना में 50 प्रतिशत कम थी। विगत पांच वर्षों में बकाया आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तरों का निस्तारण बहुत कम (5 से 14 प्रतिशत) था, जिसके फलस्वरूप अनिस्तारित प्रस्तरों में कुल वृद्धि 4,066 (2002–03) से 4,816 (2006–07) की हो गयी (परिशिष्ट 3.2.9)। आईए इकाईयों द्वारा अनुस्मारक जारी करने के अतिरिक्त कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किया गया।

3.2.14 अनुश्रवण

यद्यपि, मासिक विवरणियां जैसा निर्धारित था, भेजी जा रही थी एवं मासिक बैठकें आहुत की जा रही थीं परन्तु इनके अनुपालन की कार्यवाही नहीं की जा रही थी जैसे कि अन्तः रोगी एवं बाह्य रोगी पंजिकाओं का रखरखाव न किया जाना, औषधियों के दैनिक खपत एवं वितरण पंजिकाओं आदि न तैयार करने से, स्पष्ट था। डीजी और सीएमओ के मध्य सामंजस्य की कमी, उचित अनुश्रवण न होने का एक कारण था, जिसके परिणामस्वरूप, एक्स-रे मशीन का क्रय आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किये बिना किया गया तथा विशेषज्ञ और पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध कराये बिना की गयी थी। स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति को जानने एवं उनका अनुश्रवण एवं उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए समुचित मूल्यांकन कर विभाग में प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी, यद्यपि कम्प्यूटर एवं जन शक्ति उपलब्ध थी।

¹ औरैया, बाराबंकी, बस्ती, बरेली, फतेहपुर, जौनपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, लखनऊ, मुरादाबाद एवं सीतापुर

3.2.15 निष्कर्ष

बजट नियंत्रण कमजोर था क्योंकि त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन के आधार पर बहुत अधिक आवंटन प्राप्त किया गया तथा अधिक्य को समर्पित किया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य सूचकों के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये तथा जांच किये बिना मरीजों को दवा वितरित की गई। विभाग, संचारी एवं असंचारी रोगों के नियंत्रण में असफल रहा। ग्रामीण स्वास्थ्य सेक्टर का आधारभूत ढांचा खराब था। मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी एवं उपलब्ध कार्मिकों की कार्यस्थल से अनुपस्थिति ने स्थिति को और भी अधिक खराब बना दिया था। आतंरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही थी।

3.2.16 संस्कृतियाँ

- अत्यधिक समर्पण से बचने के लिए निदेशालय द्वारा बजट प्राक्कलन सीएमओ से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बनाया जाना चाहिए।
- मरीजों को गुणवत्तापूर्ण औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, उपभोग करने के पूर्व औषधियों के विश्लेषण पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए।
- संचारी एवं असंचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए आधारभूत ढांचा एवं सामग्री प्रदान कर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।
- सीएचसी और पीएचसी पर चिकित्सालय अपशिष्ट प्रबन्धन पद्धति क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- अनुपस्थिति की समस्या से बचने के लिए एक स्थायी अनुशासनात्मक बोर्ड का गठन किया जाना आवश्यक है।
- उपलब्ध जनशक्ति का कुशलतापूर्ण उपयोग कर जनशक्ति तैनाती प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित (सितम्बर 2007) किया गया। प्राप्त उत्तर (नवम्बर 2007) को समुचित स्थानों पर समाहित कर लिया गया।

राजस्व विभाग

3.3 उत्तर प्रदेश में भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

भू-अभिलेखों के रखरखाव एवं अद्यतनीकरण की मैनुअल प्रणाली में अन्तर्निहित स्वाभाविक समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से वर्ष 1988-89 में उत्तर प्रदेश में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना (सी0एल0आर0) प्रारम्भ की गयी। योजना केवल उन क्षेत्रों में लागू की गयी थी जहाँ उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 लागू है। बहरहाल 18 वर्ष ब्यतीत हो जाने के उपरांत भी योजना पूर्ण नहीं हुयी थी।

मुख्य अंश

अभियान नियन्त्रण कमियां थे एवं सेवा निरंतरता योजना तथा आपदा प्रतिपूर्ति प्रबंधन का अभाव था।

(प्रस्तर 3.3.6.4)

उत्तालीस जनपदों में कम्पचारियों का 'आन-साइट' प्रशिक्षण अपूर्ण था

(प्रस्तर 3.3.6.6)

डेटाबेस में सकलित् सूचनाएँ त्रुटिपूर्ण थीं एवं कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में महत्वपूर्ण सूचनाएं गुम हीं थीं। इस कारण भूमि धारकों को विश्वसनीय अधिकारों का अभिलेख (आर0ओ0आर0) उपलब्ध नहीं हो रहा था।

(प्रस्तर 3.3.7)

दाखिल-खारिज आदेश निर्धारित समय सीमा के भीतर अद्यतन नहीं किये जा रहे थे।

(प्रस्तर 3.3.8.1)

अलग-अलग तहसीलों के डेटाबेस डिजाइन एवं टेबल की संरचना में भिन्नता के कारण आयोजना एवं विकास कार्यों हेतु वार्षित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) रिपोर्ट प्राप्त करने हल्ला डालने का एक कृत किया जाना कठिन था।

(प्रस्तर 3.3.10)

3.3.1 प्रस्तावना

भू-अभिलेखों के रखरखाव एवं अद्यतनीकरण की मैनुअल प्रणाली में अन्तर्निहित स्वाभाविक समस्याओं के निराकरण एवं भूमि धारकों को कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पूर्णतया केन्द्र पोषित भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना (सी0एल0आर0) वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ की गयी। प्रारम्भिक दौर में यह योजना वर्ष 1988-89 में देवरिया जनपद में पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की गयी, तदन्तर जुलाई 2005 तक समस्त जनपदों में इस योजना को लागू किया गया। कम्प्यूटरीकृत आर0ओ0आर को सभी उद्देश्यों के लिए वैधानिकता प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली-2005 (कम्प्यूटरीकृत आर0ओ0आर0 नियमावली 2005) अधिसूचित की गयी तथा हस्तालिखित आर0ओ0आर0 का निर्गम रोक दिया गया। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) द्वारा फ्रंट एंड पर विजुअल बेसिक एवं बैक एंड पर एम0एस0-एस0क्यू0एल0 सर्वर का प्रयोग करते हुये क्लाइंट सर्वर माडल अनुप्रयोग (भूलेख) विकसित किया गया।

योजना के उद्देश्य निम्नवत थे :

- भू डेटाबेस के रखरखाव एवं अद्यतनीकरण को सुगम बनाना।
- भू-अभिलेखों को छेड़छाड़ रहित बनाना जिससे कि भूमि विवाद से संबंधित कानूनी वादों एवं सामाजिक संघर्ष को कम किया जा सके।
- अवसंरचनात्मक एवं पर्यावरणीय विकास के क्षेत्र में गहन आयोजना को सुगम बनाना।
- कृषि गणना संबंधी सर्वेक्षण हेतु डेटाबेस उपलब्ध कराना।

3.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

राजस्व परिषद (परिषद) राज्य स्तरीय क्रियान्वयन प्राधिकरण है। जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य राजस्व अधिकारी की सहायता से जिलाधिकारी तथा तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं रजिस्ट्रार कानूनगो की सहायता से उप जिलाधिकारी योजना के सुगम क्रियान्वयन एवं प्रचालन हेतु उत्तरदायी हैं।

3.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

योजना की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या—

- भूमि धारकों को शुद्ध एवं विश्वसनीय खतौनी (आर0ओ0आर0) जारी की जा रही है;
- कर्मचारियों का प्रशिक्षण कुशलतापूर्वक संचालित किया गया;
- सूचना तकनीकी (आई0टी0) नियंत्रण की अच्छी प्रथाओं के परिषेक्ष्य में डेटा की सत्यता तथा डेटा, प्रणाली एवं अन्य आई0टी0 परिसम्पत्तियों की सुरक्षा से संबंधित नियंत्रण पर्याप्त हैं; और
- प्रणाली घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने की द्वष्टि से कुशल एवं प्रभावी है।

3.3.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखापरीक्षा के मापदण्ड निम्न थे—

- भारत सरकार द्वारा जारी योजना संबंधी दिशानिर्देश;
- उत्तर प्रदेश ज़मीदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (उ0प्र0 ज़ेड0ए0 एवं एल0आर0 अधिनियम) के प्रावधान;
- उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1901 एवं उ0प्र0 भूमि अभिलेख नियमावली; एवं
- सूचना तकनीकी नियंत्रण की प्रचलित अच्छी बातें।

3.3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं प्रक्रिया

चूंकि प्रणाली विकास जीवन चक्र (एस0डी0एल0सी0) की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित दस्तावेज जैसे व्यवहार्य अध्ययन, प्रयोक्ता आवश्यकता, आई0टी0 प्रणाली संबंधी डेटा फलो चार्ट आदि लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये, अतः आई0टी0 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी फाइलों, अभिलेखों, सूचनाओं, साफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देशन (एस0आर0एस0), प्रयोक्ता नियम पुस्तिका एवं आई0टी0 प्रणाली से प्राप्त डेटा एवं रिपोर्ट की जांच तक सीमित था। लेखापरीक्षा में परिषद, एक जिला

मुख्यालय (इलाहाबाद) एवं 11 तहसीलों¹ का वाह्य निरीक्षण मई से अगस्त 2007 के मध्य किया गया। इसके अतिरिक्त 305 तहसीलों में से 18 तहसीलों² के डेटाबेस को एम०एस०-एस०क्य०एल० सर्वर का प्रयोग करते हुये केन्द्रीकृत रूप से विश्लेषित किया गया।

लेखापरीक्षा के परिणाम

3.3.6 सामाज्य नियंत्रण

3.3.6.1 आईटी० रणनीति और नीतियाँ

परिषद ने कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया 1988-89 में प्रारंभ की, किन्तु कोई आईटी० रणनीति नहीं बनायी गयी थी। बहरहाल, योजना के क्रियान्वयन के अंतिम चरण (सितम्बर 2004) में भूमिका को उचित रूप से परिभाषित किये बिना एक स्टीयरिंग कमेटी/टास्क फोर्स का गठन किया गया।

3.3.6.2 योजना का विलम्ब से एवं आंशिक क्रियान्वयन

भू-अभिलेख डेटाबेस के लिये डेटा प्रविष्टि का कार्य 1995-96 में प्रारंभ किया गया था। तत्पश्चात योजना को प्रचालित करने हेतु वर्ष 2004-05 में डेटा को अद्यतन कराया गया। परिषद ने (सितम्बर 2004) योजना से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के कम्प्यूटरीकरण हेतु एक समय सीमा निर्धारित की जिसके अनुसार आर०ओ०आर० को अक्टूबर 2004, दाखिल-खारिज को जनवरी 2005, कम्प्यूटरीकृत आर०ओ०आर० से जमाबंदी एवं खसरा के स्वतः उत्पादन को जून 2005, नये आर०ओ०आर० के स्वतः उत्पादन को जून 2005, नक्शों के डिजिटाइजेशन को मार्च 2006, आर०ओ०आर० के ऊपर नक्शे की लेयरिंग को जून 2006 तथा नक्शों एवं आर०ओ०आर० को नेट पर डाले जाने का कार्य सितम्बर 2006 तक पूर्ण किया जाना था किन्तु इनमें से आर०ओ०आर० के कम्प्यूटरीकरण को छोड़कर, वह भी केवल जैड०ए०³ भूमि के लिये, अन्य किसी भी गतिविधि को नवम्बर 2007 तक कम्प्यूटरीकृत नहीं किया जा सका था। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने (नवम्बर 2007) बताया कि नान-जैड०ए०⁴ भूमि के कम्प्यूटरीकरण हेतु एन०आई०सी० द्वारा आवश्यक साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। बहरहाल शासन अन्य क्रियाकलापों के कम्प्यूटरीकरण को पूरा किये जाने के संबंध में निर्धारित तिथि बताने में विफल रहा।

3.3.6.3 अपर्याप्त प्रलेखन

परिषद एवं एन०आई०सी० ने एस०डी०एल०सी० कार्यप्रणाली का अनुपालन न करते हुये मात्र आपसी विचार विमर्श के आधार पर साफ्टवेयर का विकास किया। प्रयोक्ता आवश्यता विनिर्देशन (य०आर०एस०), डेटा फ्लो चार्ट, आगत/संसाधन/पिर्गत आवश्यकता परिभाषा, परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण एवं डेटा परिवर्तन से संबंधित प्रलेख परिषद में उपलब्ध नहीं थे। एस०आर०एस० जिसे साफ्टवेयर बनाने से पहले तैयार किया जाना चाहिये था, उसे एन०आई०सी० द्वारा साफ्टवेयर के संस्करण 1.2 के साथ (जनवरी 2005) तैयार किया गया किंतु वह भी किसी प्राधिकारी के हस्ताक्षर के अभाव में अधिकारिक नहीं था। साफ्टवेयर को विभाग द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृत किये जाने संबंधी प्रलेख भी उपलब्ध नहीं था।

¹ मलिहाबाद, मोहनलालगंज (लखनऊ), संडीला, सवायजपुर (हरदोई), बिसावा, लहरपुर (सीतापुर), कादोपुर, मुसाफिरखाना (सुलतानपुर), बिल्सी, गुन्नौर (बदायू) एवं गोहम्मदी (लखीमपुर खीरी)

² ग्यारह ऐदानी निरीक्षित तहसीलों सहित।

³ जहां उ०प्र० जैड०ए० एवं एल०आर० अधिनियम-1950 प्रभावी है।

⁴ जहां उ०प्र० जैड०ए० एवं एल०आर० अधिनियम-1950 प्रभावी नहीं है।

शासन ने स्वीकार किया (नवम्बर 2007) कि साफ्टवेयर का विकास आपसी विचार विमर्श के आधार पर ही किया गया था।

3.3.6.4 सेवा निरंतरता योजना (बी०सी०पी०) एवं आपदा प्रतिपूर्ति योजना का अभाव

सेवा निरंतरता योजना एवं आपदा प्रतिपूर्ति प्रबन्धन का अभाव था।

चूंकि जुलाई 2005 से सिर्फ कम्प्यूटरीकृत आर०ओ०आर० ही कानूनी रूप से वैध दस्तावेज है अतः योजना का जारी रहना विभाग के लिये परम आवश्यक है। परिषद द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक बैकअप लिया जाना था जबकि तहसील कम्प्यूटर केंद्र पर केवल मासिक बैकअप लिया जा रहा था। नियमित बैकअप के अभाव में, हंडिया तहसील (इलाहाबाद जनपद) में, प्रणाली के क्रैश होने के परिणामस्वरूप एक माह की डेटा क्षति हुयी। लिये गये बैकअप का प्रलेखन भी नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा बी०सी०पी० एवं आपदा की स्थिति में प्रणाली को चालू रखने के लिये पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था का न तो प्रलेखन और न ही उसका परीक्षण किया गया और तकनीकी मदद के लिये परिषद पूर्णतया एन०आई०सी० पर निर्भर था।

इसके साथ ही, परिषद को यह सुनिश्चित करना था कि यू०पी०एस०, जेनरेटर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर इत्यादि चालू हालत में रहें। कम्प्यूटर केंद्र को अलग जेनरेटर से संबद्ध किये जाने हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के बावजूद गुन्नौर तहसील (बदायूं जनपद) को छोड़कर अन्य सभी नमूना परीक्षित तहसीलों में कम्प्यूटर केंद्र, तहसील के जेनरेटर से संबद्ध थे जिसके कारण वोल्टेज में कमी, विद्युत उतार-चढ़ाव एवं मशीन के स्वतः री-बूटिंग के प्रकरण प्रकाश में आये। कम्प्यूटर केंद्र, आठ तहसीलों¹ में उपकरणों की खराबी के कारण दो से 15 दिन एवं दो तहसीलों² में डेटाबेस क्रैश होने के कारण दो से चार दिन तक बंद रहा।

किसी भी नमूना परीक्षित तहसील में अग्नि शमन यंत्र, धूम्र संसूचक, विद्युतीय एवं अन्य आपदा चेतावनी यंत्र संस्थापित नहीं थे। संवातन एवं आर्द्धता नियंत्रण उपकरण भी संस्थापित नहीं पाये गये।

कई नमूना परीक्षित तहसीलों में पाया गया कि विभिन्न स्क्रीनों में 'रन टाइम त्रुटियाँ' प्रकट हो रही थीं और अनुप्रयोग 'रन टाइम त्रुटियाँ' प्रकट होते ही स्वतः बन्द हो जा रहा था।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि राजस्व कर्मियों को इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अधिकृत कम्प्यूटर पाठ्यक्रम (डी०ओ०ई०ए०सी०सी०) के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है जिससे कि वह भविष्य में तहसील स्तर पर योजना को स्वतन्त्र रूप से संचालित कर सकें।

3.3.6.5 कर्तव्यों का पृथक्करण

कम्प्यूटर प्रचालित करने वाले कर्मचारियों के मध्य कर्तव्यों का विवेकपूर्ण ढंग से पृथक्करण किया जाना चाहिये जिससे कि प्रत्येक कर्मचारी के प्राधिकार को सीमित रखते हुये जालसाजी एवं तोड़फोड़ के जोखिम को घटाया जा सके। परिषद द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उप जिलाधिकारी को सुपर प्रयोक्ता तथा उनके द्वारा नामित रजिस्ट्रार कानूनगों को प्रशासक एवं अन्य राजस्व कर्मियों को सामान्य प्रयोक्ता के रूप में कार्य करना था।

बहरहाल संगठनात्मक नियंत्रण कमजोर था और परिषद द्वारा परिभाषित कर्तव्यों के पृथक्करण का पालन नहीं किया जा रहा था। लेखपाल स्तर के राजस्व कर्मी, जो कि

¹ सवायजपुर, लहरपुर, विसवान, मुसाफिरखाना, कादीपुर, बिल्सी, मोहम्मदी, मलीहाबाद।

² मुसाफिरखाना, कादीपुर।

रजिस्ट्रार कानूनगो से कनिष्ठ पद था, एवं यहां तक कि प्राइवेट आपरेटर प्रशासक प्रयोक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश परिषद द्वारा जारी किये गये थे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांचोपरांत उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

3.3.6.6 प्रशिक्षण

39 जनपदों में
आन-साइट
प्रशिक्षण अपूर्ण
था।

भारत सरकार ने (मई 2005) 305 तहसीलों में राजस्व कर्मियों के 'आन-साइट' प्रशिक्षण हेतु ₹0 97 लाख अवमुक्त किया था। प्रशिक्षण कार्य नवम्बर 2006 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु निर्धारित तिथि के पश्चात छह माह बीत जाने तथा ₹0 45 लाख व्यय किये जाने के उपरांत भी मात्र 63 प्रतिशत प्रशिक्षण कार्य पूर्ण हुआ था। नवम्बर 2007 तक अवशेष ₹ 52 लाख अप्रयुक्त पड़ा था तथा 70 में से 39 जनपदों में प्रशिक्षण कार्य अपूर्ण था। इसके परिणामस्वरूप नमूना परीक्षित 11 में से पांच तहसीलों में प्राइवेट आपरेटर कार्यरत थे और जहां राजस्व कर्मी कम्प्यूटर केंद्र में कार्य करने हेतु संबद्ध किये गये थे उनमें से अधिकांश को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि बकाया जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मई-2007 के पश्चात प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई प्रगति नहीं हुई थी।

3.3.7 आगत/वैधीकरण नियन्त्रण

डेटाबेस में
संकलित सूचनाएं
अपूर्ण एवं
त्रुटिपूर्ण थीं।

डेटा अद्यतनीकरण पर ₹0 2.60 करोड़ व्यय करने के उपरांत भी नमूना परीक्षित तहसीलों में बड़ी संख्या में नाम, पिता के नाम, गाटा संख्या एवं गाटा के क्षेत्रफल में त्रुटि संबंधी शिकायतों की प्राप्ति से स्पष्ट है कि अद्यतन डेटा का समुचित वैधीकरण नहीं किया गया था। इस प्रकार डेटाबेस में त्रुटिपूर्ण, नकली, लुप्त एवं अपूर्ण सूचना दर्ज होने के कारण प्राप्त निर्गत विश्वसनीय नहीं था। नमूना परीक्षित 18 तहसीलों के डेटा विश्लेषण के दौरान निम्न खामियां प्रकाश में आयीं—

3.3.7.1 नल (अस्तित्वहीन), खाली, भून्य एवं अर्थहीन वर्ण

- 13,695 प्रकरणों में खाता धारक का नाम एवं 35,909 प्रकरणों में भूमि धारक के पिता/पति का नाम खाली, अस्तित्वहीन, कॉमा, बिन्दु, विशेष वर्ण के रूप में दर्ज था।
- 306 प्रकरणों में खाता संख्या अस्तित्वहीन, खाली या निर्धारित पांच अंको से कम का दर्ज था।
- 4,29,424 खातों में फसली या तो अस्तित्वहीन, खाली, अर्थहीन वर्ण में दर्ज थी या फसली के आरंभ एवं अंत वर्ष का अंतर छह वर्षों से अधिक/कम था।
- 17,710 खातों में भू-राजस्व शून्य अंकित था।
- 19,54,012 भूमि धारकों के सापेक्ष जाति विवरण या तो अस्तित्वहीन, खाली या अर्थहीन वर्ण में दर्ज था।
- 8,595 प्रकरणों में गाटा संख्या अस्तित्वहीन, खाली, या अर्थहीन वर्ण में दर्ज थी। डेटाबेस में अविद्यमान गाटा से संबंधित डेटा मौजूद होने के परिणामस्वरूप भूमि का क्षेत्रफल 25,345 हेक्टेयर बढ़ गया। इसी प्रकार 9,927 प्रकरणों में गाटा का क्षेत्रफल शून्य था।
- 14,036 प्रकरणों में भूमि का प्रकार या तो अस्तित्वहीन, खाली, अर्थहीन वर्ण के रूप में या अशुद्ध दर्ज था।

- 11,18,549 गाटों के सापेक्ष भौमिक अधिकार के प्रारंभ होने का वर्ष अस्तित्वहीन या शून्य दर्ज था।

3.3.7.2 वैधीकरण जांच के अभाव में नकली/असंगत डेटा

- 16,947 प्रकरणों में खाता संख्या दो से 12 बार, 10,788 प्रकरणों में भूमि धारकों का नाम दो से 30 बार एवं 1,33,851 प्रकरणों में गाटा संख्या दो से 340 बार, एक ही ग्राम के अन्तर्गत, दर्ज था।
- पांच तहसीलों में 16 गाटों का क्षेत्रफल ऋणात्मक था।
- 140 प्रकरणों में खाली, अस्तित्वहीन एवं अर्थहीन वर्ण में लिखे गये खाता धारक के नाम एवं खाता संख्या के सापेक्ष दाखिल-खारिज आदेश दर्ज था।
- 2,567 प्रकरणों में अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक दर्ज था तथा 163 हेक्टेयर ऐसी भूमि को अतिक्रमित दर्शाया गया था जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं थी।
- भू-राजस्व एवं गाटा के क्षेत्रफल की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा दर्ज करने तथा फसली¹ को छह वर्ष की रेंज में प्रविष्ट करने के संबंध में अनुप्रयोग में वांछित आगत वैधीकरण का समावेश नहीं था। भूराजस्व तथा गाटा क्षेत्रफल ऋणात्मक अंकों में दर्ज पाया गया।

3.3.7.3 अपूर्ण डेटा

- 6,459 प्रकरणों में खाता विवरण जैसे कि फसली, भूमि का प्रकार एवं भू-राजस्व के बिना ही भूमि धारक दर्ज थे।
- 4,380 प्रकरणों में भूमि धारक के विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, जाति इत्यादि के बिना गाटा संख्या दर्ज थी।
- 3,010 प्रकरणों में खाता धारक एवं गाटा विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, जाति, गाटा संख्या एवं क्षेत्रफल इत्यादि के बिना खाते मौजूद थे।
- उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि असंगत/अपूर्ण डेटा का योजना के प्रचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है हालांकि ऐसे डेटा को हटाने के लिये जनपदीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि असंगत/अपूर्ण डेटा के कारण आर0ओ0आर0 एवं अन्य रिपोर्टें अपूर्ण एवं लुप्त सूचना के साथ उत्पादित हो रही थीं।

3.3.7.4 दाखिल-खारिज आदेशों की प्रविष्टि एवं मिटान पर अपर्याप्त नियंत्रण

नियमानुसार आर0ओ0आर0 के कालम 7 से 12 का प्रयोग अलग-अलग फसली में पारित आदेशों को प्रविष्ट करने के लिये किया जाता है (कालम 7 में प्रथम फसली में पारित आदेश, कालम 8 में द्वितीय फसली में पारित आदेश हेतु आदि)। अनुप्रयोग में 70 वर्ष के 6 कालमों (कुल 420 वर्ष) का प्रयोग किसी आदेश को दर्ज करने के लिये किया जाता था तथा आदेश का 420 वर्ष के बाद का भाग एक अलग आदेश के रूप में दर्ज होता था। किसी आदेश को मिटाने पर, आदेश का प्रथम 420 वर्ष ही मिटता था तथा आदेश का अवशेष भाग, अर्थात् 420 वर्ष के बाद का भाग, बचा रहता था।

3.3.7.5 भूमि की अधिकतम सीमा पर नियंत्रण हेतु वैधीकरण जांच का अभाव

नियमानुसार किसी भी भू-स्वामी को कोई भूमि किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा यदि प्राप्तकर्ता ऐसे विक्रय या दान के परिणामस्वरूप प्राप्त और अपने परिवार द्वारा धृत भूमि को मिलाकर 5.0586 हेक्टेयर से

¹ इसे कृषि वर्ष भी कहा जाता है। यह 1 जुलाई को प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होती है।

अधिक का हकदार हो जाए। इसे प्रभावी बनाने हेतु भू-स्वामियों को विशिष्ट (यूनिक) खाता संख्या का आवंटन एवं प्रत्येक गाटे में खाते के प्रत्येक सह खातेदार का अंश दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु कम्प्युटराइज्ड डेटाबेस के अनुसार, 38,451 प्रकरणों में भूमि धारकों को एक ही गांव में एक से अधिक, 3 से लेकर 13 तक, खाते आवंटित किये गये और 5,627 भूमि धारकों के पास निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि थी। साफ्टवेयर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था जिससे व्यवसायिक नियमानुसार निर्धारित भूमि सीमा से अधिक भूमिधारण के प्रकरणों को उजागर किया जा सके।

उत्तर में (नवम्बर 2007) परिषद ने बताया कि सह खातेदारों पर भूमि की अधिकतम सीमा को लागू किया जाना कठिन है क्योंकि वर्तमान में प्रत्येक गाटे में सह खातेदार का अंश दर्ज किये जाने का प्रावधान नहीं है तथा उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करने हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया है।

3.3.7.6 अनुप्रयोग साफ्टवेयर में खामियां

- प्लाट के भौमिक अधिकार का प्रारंभ वर्ष, जो कि कानूनी विवाद की स्थिति में एक महत्वपूर्ण फील्ड है, अनुप्रयोग में जांच के अभाव में रिक्त छोड़ा जा सकता था।
- जाति विवरण को अनुप्रयोग में 'हार्ड कोड' किया गया था जिसके कारण भविष्य में अनुप्रयोग के सोर्स कोड में परिवर्तन किये बिना नयी जाति को जोड़ा जाना कठिन था।

3.3.8 परिवर्तन प्रबंधन

3.3.8.1 दाखिल खारिज आदेश को कम्प्यूटर में विलम्ब से दर्ज किया जाना

परिषद द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार समस्त दाखिल खारिज आदेशों को पहले दाखिल खारिज रजिस्टर (आर-6) में दर्ज करने के पश्चात उसी दिन कम्प्यूटर में प्रविष्ट किया जाना था। परन्तु दाखिल खारिज आदेशों को आर-6 में दर्ज किये जाने के उपरांत एक सप्ताह से लेकर 18 माह बाद कम्प्यूटर में दर्ज किया जा रहा था।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

3.3.8.2 नये आर0ओ0आर का बनाया जाना

नियमानुसार आर0ओ0आर0 का रखरखाव फसली के आधार पर छह वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है। आगामी फसली के लिये नये आर0ओ0आर0 का निर्माण 30 जून तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिये। वर्तमान में (एक जुलाई 2007 से) 1415 फसली चल रही है। अतः समस्त परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुये 1415-20 फसली के लिये नये आर0ओ0आर0 का निर्माण (1409-14 फसली के आर0ओ0आर0 से) 30 जून 2007 तक पूर्ण हो जाना चाहिये था। बहरहाल नये आर0ओ0आर0 का निर्माण कार्य समय से पूरा नहीं किया जा रहा था और नमूना परीक्षित 18 तहसीलों के 1474 गांवों के नये आर0ओ0आर0 का निर्माण जुलाई 2007 तक नहीं किया गया था जिससे कि सी0एल0आर0 योजना के जारी रहने पर खतरा आसन्न था।

इसके अतिरिक्त, आर0ओ0आर0 के प्रथम छह कालम यथा नाम, पिता का नाम, गाटा संख्या, क्षेत्रफल इत्यादि को प्रत्येक छह वर्ष के पश्चात नये आर0ओ0आर0 के निर्माण के समय संशोधित किया जाना था जबकि इन कालमों में छह वर्ष के बीच में ही संशोधन किये जा रहे थे। इस प्रकार किये गये परिवर्तनों से सम्बंधित अभिलेख न रखे जाने के कारण डेटाबेस में अनाधिकृत परिवर्तन किये जाने का खतरा था।

दाखिल खारिज
आदेश विलम्ब
से अद्यतन
किये जा रहे
थे।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि परिषद द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश पूर्व में ही निर्गत किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दिशानिर्देशों का जनपदीय प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

3.3.9 साफ्टवेयर द्वारा उत्पादित रिपोर्ट का विश्वसनीय नहीं होता।

अनुप्रयोग से उत्पादित रिपोर्ट पूर्ण, शुद्ध एवं विश्वसनीय हानी चाहिये। अनुप्रयोग में, भूमि धारकों को निर्गत करने के लिये आर0ओ0आर0 का उत्पादन किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त अनुप्रयोग साफ्टवेयर में चार प्रमुख रिपोर्ट विद्यमान थीं। जिनमें खाता संख्या, भूमि धारक का विवरण, गाठे एवं क्षेत्रफल का विवरण, भू राजस्व आदि का विवरण दर्ज था। परंतु इन रिपोर्टों से उत्पादित निर्गत में निम्न विवरण के अनुसार अंतर था—

- मैनुअल एवं कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों के अनुसार तहसील के कुल क्षेत्रफल में विशाल अंतर था। छह प्रकरणों में साफ्टवेयर से उत्पादित रिपोर्ट के अनुसार तहसील का क्षेत्रफल मैनुअल अभिलेखों की तुलना में अधिक था (परिशिष्ट-3.3.1)।
- ‘ग्राम की संकलित सूचना’ और ‘श्रेणीवार खतौनी’ रिपोर्ट, ‘ग्राम की संकलित सूचना’ और ‘ग्राम खतौनी’ रिपोर्ट तथा ‘ग्राम कोड सूची’ और ‘ग्राम की संकलित सूचना’ रिपोर्ट से उत्पादित निर्गत में अंतर पाया गया।

3.3.10 डेटाबेस डिजाइन

- 18 नमूना परीक्षित तहसीलों में से 10 में अलग-अलग डेटा प्रकार एवं फील्ड चौड़ाई का टेबल ढांचा प्रयोग किया जा रहा था। तहसीलों के डेटाबेस के ढांचे में भिन्नता के कारण आयोजना एवं विकास कार्यों हेतु वांछित एम0आई0एस0 रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु तहसीलों के डेटा को एकीकृत किया जाना कठिन था।
- अनुप्रयोग डेटाबेस द्वारा प्रचालन प्रणाली (ओ0एस0) की तिथि एवं समय का प्रयोग किया जा रहा था। तिथि को प्रयोक्ता द्वारा आसानी से केवल ओ0एस0 घड़ी को किसी भविष्य या पूर्व की तिथि पर घुमाकर बदला जा सकता था जिसके परिणामस्वरूप ‘आडिट ट्रैल’ कालम में अशुद्ध तिथि का अंकन तथा भविष्य एवं पूर्व की तिथियों में आर0ओ0आर0 का उत्पादन किये जाने के प्रकरण प्रकाश में आये।

3.3.11 सुरक्षा

3.3.11.1 पासवर्ड नीति एवं अभिगमन नियंत्रण

परिषद के पास कोई सुपरिभाषित एवं प्रलेखित पासवर्ड नीति नहीं थी। सामान्य पासवर्ड नियंत्रण प्रक्रियाएं जैसे कि असफल लाग-इन प्रयासों की संख्या पर नियंत्रण, नियमित अंतराल पर पासवर्ड परिवर्तन एवं छुट्टियों में तथा कार्यालय अवधि के बाद साफ्टवेयर के उपयोग पर प्रतिबंध को अनुप्रयोग में शामिल नहीं किया गया था।

योजना के क्रियान्वयन की तिथि के बाद प्रयोक्ता पासवर्ड को नहीं बदला गया था। प्रयोक्ता को अपना पासवर्ड स्वयं बदलने की सुविधा न दिये जाने के कारण डेटाबेस में किये गये अनधिकृत/अवैध परिवर्तनों के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण कठिन था। अनेक प्रकरणों में प्रशासक एवं अन्य प्रयोक्ताओं का प्रयोक्ता नाम एवं पासवर्ड एक ही था। एक ही पासवर्ड के साथ कई प्रयोक्ता पाये गये। अल्फा-न्यूमेरिक पासवर्ड एवं पासवर्ड के लिये न्यूनतम वर्ण की बाध्यता हेतु अनुप्रयोग में कोई नियंत्रण समाहित नहीं किया गया। स्थानान्तरण/सेवानिवृति की दशा में प्रयोक्ता के खाते को मिटाने का अनुप्रयोग में कोई प्रावधान नहीं था जिससे बड़ी संख्या में निष्क्रिय प्रयोक्ता विद्यमान थे।

और प्रणाली में अनाधिकृत प्रयोक्ताओं के अभिगमन का जोखम था। अधिकांश नमूना परीक्षित तहसीलों में सामान्य प्रयोक्ता प्रशासक प्रयोक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे।

सर्वर पर केवल ३०एस० प्रमाणीकरण की आवश्यकता थी। बैक-एण्ड डेटाबेस तक पहुंच के लिये एस०क्य०एल० सर्वर एवं डेटाबेस प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं थी। ३०एस० प्रशासक का पासवर्ड एक वर्ण, अस्तित्वहीन या लाग—इन नाम के समान होने के कारण आसानी से सर्वर में लाग—इन करते हुये डेटाबेस में परिवर्तन किये जा सकते थे। प्रणाली में बैक-एण्ड अभिगमन एवं असफल लाग—इन प्रयासों को दर्ज एवं उसका विवरण उत्पादित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अनाधिकृत व्यक्तियों के कम्प्यूटर केन्द्र में अभिगमन के अनुश्रवण हेतु कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि प्रयोक्ता खाते एवं पासवर्ड के रखरखाव के संबंध में परिषद द्वारा (सितम्बर 2004) आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दिशानिर्देशों का तहसील प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

3.3.11.2 एंटी वायरस साफ्टवेयर

डेटा को नुकसान एवं खराब होने से बचाने के लिये कम्प्यूटर सिस्टम पर एंटी वायरस साफ्टवेयर की उपलब्धता अपेक्षित थी परंतु 18 नमूना परीक्षित तहसीलों में से आठ¹ में कम्प्यूटर सिस्टम पर एंटी वायरस साफ्टवेयर संस्थापित नहीं पाया गया तथा अन्य तहसीलों में एंटी वायरस साफ्टवेयर नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया जा रहा था। इंटरनेट से जुड़े होने² एवं अनाधिकृत व्यक्तियों के एम एस-आफिस जैसे अनुप्रयोग साफ्टवेयर पर कार्यरत पाये जाने के कारण कम्प्यूटर सिस्टम के वायरस से ग्रसित होने का अत्यधिक जोखिम था। मोहम्मदी तहसील (लखीमपुर खीरी जनपद) में सर्वर वायरस से संक्रमित था। अद्यतन एंटी वायरस साफ्टवेयर के अभाव में भूलेख डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (ए०ए०सी०) के माध्यम से एंटी वायरस साफ्टवेयर को अद्यतन कराने का प्रयास किया जाएगा।

3.3.11.3 आई०टी० सम्पत्ति की सुरक्षा

नियमानुसार सामग्री के प्राप्त होते ही भंडार पंजी में उसकी प्रविष्टि की जानी चाहिये परंतु आई०टी० सम्पत्तियों के प्राप्त होने पर कोई स्टाक सूची नहीं बनायी जा रही थी। मरम्मत, आवर्ती रखरखाव हेतु उपकरणों के संचलन के संबंध में किसी अभिलेख एवं 'काल विवरण' का रखरखाव नहीं किया जा रहा था तथा गेट पास जारी करने की प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। हार्डवेयर के संस्थापन के बाद आई०टी० सम्पत्तियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था जिससे सम्पत्तियों के छोरी या दुरुपयोग का जोखिम था। जवाब में तहसीलदारों ने बताया कि प्रावधानों का भविष्य में पालन किया जाएगा।

3.3.12 रुचि के अन्य विषय

3.3.12.1 डेटा को नेट पर नहीं डाला जाना

परिषद ने (अगस्त 2005) भू-अभिलेख के डेटा को सितम्बर 2005 तक इंटरनेट पर डाले जाने का निर्णय लिया जिसे कि प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अद्यतन किया जाना था। परन्तु 44 तहसीलों (305 में से) का डेटा नेट पर नहीं डाला गया था।

¹ सवायजपुर, लहरपुर, बिसावा, मुसाफिरखाना, कादीपुर, बिल्सी, गुन्नौर एवं मोहम्मदी

² कादीपुर (सुल्तानपुर जनपद)

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि तकनीकी कारणों से डेटा नेट से लुप्त है और जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

3.3.12.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा की, आई0टी0 प्रणाली की सुरक्षा, निर्धारित प्रक्रियाओं से विपर्यन का पता लगाने, सूचना प्रणाली को खतरे की पहचान करने एवं समय से उसका सुधार करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परंतु आंतरिक लेखापरीक्षकों को आई0टी0 प्रणाली, साफ्टवेयर एवं लेखापरीक्षा की नयी कार्यप्रणाली संबंधी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

3.3.12.3 आधारिक संरचना

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तहसीलों में कम्प्यूटर केंद्र के प्रचालन हेतु न्यूनतम 200–250 वर्ग फीट की ढकी जगह उपलब्ध करायी जानी थी। जबकि कम्प्यूटर केंद्र हेतु उपलब्ध करायी गयी जगह न्यूनतम निर्धारित जगह से कम थी।

3.3.12.4 वित्तीय प्रबंधन

जनपदीय डेटा सेंटर (डी0डी0सी0) की स्थापना में परिहार्य व्यय

भारत सरकार ने डी0डी0सी0 की स्थापना हेतु (दिसम्बर 2005) ₹0 5.95 करोड़ अवमुक्त किया। परिषद ने 30 जून 2006 तक इसकी स्थापना का लक्ष्य रखा और हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा तहसील एवं डी0डी0सी0 के मध्य कनेक्टिविटी हेतु शासन से अनुमोदित फर्मों से दरें आमंत्रित की (3 मई 2006)। फर्मों से दरें सात दिनों के अंदर देने को कहा गया। तत्पश्चात एन0आई0सी0 ने औचित्य का उल्लेख किये बिना सर्वर एवं नेटवर्किंग के संरूप में आंशिक परिवर्तन किया। संशोधित संरूप का समावेश करते हुये परिषद ने पुनः दरें आमंत्रित की (26 मई 2006) और फर्मों से 27 मई 2006 अर्थात अगले दिन तक दरें देने को कहा। तीनों फर्मों द्वारा प्रदत्त दरों का विवरण निम्नवत था—

(रुपये करोड़ में)	यूपीडेस्को	उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीईसी)	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड
क्र0 स0	मद का नाम		
1	हार्डवेयर एवं अन्य सहवती उपकरणों का मूल्य (3 वर्ष की वारंटी सहित)	2.99	3.21
2	साफ्टवेयर की लागत	0.36	0.51
	योग	3.35	3.72
3	एक वर्ष की कनेक्टिविटी की लागत	0.89 (23 जून 2006 को प्राप्त हुआ)	1.56
	महायोग	4.24	5.28
			6.92

दरें प्रेषित करते समय यूपीडेस्को ने सूचित किया था कि कनेक्टिविटी की दरों के संबंध में वह भारत संचार निगम लिमिटेड (बी0एस0एन0एल0) से कुछ जानकारी प्राप्त कर रहा है और कनेक्टिविटी की दरें शीघ्र ही सूचित करेगा और उसने यह दरें परिषद को 23 जून 2006 को उपलब्ध करा दीं। इसी बीच परिषद ने (31 मई 2006) दो फर्मों अर्थात उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीईसी) एवं अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड की दरों के आधार पर प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया। इनमें से यूपी0ई0सी0 की दर कम होने के कारण शासन ने इसकी दरों को अनुमोदित (3 सितम्बर 2006) किया। परिषद ने 27 सितम्बर 2006 को क्रयादेश निर्गत किया।

उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि यूपीडेस्को द्वारा प्रेषित दरें प्रत्येक मद के लिये अलग-2 एवं संयुक्त रूप से भी न्यूनतम थी। दर आमंत्रण संबंधी नियम एवं शर्तों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो परिषद को कनेक्टिविटी के संबंध में यूपीडेस्को द्वारा विलम्ब से प्रेषित दर को स्वीकार करने से रोक रहा हो। इस प्रकार परिषद, यूपीडेस्को से कनेक्टिविटी की प्राप्त दर पर विचार करते हुये शासन को संशोधित प्रस्ताव भेज सकता था। केवल हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की दरों के आधार पर भी यूपीडेस्को इन दो मदों के लिये अर्ह थी क्योंकि इसकी दरें रु0 37 लाख कम थीं।

इस प्रकार यूपीडेस्को द्वारा प्रदत्त कनेक्टिविटी की दरों को शामिल करते हुये शासन को संशोधित प्रस्ताव प्रेषित न करके परिषद द्वारा रु0 1.04 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

जवाब में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि जिन दो फर्मों ने तीनों मदों के लिये दरें सूचित की थीं उनमें से यू०पी०ई०सी० की दरें कम होने के कारण अनुमोदित की गयीं और बेहतर समन्वय को दृष्टिगत रखते हुये सम्पूर्ण कार्य एक फर्म को सौंपा गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फर्मों को संशोधित दरें देने हेतु मात्र एक दिन का समय दिया गया था, तीनों मदें अलग-अलग क्रय एवं संस्थापित करायी जा सकती थीं और डी०डी०सी० को नियत तिथि (30 जून 2006) के एक वर्ष पश्चात भी स्थापित नहीं किया जा सका था।

अनियमित / निष्क्रिय व्यय

परिषद द्वारा डी०डी०सी० की स्थापना हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव (नवम्बर 2005) एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदन एवं धन अवमुक्ति आदेश (दिसम्बर 2005) में 'टच स्क्रीन कियोस्क' क्रय एवं संस्थापित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं था। जबकि परिषद ने डी०डी०सी० के लिये अवमुक्त निधि से प्रत्येक जनपद की सदर¹ तहसील में संस्थापित किये जाने हेतु रु0 68 लाख की लागत से 70 'टच स्क्रीन कियोस्क' का क्रय (सितम्बर 2006) किया। इस प्रकार 'टच स्क्रीन कियोस्क' के क्रय पर क्रिया गया व्यय अनियमित था। उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि 'टच स्क्रीन कियोस्क' का क्रय टास्क फोर्स में लिये गये निर्णय के अनुसार किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि टास्क फोर्स ने शासन से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही 'टच स्क्रीन कियोस्क' का क्रय करने का अनुमोदन (फरवरी 2006) किया था। इसके अतिरिक्त क्रय किये गये 'टच स्क्रीन कियोस्क' नवम्बर 2007 तक संस्थापित नहीं किये गये थे जिससे किया गया व्यय निष्क्रिय था।

निधि का व्यावर्तन

भारत सरकार ने (मई 2005) राज्य स्तरीय मानीटरिंग सेल की स्थापना हेतु रु0 20 लाख अवमुक्त किया था। इसमें से कम्प्यूटर हार्डवेयर (रु0 11 लाख) का क्रय किया गया, जिसमें से रु0 7 लाख का हार्डवेयर परिषद के बाद प्रकरणों के कम्प्यूटरीकरण हेतु व्यावर्तित कर दिया गया। इसी प्रकार डी०डी०सी० में सतत डेटा संप्रेषण हेतु रु0 6 लाख की लागत से क्रय किये गये 15 कम्प्यूटर, 15 यू०पी०एस० एवं एक प्रिन्टर परिषद के अधिकारियों के कक्ष एवं विभिन्न अनुभागों में संस्थापित किया गया था।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि हार्डवेयर का क्रय एवं संस्थापन अध्यक्ष, परिषद के निर्णय के अनुसार किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विशिष्ट प्रयोजनों हेतु अवमुक्त निधियों को व्यावर्तित नहीं किया जा सकता था।

¹ जिला मुख्यालय पर स्थित तहसील

3.3.13 निष्कर्ष

1988–89 में आरंभ की गयी भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना भू-अभिलेखों के रखरखाव एवं रिपोर्टों के उत्पादन हेतु पूर्ण एवं विश्वसनीय प्रणाली के रूप में स्थापित नहीं हो पायी थी। खराब प्रणाली डिज़ाइन, मैनुअल प्रणाली से अपूर्ण डेटा ग्रहण करने, आगत डेटा पर नियंत्रण में कमी एवं अधिकतर नमूना परीक्षित तहसीलों में अवैधीकृत डेटा के कारण यह त्रुटियों से परिपूर्ण थी। परिणामतः योजना में अभिकल्पित भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की संकल्पना को साकार नहीं किया जा सका।

3.3.14 सम्पत्तियाँ

- सेवा निरंतरता योजना को अंतिम रूप देते हुये उसका परीक्षण किया जाना चाहिये जिससे कि आपदा की स्थिति में प्रचालन को जारी रखा जा सके।
- डेटा का सम्यक वैधीकरण करते हुये आगत नियंत्रण को समाहित किया जाना चाहिये जिससे कि फालतू एवं त्रुटिपूर्ण डेटा को हटाते हुये विश्वसनीय आरओआरो निर्गत किया जा सके।
- डेटाबेस एवं अनुप्रयोग डिज़ाइन की कमियों की समीक्षा की जानी चाहिये तथा विश्वसनीय एवं शुद्ध निर्गत प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिये।
- अनधिकृत अभिगमन एवं डेटा से छेड़छाड़ से बचाव हेतु स्पष्ट पासवर्ड नीति को लागू किया जाना चाहिये तथा महत्वपूर्ण डेटा से संबंधित टेबल में आडिट ट्रेल का प्रावधान किया जाना चाहिये।
- सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रत्यक्ष अभिगमन एवं सम्पत्तियों के भंडारण के संबंध में शीघ्र ही नीति निर्धारित की जानी चाहिये।

उक्त लेखापरीक्षा बिन्दुओं को सितम्बर 2007 में शासन को संदर्भित किया गया था। शासन से प्राप्त उत्तर (नवम्बर 2007) को समीक्षा में उपयुक्त स्थानों पर शामिल कर लिया गया है।

वित्त विभाग

3.4 राज्य कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण पर सूचना तकनीकी समीक्षा

मैनुअल प्रणाली की कमियों के निराकरण एवं प्रभावी बजट नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 1985-86 में कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण की योजना प्रारम्भ की गई। राज्य सरकार के दैनिक प्राप्ति एवं भुगतान से सम्बन्धित लेन देनों का कार्य कोषागारों के द्वारा किया जाता है। कोषागारों में कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के क्रियान्वयन के प्रभावीकरण एवं संचालन के आकलन हेतु सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा सम्पादित की गयी।

मुख्य अंश

प्रयोक्ता आवश्यकता (यूजर रिक्वायरमेंट) का अध्ययन नहीं किया गया था, जिस कारण साफ्टवेयर संस्करण में निरत्रै परिवर्तन किये गये। साफ्टवेयर आवश्यकता विर्निदेशन (एस0आर0एस0) के अनुमोदन से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

(प्रस्तर 3.4.5.1)

संशोधन अनुरोध विवरण अभिलिखित नहीं थे एवं किये गये संशोधनों के परीक्षण एवं स्वीकृति से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

(प्रस्तर 3.4.5.2)

अभिलिखित पासवर्ड नीति के अभाव में भौतिक एवं तार्किक अभिगमन अपर्याप्त थे। प्रयोक्ता लाग का रख रखाव नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.4.5.3 से 3.4.5.4)

पुनर्विनियोग आदेशों के वैधीकरण न किये जाने के फलस्वरूप नमूना परीक्षित कोषागारों में त्रुटिपूण पुनर्विनियोग पाये गये।

(प्रस्तर 3.4.6.1)

पेशनरों के ऑकड़ों के वैधीकरण के अभाव में पेशन भुगतान से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली प्रभावी नहीं थी।

(प्रस्तर 3.4.6.2)

मानक मद स्तर तक बजट नियंत्रण अप्रभावी था, क्योंकि बजट प्रावधान एवं आहरण वितरण अधिकारी के आवटन के सापेक्ष अधिक व्यय, व्यय संशोधन के विकल्प के साध्यम से हुआ।

(प्रस्तर 3.4.7)

3.4.1 पस्तावना

राजकीय कोषागार, शासन की वित्तीय प्रणाली की ढांचागत एवं वित्तीय ईकाई के रूप में शासकीय प्राप्तियों एवं भुगतानों के दिन प्रतिदिन के लेनदेनों के लिए उत्तरदायी है। उत्तर प्रदेश में 72 कोषागार जनपद स्तर पर कियाशील है। 307 उपकोषागार तहसील स्तर पर कोषागारों का कार्य निष्पादित कर रहे हैं। जिला कोषागार आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बिलों के पारण, लेखाओं के संकलन एवं लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करने तथा आँकड़ों को वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय लखनऊ को प्रेषित करने हेतु उत्तरदायी है। प्रत्येक जनपद कोषागार पृथक ईकाई के रूप में कार्य करता है और उपकोषागारों के लेनदेनों को उनसे सम्बन्धित जिला कोषागारों के लेखे में सम्मिलित कर लिया जाता है।

कोषागार स्तर पर आँकड़ों में वृद्धि के फलस्वरूप शासन द्वारा मानवीय त्रुटियों की घटनाओं को कम करने, बेहतर बजट नियंत्रण लागू करने, समय से स्वच्छ एवं पठनीय लेखों की प्रतियां तैयार करने, उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रगति एवं रोकड़ प्रवाह से सम्बन्धित समयबद्ध वार्ताविक आँकड़ों की प्राप्ति हेतु कोषागारों के संचालन को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय (1985-86) लिया गया। कोषागार कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम (यूपीडेस्को) द्वारा डी-बेस साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए तीन¹ कोषागारों में पायलट परियोजना के रूप में प्रारम्भ (1985-86) की गई थी। यूपीडेस्को द्वारा वांछित परिणाम देने में असफल होने के कारण कम्प्यूटरीकरण का कार्य राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनोआई०सी०) को वर्ष 1994-95 में सौंपा गया। एनोआई०सी० द्वारा कार्य को फाक्सप्लस अनुप्रयोग में प्रारम्भ किया गया। सभी जिला कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 1999-2000 में पूरा किया गया। अगस्त 2001 में फाक्सप्लस अनुप्रयोग को लाइनेक्स प्लेट फार्म पर ओरेकल बेर्स्ड अनुप्रयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

एनोआई०सी० हार्डवेयर की स्थापना, अनुप्रयोग साफ्टवेयर के विकास एवं कियान्वयन हेतु उत्तरदायी था। कोषागारों को सर्वर, बैकअप सर्वर, लाइन मैट्रिक्स प्रिन्टर, यू०पी०एस०, जेनरेटर एवं डम्ब टर्मिनल प्रदान किया गया था। कोषागारों में 2006-07 के दौरान अनुप्रयोग साफ्टवेयर, “इन्टीग्रेटेड ट्रेजरी सिस्टम एप्लीकेशन” संस्करण 5.3 कार्य कर रहा था। वर्ष 1993-94 से वर्ष 2005-06 तक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर प्राप्त करने हेतु 22.33 करोड़ रुपये व्यय किया गया था।

3.4.2 संगठनात्मक ढांचा

कोषागार जिलाधिकारी के सीधे नियन्त्रण में कार्य करते हैं। निदेशक कोषागार, कोषागारों एवं उप-कोषागारों पर समग्र प्रशासनिक नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण करते हैं। 17 जोनल कार्यालयों में तैनात अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, निदेशक को सहयोग प्रदान करते हैं। जिला स्तर पर मुख्य कोषाधिकारी या कोषाधिकारी के कोषागार प्रभारी के रूप में, लेखाकारों की सहायता से, अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं।

3.4.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन समीक्षा का उद्देश्य कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम की दक्षता, मितव्ययिता एवं प्रभावीकरण का निर्धारण करना है। इस ध्येय को प्राप्त करने हेतु उद्देश्यों को निम्नवत्

¹ लखनऊ, इलाहाबाद और उन्नाव

विभक्त किया गया जिससे ज्ञात हो कि—

- प्रणाली का क्रियान्वयन एवं संचालन प्रभावी था;
- साफ्टवेयर के नियंत्रण सम्बन्धी प्रावधान पर्याप्त थे;
- व्यवसायिक निरन्तरता योजना/आपदा प्रतिपूर्ति योजना प्रभावी थी;
- मानक मद स्तर तक बजट नियंत्रण प्रभावी था; और
- व्यवसायिक नियमों का सूचना तकनीक वातावरण में चित्रण अनुपालित किया गया था।

3.4.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्रम एवं प्रक्रिया

चूंकि सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही साफ्टवेयर प्रयोग में था अतएव पांच¹ जिला कोषागारों में अनुप्रयोग का परीक्षण किया गया। कोषागारों का चुनाव एस० आर० एस० डब्ल० आर०² के नमूना तकनीक पर आधारित था। इन कोषागारों से 2006–07 से सम्बंधित कोषागार आंकड़े (ओरेकिल डम्प) प्राप्त किये गये एवं कम्प्यूटर सहायतित सम्रेक्षा तकनीकी (सी० ए०ए०टी०) के प्रयोग द्वारा विश्लेषित किया गया।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य एवं मानक पर शासन से अप्रैल 2007 में एक परिचय गोष्ठी में विचार विमर्श किया गया। शासन के साथ समापन गोष्ठी अक्टूबर 2007 में सम्पन्न हुई।

लेखापरीक्षा के परिणाम

3.4.5 सामाज्य नियन्त्रण

3.4.5.1 प्रलेखन की कमी

कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के अनुमोदन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निदेशक कोषागार पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत थे, फिर भी कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण हेतु कोई अभिलेखित कार्ययोजना तैयार नहीं की गयी थी। प्रयोक्ता आवश्यकता विर्निदेशन (यू०आर०एस०) का अभिलेखन नहीं किया गया था जिसके कारण अनुप्रयोग साफ्टवेयर में निरन्तर बदलाव किये गये। निदेशालय में साफ्टवेयर आवश्यकता विर्निदेशन (एस०आर०एस०) के अनुमोदन और अनुप्रयोग साफ्टवेयर के परीक्षण एवं स्वीकृति से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट टेबल्स और उनके आपसी सम्बन्ध का पूर्ण विवरण एस०आर०एस० में वर्णित नहीं किया गया था क्योंकि एस०आर०एस० केवल एन०आई०सी० के प्रयोग के लिए था।

यह इंगित करता है कि कम्प्यूटरीकरण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन एक निश्चित अभिलेखन नीति बनाये बिना किया गया था। जिसके परिणाम स्वरूप मूल प्रयोक्ता आवश्यकताओं या साफ्टवेयर के प्रस्तावित वास्तु को लेखा परीक्षा द्वारा संदर्भित नहीं किया जा सका।

3.4.5.2 परिवर्तन प्रबन्धन एवं संस्करण नियंत्रण

साफ्टवेयर संस्करण में कई बार परिवर्तन किये गये थे जिसका पूर्ण विवरण जैसे दिनांक और संस्करण में बदलाव के कारण से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

¹ लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा एवं गोरखपुर कोषागार

² सैम्पुल ऐण्डम सेलेक्शन विद रिलेसमेंट

साफ्टवेयर में किये गये संशोधनों के परीक्षण एवं स्वीकृति से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। सम्प्रेक्षा को उपलब्ध कराया गया एस0आर0एस0, इन्टीग्रेटेड ट्रेजरी सिस्टम एप्लीकेशन संस्करण-2 (सितम्बर 2004) से सम्बन्धित था, जबकि वर्ष 2006-07 के दौरान कोषागारों में इन्टीग्रेटेड ट्रेजरी सिस्टम एप्लीकेशन संस्करण 5.3 का संचालन हो रहा था। संस्करण-2 के जारी किये जाने के बाद किये गये संशोधन अनुरोध विवरणों की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान चालू डेटा टेबिल्स और डेटा फलो स्ट्रक्चर को चिन्हित करना कठिना था। अपर्याप्त परिवर्तन प्रबन्धन नियन्त्रण के कारण पद्धति और आँकड़ों में संयोगिक या कपट पूर्ण परिवर्तन किये जाने का जोखिम था।

उत्तर में (नवम्बर-2007) शासन ने बताया कि अप्रैल 2007 से किये गये परिवर्तनों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव किया जा रहा है।

3.4.5.3 सूचना पद्धति के सुरक्षा उपाय

भौतिक एवं तार्किक अभिगमन अपर्याप्त थे एवं प्रयोक्ता लाग का रख रखाव नहीं किया गया।

प्रणाली की सुरक्षा किसी प्रयोक्ता पर पर्यावेक्षण, प्रतिबन्ध, नियन्त्रण एवं अभिगमन लेखों के अनुरूप परिकल्पित की जाती है फिर भी प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा उपाय अपर्याप्त थे। विवरण निम्नवत हैं:-

प्रणाली, प्रयोक्ता को प्रणाली पर कार्य (लाग आन) करने हेतु, अधिकतम तीन प्रयासों हेतु अनुमति प्रदान करता है, तीसरे असफल प्रयास के बाद प्रणाली लाग आन स्क्रीन पर पुनः वापस आ जाती है और प्रयोक्ता फिर से सम्पूर्ण प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ कर सकता है। इस प्रकार प्रणाली द्वारा अवरुद्ध न किये जाने के कारण प्रयोक्ता असीमित प्रयास करने में सक्षम था जिसके कारण प्रणाली पर अनाधिकृत अभिगमन का जोखिम बढ़ गया था। उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि संस्करण 5.4.1 (जून 2007 में स्थापित) में इस सम्बन्ध में प्रावधान किया जायेगा।

प्रणाली पर प्रभावी अनुश्रवण एवं नियन्त्रण के लिए लाग फाइल्स और आडिट ट्रेल का रख रखाव आवश्यक है, फिर भी बदलावों या असाधारण या अनाधिकृत गतिविधियों से सम्बन्धित “लॉग” का रख रखाव नहीं किया गया था। प्रयोक्ता की भूमिका (रोल) एवं अधिकार को प्रणाली में ग्राह्य (कैचर्ड) किया गया था, किन्तु किये गये परिवर्तनों से सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था जिससे पूर्ववर्ती विवरणों का पता लगाना कठिन था। स्थिति जोखिम युक्त थी क्योंकि किसी अनाधिकृत प्रयोक्ता द्वारा की गयी क्रियाविधियों तक आसानी से पहुँचना कठिन था। उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि संस्करण 5.4.1 में लाग फाइल्स बनाने का प्रावधान किया जायेगा।

पासवर्ड कम्प्यूटर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, फिर भी कोई पासवर्ड नीति नहीं बनायी गई थी। नमूना परीक्षित कोषागारों में पाया गया कि प्रयोक्ता तीन माह से अधिक समय तक एक ही पासवर्ड का प्रयोग कर रहे थे और कुछ प्रकरणों में डेटाबेस टेबिल्स में पासवर्ड नान अल्फा न्यूमिरिक तथा गोपनीय नहीं थे। उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि जल्द पासवर्ड नीति तैयार कर लागू कर दी जायेगी।

3.4.5.4 व्यवसायिक निरन्तरता/आपदा प्रबन्धन योजना

संगठन के लिए, प्रणाली के क्रैश, आपदाओं जैसे चोरी, आग और बाढ़ आदि के प्रकोप की दशा में अपनी क्रियाकलापों की निरन्तरता बनाये रखने के लिये, व्यवसायिक निरन्तरता या आपदा प्रबन्धन नीति आवश्यक है। इस नीति में किसी प्रकोप की स्थिति से निपटने हेतु प्रक्रिया अपनाये जाने का विवरण और सुरक्षित डेटा बैकअप एवं डेटा वापसी हेतु वास्तविक डाटा उत्पत्ति केन्द्रों से दूर स्थान की पहचान समिलित हो। फिर भी विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई नीति तैयार नहीं की गई। चूंकि कोषागार कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया, बिलों को पास किये जाने से चेक तैयार किये जाने तक के

ऑकड़ों को ग्राह्य करती है ऐसे में किसी रुकावट की दशा में महत्वपूर्ण ऑकड़ों के खोने की प्रबल सम्भावना थी।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में नीति तैयार कर ली जायेगी।

3.4.6 आगत (इनपुट) नियंत्रण:

3.4.6.1 ऑकड़ों की अशुद्ध ग्राह्यता

पुनर्विनियोग आदेशों के वैधीकरण न किये जाने के फलस्वरूप त्रुटिपूर्ण पुनर्विनियोग पाये गये।

वित्तीय नियमों के अनुसार निधियों का पुनर्विनियोग एक ही अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में किया जा सकता है। निधियों का स्थानान्तरण समान होना चाहिए। नमूना परीक्षित कोषागारों में अनुदान रत्तर पर पुनर्विनियोग के आदेशों के विश्लेषण में पुनर्विनियोग आदेशों के गलत ग्राह्यता (कैचरिंग) के कारण 1.87 करोड़ रुपये की विसंगति पायी गयी। अतः अशुद्ध पुनर्विनियोग के विरुद्ध आबंटन के जोखिम से इन्कार नहीं किया जा सकता।

आगे, पुनर्विनियोग ऐसे लेखाशीर्षों पर किये गये थे जो या तो बजट साहित्य में उपलब्ध नहीं थे या मौजूद होने पर उन पर निधियों का कोई प्रावधान नहीं था।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि साफ्टवेयर संस्करण 5.4.1 में प्रतिबन्ध लागू किये जा रहे हैं।

3.4.6.2 वैधीकरण जांच का अभाव

पेंशन भुगतान से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली विसंगतियों से मुक्त नहीं थी।

- वैधीकरण जांच के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रणाली में ऑकड़ों की प्रविष्टि शुद्ध निर्दिष्ट 'रेन्ज' में तथा बिना दुराकृति (डुप्लीकेट) के हो। फिर भी नमूना परीक्षित कोषागारों के पेन्शन माड्यूल में निम्न विसंगतियाँ संज्ञान में आईः—
- 4605 प्रकरणों में कार्यभार ग्रहण की तिथि सेवा निवृत्ति तिथि के बाद की थी और 1810 में प्रकरणों में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पेन्शन प्रारम्भ तिथि के बाद की थी। यह दर्शाता है कि प्रणाली में इस प्रकार की जांच लागू नहीं की गई थी यद्यपि एस0आर0एस0 में निर्दिष्ट थी।
 - 259 प्रकरणों में जन्म तिथि एवं कार्यभार ग्रहण तिथि समान पाई गई। अधिवर्षता पेन्शनरों से सम्बन्धित 3503 प्रकरणों में सेवानिवृत्त तिथि का अंकन नहीं किया गया था। परिवारिक पेन्शन के 7151 प्रकरणों में मृत्यु की तिथि का अंकन रिक्त था। अधिवर्षता पेन्शनरों से सम्बन्धित 1385 प्रकरणों में पेंशन प्रारम्भ की तिथि का अंकन नहीं किया गया था।
 - डेटाबेस में 2113 प्रकरणों में पेन्शन भुगतान आदेश दुराकृति पाये गये। अधिकतर प्रकरणों में पेन्शन भुगतान आदेश के स्वीकृति प्राधिकारी को ग्राह्य नहीं किया गया था।
 - अनुदान संख्या 62—पेन्शन से रुपये 51 लाख के बिलों का पारण 15 अंकीय वर्गीकरण अंकित किये बिना किया गया था। इसके साथ ही अनुदान संख्या 62 के अन्तर्गत '2235—00—107' योजना के न होने के बाद भी प्रणाली द्वारा बिल के पारण की अनुमति दी गई थी।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि डाटा बेस में पेन्शनरों के वैधीकरण तथा अपूर्ण पेन्शनरों के विवरणों को पूर्ण किये जाने का कार्य प्रगति में है।

3.4.6.3 व्यय में संशोधन का प्रावधान

एस आर एस के अनुसार यदि प्रयोक्ता द्वारा बिलों की प्रविष्टि के समय कोई त्रुटि हो जाय तो अधिप्रयोक्ता (सुपर यूजर) के पास व्यय में संशोधन हेतु विकल्प उपलब्ध था, जिसके द्वारा आहरण वितरण अधिकारी के प्रगामी व्यय में संशोधन कर दिया जाता है जबकि मूल प्रमाणक की धनराशि एवं लेखा शीर्ष में परिवर्तन नहीं किया जाता। इसके कारण आहरण वितरण अधिकारी द्वारा व्यय की गयी धनराशि एवं आहरण वितरण अधिकारी के सापेक्ष पारित किये गये बिलों की सकल धनराशि के भिन्न सेट विभिन्न सारणियों (टेबल्स) में मौजूद थे।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि आँकड़ों की एकरूपता के रखरखाव हेतु संस्करण 5.4.1 में सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

आगे, व्ययों की गलत प्रविष्टियों के सुधार हेतु डेविट को निष्क्रिय करने हेतु डिडक्ट डेविट प्रविष्टि को समान होना चाहिए। फिर भी नमूना परीक्षित कोषागारों में असमान संशोधन प्रविष्टियों के कारण ₹0 2.11 करोड़ असमायोजित पड़े थे। व्यय में संशोधन के माध्यम से वास्तविक व्ययों में कटौती के जोखिम से इन्कार नहीं किया जा सकता।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि संस्करण 5.4.1 में इसे भी लागू किया जा रहा है।

3.4.7 साप्टवेयर द्वारा बजट नियंत्रण

मानक मद तक बजट नियंत्रण अप्रभावी था।

विधायिका द्वारा पारित राज्य का बजट सभी कोषागारों को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में उपलब्ध कराया जाता है। राज्य बजट प्रावधानों और बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों को किये गये आबंटन की सीमा तक नियन्त्रित एवं प्रतिबन्धित किया जाता है। जबकि वर्ष 2006–07 के बजट अनुदानों/शीर्षों¹ के सापेक्ष लेखा शीर्ष में वेतन एवं वेतन के अतिरिक्त मानक मदों के समेकित आँकड़ों के अनुदान, योजना, मानक मद स्तर पर किये गये विश्लेषण के दौरान स्पष्ट हुआ कि राज्य बजट प्रावधानों और आहरण वितरण अधिकारियों को आबंटन से अधिक बिल पारित किये गये थे। यह व्ययों में संशोधन के विकल्प द्वारा सम्भव था क्योंकि आहरण वितरण अधिकारियों के एक लेखा शीर्ष में व्यय की कमी उस लेखा शीर्ष में व्यय की कमी के बराबर धन उपलब्ध हो जाता था। विवरण निम्नवत है—

(करोड़ रूपये में)

बजट प्रावधान से अधिक बिलों का पारण				
प्रकरणों की संख्या	वेतनक मद लेखा	राज्य बजट प्रावधान	पारित बिल की कुल धनराशि	प्रावधान से अधिक व्यय
19	वेतन के अतिरिक्त मानक मद	38.54	38.97	0.43
114	वेतन मानक मद	7.57	10.43	2.86
आहरण वितरण अधिकारी के आबंटन से अधिक बिलों का पारण				
प्रकरणों की संख्या	वेतनक मद लेखा	आबंटन का आवंटन	पारित बिल की कुल धनराशि	आवंटन से अधिक व्यय
88	वेतन के अतिरिक्त मानक मद	90.08	94.62	4.54
825	वेतन मानक मद	303.48	319.68	16.20

¹ अनुदान संख्या :62-पैशन, 21-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं मुख्य शीर्ष 7610-ऋण एवं अग्रिम को छोड़कर

² (01-वेतन, 03-महंगाई भत्ता, 38-अन्तर्रिम सहायता, 50-महंगाई वेतन)

अतएव बजट प्रावधान एवं आरहण वितरण अधिकारी के आबंटन से अधिक बिलों के पारण के कारण मानक मद स्तर तक बजट नियंत्रण अप्रभावी था।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि आहरण वितरण अधिकारी के आग्रह पर कोषागार द्वारा संशोधन करने के कारण सम्भावित अधिक व्यय पर आवश्यक सुरक्षा उपाय, संस्करण 5.4.1 (जून 2007 से प्रभावी) में किये जा रहे हैं। फिर भी प्रणाली (नवम्बर 2007) त्रुटिपूर्ण है क्योंकि कोषागार स्तर पर किये गये संशोधनों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को लेखे में सम्मिलित करने हेतु अवगत नहीं कराया गया था।

3.4.7.1 राज्य स्तर पर बजट प्रावधान से अधिक आबंटन

वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्ष 2006–07 के राज्य ऑकड़ों के विश्लेषण के दौरान स्पष्ट हुआ कि अनुदान स्तर पर निधियों का आबंटन बजट प्रावधानों से अधिक किया गया था। 95 अनुदानों में से 11 में बजट प्रावधान ₹0 6165.08 करोड़ के सापेक्ष आबंटन की धनराशि ₹0 6219.24 करोड़ पायी गयी, फलस्वरूप ₹0 54.16 करोड़ का अधिक आबंटन किया गया। जो यह दर्शाता है कि आबंटन आदेशों की प्रविष्टि, बजट प्रावधानों के सापेक्ष नहीं थी। केन्द्रीय बजट नियंत्रण प्रणाली मौजूद न होने के कारण स्थिति जोखिम युक्त थी।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि निधियों का आबंटन बजट से अधिक दर्शाया जाना, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय ऑकड़ों में पुनर्विनियोजन आदेशों को प्रविष्ट न किये जाने के कारण है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डेटा विश्लेषण अनुदान स्तर पर किया गया था तथा पुनर्विनियोजन को अनुदान के अन्दर ही किया जाता है।

3.4.8 व्यवसायिक नियमों का लागू न किया जाना

3.4.8.1 लेन देनों का पूर्व तिथि में अंकन

वित्तीय नियमों के अनुसार कोई भी लेन देन वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद निष्पादित नहीं किया जा सकता। नमूना परीक्षित कोषागारों में आबंटन आदेश टेबल के विश्लेषण के दौरान पाया गया कि आबंटन आदेश की राशि ₹0 628.95 करोड़ पुनर्विनियोग धनराशि ₹0 250.61 करोड़ एवं देयकों की धनराशि ₹0 1048.73 करोड़, जो कि वित्तीय वर्ष 2006–07 से सम्बन्धित थे, की प्रविष्टि प्रणाली में 31 मार्च 2007 के बाद (08 अप्रैल तक) की गयी। इससे यह इंगित होता है कि वित्तीय नियमों को प्रणाली में समाहित नहीं किया गया था, फलस्वरूप वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भी वित्तीय लेन देनों की प्रविष्टि की गई। लेन देनों की तिथि को बन्द करने का विकल्प मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी के पास था।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि मार्च के लिए लेन देनों में व्ययों के तीव्र प्रवाह के कारण 31 मार्च के बाद भी इनकी प्रविष्टि जारी रखी गयी।

3.4.8.2 आख्याओं का सृजन न किया जाना

संहिता प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पश्चात् सभी निक्षेपों एवं व्यपगत अवशेषों से सम्बन्धित व्यपगत निक्षेप आख्या महालेखाकार (ले एवं ह) को प्रस्तुत की जानी थी। परन्तु प्रणाली में ऐसी आख्या सृजित नहीं की जा रही थी जबकि ऑकड़े उपलब्ध थे।

संहिता प्रावधानों के अनुसार, राजस्व वापसी के प्रमाणक को प्रपत्र-19 में वास्तविक राजस्व प्राप्ति विवरण को वापसी के सापेक्ष ग्रह्य किया जाना था। परन्तु इस प्रकार के विवरण को न ग्राह्य किया गया और न ही आख्या सृजित की गयी।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि इस प्रकार की रिपोर्टों का सृजन प्रणाली में समाहित किया जायेगा।

3.4.8.3 सारांश अनुसंगिक (एसी) एवं विस्तृत अनुसंगिक(डीसी) देयक

नियमानुसार, सारांश अनुसंगिक देयक को पारित करने के पूर्व कोषाधिकारी का दायित्व है कि आहरण एवं वितरण आधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र की जाँच कर लें कि पूर्व में पारित किये गये सारांश अनुसंगिक देयक के विरुद्ध कोई भी विस्तृत अनुसंगिक देयक लम्बित नहीं है। जबकि प्रणाली में न तो सारांश अनुसंगिक देयक को चिन्हित करने का एवं न ही आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को ग्राह्य करने का प्रावधान किया गया था। प्रावधानों के अभाव में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये पश्चातवर्ती सारांश अनुसंगिक देयकों को पारित करने से रोकने के लिए प्रणाली में कोई भी जाँच लागू नहीं थी।

उत्तर में (नवम्बर 2007) शासन ने बताया कि प्रणाली में सारांश अनुसंगिक देयकों को चिन्हित करने के प्रावधान किये जायेंगे।

3.4.9 निष्कर्ष

प्रदेश के सभी कोषागारों में कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने के नौ वर्ष पश्चात भी प्रणाली पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर रही थी क्योंकि त्रुटियों की घटनाएं अधिक थी एवं प्रभावी बजट नियंत्रण लेखा शीर्ष के मानक मद स्तर तक नहीं किया जा सका था।

3.4.10 संस्कृतियाँ

विभाग को चाहिए कि:-

- वर्तमान स्तर तक की कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया का उचित अभिलेखीकरण किया जाय जिससे कि भविश्य के परिवर्तनों का विवरण उपलब्ध हो सके।
- बजट प्रावधान, निधियों का पुनर्विनियोजन, आहरण एवं वितरण अधिकारी को बजट आबंटन एवं व्यय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु केन्द्रीय बजट नियंत्रण प्रणाली का विकास किया जाय।
- पेंशनर्स के डेटाबेस के उचित वैधीकरण के लिए त्वरित समाधान युक्त कदम उठाये जायें।
- अनाधिकृत प्रयोक्ता अभिगमन एवं ऑकड़ों में छेडछाड़ को रोकने हेतु भौतिक एवं तार्किक अभिगमन के नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाय।
- कम्प्यूटरीकृत वातावरण में व्यवसायिक नियमों के सही चित्रण को सुनिष्पित करने हेतु कदम उठाये जायें।

उपरोक्त प्रकरण सितम्बर 2007 में शासन को संदर्भित किया गया; शासन से प्राप्त उत्तर (नवम्बर 2007) को उचित स्थान पर समीक्षा में समिलित कर लिया गया। शासन ने संस्कृतियों को स्वीकार किया।

नगर विकास विभाग

3.5 अर्द्ध कुम्भ मेला प्रबन्धना

3.5.1. प्रस्तावना

इलाहाबाद में स्थित संगम एक महत्वपूर्ण हिन्दू धार्मिक केन्द्र है। यहाँ पर प्रति वर्ष माघ मेला, हर छह वर्ष पर अर्द्ध कुम्भ मेला (अ०कु०मे०) और हर 12 वर्ष पर कुम्भ मेला माघ मास (जनवरी-फरवरी) में होता है। यूनाइटेड प्रॉविन्सेज मेला अधिनियम 1938 (मेला अधिनियम) तथा इलाहाबाद माघ मेला नियमावली 1940 के अन्तर्गत उक्त मेले सम्पन्न होते हैं। यह नियमावली जिलाधिकारी को मेला के मैनेजर के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। कुम्भ तथा अर्द्ध कुम्भ मेले के समय मेला क्षेत्र एक अलग जनपद घोषित किया जाता है तथा शासन, जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को मेला अधिकारी नियुक्त करता है। शासन स्तर पर नगर विकास विभाग मेला सम्पन्न कराने हेतु नोडल विभाग के रूप में नामित है। अर्द्ध कुम्भ मेला 2007 दिनांक 03 जनवरी 2007 से 16 फरवरी 2007 तक 45 दिन चला।

लेखा परीक्षा में 24 विभागों में से 20 विभागों (*परिशिष्ट-3.5.1*) जिन्हें धन आबंटित था की नमूना जांच फरवरी 2007 से जून 2007 के मध्य मितव्यिता, दक्षता एवं प्रभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुए, सम्पादित किया गया। नमूना जांच के परिणाम आगे के प्रस्तारों में निम्नवत वर्णित हैं।

3.5.2 बजट आवंटन एवं व्यय

राज्य सरकार द्वारा अर्द्ध कुम्भ मेला 2007 की व्यवस्था हेतु 173.12 करोड़ रुपये की धनराशि रखीकृत (अगस्त 2006) की गयी। जिसके विरुद्ध 169.40 करोड़ रुपये की धनराशि मेला प्रशासन को अवमुक्त की गयी जो मेला सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए अधिकृत था। अवशेष 3.72 करोड़ रुपये पुलिस विभाग को शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु अवमुक्त की गयी। आबंटन मेलाधिकारी द्वारा प्रक्षेपित तीन करोड़ श्रद्धालुओं पर आधारित था। मेलाधिकारी द्वारा समय-समय पर मांग के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि उपलब्ध करायी गयी। 153.31 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी एवं अवशेष 16.09 करोड़ रुपये की धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (1.18 करोड़ रुपये) तथा उ०प्र० जल निगम (0.27 करोड़ रुपये) विभागों की कुल देयता 1.45 करोड़ रुपये को ध्यान में न रखते हुए समर्पित कर दी गयी। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग ने 2.42 करोड़ रुपये की देनदारी सृजित की।

3.5.3 अनुमानित भीड़ को बढ़ाना

भीड़ के आधिक्य आकलन के परिणामस्वरूप अनावश्यक व्यय किया गया।

मौनी अमावस्या (19 जनवरी 2007) पर 3 करोड़ आकलित भीड़ के आधार पर मेला की व्यवस्था की गयी थी। मेलाधिकारी द्वारा अ०कु०मे० 2007 के विभिन्न पर्वों पर श्रद्धालुओं की अपेक्षित संख्या का अनुमान पर्वों के दौरान आकलित श्रद्धालुओं की वास्तविक उपस्थिति से 31 से 67 प्रतिशत अधिक थी (*परिशिष्ट 3.5.2*)।

लेखा परीक्षा द्वारा आकलित भीड़ से सम्बन्धित सामानान्तर साक्षों के आधार पर स्वतंत्र जांच में आकलित भीड़ की उपस्थिति अविश्वसनीय पायी गयी जिसका विवरण निम्नुसार था:

3.5.3.1 कल्पवासी, साधुसन्त, पन्डा एवं मन्डलेश्वर जो ००कु०००० २००७ में स्थायी रूप से पूरे मेला अवधि में निवास कर रहे थे, उनकी संख्या ४३ लाख औंकी गयी थी तथा उन्हें ७०४.६५ बीघा (१७३.१३ लाख घनफुट) भूमि आवंटित की गयी। यदि सड़क व अन्य उपयोगिताओं हेतु व्यवस्था को बिना अलग करते हुए इस समस्त भूमि को मात्र उनके रहने में उपयोग किया जाये तो प्रति व्यक्ति चार वर्ग फुट भूमि उपलब्ध थी जो स्थायी आवास के लिए अविश्वसनीय था। यदि प्रति व्यक्ति स्थायी वास हेतु ५० वर्ग फुट न्यूनतम भूमि क्षेत्र माना जाये तब भी सभी आवश्यक व्यवस्थाओं यथा सड़क आदि को बिना अलग किए हुए भी स्थायी वासियों की ३.५० लाख अधिकतम जनसंख्या ही आवासित हो सकती थी। लेखा परीक्षा के इंगित करने पर मेलाधिकारी द्वारा पूर्ण मेला अवधि में स्थाई वासियों की संख्या ३.४३ लाख सत्यापित (मार्च २००७) की गयी थी। इस प्रकार बजट प्राप्त करने के उद्देश्य से मेला क्षेत्र में स्थायी वासियों की संख्या १२ गुना अधिक दिखायी गयी।

3.5.3.2 जनपद इलाहाबाद की जनसंख्या ६२ लाख है। ५ जनवरी, २००७ से १९ जनवरी, २००७ तक इलाहाबाद में आने वाले यात्रियों की संख्या १४.९६ लाख (उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम बसों से : ९.८५ लाख तथा रेल से : ५.११ लाख) थी। यदि इसमें निजी साधन से आने वाले सम्भावित ५ लाख यात्री तथा जनपद इलाहाबाद की ५० प्रतिशत (३१लाख) आबादी सम्मिलित कर दी जाय और ५ जनवरी से १९ जनवरी तक सभी माध्यमों से आये तीर्थ यात्री मुख्य स्नान पर्व १९ जनवरी, २००७ तक रूपे रहें, तब भी स्थायी वासियों सहित उस दिन ५५ लाख से अधिक तीर्थ यात्री नहीं थे। जबकि मेला अधिकारी ने इसे १.८० करोड़ सूचित किया था। इस प्रकार किसी भी मानक के अनुसार ३ करोड़ भीड़ का आकलन त्रुटि पूर्ण था जो अधिक बजट प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। मेलाधिकारी द्वारा दो निर्माण कार्यों पर ४.५० करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत था :

- कुम्भ २००१ में जनसंख्या २.२५ करोड़ मानते हुए पानी की आवश्यकता ५४ मिलियन लीटर प्रतिदिन (एम.एल.डी.) औंकी गयी थी, जिसकी आपूर्ति २८ नलकूपों से की गयी थी। ००कु०००० २००७ में मुख्य पर्व पर (१९ जनवरी २००७) सम्भावित जनसंख्या हेतु ७६ एम.एल.डी. की आवश्यकता औंकी गयी जिस हेतु १० अतिरिक्त नलकूपों का अधिष्ठापन किया गया जिस पर लगभग ७१ लाख रूपये व्यय किया गया जबकि मुख्य पर्व पर ५५ लाख से अधिक जनसंख्या नहीं थी, जिसके लिये पूर्व में सत्यापित २८ नलकूप पर्याप्त थे। इस प्रकार नलकूप अधिष्ठापन पर ७१ लाख रूपये का व्यय अनावश्यक था।
- निर्माण शाखा जल निगम ने कुम्भ २००१ (३४५ कि.मी.) के सापेक्ष ७७ कि.मी. (कुल ४२२ कि.मी.) पाइप लाइन अधिक बिछायी जिस पर ३.७९ करोड़ रूपये व्यय किया गया। यह भी अनावश्यक था।

उत्तर में शासन ने सूचित (नवम्बर २००७) किया कि कुम्भ २००१ की जनसंख्या के आधार पर ००कु०००० २००७ के भीड़ का आकलन किया गया था तथा इसी आधार पर

समस्त प्रबन्ध किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कुम्भ 2001 में स्थायी वासियों की संख्या 35 लाख बतायी गयी थी जबकि उन्हें उपलब्ध करायी गयी भूमि (जो लगभग 30कु0मे0 2007 के समान थी) में 3.50 लाख से अधिक व्यक्ति निवास नहीं कर सकते थे। मुख्य पर्व पर भीड़ का आकलन भी किसी वैज्ञानिक पद्धति पर न किये जाने के कारण विश्वसनीय नहीं था।

3.5.4 संगम क्षेत्र में जल प्रदूषण

मेला अवधि में संगम पर नदी का जल नहाने योग्य नहीं था।

केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नई दिल्ली (के0प्रा0नि0वो0) ने वर्ष 2001 में कुम्भ मेला प्रबन्धन के अध्ययन में इंगित किया था कि गंगा तथा यमुना नदी में आ रहे गन्दे जल का उपचार न होने के कारण संगम क्षेत्र के जल में बायोकैमिकल आक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.) एवं कॉलीफार्म स्तर निर्धारित मानक से बहुत अधिक पाया गया जिससे पानी नहाने योग्य नहीं था। के.प्र.नि.बो. ने बी.ओ.डी. तथा कॉलीफार्म कम करने हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस.टी.पी.) एवं नदियों को क्लोरीनीकरण करके प्रदूषण नियन्त्रण हेतु सुझाव दिया था। तथापि विभाग ने इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही नहीं की, केवल 30कु0मे0–2007 में सलोरी नाले से उत्सृजित 300 लाख लीटर प्रति दिवस गन्दे पानी को गंगा नदी में जाने से रोकने हेतु एक अस्थायी तालाब लागत 1.27 करोड़ रुपये से निर्मित किया। फिर भी 930 लाख लीटर पानी प्रतिदिन लगातार नदियों में गिरता रहा। विभाग द्वारा नदियों का क्लोरीनीकरण भी नहीं किया गया। उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत आकड़ों के आधार पर 30कु0मे0 2007 के प्रारम्भ में ही संगम क्षेत्र में बी0ओ0डी0 तथा कॉलीफार्म निर्धारित मानक से कमशः 60 प्रतिशत तथा 4100 प्रतिशत अधिक था, जो मेला अवधि में बढ़कर कमशः 440 प्रतिशत तथा 17900 प्रतिशत हो गया (परिशिष्ट 3.5.3)। इसके अतिरिक्त मेला नियमावली के अनुसार शवों का नदी में निस्तारण, नदियों के प्रदूषण बढ़ाने में सहायक होने के कारण प्रतिबन्धित था। इसके बावजूद मेला अवधि में 198 शव जो पान्दून पुलों के नीचे फसे थे उन्हें पुनः गंगा की मुख्य धारा में प्रवाहित कर दिया गया।

उत्तर में शासन द्वारा बिना उपचार के गन्दे पानी को नदियों में सम्मिलित होने का तथ्य स्वीकार (नवम्बर 2007) किया गया। यद्यपि शासन ने बी0ओ0डी0 में वृद्धि के कारण 30कु0मे0 2007 में उपस्थित भीड़ बताया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बी0ओ0डी0 तथा कॉलीफार्म स्तर मेला प्रारम्भ में ही अत्यधिक थे।

3.5.5 ठोस अपशिष्ट का अनियमित निस्तारण

ठोस अपशिष्ट का निस्तारण एक विरुद्ध किये जाने के कारण पर्यावरण को क्षति पहुँचायी गयी।

म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं संचालन) नियमावली–2000 के अनुसार ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु गड्ढों का चिन्हीकरण विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाये तथा इतना गहरा बनाया जाये कि वह 20 से 25 साल तक चले तथा वह रिहायशी इलाकों, जंगल, पानी के स्रोत तथा दलदल से दूर हों तथा नियमित रूप से गड्ढों के क्षेत्र का भूगर्भ जल के गुणवत्ता का नमूना (डाटा) रखा जाये ताकि भविष्य में भूगर्भ जल स्वीकार्य स्तर से अधिक प्रदूषित न हो पाये। अभिलेखों की जांच में पाये गये :

- ठोस अपशिष्ट 6374 मैट्रिक टन (कुल एकत्र ठोस अपशिष्ट 10240 मैट्रिक टन का 62 प्रतिशत) 3908 गड्ढों में तथा 59 जानवरों के शव अलग गड्ढों में भरे गये जो मेला क्षेत्र में नदी के किनारों पर फैले हुए थे। मेला क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का

अस्थायी निस्तारण, वर्षा होने पर मेला क्षेत्र में पानी भर जाने पर रेतीले किनारे पर दबायी गयी समस्त ठोस अपशिष्ट के बाहर निकल पड़ने तथा नदी की धारा में बह जाने की आशंका थी। मेला क्षेत्र में इस प्रकार ठोस अपशिष्ट के निस्तारण से मेला क्षेत्र में जल एवं मृदा के प्रदूषण का भी खतरा था।

- इसके अतिरिक्त प्रतिदिन लगभग 86 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट मेला क्षेत्र से बाहर अन्धावा एवं बक्शी बौद्ध पर निस्तारित किया गया। यह स्थान विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा अनुमोदित नहीं था।

उत्तर में शासन ने सूचित (नवम्बर 2007) किया की ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नगर निगम के मौखिक निर्देशों के अनुसार किया गया। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि मेला क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का इस प्रकार निस्तारण ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं संचालन) नियमावली, 2000 की अनदेखी था।

3.5.6 अपर्याप्त आपदा प्रबन्धन योजना

अद्वैत कुम्ह मेला 2007 की आपदा प्रबन्धन योजना अपर्याप्त थी।

उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 शासन सहित विभिन्न पड़धारियों (स्टेक होल्डर्स) को एक सार्वजनिक मंच प्रदान करता है, जिसमें आपातस्थिति में आपदा के खतरों के निवारण एवं शमन को दृष्टिगत रखते हुए आपदा के बाद पुर्णनिर्माण एवं पुर्नवास का कार्य सुनिश्चित किया जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना के कुशल संचालन हेतु एक इवेन्ट मैनेजर नियुक्ति की जानी थी परन्तु जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा अद्वैत कुम्ह मेला 2007 को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबन्धन योजना नहीं बनायी गयी। यद्यपि दो विभागों (पुलिस एवं स्वास्थ्य) ने अपने स्तर पर इस प्रकार की योजना पृथक रूप से बनायी थी, वह भी निम्न विवरण के अनुसार अपर्याप्त थी :–

- लोगों को नदी में फिसलने/गिरने से बचाने हेतु स्वीकृत 40 गोता खोर के विरुद्ध एक भी गोता खोर की तैनाती नहीं थी।
- पुलिस विभाग एवं मेलाधिकारी ने कोहरे को आपदा का कारण नहीं माना जबकि पूर्व मौसम अभिलेखों के अनुसार इसकी सम्भावना प्रबल थी।
- अग्निशमन अधिकारी द्वारा 40 फायर स्टेशन की मांग के विपरीत मात्र 24 फायर स्टेशन मेला क्षेत्र में स्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त 100 अग्निशमन यंत्र की मांग के विरुद्ध एक भी अग्निशमन यंत्र नहीं क्रय किया गया।
- भारतीय मानक ब्यूरो के विशिष्टि सं0-आई.एस. 8758-1993 के अनुसार मेला जैसे क्षेत्र में पन्डाल तथा अस्थायी ढाँचा निर्माण में संस्लेषित सामग्री का प्रयोग प्रतिबन्धित था, तथापि अग्निशमन अधिकारी के निर्देशों के बावजूद किसी भी पन्डाल/टेन्ट धारकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र कि ‘सभी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित कर लिये गये हैं’ नहीं प्राप्त किया गया जबकि अधिकांश पन्डाल/टेन्ट में संस्लेषित सामग्री का प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार, शार्ट सर्किट एवं तरल पेट्रोलियम गैस सिलेन्डर (एल0पी0जी0) के फटने से बचाव की भी योजना अभिलेखों में नहीं पायी गयी थी।
- सुरक्षा नियमों के सर्वथा विपरीत एक गैंस का गोदाम, मेला क्षेत्र में सेक्टर 5 कालीदास मार्ग पर बिजली के सब स्टेशन-1 के बगल में बनाया गया।

- 10000 लीटर क्षमता वाले 30 स्टेटिक टैंक हेतु आठ पम्पों की मांग के विपरीत उपलब्ध कराये गये पांच पम्प जो स्थापित नहीं किये गये थे, जिससे वे दिनांक 24. 01.07 को पायलेट बाबा के पन्डाल में अभिनि काण्ड के समय उपयोग में नहीं लाये जा सके। पम्पों की स्थापना न करने के कारण न तो अभिलेखों पर था न ही शासन द्वारा इसका उत्तर प्रस्तुत किया गया।
- मेला क्षेत्र में कोई भी ऑसू गैस यूनिट, फोटो ग्राफिक कैमरा मैन तथा मेटल डिटेक्टर एवं क्लोज सर्किट टेलीवीजन सुरक्षा कर्मी की तैनाती नहीं की गयी थी।

उत्तर में शासन ने (नवम्बर 2007) गोताखोरों की तैनाती न किया जाना एवं कोहरे को आपदा कारण नहीं मानने के अतिरिक्त सभी तथ्य स्वीकार किये तथा प्रत्युत्तर में बताया गया कि मेला में गोताखोरों की तैनाती की गयी थी तथा सोडियम लाइट का प्रयोग फाग लाइट के रूप में किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पुलिस विभाग ने किसी भी गोताखोर के तैनाती न होने तथा स्थापित सोडियम लैम्प की एन्टीफाग लाइट न होने को सत्यापित (जनवरी 2007) किया था।

3.5.7 निर्माण प्रबन्धन

मेला के निर्माण कार्य में निम्न बिन्दु संज्ञान में आये :

3.5.7.1 पाइप लाइन बिछाने में परिहार्य व्यय

विशेषज्ञ संस्था के निर्देशों के विपरीत जलनिगम द्वारा स्थायी पाइप लाइन बिछायी गयी।

मोतीलाल नेहरू, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (एम०एन०एन०आई०टी०) ने सुझाव (जुलाई 2006) दिया था कि मेला क्षेत्र हेतु स्थायी पाइप लाइन बिछाना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि इन पर अधिक व्यय आता है तथा असमय खाली पड़े पाइपों में एलगी, विषाणु युक्त रेंगने वाले जन्तु आदि पैदा होते हैं। मुख्य अभियन्ता, जल निगम ने भी निर्देश (जुलाई 2006) दिया था कि स्थायी पाइप लाइन न बिछायी जाये। इसके बावजूद निर्माण शाखा जल निगम द्वारा निर्वतमान मंत्री नगरीय विकास के निर्देशित करने के कारण 7 किमी० स्थाई पाइप लाइन 32 लाख रुपये की लागत से मेला क्षेत्र के परेड ग्राउन्ड में बिछायी गयी। निर्माण शाखा जल निगम ने तथ्य (जून 2007) स्वीकार किया। इस प्रकार विशेषज्ञ संस्था द्वारा मना करने के बावजूद निर्माण शाखा, जल निगम द्वारा स्थाई पाइप लाइन बिछाने के परिणामस्वरूप 32 लाख रुपये परिहार्य व्यय किया गया।

3.5.7.2 धनावरोध

आवश्यकता से अधिक पान्टूनों का प्रबन्ध

त्रुटि पूर्ण आकलन के कारण 6.36 करोड़ रुपये की सामग्री आवश्यकता से अधिक क्य की गयी।

निर्माण खण्ड-4, लो नि वि द्वारा 47 आरक्षित पान्टून को सम्मिलित करते हुए 1120 पान्टून की आवश्यकता (जुलाई 2006) 14 पान्टून पुल के निर्माण हेतु आकलित की गयी। चूंकि 362 पान्टून भण्डार में पहले से मौजूद थे, अतः निर्माण खण्ड 4 ने 758 पान्टून, (विद्युत एवं याँत्रिक (वि एवं याँ) खण्ड, लो नि वि, इलाहाबाद (240 पान्टून) तथा निजी संस्थाओं (518 पान्टून) से क्रय करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात निर्माण खण्ड 4 द्वारा 957 ही पान्टून की आवश्यकता का पुर्णआकलन किया गया (नवम्बर 2006)। पुर्णआकलन के समय तक नीचे दिये गये विवरण के अनुसार निर्माण खण्ड 4 द्वारा 1097 पान्टून एकत्र कर लिये गये थे :

क्र.सं.	पान्टून प्राप्ति का सात	पान्टून सख्त्या
1	नि ख 4 के भन्डार में पड़े हुए	362
2	अन्य खण्डों से प्राप्त	95
3	विद्युत एवं यांत्रिक, लो नि खण्ड से निर्मित	240
4	निजी संस्थाओं से निर्मित	400
	योग	1097

इस प्रकार 47 आरक्षित पान्टून के अतिरिक्त 140 पान्टून (लागत 3.29 करोड़ रुपये) आवश्यकता से अधिक थे। ये धनावरोध 3.29 करोड़ रुपये के कारण अगले 6 वर्ष यथा कुम्भ 2013 तक निष्क्रिय रहेंगे। अधिक समय तक अनुपयोगी रहने के कारण इनकी गुणवत्ता के क्षरण से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

सामग्री का प्रबन्ध

निर्माण शाखा जल निगम तथा निर्माण खण्ड 4, लो नि वि द्वारा आकलित सामग्री, क्य तथा मेला के अन्त मे सामग्री का विवरण निम्नानुसार था :

मद	प्रारम्भिक अवशेष	आकलित आवश्यकता	क्रय	योग	उपभोग	अप्रयुक्त (कालम 3 के सापेक्ष प्रतिशत)	लागत (करोड़ रुपये मे)
1	2	3	4	5	6	7	8
सी.आई.टाइटन पाइप (जल निगम) मीटर मे	45189	55811	60425	105614	92333	13281(24)	1.26
एम.एस.प्लेट (लो.नि.वि.) मैट्रिकटन मे	–	2028	2028	2028	1487	541 (27)	1.81

अधिक सामग्री क्रय करने के कारण 3.07 करोड़ रुपये धनराशि अवरोधित रही। निर्माण शाखा जलनिगम ने अधिक सामग्री क्रय के विषय मे कोई तर्क संगत कारण नहीं दिया।

रैन बसेरा¹ निर्माण

मानचित्र के अनुमोदन के बिना ही दो करोड़ रुपये रैन बसेरा निर्माण हेतु अवमुक्त कर दी गयी।

शासन द्वारा 6.13 करोड़ रुपये लागत से 2500 से 5000 लोगों की क्षमता की रैन बसेरा निर्माण परियोजना स्वीकृत (दिसम्बर 2006) किया था ताकि तीर्थ यात्रियों को समर्थानुसार दरों पर मेला क्षेत्र मे रहने की जगह मिल सके। मेलाधिकारी ने उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को (दिसम्बर 2006) दो करोड़ रुपये धनराशि निर्माण हेतु अवमुक्त की। उ0प्र0 राजकीय निर्माण के अभिलेखानुसार रैन बसेरा का मानचित्र शासन को (दिसम्बर 2006) मे अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था जो जुलाई 2007 तक लम्बित था। मानचित्र के अनुमोदन के बिना मेलाधिकारी द्वारा धनराशि अवमुक्त करना वित्तीय नियमों की अवहेलना थी जिसके फलस्वरूप धन अवरोधित रहा।

उत्तर मे शासन ने तथ्य (नवम्बर 2007) स्वीकार किया तथा सूचित किया कि रैन बसेरा के मानचित्र का अनुमोदन प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

3.5.7.3 ठेकेदार को अनियमित भुगतान

वित्तीय अधिनियम 1994 एवं उ0प्र0 ट्रेड टैक्स एक्ट 1948 के अनुसार सक्षम अधिकारी को सेवा कर, व्यापार कर एवं विकास कर ठेकेदारों के बिल से काटकर सरकार के

¹ यात्रियों का विश्रामालय

खाते में जमा करना चाहिए। यद्यपि, बिलों से इन टैक्सों को सरकारी खाते में जमा करने के बजाय 1.71 करोड़¹ रूपये ठेकेदार को भुगतान किया गया।

उत्तर में शासन द्वारा सूचित (नवम्बर 2007) किया गया कि मेलाधिकारी द्वारा स्थीकृत दरों में सेवाकर, व्यापारकर तथा विकास कर समिलित नहीं था, इस कारण पृथक से उक्त करों का भुगतान किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन करों को सरकारी खाते में जमा करने के बजाय ठेकेदार को निर्माण कार्य लागत के अतिरिक्त भुगतान किया गया।

3.5.7.4 पूर्व के लम्बित दायित्व

लम्बित दायित्व अदेय रहने के कारण लो०नि०वि० को प्रतिस्पर्धात्मक दरें नहीं प्राप्त हुई।

वित्तीय नियमों के अनुसार वितरण अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह पूर्व के समस्त लम्बित दायित्वों पर कड़ी नजर रखें तथा उनके शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था करें। यद्यपि अ०कु०मे० 2007 के प्रारम्भ होने से पूर्व माघ मेला 2004–05 (1.35 करोड़ रूपये) तथा 2005–06 (2.96 करोड़ रूपये) कुल 4.31 करोड़ रूपये के दायित्व लम्बित थे। मेलाधिकारी के अनुरोध के बावजूद भी शासन से लम्बित दायित्व के निस्तारण हेतु कोई धनराशि आबंटित नहीं की गयी। लम्बित दायित्व की अदेयता के कारण अ०कु०मे० 2007 में कार्य के लिए नि ख 4, लोक निर्माण विभाग द्वारा आमन्त्रित निविदा में किसी भी ठेकेदार ने भाग नहीं लिया। फलस्वरूप प्रतिस्पर्धात्मक दर नहीं प्राप्त किये जाने के कारण विभाग को 2.41 करोड़ रूपये का निर्माण कार्य चयनित अनुबन्ध द्वारा कराना पड़ा।

उत्तर में शासन ने तथ्य स्वीकार (नवम्बर 2007) करते हुए सूचित किया कि प्रकरण की जांच स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा की जा रही है, तदुपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3.5.8 किराये की वसूली न किया जाना –

मेला अधिनियम के विपरीत विभिन्न संस्थाओं को 3.70 करोड़ रूपये की सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई।

उ०प्र० मेला अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार विभिन्न संस्थाओं को मेला क्षेत्र में भूमि एवं टेन्टों को मेलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराया दरों पर उपलब्ध कराना है। परन्तु मेलाधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम के विरुद्ध 2164 संस्थाओं को 1175 बीघा भूखण्ड मेला अवधि में निःशुल्क आबंटित की गयी इसके अतिरिक्त अन्य निःशुल्क सुविधायें यथा टिन, टेन्ट, फर्नीचर आदि की भी व्यवस्था इन्हें प्रदान की गई। मेलाधिकारी द्वारा मेला क्षेत्र में अन्य को आबंटित भूमि के निर्धारित दरों के आधार पर संस्थाओं से भूखण्ड किराया 1.06 करोड़ रूपये तथा टिन, टेन्ट, फर्नीचर आदि सुविधा प्रदान करने के रूप में 2.64 करोड़ रूपये की वसूली अपेक्षित थी।

उत्तर में शासन द्वारा सूचित (नवम्बर 2007) किया कि उक्त सभी सुविधायें संस्थाओं को निःशुल्क अनादिकाल से प्रदान की जाती रही है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी व्यक्ति/संस्था को निःशुल्क भूखण्ड, टिन, टेन्ट सुविधा प्रदान करना मेला अधिनियम के विरुद्ध था।

¹ सर्विस टैक्स 1.14 करोड़ रूपये, ट्रेड टैक्स 0.46 करोड़ रूपये तथा विकास कर 0.11 करोड़ रूपये गया।

3.5.9 निष्कष्ट

मेलाधिकारी द्वारा अर्द्ध कुम्भ मेला 2007 के लिये सम्भावित भीड़ का आकलन त्रुटि पूर्ण था फलस्वरूप फालतू प्रबन्ध पर निरर्थक तथा परिहार्य व्यय किया गया। संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए नहाने योग्य पानी भी सुनिश्चित नहीं किया गया। ठोस अपशिष्ट तथा आपदा प्रबन्धन विशेष सतर्कता की आवश्यकता थी जो अपर्याप्त थी।

3.5.10 सस्तुतियाँ

- श्रद्धालुओं की संख्या का आंकलन सुसंगत ढंग से किया जाना चाहिए जिससे फालतू प्रबन्ध तथा निरर्थक व्यय से बचा जा सके।
- पानी की गुणवत्ता में सुधार का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।
- मेला अवधि में उत्सजित ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु एक पूर्णरूपेण योजना तैयार की जाये।
- आपदा प्रबन्धन को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत तथा व्यापक योजना बनायी जानी चाहिए तथा इसके प्रबन्ध का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किया जाना चाहिए।

प्रकरण शासन को (अगस्त 2007) सन्दर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त (नवम्बर 2007) हुआ जिसे यथा स्थान सम्मिलित कर लिया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

3.6 क्षेत्रीय निदान केन्द्र

3.6.1 प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग (आयोग) ने सितम्बर 2000 में राज्य में प्रत्येक चार जनपदों पर तीन करोड़ रुपये की लागत से एक क्षेत्रीय निदान केन्द्र (केन्द्र) की स्थापना हेतु संस्तुति की। यह केन्द्र उच्च तकनीकी उपकरणों यथा अल्ट्रा साउण्ड मशीन, सी0टी० स्कैन, पैथोलाजी लैबोरेटरी, आपरेशन थियेटर आदि से सुसज्जित होने थे तथा इनका उद्देश्य जनता को चिकित्सा जॉच/निदान संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराना था। शासन ने 70 जिलों हेतु 18 केन्द्रों की स्वीकृति अक्टूबर 2001 में प्रदान की जिन्हें वर्ष 2003–04 तक कार्यशील होना था। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (महानिदेशक) लखनऊ इन केन्द्रों की स्थापना हेतु उत्तरदायी थे। विभाग ने वर्ष 2001–06 की अवधि में 18 केन्द्रों पर 54.55¹ करोड़ रुपये व्यय किया।

महानिदेशक एवं छः² केन्द्रों के कार्यालयों में अप्रैल 2007 से मई 2007 की अवधि में की गयी सम्प्रेक्षा जॉच में यह पाया गया कि केन्द्रों की स्थापना में कई कमियों थीं जैसाकि निम्न प्रस्तरों में वर्णित हैं।

3.6.2 कार्यान्वयन

3.6.2.1 उपकरणों का कार्य

अगस्त 2001 में प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसका यह कार्य था कि वह केन्द्रवार उपकरणों एवं उपकरणों की संख्या आदि निर्धारित करे। इस समिति ने सितम्बर 2001 में विभिन्न केन्द्रों हेतु लोगों की निदान संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित किये बिना तथा केन्द्रों के संचालन हेतु मानव संसाधन, प्रशिक्षण एवं उपकरणों के रख-रखाव आदि का निर्धारण किए बिना विभिन्न प्रकार के उपकरणों के कार्य की संस्तुति की। सम्प्रेक्षा में यह पाया गया कि विभाग द्वारा 18 केन्द्रों हेतु 46.13 करोड़ रुपये के उपकरणों का कार्य संस्तुतियों के अनुरूप नहीं किया गया था जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट हैः—

उपकरण का नाम	संस्तुति किये गये उपकरणों की संख्या	कार्य किये गये उपकरणों की संख्या
ई०सी०जी० मशीन	18	36
ट्रेड मिल	11	18
ई०ई०जी० मोड मशीन	12	शून्य
एक्सरे मशीन्स	14	47
अल्ट्रासाउण्ड मशीन	08	18
सी०टी० स्कैन मशीन	18	13
कलर डायलर	शून्य	09
एयर कन्डीशनर (ए०सी०)	शून्य	144
डीप फीजर	शून्य	18
इनवर्टर	शून्य	18

¹ 0.55 करोड़ रुपये व्याधिक्य राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया।

² बस्ती, गोण्डा, लखनऊ, मिजोपुर, सहारनपुर तथा वाराणसी

4.28 करोड़ रुपये
का उपभोग
असंस्तुत
उपकरणों के क्य
में किया गया।

7.62 करोड़ रुपये
मूल्य के उपकरण
स्थापित नहीं किये
गये थे।

3.77 करोड़ रुपये
मूल्य के उपकरण
अकियाशील थे
जिसके कारण
निवेश अनुपयोगी
रहा।

संस्तुतियों के अनुरूप उपकरणों के क्य न किये जाने के फलस्वरूप 12 केन्द्र एलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम (ई0ई0जी0) उपकरण तथा पॉच केन्द्र सी0टी0 स्कैन उपकरण से वंचित रह गये थे। इन उपकरणों के क्य न किये जाने के कारण हुई बचत की धनराशि 4.77 करोड़ रुपये में से दूसरे अन्य 257 उपकरण (मूल्य: 4.28 करोड़ रुपये) क्य किये गये थे जिसमें 144 एयर कंडीशनर भी सम्मिलित थे। अवशेष 49 लाख रुपये की धनराशि वैयक्तिक लेखा खाता में मार्च 2007 तक पड़ी हुई थीं।

3.6.2.2 उपकरणों की स्थापना में विलम्ब

क्य संबंधी शर्तों के अनुसार उपकरणों के मूल्य का 90 प्रतिशत आपूर्तिकर्ता को उपकरणों के आपूर्ति के समय भुगतान करना था तथा शेष उपकरणों की स्थापना के पश्चात। शर्तों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि आपूर्तिकर्ता द्वारा कितनी समय सीमा के अंतर्गत उपकरणों की स्थापना की जाए। नमूना जॉच के अंतर्गत लिए गये केन्द्रों में यह पाया गया कि 252 उपकरणों (मूल्य 11.32 करोड़ रुपये) में से 94 उपकरणों जिनका मूल्य 7.62 करोड़ रुपये (67 प्रतिशत) था, की स्थापना में 1 से 16 महीने का विलम्ब हुआ (**परिशिष्ट 3.6.1**)।

महानिदेशक ने उपकरणों की स्थापना में विलम्ब का कारण निर्माण कार्यों के विलम्ब से पूर्ण होना बताया (जून 2007)। सम्प्रेक्षा में उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उपकरणों की स्थापना में विलम्ब निर्माण कार्य के पूर्ण होने के बावजूद भी हुआ था।

3.6.2.3 उपकरणों का अकियाशील रहना

नमूना जांच के अंतर्गत लिये गये केन्द्रों में यह पाया गया कि 55 उपकरण (मूल्य 3.77 करोड़ रुपये) (**परिशिष्ट-3.6.2**) खराबी/प्रशिक्षित चिकित्सकों की अनुपलब्धता/रीजेन्ट्स का उपलब्ध न होना तथा मरीजों के चिकित्सा जॉच/निदान हेतु रिफर न किये जाने के कारण अकियाशील पड़े हुये थे जैसा कि निम्न से स्पष्ट है:-

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जनपद मिर्जापुर तथा सहारनपुर में चार ऐसे उपकरणों³ (मूल्य 41 लाख रुपये) की जुलाई 2004 से मार्च 2005 की अवधि में आपूर्ति (स्थापित अक्टूबर 2004–मार्च 2005) की गई थीं जोकि खराब थे। इन उपकरणों की रोकी गयी 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान महानिदेशक द्वारा मार्च 2006 में सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा दिये गये उन गलत प्रमाण पत्रों, कि उपकरण संतोषजनक रूप से स्थापित कर दिये गये थे, के आधार पर कर दिया था। वस्तुतः ये उपकरण अप्रैल 2007 तक अकियाशील होकर पड़े हुये थे जबकि इनकी स्थापना हुये 25 से 30 महीने व्यतीत हो चुके थे।
- मई 2004 में सरकार ने अपर निदेशकों को यह निर्देश जारी किया कि वह सरकारी अस्पतालों में तैनात विशेषज्ञों/प्रशिक्षित चिकित्सकों को वहाँ से हटाकर इन केन्द्रों में तैनात करे तथा उनकी सरकारी अस्पतालों में अनुपलब्धता की स्थिति में उन्हें खुले बाजार से, लाभार्थियों से प्राप्त यूजर चार्ज का 50 प्रतिशत भुगतान पर, तैनात करने की व्यवस्था करे। चूंकि प्रशिक्षित चिकित्सकों की व्यवस्था दोनों में से किसी भी प्रकार से नहीं की गई जिसके कारण 37 उपकरण⁴ (मूल्य 2.44 करोड़

³ मिर्जापुर-फुल्ली कम्प्यूटराइज्ड बायो केंसर्टी एनालाइजर तथा कायो सर्जरी, सहारनपुर-फुल्ली कम्प्यूटराइज्ड ब्लड गैस एनालाइजर तथा फुल्ली कम्प्यूटराइज्ड बायो केंसर्टी एनालाइजर

⁴ मिर्जापुर: 4 उपकरण (मूल्य: 20.60 लाख रुपया), सहारनपुर: 4 उपकरण (मूल्य: 20.60 लाख रुपया), बस्ती: 14 उपकरण (मूल्य: 74.67 लाख रुपया), वाराणसी: 11 उपकरण (मूल्य: 101.06 लाख रुपया) तथा गोण्डा: 4 उपकरण (मूल्य 26.67 लाख रुपया)

रूपये) स्थापना तिथि (अप्रैल 2004 से जून 2006) से मई 2007 तक अकियाशील पड़े हुए थे। तीन प्रशिक्षित चिकित्सक जो गोण्डा (1) तथा वाराणसी (2) केन्द्रों में उपलब्ध थे, को मार्च 2006 और जुलाई 2006 की अवधि में बिना किसी अन्य चिकित्सक की व्यवस्था किये ही स्थानान्तरित कर दिया गया था।

- पाँच उपकरण⁵ (मूल्य 25 लाख रूपये) जिनकी मिर्जापुर में अक्टूबर 2004 से दिसम्बर 2005 के मध्य स्थापना की गई थी, स्थापना तिथि से ही मार्च 2007 तक मरीजों को निदान/चिकित्सा जाँच हेतु रिफर न किये जाने के कारण अकियाशील होकर पड़े हुए थे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया (सितम्बर 2007) कि इस प्रकार के उपकरणों के उपयोग हेतु अस्पताल में मूल चिकित्सा सुविधाये उपलब्ध नहीं थी जोकि इस तथ्य का घोतक था कि केन्द्रों हेतु उपकरणों का चयन बिना विचार किये किया गया था।
- चार उपकरण⁶ (मूल्य 0.19 लाख रूपये) जिनकी स्थापना नवम्बर 2004 से दिसम्बर 2005 की अवधि के मध्य मिर्जापुर एवं गोण्डा केन्द्रों में की गई थीं मार्च 2007 तक रीजेन्ट्स उपलब्ध न होने के कारण अकियाशील होकर पड़े हुए थे। सम्बद्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा जोकि यूजर चार्ज ज की धनराशि से रीजेन्ट्स कय करने हेतु प्राधिकृत किये गये थे, धनराशि की उपलब्धता के बावजूद आवश्यक रीजेन्ट्स का कय नहीं किया गया था।
- आठ उपकरण (मूल्य 37 लाख रूपये) तीन केन्द्रों में दो से तीन⁷ वर्ष तक अकियाशील होकर पड़े रहने के पश्चात महानिदेशक के आदेश से दिसंबर 2005 से जनवरी 2006 के मध्य अन्य अस्पतालों को स्थानान्तरित कर कर दिये गये थे। इनमें से भी चार उपकरण अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुपलब्धता के कारण अकियाशील पड़े हुए थे।
- एक उपकरण (ब्लड गैस एनालाइजर) जिसका मूल्य 7 लाख रूपया था वाराणसी केन्द्र में वर्ष सितम्बर 2007 तक गत तीन वर्षों से केन्द्रों की स्थापना के चार वर्षों के उपरान्त भी विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था न किये जाने के कारण अकियाशील होकर पड़ा हुआ था।

अतः उपकरणों के अकियाशील होने से 3.77 करोड़ रूपये का निवेश अनुपयोगी रहने के अतिरिक्त लोग उच्चीकृत निदान संबंधी सुविधाओं से वंचित रहे।

3.6.3.4 उपकरणों का रखरखाव

71 से 100 प्रतिशत तक उपकरणों का वार्षिक रख-रखाव अनुबंध नहीं किया गया था।

उच्च तकनीकी वाले चिकित्सीय उपकरणों के संबंध में नीति, गुणवत्ता एवं सुरक्षा, पहुंच तथा उपयोग के अनुसार एक उच्च प्राथमिकता वाली बजट सहित कार्य योजना बनाया जाना आवश्यक था जिसे कि आपूर्तिकर्ता के साथ वार्षिक रखरखाव अनुबंध करके ही सुनिश्चित किया जा सकता था। विभाग ने, फिर भी, वार्षिक रख-रखाव अनुबंधों पर होने वाले व्यय को सुनिश्चित करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की थी एवं वर्ष 2004–05 में इस मद हेतु कोई भी धनराशि आबंटित नहीं किया था जबकि वर्ष

⁵ फुल्ली कम्प्यूटराइज्ड हारमोन एनालाइजर, एलाइजर रीडर, साइटोसेन्ट्रीफ्यूज, काल्पोस्कोप तथा ब्लड गैस एनालाइजर

⁶ मिर्जापुर: फुल्ली कम्प्यूटराइज्ड सेल काउण्टर तथा गोण्डा: एलाइजर रीडर, सेमी आटोमेटिक एनालाइजर तथा साइटोसेन्ट्रीफ्यूज

⁷ बस्ती: कालपोस्कोप, लखनऊ: हिस्टोस्कोप, कालपोस्कोप, फीटल मानीटर, गोण्डा: हिस्टोस्कोप, कालपोस्कोप, फीटल मानीटर, इ0सी0जी0

2005–07 की अवधि में इस मद हेतु तदर्थ रूप से आबंटित धनराशि आवश्यकता से कम थी। नमूना जांच के अंतर्गत लिये गये केन्द्रों को वर्ष 2006–07 की अवधि में 72 उपकरणों के रखरखाव हेतु 19.80 लाख रूपये की आवश्यकता थी जिसके विरुद्ध 156 उपकरणों हेतु मात्र 15.20 लाख रूपये ही आबंटित किया गया था। सम्प्रेक्षा जांच में यह भी पाया गया कि केन्द्रों के पास उपलब्ध धनराशि का भी उपभोग नहीं किया गया था तथा 15.20 लाख रूपये में से 4.53 लाख रूपये (30 प्रतिशत) समर्पित करना पड़ा था। वर्ष 2004–07 की अवधि में किये गये रखरखाव अनुबंध का विवरण **परिशिष्ट 3.6.3** में दिया गया है।

वर्ष 2006–07 की अवधि में 71 से 100 प्रतिशत उपकरणों का रखरखाव अनुबंध नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप तीन केन्द्रों में उपकरण 24 से 100 प्रतिशत तक अकियाशील होकर पड़े रहे (**परिशिष्ट-3.6.4**)।

उपकरणों के रख-रखाव हेतु केन्द्रों पर आवश्यकता से कम धनराशि के प्रबन्ध करने के परिणामस्वरूप उपकरण काफी समय तक अकियाशील रहे जिससे कि मरीजों को निदान संबंधी सुविधायें नहीं मिल सकी।

3.6.4 मरीजों को क्षेत्रीय निदान केन्द्रों के लिए संदर्भित न किया जाना

क्षेत्रीय निदान केन्द्र संदर्भन केन्द्र थे तथा मंडल के चार जनपदों के सरकारी अस्पतालों को इन केन्द्रों को चिकित्सीय जांच/निदान हेतु मरीजों को संदर्भित करना था जिससे कि मरीजों को उच्चीकृत चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध हो सके। नमूना जांच के अंतर्गत लिये गये केन्द्रों की जांच में यह उद्घाटित हुआ कि फरवरी 2005 से मार्च 2007 की अवधि में 0.76 लाख मरीजों का चिकित्सीय परीक्षण/निदान इन केन्द्रों द्वारा किया गया था जो उन्हीं जिला अस्पतालों द्वारा संदर्भित किये गये थे जहां ये केन्द्र स्थापित किये गये थे। मंडलों के संबंधित अस्पतालों के अधीक्षकों ने यह बताया (सितम्बर 2007) कि उन्हें इन केन्द्रों की स्थापना की जानकारी नहीं थी।

मण्डल के अन्य अस्पतालों द्वारा चिकित्सीय परीक्षण/निदान हेतु मरीजों को संदर्भित न किया जाना इस बात की ओर इंगित करता है कि इन केन्द्रों का मण्डल स्तर पर एक संदर्भन केन्द्र के रूप में उद्देश्य अधिकांशतः प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.6.5 अपात्र मरीजों को निःशुल्क चिकित्सीय जांच/निदान की सुविधा

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, निराश्रितों, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत चिकित्सा दिये जाने वाले मरीजों, विचाराधीन बंदियों एवं आकस्मिक मरीजों को केन्द्रों पर निःशुल्क चिकित्सीय/निदान जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जानी थीं। नमूना जांच के अंतर्गत लिये गये केन्द्रों के एक महीने के प्रासांगिक अभिलेखों की सम्प्रेक्षा जांच में यह पाया गया कि चार केन्द्रों बस्ती, मिर्जापुर, सहारनपुर तथा वाराणसी में 3891 में से 923 केसेज (24 प्रतिशत) निःशुल्क किये गये थे जिसमें से 685 केसेज (74 प्रतिशत) अपात्र मरीजों के थे। अपात्र मरीज या तो सरकारी सेवक थे अथवा ऐसे मरीज थे जिनकी पात्रता सिद्ध करने के लिए उनके विवरण अंकित नहीं थे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, वाराणसी ने यह बताया (अप्रैल 2007) कि अपात्र केसेज जनहित में किये गये थे। गोण्डा एवं लखनऊ के केन्द्रों पर पात्र मरीजों को निःशुल्क चिकित्सीय जांच/निदान की सुविधा नहीं दी गयी थी तथा यह बताया (अप्रैल-मई

2007) गया कि केन्द्रों को स्वावलम्बी बनाने हेतु सभी मरीजों से चिकित्सीय जॉच/निदान शुल्क लिया गया था।

3.6.6 अनुश्रवण

अनुश्रवण कमजोर था।

विभाग ने केन्द्रों की अनुश्रवण हेतु कोई व्यवस्था नहीं बनाई थी जिसके परिणामस्वरूप, महानिदेशक उपकरणों के कियाशील न होने, उनके पर्याप्त रख-रखाव न होने, केन्द्रों को चिकित्सीय जॉच/निदान हेतु मरीजों को संदर्भित न किये जाने तथा अपात्र लोगों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराये जाने से अनवगत रहे।

3.6.7 निष्कर्ष

आवश्यकता के आकलन के बिना उपकरणों के क्य किये जाने, खराब उपकरणों के क्य किये जाने एवं उपकरणों के काफी समय तक स्थापित न किये जाने के कारण केन्द्रों की परफारमेन्स अधिकांशतः संतोषजनक नहीं थीं। प्रशिक्षित चिकित्सकों की तैनाती न होने तथा रीजेन्ट्स आदि के क्य न किये जाने के कारण भी काफी मात्रा में उपकरण अकियाशील रहे। इनके रख-रखाव हेतु कोई योजना भी नहीं बनाई गई थीं।

3.6.8 संस्कृतियाँ

- उपकरणों का क्य लोगों की केन्द्रों पर निदान संबंधी आवश्यकता निश्चित करने के उपरान्त ही किया जाना चाहिए।
- उपकरणों की स्थापना शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए तथा उनके रख-रखाव की व्यवस्था निश्चित की जानी चाहिए।
- केन्द्रों के कुशलतापूर्वक संचालन हेतु शासन को केन्द्रों में प्रशिक्षित चिकित्सीय एवं पराचिकित्सीय स्टाफ एवं कन्जूमेबुल्स उपलब्ध कराना चाहिये।
- अनुश्रवण व्यवस्था बनाया जाना चाहिये जिससे कि उपकरणों के उपयोग एवं लिये जाने वाले शुल्क की निरंतर रिपोर्ट मिलती रहे ताकि सम्भावित संशोधन किया जा सके।

शासन ने अपने उत्तर (नवम्बर 2007) में, तथ्यों एवं आंकड़ों तथा लेखा परीक्षा द्वारा की गई संस्कृतियों को स्वीकार किया।

माध्यमिक शिक्षा विभाग

3.7 कन्या विद्या धन योजना

3.7.1 उपरिव्यालयक

प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कन्या विद्या धन योजना लागू की गयी (सितम्बर-2004)। जिसके अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से कक्षा-12 उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को ₹ 20,000 की प्रोत्साहन धनराशि दिए जाने का प्रावधान था। पात्र छात्राओं के चयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर चयन समिति का गठन किया गया जिसमें जिलाधिकारी के अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, एक शासकीय एवं एक अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के दो प्रधानाचार्य नामित किये गए, जिनको प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ-साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात पात्र छात्राओं का चयन करने का दायित्व दिया गया। चयन में गरीबी रेखा के नीचे के अभिभावकों की छात्राओं को वरीयता दी जानी थी तथा प्रोत्साहन धनराशि का वितरण अभिभावकों की आय के आधार पर न्यूनतम से प्रारम्भ कर किया जाना था।

शासन स्तर पर सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, विभागीय स्तर पर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (निदेशालय) एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी थे।

सचिवालय, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं एस0आर0एस0 डब्लू0ओ0आर0¹ विधि से चयनित आठ जनपदों² के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों के अभिलेखों (2004–07) की संवीक्षा जनवरी 2007 से अगस्त 2007 के मध्य की गई। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को उत्तरोत्तर प्रस्तर में लाया गया है—

3.7.2 बजट आवंटन एवं व्यय

शासन द्वारा पात्र छात्राओं को ₹ 20,000.00 की दर से प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक लक्ष्य (वर्ष 2004–05 : एक लाख, वर्ष 2005–06: 1.50 लाख, वर्ष 2006–07 : 3.38 लाख) निर्धारित किया गया। उक्त लक्ष्यों के आधार पर विभाग को धनराशि आवंटित की गयी। विभाग द्वारा जनपदों में लाभार्थियों की चयनित सूची के आधार पर धनराशि अवमुक्त की गयी। वर्ष 2004–07 में वर्षवार आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि³ का विवरण निम्नवत है—

(₹ 0 करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	समर्पित धनराशि	उपलब्ध धनराशि	व्यय	अप्रयुक्त अवशेष
(1)	(2)	(3)	(4) (2)–(3)	(5)	(6)
2004–05	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2005–06	300.00	0.28	299.72	299.72	0.00
2006–07	675.00	1.24	673.76	661.15	12.61
योग	1175.00	1.52	1173.48	1160.87	12.61

वर्ष 2006–07 के अन्त तक 22 जनपदों में लाभार्थियों की सूची के चयन में विलम्ब के कारण ₹ 0 12.61 करोड़ की धनराशि अप्रयुक्त थी। परिणामस्वरूप राज्य में 6305 पात्र

¹ सिम्पल रैण्डम सैम्प्लिंग विद्याउट रिलेसमेन्ट

² इलाहाबाद, बहराइच, बांदा, लखनऊ, मेरठ, जालौन, प्रतापगढ़ एवं वाराणसी

³ विभागीय अभिलेखों के अनुसार;

छात्राओं को प्रोत्साहन धनराशि वितरित नहीं की जा सकी। अवितरित धनराशि वैयक्तिक खाता लेखों (पी०एल०ए०) में रखी गयी थी। जो अगस्त 2007 तक अप्रयुक्त पड़ी रही।

जालौन जनपद में ₹० 11.80 लाख की धनराशि वर्ष 2004–05 से अवितरित पड़ी रही जबकि निदेशालय स्तर पर इसे वितरित मान लिया गया था। जिला विद्यालय निरीक्षक, द्वारा बताया गया (मई–2007) कि लाभार्थियों के चयन की औपचारिकताओं के पूर्ण होने की प्रत्याशा में धनराशि वितरित मान ली गयी थी एवं तदनुसार निदेशालय को सूचित किया गया था (जुलाई–2005)। उक्त धनराशि विभाग को मई–2007 तक वापस नहीं की गयी थी।

व्यय राशि का मिलान न किया जाना तथा
उपभोग प्रमाण पत्र का
प्रस्तुत न किया जाना।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा वितरित धनराशियों के सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित एवं निदेशालय द्वारा वितरित दर्शायी गयी धनराशि से मिलान किया जाना था परन्तु न ही उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये और न ही जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा वितरित की गई धनराशि का मिलान किया गया। परिणामस्वरूप निदेशालय द्वारा दर्शाये गये आंकड़ों की प्रमाणिकता लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

3.7.3 प्रोत्साहन धनराशि का अनियमित वितरण

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर प्राप्त हुए आवेदन पत्रों एवं संलग्न अभिभावकों के आय प्रमाण पत्र तथा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अंकपत्रों का चयन समिति द्वारा परीक्षण कर एकाउण्ट पेड़ी चेक के माध्यम से प्रोत्साहन धनराशि वितरित करने के लिए प्रत्येक छात्रा की पात्रता सुनिश्चित की जानी थी।

वर्ष 2004–05 में मेरठ, इलाहाबाद एवं लखनऊ जनपद में लाभार्थियों से आवेदन पत्र नहीं प्राप्त किए गये थे। विद्यालयों से 6971 छात्राओं की सूची (मेरठ–2629, इलाहाबाद–3800 एवं लखनऊ–542) प्राप्त की गयी एवं उनके अभिभावकों की आय राजस्व अधिकारियों से बिना सत्यापित कराये ही ₹० 13.94 करोड़ (मेरठ–₹० 5.26 करोड़, इलाहाबाद–7.60 करोड़ एवं लखनऊ–₹० 1.08 करोड़) का भुगतान कर दिया गया। लाभार्थियों से बिना आवेदन पत्र प्राप्त किए तथा उनकी पात्रता सत्यापित किये बिना ही किया गया वितरण अनियमित था।

वर्ष 2004–05 में जालौन, बांदा एवं वाराणसी जनपद में कुल 4433 छात्राओं (जालौन–2030, बांदा–731 एवं वाराणसी–1672) में से चयन समिति द्वारा 2732 छात्राओं (जालौन–560, बांदा–646 एवं वाराणसी–1526) की ही सूची अनुमोदित थी परन्तु प्रोत्साहन धनराशि समस्त 4433 छात्राओं को वितरित कर दी गयी। अतः 1701 छात्राओं को बिना चयन समिति के अनुमोदन के दी गयी ₹० 3.40 करोड़ की प्रोत्साहन धनराशि अनियमित थी। सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा उत्तर में बताया गया (मई–2007 से अगस्त–2007) कि प्रोत्साहन धनराशि वितरित करने के पूर्व चयन समिति का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। जबकि 1701 लाभार्थियों की अनुमोदित सूची लेखा परीक्षा में सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी।

वर्ष 2004–06 की अवधि में मेरठ, जालौन, इलाहाबाद एवं प्रतापगढ़ जनपद में 128 छात्राओं (मेरठ–64, जालौन–50, इलाहाबाद–05 एवं प्रतापगढ़–09) के आवेदन पत्रों के साथ संलग्न आय प्रमाण-पत्रों में अभिभावकों की आय निर्धारित सीमा से अधिक थी जो कि तहसीलदार (राजस्व विभाग) द्वारा निर्गत था। इन आवेदन पत्रों/प्रमाण पत्रों को बिना कोई कारण दर्शायें ही राजस्व अधिकारियों को वापस कर दिये गये। पुनर्सत्यापन में बिना कोई कारण दर्शाये आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत लायी गयी और उक्त छात्राओं को ₹० 25.60 लाख की प्रोत्साहन धनराशि वितरित कर दी गयी। ऐसे आय प्रमाण पत्रों को राजस्व अधिकारियों को पुनर्सत्यापन हेतु संदर्भित करना संगतपूर्ण नहीं था। पात्रता की शर्तों के अनुसार ऐसे आवेदन पत्रों को प्रथम दृष्टया जिला विद्यालय

निरीक्षक द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए था। अतः ऐसे लाभार्थियों को वितरित की गयी रु0 25.60 लाख की प्रोत्साहन धनराशि अनियमित थी।

वर्ष 2004–07 की नमूना जाँच में छ: जनपदों¹ के जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालयों से सम्बन्धित 6659 आवेदन पत्रों की जाँच में पाया गया कि 1021 आवेदन पत्रों (15 प्रतिशत) में यद्यपि आवेदक के हस्ताक्षर या फोटोग्राफ/सत्यापित फोटोग्राफ नहीं प्राप्त किये गये थे तथापि उन्हें रु0 2.04 करोड़ की प्रोत्साहन धनराशि अनियमित रूप से भुगतान कर दी गयी थी जो कि चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों का भली–भौति परीक्षण न किया जाना दर्शाता है।

लाभार्थियों के चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था परिणामस्वरूप प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान में विलम्ब हुआ तथा अपात्र लाभार्थियों को भुगतान किया गया।

3.7.4. परिहार्य व्यय

दायित्व का सूजन
रु0 1.79 करोड़।

शासन द्वारा जनपद मुख्यालयों पर समारोह आयोजित कर लाभार्थियों के चेक वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया (जुलाई–2006)। वर्ष 2006–07 में जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मेरठ, बहराइच एवं वाराणसी को समारोह आयोजन के लिए विभिन्न मदों में रु0 10.44 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। शासन द्वारा प्रत्येक मदों जैसे—लाभार्थियों के परिवहन, नाश्ता, तम्बू/विद्युत, विज्ञापन, लाभार्थियों को समारोह आयोजन की सूचना एवं आकस्मिक व्यय के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार व्यय किया जाना था। इन जनपदों में प्रत्येक मदों के लिए निर्धारित व्यय के मानकों का अनुपालन नहीं किया गया एवं आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों द्वारा देयक प्रस्तुत किये गये थे। इकाइयों द्वारा स्वीकृत उक्त प्रभारों से सूजित रु0 1.79 करोड़ के दायित्व का विवरण निम्नवत है—

(रु0 लाख में)

जनपद	मद	लाभार्थियों की सं0	मानक रूपये/आवारा	आवेदन	मानक के अनुसार व्यय	प्रस्तुत रूपये	आधिक्य
	2	3	4	5	6	7	8(7–6)
प्रतापगढ़	नाश्ता	10242	10	1.02	1.02	3.67	2.65
	परिवहन	10242	20	2.05	2.05	45.95	43.90
इलाहाबाद	परिवहन	13404	20	2.68	2.68	57.04	54.36
	नाश्ता	13404	10	1.34	1.34	5.77	4.43
	टेन्ट/विद्युत	13404	शून्य	0.10	0.10	0.98	0.88
	आकस्मिक व्यय	13404	शून्य	0.05	0.05	33.85	33.80
मेरठ	परिवहन	7562	20	1.79	1.51	30.23	28.72
बहराइच	परिवहन	1439	20	0.45	0.29	6.74	6.45
	विज्ञापन	1439	शून्य	0.10	0.10	0.38	0.28
वाराणसी	नाश्ता	6302	10	0.86	0.63	3.99	3.36
योग				10.44	9.77	188.60	178.83

समारोह आयोजित कर लाभार्थियों को चेक वितरित किए जाने के शासन के निर्णय से रु0 10.44 लाख का परिहार्य व्यय एवं रु0 1.79 करोड़ के दायित्व का सूजन किया गया जबकि पूर्व अवधि 2004–06 में सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा बिना किसी समारोह के लाभार्थियों को चेक वितरित किये गये थे।

¹ इलाहाबाद, बांदा, जालौन, लखनऊ, प्रतापगढ़ एवं वाराणसी

उत्तर में शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (नवम्बर-2007) एवं बताया गया कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

3.7.5 मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

योजना के क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर कार्यान्वित एजेंसी से मासिक / त्रैमासिक रिपोर्टें या जनपद, निदेशालय अथवा शासन स्तर पर सभाओं आदि के माध्यम से किसी भी स्तर पर योजना के अनुश्रवण की व्यवस्था नहीं की गयी थी। योजना का प्रभाव सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देशों में योजना के मूल्यांकन की कोई क्रिया-विधि भी निर्धारित नहीं की गयी थी।

3.7.6 निष्कर्ष

योजना का क्रियान्वयन दोषपूर्ण था परिणामस्वरूप पात्र छात्राओं की सूचियों के चयन में विलम्ब हुआ तथा अपात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया गया। योजना के क्रियान्वयन में अनुश्रवण की व्यवस्था भी नहीं की गई थी।

3.7.7 संस्तुतियाँ

- विभाग द्वारा पात्र छात्राओं के चयन एवं प्रोत्साहन धनराशि के वितरण की प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए।
- विभाग द्वारा भविष्य में अनियमित भुगतान रोकने के लिए पूर्ण सुरक्षित क्रियाविधि अपनायी जानी चाहिए।
- योजना के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु गहन अनुश्रवण किया जाना चाहिए।

शासन से हुई वार्ता में निष्कर्षों एवं संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया (नवम्बर 2007)।

अध्याय — 4

लेनदेनों की लेखापरीक्षा

4.1 कपटपूर्ण आहरण / दुर्विनियोजन / गवन / हानि / अधिक भुगतान

लोक निर्माण विभाग

4.1.1 भ्रष्ट आचरण के परिणामस्वरूप अधिक व्यय

एक सड़क के सुदृढीकरण हेतु अनुमोदित सामग्री को स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर अधिक मूल्यवान सामग्री से प्रतिस्थापित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 92 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत शासन ने 7.16 करोड़ रुपये की लागत में संकिसा तक अलीगंज सराय अगहट मार्ग (अन्य जिला मार्ग—लम्बाई 23.20 किमी) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की थी (फरवरी 2006)। मुख्य अभियन्ता (मु.अ.), लोक निर्माण विभाग, आगरा क्षेत्र, आगरा ने 21.45 किमी¹ की लम्बाई हेतु 7.01 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2006) प्रदान की। शासन द्वारा निर्गत दिशा—निर्देशों (जनवरी 2004) के अनुसार स्वीकृत आगणन में मार्ग का 3 से 5.50 मीटर तक चौड़ीकरण तथा मार्ग की सम्पूर्ण चौड़ाई में सुदृढीकरण हेतु दो परत (प्रत्येक 7.5 सेमी) वाटर बाउन्ड मैकडम (डब्लू.बी.एम.) के ऊपर प्रथम सतह लेपन (पी—I) एवं प्रीमिक्स कारपेट (पी.सी.) सील कोट सहित किया जाना प्रावधानित था। विभाग ने तकनीकी स्वीकृति में समाहित विशिष्टियों एवं मदों को अपनाते हुए 6.51 करोड़ रुपये का अनुबन्ध बाण्ड (सी.बी.) गठित किया (मार्च 2006)। कार्य नियत तिथि पर पूर्ण किया गया एवं ठेकेदार को मार्च 2007 तक 6.43 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

अधिशाषी अभियन्ता (अ.अ.) निर्माण खण्ड—III, कासगंज, एटा के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2006) से प्रकाश में आया कि कार्य प्रगति के दौरान मु.अ. ने स्थल की आवश्यकता के अनुरूप मार्ग की लम्बाई घटा कर 20.745 किमी कर दिया तथा डब्लू.बी.एम की द्वितीय परत एवं पी.सी. को कमश: 50 मिमी बिटुमिनस मैकडम (बी.एम) एवं 25 मिमी सेमीडेन्स बिटुमिन कंकीट (एस.डी.बी.सी.) से प्रतिस्थापित करते हुए प्राक्कलित लागत 7.16 करोड़ रुपये में पुनरीक्षित (सितम्बर 2006) कर दिया एवं कार्य का निष्पादन तदनुसार किया गया। प्रतिस्थापित सामग्रियों की लागत 3.75 करोड़ रुपये थी जबकि मूल अनुमोदित प्राक्कलन/अनुबन्ध पत्र में प्राविधानित सामग्री के प्रयोग से उसी कार्य की लागत मात्र 2.83 करोड़ रुपये होती।

लेखापरीक्षा में इंगित (दिसम्बर 2006) किये जाने पर अधिशाषी अभियन्ता ने बताया कि डब्लू.बी.एम के स्थान पर बी.एम. के उपयोग को स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर वरीयता दी गयी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्य को अनुमोदित विशिष्टि एवं शासन के प्रचलित दिशा—निर्देशों के अनुसार कराया

¹ मार्ग की वास्तविक लम्बाई 22.45 किमी थी जिसमें 1 किमी सीमेंट कंकीट मार्ग आबादी भाग में था।

जाना चाहिए था। आगे यह भी पाया गया कि कथित विधायक अनुबंधित फर्म में साझीदार था जिसने मंहगी विशिष्टियों के बदलाव की अनुशंसा की थी।

इस प्रकार स्थानीय विधायक, जो स्वयं एक लाभार्थी पक्ष था, की सलाह पर मंहगे विकल्प को स्वीकार किया जाना ठेकेदार एवं कार्यकारी के बीच मिलीभगत होने का एक स्पष्ट संकेत था। यह एक भ्रष्ट आचरण के समतुल्य था जिसके परिणामस्वरूप 92 लाख रुपये के अधिक व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को जुलाई 2007 में सन्दर्भित किया गया था तथा इसका संशोधित प्रारूप पुनः जारी किया गया (नवम्बर 2007); उत्तर अप्राप्त था (नवम्बर 2007)।

4.1.2 मार्ग सुदृढ़ीकरण पर अतिरिक्त परिहार्य भुगतान एवं संदिग्ध जालसाजी

50 मिमी¹ की आवश्यकता के स्थान पर 75 मिमी मोटे बिटुमिन मैकाडम से मुस्तफाबाद एक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में 43.35 लाख रुपये के अतिरिक्त परिहार्य भुगतान के साथ 14.67 लाख रुपये के कपटपूर्ण भुगतान की संभावना।

वित्तीय नियमों में प्राविधानित है कि कार्य प्रारम्भ के पूर्व प्रस्तावों के संरचनात्मक रूप से दुरुस्त होने एवं प्राक्कलनों के समुचित ऑकड़ों पर आधारित ठीक-ठीक गणना किये जाने की गारण्टी स्वरूप एक सम्यक विस्तृत प्राक्कलन अवश्य तैयार किया जाये और सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। शासन ने दिसम्बर 2003 में निर्देशित किया कि इंपिड्यन रोड कांग्रेस (आई.आर.सी) में दिये गये मानक के अनुरूप यदि नान बिटुमिन कस्ट 40 सेमी तक हो तो अन्य जिला मार्गों (ओ.डी.आर.) के सुदृढ़ीकरण हेतु 50 मिमी (अधिकतम) बिटुमिनस मैकाडम (बी.एम.) का प्रावधान किया जाए।

अधिशाषी अभियन्ता (अ.अ.), निर्माण खण्ड, फिरोजाबाद के अभिलेखों की जॉच (अक्टूबर 2006 तथा मई 2007) से यह प्रकाश में आया कि शासन ने राज्य सड़क निधि से मुस्तफाबाद-एका मार्ग (ओ.डी.आर लम्बाई: 11 किमी) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 4.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति (24 फरवरी 2005) प्रदान किया। शासन के निर्देशानुसार (दिसम्बर 2003) एवं यातायात गणना², मृदा परीक्षण तथा कस्ट डिजाइन³ के अनुसार 50 मिमी बी.एम की ही आवश्यकता थी। परन्तु निर्माण की लागत का निर्धारण करते समय 50 मिमी बी.एम को बदलकर 75 मिमी मोटा बी.एम किया गया। अधिक मात्रा (2750 घनमी की आवश्यकता के स्थान पर 4125 घनमी) पर आधारित 4.20 करोड़ रुपये के गठित आगणन को मुख्य अभियन्ता (मु.अ.) आगरा जोन, आगरा द्वारा स्वीकृत (30 मार्च 2005) किया गया। अधीक्षण अभियन्ता (अधी.अ.) आगरा वृत्त, के स्तर से 24 मार्च 2005 को निष्पादित एक अनुबन्ध पत्र³ (सी.बी.) द्वारा टी.एस. (30 मार्च 2005) प्रदान किये जाने के पूर्व कार्य पूर्ण करा लिया गया (अगस्त 2005)। माप पुस्तिका (एम.बी.) में अंकित मापन के आधार पर 4195 घनमी बी.एम का भुगतान ठेकेदार को किया गया जो कि प्रसंगवश हाटमिक्स प्लांट से विभिन्न तिथियों में स्थल पर बिछाने हेतु निर्गत बी.एम की मात्रा (3706 घनमी) से मेल नहीं खाती थी। यह एम.बी. में बी.एम के बढ़ा-चढ़ा कर

¹ 25 फरवरी 2005 से 3 मार्च 2005

² 7 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 की अवधि में श्री बालाजी टेस्ट हाउस, आगरा से आउटसोर्सिंग द्वारा

³ सी.बी. नो 45/एस.ई.आगरा/05-06 (कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 24 मार्च 2005 तथा कार्य समाप्ति की तिथि : 23 जून 2005)

किये गये मापन को इंगित करता था जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 14.67 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त यदि विभाग द्वारा बी.एम की मोटाई सम्बन्धी शासन के निर्देशों का बी एम से डब्लू बी एम के समतुल्यता फैक्टर¹ का ध्यान रखा गया होता तो 1445 घनमी बी.एम² के मूल्य 43.35 लाख रुपये को बचाया जा सकता था।

इस प्रकार आ.आ. से मु.आ. स्तर तक शासन के निर्देश की अवहेलना, स्थलीय आवश्यकता एवं टी.एस. के पूर्व अनुबन्ध पत्र गठित करते हुए त्रुटिपूर्ण टी.एस. प्रदान करने के फलस्वरूप अनावश्यक सुदृढ़ीकरण पर 43.35 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया। हाट मिक्स प्लान्ट से सामग्री प्रेषण की तिथि, मात्रा तथा उसके बिछाने में मेल न होना कपटपूर्ण भुगतान की संभावना की ओर इंगित करता था, जिसके जॉच की आवश्यकता थी।

प्रकरण शासन को जुलाई 2007 में सन्दर्भित किया गया था; उत्तर अप्राप्त था। तथापि, शासन ने परिचर्वा (सितम्बर 2007) के दौरान तथ्यों एवं ऑकड़ों को स्वीकार करते हुए जिम्मेदारी निर्धारण हेतु एक विस्तृत जॉच के आदेश दिये।

ग्राम्य विकास विभाग

4.1.3 वाटर रिचार्जिंग योजना पर निष्कल व्यय

तराइ क्षेत्र के भारी वर्षा परिक्षेत्र जनपद गोरखपुर में वाटर रिचार्जिंग योजना के क्रियान्वयन पर 1.63 करोड़ रुपये का व्यय निष्कल रहा। सम्पादित परियोजनाओं को विभाग के किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा सत्यापित भी न किये जाने से भुगतान संदिग्ध रहा।

ग्राम्य स्तर पर स्थिर मानव विकास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000–2001 से प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (प्र म ग्रा यो) लागू की गई। भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों³ में चयनित न्यूनतम मूलभूत सेवाओं हेतु योजना के अंतर्गत एक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ के स) का प्राविधान किया गया। प्र म ग्रा यो के ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत कुल आवंटन का न्यूनतम 25 प्रतिशत जल की आवश्यकता/सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में वाटर कंजरवेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्जिंग एवं पेयजल स्रोतों को स्थिर बनाये रखने की परियोजनाओं/योजनाओं पर राज्य द्वारा प्रयुक्त किया जाना था। यह आवंटन उन क्षेत्रों में प्रयुक्त नहीं किया जाना था जहाँ भूजल स्तर एवं वर्षा की मात्रा उच्च थी। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्णय लिया गया (अक्टूबर 2004) कि योजना का विस्तार केवल उन क्षेत्रों में जहाँ भूगर्भ जल स्तर लगातार गिर रहा हो, भूजल स्तर की गहराई भू स्तर से मानसून के बाद नवम्बर माह के दौरान आठ मीटर से अधिक हो तथा मानसून के पूर्व समय में जल स्तर की वार्षिक गिरावट पिछले वर्षों की तुलना में 20 सेंटीमीटर से अधिक हो, किया जाना था। तराइ⁴ क्षेत्रों को उच्च वर्षा परिक्षेत्र होने के कारण योजना की परिधि से बाहर रखा जाना था।

¹ 1 सेमी बी.एम = 1.5 सेमी डब्लू बी.एम

² 4195 घनमी – 2750 घनमी. = 1445 घनमी. 3000 रुपये प्रति घनमी. = 43.35 लाख रुपये

³ ग्रामीण सड़क, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल एवं पोषण।

⁴ पहाड़ों के निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र।

जिला विकास अधिकारी, गोरखपुर (जि वि अ) के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2006) में पाया गया कि एक गैर सरकारी संस्था (गै स सो)¹ द्वारा वाटर रिचार्जिंग योजना के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में 1.75 करोड़ रुपये की लागत से तालाबों एवं सम्पर्क नालियों के निर्माण के लिये 13 परियोजनाओं का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया (मई 2005)। शासन द्वारा इन परियोजनाओं को स्वीकृति (मई 2005) बिना प्राथमिक जाँच किए तथा गै स सं द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की उपयोगिता पर जिला अधिकारी (जि अ)/मुख्य विकास अधिकारी (मु वि अ) की अनुशंसा के बांगे ही दे दी गई। तदन्तर जि अ ने शासन को सूचित किया (अक्टूबर 2005) कि जनपद गोरखपुर में किसी भी खण्ड (विकास खण्ड) का जल स्तर भू स्तर से आठ मीटर से अधिक नहीं था तथा इस प्रकार, योजना के अंतर्गत आच्छादन योग्य नहीं था। इसके अतिरिक्त जनपद तराई क्षेत्र, भारी वर्षा परिक्षेत्र² में स्थित था। जि अ की रिपोर्ट के बावजूद मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर (मु वि अ) ने प्रमुख सचिव के निर्देश पर (नवम्बर 2005) परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गै स सं को 1.63 करोड़ रुपये अवमुक्त³ कर दिया। गै स सं द्वारा परियोजना पर नवम्बर 2006 तक 1.63 करोड़ रुपये का उपभोग किया गया तथा एक जल निकासी नाली (लागत 1.13 लाख रुपये) को छोड़कर कार्य पूर्ण कर लिया गया। योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर भारी वर्षा परिक्षेत्र में जहाँ भूजल स्तर आठ मीटर से नीचे नहीं था, वाटर रिचार्जिंग परियोजनाओं पर किया गया 1.63 करोड़ रुपये का व्यय निष्कल रहा। गै स सं द्वारा सूचित परियोजनाओं की सम्पादित मौतिक मात्रा का सत्यापन भी विभाग के किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, गै स सं को भारी वर्षा परिक्षेत्र में भूजल रिचार्जिंग परियोजनाओं के लिये 1.63 करोड़ रुपये का भगतान करके न केवल भारत सरकार के दिशानिर्देशों की उपेक्षा की गयी अपेक्षित किये गये वास्तविक कार्य की मात्रा एवं उस पर किया गया व्यय प्रमाणिक न होने के कारण भासकीय धन के कपटपूर्ण उपयोग एवं हानि की संभावना थी।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2007 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2007)। तथापि शासन ने विचार विमर्श (नवम्बर 2007) के दौरान कहा कि कराये गये कार्यों की जाँच तकनीकी विशेषज्ञों की टीम द्वारा करवायी जा रही थी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रेषित करने का वादा किया गया। रिपोर्ट अप्राप्त थी (नवम्बर 2007)।

4.1.4— कम्प्यूटर कथ हेतु कपटपूर्ण आहरण

कथ—नियमों के उल्लंघन से एक फर्म द्वारा जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ ही साथ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से विभाग के 22.50 लाख रुपये का कपट करने को सहज बनाया।

जनपद—जालौन के गरोठा संसदीय क्षेत्र के संसद सदस्य (सांसद) द्वारा विद्यालयों/कालेजों में कम्प्यूटर शिक्षा को उन्नत करने हेतु एम पी लैड योजना के अन्तर्गत छः शिक्षण संस्थानों (प्रत्येक को पॉच) को 30 लाख रुपये की लागत से 30 कम्प्यूटरों की आपूर्ति हेतु अनुशंसा (17 सितम्बर 2003) की गयी थी। सांसद द्वारा एक विशिष्ट फर्म को इस आधार पर कि फर्म⁴ डी जी एस एण्ड डी द्वारा अनुमोदित थी तथा अपट्रॉन के साथ इसका समझौता था आपूर्ति देने के लिये निर्दिष्ट किया गया और एम पी लैण्डस के दिशा निर्देशों

¹ वन्दना सेवा संस्थान, झूँसी, इलाहाबाद।

² औसत वार्षिक वर्षा : 1200 मि.मी. से अधिक।

³ दिसम्बर 2005: 1.05 करोड़ रुपये एवं जुलाई 2006: 58 लाख रुपये।

⁴ मेसर्स एस आर जे साप्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली

का उल्लंघन करते हुए कम्प्यूटर लागत के 75 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की संस्तुति की गयी।

परियोजना निदेशक (प नि) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (जि ग्रा वि अ) जालौन उरई के अभिलेखों की जांच एवं संग्रहीत सूचनाओं (जुलाई—अगस्त 2007) से प्रकट हुआ कि प नि द्वारा स्कूलों/कालेजों में कम्प्यूटर्स की आवश्यकता के आकलन, डी जी एस एण्ड डी के अनुबन्ध दर की वैधता की जांच और भुगतान की शर्तों को निर्धारित किए बिना ही 30 लाख रुपये (पाँच लाख रुपये प्रति संस्था के अनुसार) के कम्प्यूटर की आपूर्ति हेतु फर्म के साथ एक अनुबन्ध (जिलाधिकारी के अनुमोदन से) निष्पादित किया (24 सितम्बर 2003) सामग्री क्य नियमों एवं एम पी लैड के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 22.50 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान भी अनुबन्ध में निर्दिष्ट था। मुख्य विकास अधिकारी (मु वि अ) द्वारा जब प नि का कार्यभार उनके पास था, आपूर्तिकर्ता से बिना बैंक गारन्टी प्राप्त किये एवं आपूर्ति आदेश में कम्प्यूटर के ब्रांड एवं उसकी विशिष्टियों का उल्लेख किये बिना संविदा का कियान्वयन किया गया। आपूर्ति आदेश फर्म द्वारा प्रस्तुत एक पत्र के आधार पर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि वह डी जी एस एण्ड डी की अनुबन्ध दर के अनुसार एवं सी एल ब्रांड कम्प्यूटर का अधिकृत आपूर्तिकर्ता था। फर्म के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट तैयार करने जिनका दिल्ली भाखा से भुगतान किया जाना था, 22.50 लाख रुपये इलाहाबाद बैंक उरई शाखा में 25 सितम्बर, 2003 का जमा किया गया था। फर्म ने दिनांक 25 सितम्बर 2003 को बैंक ड्राफ्ट बिना पावती दिये सीधे बैंक से प्राप्त कर लिया। पटल सहायक जि ग्रा वि अ द्वारा प्रश्नगत बैंक ड्राफ्ट गुम हो जाने की सूचना पुलिस को उसी दिन दी गयी। इसी बीच मु वि अ के अनुरोध पर दिनांक 25 सितम्बर 2003 को बैंक द्वारा “भुगतान नहीं किए जाने” का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। सासंद द्वारा भी 25 सितम्बर 2003 को स्वीकृति इस बहाने निरस्त कर दी गयी कि स्कूलों की सूची को अन्तिम रूप अभी दिया जाना था क्योंकि कुछ चिन्हित स्कूलों में पहले ही कम्प्यूटर लगे थे। फर्म ने अपने चालू खाते में बैंक ड्राफ्ट (ओवर डाफ्ट) के विरुद्ध 21 लाख रुपये का अधिविकर्ष 26 सितम्बर 2003 को प्राप्त कर लिया। एच सी एल भी डी जी एस एण्ड डी के किसी भी अनुबन्ध दर के अन्तर्गत अपने ब्रांड की अपूर्तिकर्ता नहीं थी।

मु वि अ ने बैंक ड्राफ्ट लेने के लिए फर्म के विरुद्ध पुलिस में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र सू रि) दर्ज कराने की जगह लगभग 4 माह पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी (फरवरी 2004)। मु वि अ के बैंक से उक्त बैंक ड्राफ्ट निरस्त करके धनराशि जि ग्रा वि अ के लेखे में केडिट किये जाने (23 अक्टूबर 2003) के अनुरोध के बावजूद बैंक द्वारा अगस्त 2007 तक इस आधार पर धनराशि वापस नहीं गयी कि इसके सम्बन्ध में एक वाद ऋण वसूली अभिकरण में लम्बित है। इस प्रकार फर्म बिना कम्प्यूटर की आपूर्ति किये जि ग्रा वि अ से 22.50 लाख रुपये कपटपूर्ण ढंग से आहरित करने में सफल रहा।

एम पी लैड दिशा निर्देशों एवं सामग्री क्य नियमों का घोर उल्लंघन कर आपूर्ति की स्वीकृति एवं आपूर्ति आदेश प्रदत्त करने, आपूर्ति आदेश जारी करने की तिथि को ही सुविधापूर्वक शीघ्रातिशीघ्र निधि बैंक में बैंक ड्राफ्ट तैयार करने की मंशा से जमा करने, बैंक द्वारा सीधे फर्म को बैंक ड्राफ्ट दिये जाने और बैंक ड्राफ्ट के विरुद्ध अंततः भुगतान करना महज एक इत्तफाक या

संयोग नहीं था। घटनाक्रम यह इंगित करता है कि पूर्व योजनानुसार जिला प्रशासन एवं बैंक की मिलीभगत से कपटपूर्ण ढंग से आहरण किया गया था। उत्तर के अतिरिक्त कपट की तत्काल सूचना न तो विभाग के उच्चाधिकारियों को न ही प्रधान महालेखाकार को दी गयी।

प्रकरण शासन को सितम्बर 2007 में सन्दर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि शासन द्वारा विचार विमर्श (सितम्बर 2007) में बताया गया कि प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है।

नगर विकास विभाग

4.1.5 सीमेन्ट कंकरीट सड़क के निर्माण पर व्याधिक्रय

नगर पालिका परिषद सम्मल, मुरादाबाद द्वारा सीमेन्ट कंकरीट सड़क के उच्च दरों का लोक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापन कराये बिना भुगतान करने से ठेकेदार को गुप्त तरीके से अधिक भुगतान 34.72 लाख रुपये।

वित्तीय नियमानुसार सरकारी धन का व्यय करने वाले अधिकारी को सतत ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी धन का व्यय उसी प्रकार संजगता से करे जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति अपना धन व्यय करता है। पुनः प्रबन्धन को समीक्षा किये जाने एवं यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व है कि आन्तरिक नियंत्रण की संरचना इस प्रकार, बनायी जाये जिससे कि सरकारी धन का दुरुपयोग, कपटपूर्ण आहरण एवं प्राधिकार के दुरुपयोग को रोका जा सके।

नगर पालिका परिषद, सम्मल, मुरादाबाद (न पा प) की लेखा परीक्षा (अगस्त, 2006 तथा मई, 2007) में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) से दरों का सत्यापन कराये बिना अवर अभियन्ता (अ अ) न पा प ने सीमेन्ट कंकरीट (सी सी) सड़क¹ के निर्माण में 10 सेमी मोटी तैयार स्लैब सव ग्रेड जो लो नि वि के विशिष्टियों एस आई 773 बिछाने का दर 2759 रुपये प्रति घनमीटर था, के अनुसार विश्लेषण किया था। तथ्यों की अनदेखी करते हुए कि अ अ, न पा प द्वारा तैयार दरों की गणना को लोक निर्माण विभाग के नोडल खण्ड द्वारा प्रमाणीकृत नहीं किया गया था, न पा प ने वर्ष 2000–03 में 143 अद्द सी सी सड़क का निर्माण जिसकी दरों की औपचारिक जांच मुरादाबाद के एक अन्य खण्ड के अवर अभियन्ता द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत से किया गया था, के आधार पर वर्ष 2000–03 में 6501.76 घन मीटर सी सी कार्य भुगतान (दर 2759 रुपये प्रति घन मीटर) का भुगतान किया गया था। मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद के अनुरोध पर उन्हीं विशिष्टियों के लिए सी सी कार्य की दर अधीक्षण अभियन्ता मुरादाबाद वृत्त लोकनिर्माण विभाग मुरादाबाद द्वारा 2225 रुपये घन मीटर निर्धारित (दिसम्बर, 2001) किया गया था। उच्च दर पर भुगतान किये जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार को गुप्त रूप से अधिक भुगतान 34.72 लाख रुपये² अ अ, नगर पालिका परिषद एवं लोक निर्माण विभाग दोनों की मिली भगत से किया गया था। इसमें से 24.19 लाख रुपये का अधीक्षण अभियन्ता, लो नि वि द्वारा 2225 रुपये की कम दर अनुमोदित किये जाने के बाद भी 4529.23 घन मीटर के लिए भुगतान किया गया था।

¹ 1:2:4 के अनुपात में सीमेंट, बालू एवं 4 सेमी अनुमोदित गेज पथर गिटटी

² (2759 रुपये–2225 रुपये)X 6501.76 घन मीटर=34.72 लाख रुपये

नगर पालिका परिषद ने उत्तर (पई, 2007) में तथ्यों को स्वीकार किया एवं सूचित किया कि नगर पालिका परिषद को सम्बन्धित अ आ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

नगर पालिका परिषद के अन्य अधिकारियों, जो कि प्राक्कलन की अनुमोदन, निविदा की स्वीकृति एवं ठेकेदार को भुगतान हेतु धन अवमुक्त करने में, सम्मिलित थे उनकी भी जांच किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण शासन को सितम्बर 2007 में किया गया था सन्दर्भित, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2007)।

4.2 अधिक भुगतान/निष्कल/निरर्थक व्यय

लोक निर्माण विभाग

4.2.1 बिटुमिनस कार्यों पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय

नजदीक के खदानों में ग्रिट की उपलब्धता की अनदेखी करते हुए एवं दूर से सामग्री संग्रह का सत्यापन किये बिना दूरस्थ खदानों से बिटुमिनस कार्यों हेतु मंहगी ग्रिट के उपयोग के फलस्वरूप शासकीय खजाने से 1.02 करोड़ रुपये का गोपनीय ढंग से अतिरिक्त निष्कासन।

शासन के वित्तीय नियमों¹ के अन्तर्गत प्रत्येक लोक सेवक से यह अपेक्षित था कि वह लोकधन को व्यय करते समय उसी प्रकार की सर्तकता बरतेगा जिस प्रकार एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति अपने स्वयं के धन को व्यय करने में सावधानी बरतता है।

अधिशासी अभियन्ता (अ.अ.), निर्माण खण्ड- I, लोनिवि, बस्ती के अभिलेखों की जाँच (जून 2006) में यह पाया गया कि लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग (राज्य राजमार्ग संख्या 5) के किमी 77 से किमी 107 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु लागत धनराशि 16.78 करोड़ रुपये की शासन द्वारा स्वीकृति (जनवरी 2005) प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियन्ता (मु.अ.), गोरखपुर परिक्षेत्र, लोनिवि गोरखपुर ने मार्च 2005 में तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। अधीक्षण अभियन्ता (अधी.अ.), बस्ती क्षेत्र, लोनिवि, बस्ती ने इस कार्य को दो अनुबन्धों² के माध्यम से अनुमानित धनराशि से 12.86 प्रतिशत एवं 13.61 प्रतिशत कम मूल्य पर कमशः किमी 77 से किमी 91 तथा किमी 92 से किमी 107 के लिए, एक ठेकेदार को ठेका प्रदान किया (मार्च 2005)।

अन्य कार्यों के अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण कार्य में 50 मिमी मोटाई की बिटुमिनस मैकडम (बी.एम) के लेपन के उपरान्त 25 मिमी सेमीडेन्स बिटुमिनस कंकीट (एस.डी.बी.सी.) का कार्य समाविष्ट था। आगणन में बी.एम. एवं एस.डी.बी.सी. के कार्यों हेतु आवश्यक ग्रिटों के संग्रहण हेतु समान विशिष्टियों की ग्रिटों की आपूर्ति मान्यता प्राप्त अपेक्षाकृत कम दूरी (120 किमी) वाले बुटवल खदान को उपेक्षित करते हुए अधिक दूरी (381 किमी) वाले डाला ग्रिट की आपूर्ति की दर से निर्धारित की गयी थी। बुटवल ग्रिट के प्रयोग न किये जाने के कोई कारण अभिलिखित नहीं किये गये थे। अनुबन्धों के सम्पादन के

¹ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल का प्रस्तर 205

² 07 एस ई दिनांक 11.03.05 वास्ते 6.20 करोड़ रुपये :किमी 77 से किमी 91।

08 एस ई दिनांक 11.03.05 वास्ते 6.36 करोड़ रुपये :किमी 92 से किमी 107।

समय भी बुटवल ग्रिट की उपलब्धता को संज्ञान में नहीं लिया गया था। दोनों प्रकरणों में ठेकेदार को डाला ग्रिट का भुगतान रवन्ना¹ से अभिनिश्चित किये बिना तथा निर्धारित खदान से ही ग्रिट प्राप्ति सम्बन्धी टोल टैक्स प्राप्ति रसीद आदि की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना किया गया। अनुबन्ध के सम्पादन में बुटवल ग्रिट से बी.एम. तथा एस.डी.बी.सी. कार्यों के लिए कमशः 3312.65 रुपये प्रति घनमी. तथा 4453.25 रुपये प्रति घनमी. के स्थान पर डाला ग्रिट की दरें कमशः 3875.20 रुपये प्रति घनमी. तथा 4987.00 प्रति घनमी. थी। निर्धारित खदानों से ग्रिट का संग्रहण सुनिश्चित किए बिना बी.एम. तथा एस.डी.बी.सी. कार्यों पर प्रावधानित डाला ग्रिट के उपयोग के फलस्वरूप 1.02 करोड़ रुपये² (बी.एम. 12571.76 घनमी. तथा एस.डी.बी.सी. : 5820.16 घनमी.) का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को जुलाई 2007 में सन्दर्भित किया गया; उत्तर अप्राप्त था। तथापि, शासन द्वारा परिचर्चा (सितम्बर 2007) में आश्वासन दिया गया था कि डाला खदान से ग्रिट संग्रहण के समर्थन में रवन्ना की प्रतियों उपलब्ध कराई जायेगी। शासन द्वारा मु.अ. के उत्तर (सितम्बर 2006) का भी समर्थन किया गया कि मार्च 2005 में संविदा बन्धपत्रों के निष्पादन के समय बुटवल खदान में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप ग्रिट उपलब्ध नहीं थी। उत्तर समीचीन नहीं था क्योंकि लो.नि.वि. से सभी कार्यों हेतु बुटवल अनुमोदित खदान थी एवं ग्रिट की दर विगत वर्षों³ में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित थी। इसके अतिरिक्त परिचर्चा में संविदा बन्धपत्रों के निष्पादन के समय बुटवल ग्रिट की अनुपलब्धता सम्बन्धी कोई साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था। रवन्ना की प्रतियों भी उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि निर्धारित खदान से ग्रिट के संग्रहण का बिना प्रमाणीकरण किये ही ठेकेदार को भुगतान किया गया।

4.2.2 उच्चतर रोड मेटल दर के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान

वर्टिकल अनुबन्धों में अननुमन्य चट्टा प्रभार जोड़ते हुए कृत्रिम रूप से रोड मेटल दर बढ़ाकर अनुमोदित करने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 31.66 लाख रुपये का अधिक भुगतान।

वित्तीय नियमों में प्रावधानित है कि रोड मेटल दरें⁴ (आर.एम.आर.), जिसके आधार पर सड़क के किनारे गिटटी की आपूर्ति की जा सके, प्रत्येक खण्ड हेतु निर्धारित की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने हेतु कि प्राक्कलनों का गठन दरों की सही गणना के आधार पर वित्तीय नियमों के प्रावधानानुसार किया गया है, प्रमुख अभियन्ता (प्र.अ.) ने एक परिपत्र (सितम्बर 2003) भी इस निर्देश के साथ जारी किया था कि पूरे राज्य में दरों के विश्लेषण का स्केलटन समान रहे।

वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में छ: खण्डों⁵ के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2007) से प्रकाश में आया कि वर्टिकल अनुबन्धों में कार्यों हेतु अनुमोदित आर.एम.आर की गणना

¹ खदान से रोड मेटल की ढुलाई सम्बन्धी राजस्व प्राधिकारी द्वारा निर्गत चालान

² सी.बी.नम्बर 07 एस.ई.बी.एम. 5981.42 घनमी. दर 562.55 प्रति घनमी.	=	33.65 लाख रुपये
एस.डी.बी.सी. 2714.85 घनमी. दर 533.75 प्रति घनमी.	=	14.49 लाख रुपये
योग	=	48.14 लाख रुपये
सी.बी.नम्बर 08 एस.ई.बी.एम. 6590.34 घनमी. 562.55 रुपये प्रति घनमी.	=	37.07 लाख रुपये
एस.डी.बी.सी. 3105.31 घनमी. 533.75 रुपये प्रति घनमी.	=	16.57 लाख रुपये
योग	=	53.64 लाख रुपये
कुल योग	=	101.78 लाख रुपये

³ 1995, 1999 तथा 2005

⁴ रोड मेटल विभिन्न आकार के पथर के टुकड़े जो मान्यता प्राप्त खदान से निकाली जाती हैं का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है।

⁵ पी.डी. सहारनपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, नि.ख. मैनपुरी, एवं नि.ख.3 कासगंज, एटा

अनुमन्य चट्टा प्रभार दरें 17.25 रुपये से 18.10 रुपये प्रति घनमीट को त्रुटिपूर्ण ढंग से सम्मिलित कर किया गया था। वर्टिकल अनुबन्धों में मात्र निष्पादित कार्यों की मात्रा की माप और भुगतान किया जाता है। सम्रेक्षा द्वारा कार्यों की नमूना जॉच में पाया गया कि ठेकेदारों को 31.66 लाख रुपये का 14 सङ्कों के कार्यों पर 182857 घनमीटर रोड मेटल पर चट्टा प्रभार से अधिक भुगतान परिशिष्ट 4.1 के अनुसार किया गया।

प्रकरण शासन को जुलाई 2007 में सन्दर्भित किया गया; उत्तर अप्राप्त था। तथापि, शासन ने परिचर्चा (सितम्बर 2007) में तथ्यों को स्वीकार किया। प्रमुख अभियन्ता ने गुणवत्ता निर्धारण हेतु चट्टा लगाने को उचित ठहराया। प्रमुख अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत औचित्य स्वीकार्य नहीं था क्योंकि चट्टा लगाने का गुणवत्ता नियन्त्रण से कोई सरोकार नहीं है।

ग्राम्य विकास विभाग

4.2.3 सेन्टेज प्रभार का अधिक भुगतान

हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन एवं री-बोरिंग के लिये कार्यदायी संस्थाओं के आगणनों की जाँच करने में जिला विकास अधिकारी की विफलता के कारण कार्यदायी संस्थाओं को 1.60 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

भारत सरकार (भा स) ने जिला सेक्टर योजना के अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (प्र म ग्रा यो)– ग्रामीण पेयजल लागू किया (नवम्बर 2000)। तदनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2001–07 के दौरान पाँच नमूना जॉच किये गये जनपदों¹ में 10284 नए हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन एवं 7925 पुराने हैण्ड पम्पों की री-बोरिंग का लक्ष्य उत्तर प्रदेश जल निगम (उ प्र ज नि) एवं यू.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन (एग्रो) के लिये 90:10 के अनुपात में निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त शासन ने आदेश जारी किया (नवम्बर 2001 तथा सितम्बर 2002) कि सेन्टेज प्रभार² हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन/री-बोरिंग पर किये गये कुल व्यय के 12.5 प्रतिशत के अंतर्गत सीमित रखा जाए। शासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया (दिसम्बर 2004) कि केन्द्र सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत कार्य प्रभारित अधिष्ठान के लिये पाँच प्रतिशत कंटीजेंसी प्रभार के स्थान पर 12.5 प्रतिशत सेन्टेज प्रभार अनुमन्य किया गया था।

जिला विकास अधिकारी (जि वि अ) फैजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, मुरादाबाद एवं प्रतापगढ़ के अभिलेखों की जाँच (जून–नवम्बर 2006) में पाया गया कि संबंधित जि वि अ द्वारा 2001–07 की अवधि में शासन के प्रचलित आदेशों के परिपेक्ष्य में सेन्टेज चार्ज की स्वीकार्यता के संदर्भ में आगणनों की जाँच किये बिना उ प्र ज नि एवं एग्रो को 33.96 करोड़ रुपये³ अवमुक्त कर दिया गया। प्रत्येक हैण्ड पम्प के अधिष्ठापन पर वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि को समायोजित किये जाने हेतु शर्त निर्धारण किये बिना कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आगणनों के आधार पर यह धनराशि थोक में अवमुक्त की गई। इस अवमुक्त धनराशि के विरुद्ध कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 2001–07 की अवधि में कुल 10135 नए हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन एवं 7814 हैण्ड पम्पों की री-बोरिंग की गई। तथापि यह संज्ञान में आया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अनुमन्य सीमान्तर्गत 12.50 प्रतिशत सेन्टेज प्रभार के अतिरिक्त जनपद गौतम बुद्ध नगर में 11.50 प्रतिशत एवं जनपद फैजाबाद में 13.50 प्रतिशत चार्ज किया गया। इसी प्रकार, जनपद हरदोई, मुरादाबाद एवं प्रतापगढ़ में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा आकस्मिक तथा

¹ फैजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, मुरादाबाद एवं प्रतापगढ़।

² स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों को दी जाने वाली सभी सेवाओं के लिये शुल्क की दर।

³ फैजाबाद: 6.85 करोड़ रुपये, गौतम बुद्ध नगर: 45 लाख रुपये, हरदोई: 7.22 करोड़ रुपये, मुरादाबाद: 9.52 करोड़ रुपये एवं प्रतापगढ़: 9.92 करोड़ रुपये।

कार्य प्रभारित अधिष्ठान पर पाँच प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज किया गया जो कार्यदायी संस्थाओं को (उ प्र ज नि : 1.50 करोड़ रुपये तथा एग्रो : 10.20 लाख रुपये) अनुमन्य नहीं था। परिणामस्वरूप 1.60 करोड़ रुपये¹ का अधिक भुगतान किया गया।

प्रकरण शासन को जून 2007 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2007)। तथापि शासन ने विचार विमर्श (नवम्बर 2007) के दौरान कहा कि उ प्र ज नि ने इस प्रकार अधिक चार्ज की गई धनराशि को वापस करने या उसके स्थान पर अतिरिक्त कार्य कराये जाने का आश्वासन दिया। शासन ने एग्रो को किये गये अधिक भुगतान अथवा उसकी वसूली के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया।

माध्यमिक शिक्षा विभाग

4.2.4 वाहन चालक के वेतन भत्तों का दोहरा आहरण

असफल तंत्रात्मक व्यवस्था के कारण स्थानान्तरित वाहन चालक के वेतन भत्तों के 1.11 लाख रुपये का दोहरा आहरण किया गया।

वित्त एवं लेखा अधिकारी (वि०ले०अ०) फतेहपुर के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2007) में यह अभिव्यक्त हुआ कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, इलाहाबाद (निदेशालय) के एक वाहन चालक का स्थानान्तरण (मई 2006) जिला विद्यालय निरीक्षक, (जि०वि०नि०) फतेहपुर के कार्यालय में किया गया था। निदेशालय ने जून 2006 में वाहन चालक को कार्य मुक्त कर दिया था किन्तु कर्मचारी का न तो अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत किया और न ही संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस विषयक कोई समुचित सूचना ही प्रेषित की। जि०वि०नि० ने जुलाई 2006 में बिना अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र के अपने कार्यालय के वेतन देयक में वाहन चालक का नाम उसके प्रथम वेतन के आहरण हेतु सम्मिलित कर लिया और भुगतान हेतु कोषाधिकारी फतेहपुर को प्रस्तुत कर दिया। कोषाधिकारी ने भी माह जुलाई 2006 के प्रथम भुगतान के समय देयक की अनिवार्य जाँच किये बिना मई 2007 तक के 1.11 लाख रुपये के देयकों को भुगतान हेतु पारित कर दिया। कर्मचारी का वेतन प्रत्येक माह उसके बैंक के बचत खाते में जमा किया जाता रहा। इसी बीच निदेशालय में भी वाहन चालक की उपस्थिति का सत्यापन किये बिना जून 2006 से मई 2007 तक उसके वेतन-भत्तों (कुल 1.20 लाख रुपये) का आहरण कोषागार इलाहाबाद से लगातार आहरित करते हुए उसके बचत बैंक खाते में जमा किया जाता रहा। निदेशालय तथा जि०वि०नि० दोनों द्वारा 11 माह तक वेतन आहरित करने तथा बैंक के बचत खाते में जमा करने के बावजूद वाहन चालक द्वारा न तो इस तथ्य को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया और न ही अपने बैंक खाते में अधिक जमा की गई धनराशि 1.11 लाख रुपये वापस किये गये।

अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र और अन्य सेवा अभिलेखों के अभाव में जि०वि०नि० ने जून 2007 में वाहन चालक के वेतन भुगतान को रोक दिया और वांछित अभिलेखों को प्रेषित करने के लिए निदेशालय से निवेदन किया। निदेशालय से अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्राप्ति (सितम्बर 2007) पर दोनों कार्यालयों द्वारा वेतन भत्तों के दोहरे आहरण का प्रकरण संज्ञान में आ सका।

धनराशि की वसूली उसके बकाया वेतन (जून 2007 से सितम्बर 2007) से 1500/- रुपये प्रतिमाह की दर से वसूली प्रारम्भ कर दी गई थी और अक्टूबर 2007 तक

¹ फैजाबाद: 43 लाख रुपये, गौतम बुद्ध नगर: 6 लाख रुपये, हरदोई: 30 लाख रुपये, मुशादाबाद: 48 लाख रुपये एवं प्रतापगढ़: 33 लाख रुपये।

7500/- रुपये की वसूली कर ली गई थी। इस प्रकार वित्तीय नियमों के अनुपालन न किये जाने के कारण ग्यारह माह तक वेतन-भत्तों का दोहरा आहरण किया जाता रहा।

प्रकरण शासन को अक्टूबर 2007 में संदर्भित किया गया था, परन्तु उत्तर नहीं प्राप्त (नवम्बर 2007) हुआ था। तथापि विचार-विमर्श (नवम्बर 2007) के दौरान शासन ने बताया कि दोहरे आहरण के लिये उत्तरदायी अधिकारियों को चिन्हित करने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये प्रकरण की आगे जाँच की जायेगी।

नगर विकास विभाग

4.2.5. निरर्थक व्यय एवं निधियों का अवरोधन

भूमि का विधिक स्वामित्व प्राप्त किए बिना कार्य प्रारम्भ करने से रु0 15.70 लाख का निरर्थक व्यय एवं 1.33 करोड़ रुपये अवरुद्ध रहना।

भारत सरकार (भा स) के कपड़ा मंत्रालय द्वारा राज्य में हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र की प्रोन्नति हेतु 2 करोड़ की लागत से लखनऊ में अवधि हाट की स्थापना हेतु स्वीकृति (अक्टूबर 2002) प्रदान की गई थी। परियोजना की लागत भा स एवं राज्य सरकार द्वारा 70:30 के अनुपात में वहन की जानी थी। निर्माण कार्य 18 माह की अवधि में पूर्ण करना था। जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा) लखनऊ को उच्च स्तरीय जाँच समिति (उ स्त जॉ स) के माध्यम से परियोजना का कियान्वयन किया जाना था। स्थल का समस्त अतिकमण/विवादों से मुक्त एवं उ स्त जॉ स के निर्देशों (अक्टूबर 2002) के अनुरूप होना सुनिश्चित कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व झूड़ा को सम्बन्धित अभिकरणों से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करना था। झूड़ा ने विधिक स्वामित्व एवं भूमि प्रयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही लखनऊ विकास प्राधिकरण (ल वि प्रा) से नजूल भूमि का कब्जा (अक्टूबर 2002) प्राप्त किया गया।

झूड़ा लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2007) से प्रकट हुआ कि राज्य सरकार द्वारा अपना अंश 60 लाख रुपये नवम्बर 2002 में तथा 50 प्रतिशत केन्द्रांश (70 लाख रुपये) मार्च 2003 में अवमुक्त किया गया था। झूड़ा ने चिन्हित भूमि का विधिक स्वामित्व प्राप्त किए बिना ही निर्माण कार्य प्रारम्भ (अक्टूबर 2002) कर दिया गया था तथा मई से अक्टूबर 2003 अवधि में बाउन्ड्रीवाल के निर्माण, दुकानों के प्लिंथ स्तर तक का कार्य, डिजाइन तथा ड्राइंग के निर्माण तथा पौध रोपण में 15.70 लाख रुपये धनराशि का व्यय किया गया था। स्थल के दो ऐतिहासिक महत्व की इमारतों के समीपस्थ होने के कारण पुरातत्व विभाग की आपत्तियों के दृष्टिगत रखते हुए कार्य बन्द कर दिया गया था (नवम्बर 2003)। पुरातत्व विभाग द्वारा प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रदान (जनवरी 2004) कर दी गई। तथापि शासन द्वारा भू प्रयोग परिवर्तन की स्वीकृति एवं स्थल योजना की स्वीकृति के अभाव में निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं किया जा सका। तीन वर्षों के अन्तराल के पश्चात सितम्बर 2006 में कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया परन्तु स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कार्य पुनः रोकना पड़ा।

उ स्त जॉ स ने ल वि प्रा से समस्त अतिकमण/विवादो से मुक्त निःशुल्क किसी अन्य भूमि को आवंटित करने का अनुरोध किया (जनवरी 2007)। जुलाई 2007 तक परियोजना हेतु किसी भूमि का आवंटन नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप अखर्चित अवशेष धनराशि 1.33 करोड़ रुपये (मूलधन 1.14 करोड़ रुपये तथा ब्याज 18.81 लाख रुपये) बैंक के बचत खाते में विगत चार वर्षों से पड़ी थी (फरवरी 2007)।

इस प्रकार ढूड़ा द्वारा बिना विधिक स्वामित्व प्राप्त किए अवध हाट का कार्य प्रारम्भ करने से 15.70 लाख रुपये के निर्थक व्यय होने के अतिरिक्त बैंक खातों में 1.33 करोड़ रुपये अवरुद्ध पड़ी रही।

प्रकरण शासन को मई 2007 में सन्दर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि शासन द्वारा विचार विमर्श (अगस्त 2007) में बताया गया कि भू उपयोग के हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी क्योंकि भूमि हुसैनाबाद विरासत क्षेत्र में स्थित थी तथा इस भूमि का प्रयोग केवल विरासत उद्देश्य हेतु ही किया जा सकता था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पुरातत्व विभाग, भारत सरकार ने अवध हाट के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र पहले ही (जनवरी 2004) जारी कर किया था। इसके अतिरिक्त जैसा कि उस्त जॉ स द्वारा प्रार्थना की गयी, हाट की स्थापना के लिये एक वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था की जा सकती थी।

4.3 संविदात्मक बाध्यताएँ का उल्लंघन/ठेकेदारों को अनुचित लाभ/परिहार्य व्यय

सिंचाई विभाग

4.3.1 नहर के लाइनिंग कार्य पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय

कार्य के अनियमित रूप से सौंपने के कारण सिरसी बरौंधा फीडर नहर के लाइनिंग कार्य पर टाइम ओवर रन एवं 40.41 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय।

वित्तीय नियमों में प्राविधानित है कि निविदायें उस दशा में अस्वीकृत की जा सकती हैं यदि दरें बाजार की दर से ऊँची हो और ठेकेदार अविश्वसनीय हो। अस्वीकृति के पश्चात, अगले उच्चाधिकारी के अनुमोदन से ठेकेदारों से वार्ता प्रारम्भ की जा सकती है। यदि कोई भी ठेकेदार जिस धनराशि को उचित समझा गया है पर कार्य करने को तैयार नहीं है, तो मुख्य अभियन्ता (मु.अ.) का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात कार्य चयन के आधार पर किसी विश्वसनीय ठेकेदार को सौंपा जा सकता है।

सिरसी—बरौंधा फीडर नहर (लम्बाई 16.585 कि.मी.) के रिसाव की समस्या के समाधान हेतु अधीक्षण अभियन्ता, बाण सागर नहर निर्माण मण्डल-2, मिर्जापुर द्वारा नहर की कंकीट लाइनिंग कार्य (कि.मी. 9.30 से 13 कि.मी.) के लिए अल्पकालीन निविदा आमंत्रित (जनवरी 2001) की गयी। प्रत्युत्तर में दो निविदायें प्राप्त हुईं जिसमें उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम, लखनऊ (निगम) की निविदा लागत 2.22 करोड़ रुपये न्यूनतम थी। दत्त निविदा लागत विभाग द्वारा प्राक्कलित लागत (2.30 करोड़ रुपये)¹ से भी कम थी। निगम की निविदा अनुमोदित करने के बजाय अधीक्षण अभियन्ता के आदेश से दोनों पक्षों को वार्ता के लिए बुलाया गया (मार्च 2001) था। चूंकि कोई भी निविदादाता अपनी दरें कम करने को तैयार नहीं हुआ अतः विभाग द्वारा कार्य को अनियमित ढंग से एक ऐसे ठेकेदार को चयन के आधार पर लागत 2.22 करोड़ रुपये में आवंटित किया गया (अप्रैल 2001) जिसने निविदा आमंत्रण सूचना का प्रत्युत्तर ही नहीं दिया था। कार्य जून 2002 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

अधिकारी अभियन्ता, बाण सागर नहर निर्माण खण्ड-6, मिर्जापुर के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2006) में पाया गया कि ठेकेदार ने उन्हीं कार्य मदों का सम्पादन किया जिनकी दरें निगम द्वारा दी गयी दरों से अधिक दी गयी थी यह मदें प्राक्कलित मात्राओं से 154.53 से 390.39 प्रतिशत अधिक निष्पादित की गयी थी। कम दर वाले

¹ मार्च 2006 में 4.29 करोड़ रुपये में पुनरीक्षित

कार्य मदों की या तो अनदेखी कर दी गयी या कम मात्रा में निष्पादन¹ किया गया। ठेकेदार ने बढ़ायी गयी अवधि (जून 2003) में भी कार्य पूर्ण न कर मात्र 83.05 लाख रुपये का कार्य (35.78 प्रतिशत) निष्पादित कर कार्य रोक दिया, विभाग ने अनुबंध को निरस्त एवं अनुबंधित मूल्य का एक प्रतिशत जुर्माना लगाकर (अगस्त 2005) अनुबंध का अंतिमीकरण (जून 2004) कर दिया।

अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु एक अन्य ठेकेदार के साथ नया अनुबंध (सी.बी) 1.99 करोड़ रुपये का गठित किया (फरवरी 2004) जिसकी पूर्ण करने की तिथि 30 जून 2004 (जिसे जून 2005 तक बढ़ाया गया) थी। कार्य मार्च 2005 में 2.90 करोड़ रुपये की लागत पर पूर्ण किया गया (अनुबंधित लागत से 145.34 प्रतिशत उपर)। कार्य पर कुल व्यय मूल प्राक्कलित लागत 2.30 करोड़ रुपये के विरुद्ध 3.99 करोड़ रुपये (सी.बी : 3.73 करोड़ रुपये² और विविध व्यय 0.26 करोड़ रुपये) हुआ। अतिरिक्त व्यय 1.18 करोड़ रुपये³ में 40.41 लाख रुपये की लागत वृद्धि की धनराशि, अस्वीकृत अतिरिक्त मद्दे 52.70 लाख रुपये, और विविध व्यय 26.00 लाख रुपये सम्मिलित थे।

प्रकरण शासन को जुलाई 2007 में सन्दर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि शासन ने वार्ता के दौरान (अक्टूबर 2007) लेखा परीक्षा के तथ्यों को स्वीकार किया तथा मुख्य अभियन्ता, बाण सागर को जुर्माना कम करने एवं ठेकेदार को अनियमित कार्य का आवंटन करने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने को निर्देशित किया। हालाँकि, खण्ड द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को लेखापरीक्षा के द्वारा पूर्व में ही संज्ञान में ले लिया गया था।

इस प्रकार वित्तीय नियमों के विरुद्ध कार्य आवंटन के मामले में ठेकेदार का अनुचित पक्ष लिये जाने से समय व्यतीत होने के फलस्वरूप 40.41 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

4.3.2 ब्याज का परिहार्य भुगतान

भूस्वामियों को टुकड़ों तथा विलम्ब से भू-प्रतिकर/डिकीटल धनराशि का भुगतान करने के कारण ब्याज के रूप में विभाग द्वारा 1.16 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान।

वित्तीय हस्तपुस्तिका में निहित प्राविधान के अनुसार निर्विवाद रूप से सदेय धनराशि को कभी असंदर्भ नहीं छोड़ना चाहिए तथा यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि प्रथम सम्भावित तिथि पर सभी वास्तविक दायित्व के भुगतान की जानकारी, इसका निस्तारण तथा अभिलेखन किया जाये। अधिशाषी अभियन्ता (अ.अ.) ऊपरी गंगा नहर, आधुनिकीकरण खण्ड-1, रुड़की और अ.अ., सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि प्रतिकर/डिकीटल धनराशि 1.16 करोड़ रुपये व्याज का विलम्ब से परिहार्य भुगतान हुआ जैसा कि नीचे वर्णित है:

4.3.2.1 अधिशाषी अभियन्ता (अ.अ.), ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण खण्ड-1, रुड़की के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2006) में पाया गया कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एस.एल.ए.ओ), सहारनपुर ने भूस्वामियों को भू-प्रतिकर का भुगतान करने हेतु 1.97 करोड़ रुपये का 02 जनवरी 1988 को अवार्ड किया था। खण्ड द्वारा प्रतिकर का पूर्ण एवं एक मुश्त भुगतान सुनिश्चित करने हेतु बजट प्राप्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की किन्तु प्रतिकर 1.90 करोड़ रुपये का भुगतान अपने नियमित बजट से पॉच

¹ 13.98 प्रतिशत और 56.24 प्रतिशत सिर्फ के मध्य में

² प्रथम सी.बी : 0.83 करोड़ रुपये
द्वितीय सी.बी 2.90 करोड़ रुपये

³ 1.19 करोड़ रुपये -0.02 करोड़ रुपये

बार में जनवरी 1988 से मार्च 1997 के मध्य किया गया। अवशेष धनराशि पर प्रत्येक बार गणना करते हुए खण्ड द्वारा भू-स्वामियों को ब्याज की धनराशि 61 लाख रुपये का भी भुगतान किया गया था। मार्च 1997 के अन्त तक धनराशि 6.53 लाख रुपये भुगतान हेतु शेष थी। अवशेष धनराशि का भुगतान न होने के कारण, भूमि स्वामियों ने विभाग के विरुद्ध अतिरिक्त जिला जज रुड़की की अदालत में एक वाद (1998) दायर किया। अदालत ने (नवम्बर 2001) में भूस्वामियों को 11.09 लाख रुपये (4.56 लाख रुपये ब्याज सहित) का भुगतान करने का आदेश दिया गया किन्तु खण्ड ने अतिरिक्त जिला जज, रुड़की के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, उत्तरांचल में सिविल पिटीशन (2002) दायर किया। हाईकोर्ट ने जिला जज के निर्णय को यथावत (अगस्त 2003) रखा तथा खण्ड को अन्ततः प्रकरण के अन्तिम निस्तारण हेतु 11.09 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा (नवम्बर 2006)। भूमि के प्रतिकर की धनराशि के अतिरिक्त 65.42 लाख रुपये¹ का कुल भुगतान ब्याज के रूप में किया गया।

शासन ने विचार-विमर्श (अक्टूबर 2007) के दौरान प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को डिकीटल धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु निर्देशित किया।

4.3.2.2. अधिशाषी अभियन्ता (अ.अ.), सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2006) में पाया गया कि हिण्डन यमुना दोआब बैंध परियोजना, गौतमबुद्धनगर के लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एस.एल.ए.ओ.) द्वारा 22.20 बीघा भूमि अधिगृहीत (अप्रैल 1992) की गयी थी। एसएलएओ द्वारा दी गयी अवार्ड की प्रतिपूर्ति से असंतुष्ट भू-स्वामियों ने जिला जज, बुलन्दशहर की अदालत में एक मुकदमा दायर किया। अदालत द्वारा भू-स्वामियों के पक्ष में निर्णय दिया गया (मई और अगस्त 1995) और 56.50 लाख रुपये (ब्याज सहित) प्रतिपूर्ति भुगतान करने के आदेश दिये। विभाग ने न ही भुगतान किया और न ही समर्य² से जिला जज के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील किया। असंतुष्ट कृषकों ने (1996) अतिरिक्त जिला जज, फास्ट ट्रैक कोर्ट, गौतमबुद्धनगर की अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसने खण्ड को आदेश दिया (दिसम्बर 2002) कि वह धनराशि को अदालत में जमा करें। विभाग ने एक बार फिर समय से उचित कार्यवाही नहीं की जिसकी वजह से निधि की व्यवस्था करने में तीन वर्ष का विलम्ब हुआ। धन का आवंटन होने पर (22 मार्च 2006) खण्ड ने धनराशि 1.07 करोड़ रुपये (नवम्बर 2005 तक ब्याज सहित) जिला न्यायालय में जमा किया। जिसको न्यायालय ने भू-स्वामियों को भुगतान कर दिया (मार्च 2006)। विभाग द्वारा प्रकरण की प्रभावी पैरवी में असफल रहने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में 50.50 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

प्रकरण शासन को जुलाई 2007 में सन्दर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि शासन ने विचार-विमर्श (अक्टूबर 2007) के दौरान तथ्यों एवं ऑकड़ों को स्वीकार किया और अवगत कराया कि चूंकि प्रकरण अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है और प्रक्रियात्मक विलम्ब का है इसलिए विभाग को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। शासन द्वारा दिया गया तर्क मान्य नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा न तो भुगतान किया गया न ही समय से जिला जज के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की गयी। इसके अतिरिक्त, जिला जज के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश भी पारित नहीं किया गया था जबकि भू-स्वामियों को प्रतिपूर्ति का भुगतान (मार्च 2006) पहले ही किया जा चुका था।

¹ 17.59 लाख रुपये जनवरी 1989 में, 0.55 लाख रुपये फरवरी 1989 में, 36.26 लाख रुपये अगस्त 1991 में, 6.46 लाख रुपये मार्च 1997 में और 4.56 लाख रुपये नवम्बर 2006 में।

² विभाग द्वारा आदेश दिनांक 12.05.1995 के विरुद्ध अपील 20.07.96 और आदेश दिनांक 03.08.95 के विरुद्ध 14.07.03 को समय अवधि कमश: एक वर्ष और सात वर्ष की समाप्ति पर दायर की।

विकित्सा शोधा विमाण

4.3.3 सीमा शुल्क का परिहार्य व्यय

सीमा शुल्क से छूट के लिये, वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण 48.76 लाख रुपये का परिहार्य व्यय।

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, (संस्थान) सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्ति के उद्देश्य के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मोस्ट) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर) नई दिल्ली में पंजीकृत था। वर्ष 2005–06 के लिये लागू दरों की अनूसूची के अनुसार, शोध एवं विकास परियोजना हेतु आयातित उपकरण पर आयात के समय भारत सरकार में ऐसे अधिकारी जो उप सचिव के स्तर से नीचे का न हो, द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सीमा शुल्क एवं उस पर लागू अतिरिक्त शुल्क से छूट थी।

संस्थान के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2006) में प्रकट हुआ कि जून 2004 में डी एस आई आर नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत उ प्रा क्षे अ ती¹ कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान ने स्वीट्जरलैण्ड आधारित /स्थित फर्म² से 10.24 करोड़ रुपये की लागत से एक 'उच्च उर्जा लीनियर एक्सेलेटर' का आयात (अक्टूबर 2005) किया था। सीमा शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिये संस्थान द्वारा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत (अक्टूबर 2005) किया गया था। तथापि सहायक आयुक्त के पक्ष में निर्गत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं था। संस्थान के निदेशक द्वारा भारत सरकार के उपसिंचव के माध्यम से जैसा कि वांकित था, के स्थान पर एक नया प्रमाण पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से निर्गत (अक्टूबर 2005) किया गया। सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रमाण पत्र को वैद्य न मानने के कारण संस्थान को 48.76 रुपये के सीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ा (नवम्बर 2005)।

इस प्रकार संस्थान द्वारा छूट के लिये सक्षम अधिकारी से वैध प्रमाण पत्र सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 48.76 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2007 में सन्दर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि शासन द्वारा विचार विमर्श (सितम्बर 2007) में बताया गया कि प्रकरण पर स्पष्टीकरण हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारियों से पूछा गया है एवं यदि पुनर्भुगतान अनुमत्य हो, तो तदनुसार इसकी वापसी हेतु कार्यवाही की जायेगी।

शहरी विकास विमाण

4.3.4— त्रुटिपूर्ण नियोजन से निधियों का अवरोधन एवं परिहार्य भुगतान

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण किये बिना स्थल विकास पर 4.20 करोड़ रुपये के व्यय के परिणामस्वरूप कार्य का परित्याग एवं 1.98 करोड़ रुपये परिहार्य ब्याज का भुगतान और 1.78 करोड़ रुपये का अवरोधन।

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण (म वृ वि प्रा) के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2006) से ज्ञात हुआ कि म वृ वि प्रा द्वारा दो गावों की 24.861 हेक्टेयर भूमि पर कृष्णा विहार आवासीय परियोजना (प्राक्कलित लागत 20.71 करोड़ रुपये) विकसित करने का निर्णय

¹ उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में अनुसंधान का तीव्रीकरण

² मेसर्स वैरियन मेडिकल सिस्टम्स इण्टरनेशनल एजी

(1998) लिया गया। मार्च 1999 और जून 2003 के बीच विशेष भूमि अद्याप्ति अधिकारी (वि भू अ अ) के पास 2.04 करोड़ रुपये¹ (भूमि लागत का 80 प्रतिशत) जमा किये गये थे।

वि भू अ अ मथुरा के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण हुए बिना और भूमि के वैधानिक प्राधिकार के बिना म वृ वि प्रा ने फरवरी 2000 और अगस्त 2006 के बीच 4.20 करोड़ रुपये का व्यय करके 714 प्लाटों (आजमपुर गाँव 568 और राँची बॉगर गाँव: 146) और सामान्य सुविधाओं का विकास हुड़कों² से प्राप्त 4.19 करोड़ रुपये के एक ऋण (अप्रैल 2004) में से किया। म वृ वि प्रा ने 16.06 करोड़ रुपये की लागत पर 700 प्लाटों (आजमपुर गाँव : 558 और राँची बॉगर गाँव : 142) का आवंटन (मार्च 2004) भी कर दिया। दो गाँवों के बीच पड़ने वाली 6.535 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में अधिग्रहण की कार्यवाही को चार आवासीय समितियों द्वारा उच्च न्यायलय में चुनौती (जनवरी 2004 और मार्च 2004) इस आधार पर दी गयी थी कि म वृ वि प्रा की प्रस्तावित आवास योजना के साथ अप्रैल 1982 और फरवरी 1993 के बीच उनके द्वारा कर्य की गयी सीमावर्ती भूमि टुकड़ों को संयोजित कर दिया गया था और अधिसूचना में शामिल कर लिया गया था। न्यायलय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना को रद्द (सितम्बर 2004) कर दिया और पूर्व स्थिति को बहाल (अगस्त 2006) कर दिया। इस बीच सरकार द्वारा आजमपुर गाँव की 9.524 हेक्टेयर भूमि भू-स्वामियों को इस आधार पर मुक्त कर दी गयी कि पूर्ववर्ती भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नियमानुसार नहीं थी। परिणामस्वरूप कार्य तुरन्त बन्द हो गया और निलम्बित पड़ा था (नवम्बर 2007)। म वृ वि प्रा ने फरवरी 2007 तक 1.50 करोड़ रुपये (मूल: 0.42 करोड़ रुपये और ब्याज 1.08 करोड़ रुपये) के ऋण की भुगतान वापसी भी कर दी थी। बाद में म वृ वि प्रा द्वारा प्लाट धारकों को फीहोल्ड स्वामित्व प्रदान करने में विफलता के कारण आजमपुर गाँव के 297 आवंटियों को 9 प्रतिशत ब्याज की दर से 89.58 लाख रुपये ब्याज सहित 4.28 करोड़ रुपये की वापसी जनवरी 2006 और मार्च 2007 के बीच कर दी गई। वि भू आ अ द्वारा भू-स्वामियों को केवल 26 लाख की क्षतिपूर्ति जारी की गयी।

इस प्रकार बिना भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण किये और बिना किसी वैधानिक प्राधिकार के 4.20 करोड़ रुपये का, ऋण कोषों से अलाभकारी व्यय करना त्रूटिपूर्ण नियोजन का सूचक था। इसके अतिरिक्त, 1.98 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान एवं वि भू आ अ के पास पिछले आठ वर्षों से बिना किसी प्रयोजन के 1.78 करोड़ रुपये का निधि अवरोधन, प्राधिकरण के वित्तीय स्वारस्थ्य के लिए हानिकारक था।

प्रकरण शासन को जून 2007 में सन्दर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि, शासन ने विचार विमर्श (अक्टूबर 2007) में आकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि की।

¹ आजमपुर गांव : 1.05 करोड़ रुपये (अप्रैल 1999) एवं राँची बॉगर गांव : 0.99 करोड़ रुपये (मार्च 1999 एवं जून 2003 के मध्य निश्चेपित)

² हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन

शहरी विकास विभाग

4.3.5 ब्याज का परिहार्य भुगतान

बीमा कम्पनी को विलम्ब से बीमा अंशदान के भुगतान एवं बारहवें वित्त आयोग अनुदान का शासन द्वारा स्थानीय निकायों को विलम्ब से स्थानान्तरण के कारण 54.04 लाख रुपये का परिहार्य ब्याज भुगतान करना पड़ा।

निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच में परिहार्य ब्याज भुगतान के दो प्रकरण जिनकी नीचे विवेचना की गई है संझान में आये:

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमा निगम) की सामूहिक बीमा योजना (सा०बी०यो०) का 31 मार्च 1978 से लाभ देने का निर्णय शासन द्वारा मई 1978 में लिया गया। बीमा प्रीमियम अंशदान कर्मचारियों के मासिक वेतन से कटौती कर बीमा निगम को भुगतान किया जाना था। बीमा का कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति/मृत्यु होने पर वापस भुगतान किया जाना था। शासन ने बीमा निगम के साथ अपनी बैठक (मार्च 1990) में निश्चित किया कि प्रीमियम का भुगतान प्रत्येक माह की 20 तारीख तक कर दिया जायेगा तथा असफल रहने पर भुगतान न किये गये प्रीमियम पर शासन 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ के अभिलेखों की सम्प्रेक्षा जाँच (मई 2006) में यह पाया गया कि समय से मांग प्रस्तुत करने के बावजूद शासन द्वारा वेतन भुगतान एवं सा०बी०यो० के प्रीमियम के अंशदान की मासिक किश्त की वसूली हेतु निदेशक स्थानीय निकाय को समय से धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी। परिणामतः, वर्ष 2002–05 की अवधि में बीमा निगम को प्रीमियम भुगतान में एक से 10 माह तक का विलम्ब हुआ विभाग को परिणामतः 27.69 लाख¹ रुपये ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ा।

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को संसाधन की परिपूरकता के लिए 51.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किया (जून 2005)। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि राज्य के लेखा में जमा होने के 15 दिनों के अन्दर शासन द्वारा राज्य के पंचायती राज संस्थानों (प०रा०स०)/शहरी स्थानीय निकायों (निकायों) को स्थानान्तरित कर दिया जाना था। विलम्ब की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की निर्धारित दर पर ब्याज जोड़ कर अनुदान की धनराशि प०रा०स०/निकायों को स्थानान्तरित करना था। निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ (निदेशक) के अभिलेखों की जाँच (मई 2006 एवं दिसम्बर 2006) में अभिव्यक्त हुआ कि राज्य सरकार को नवम्बर 2005 में प्राप्त अनुदान 51.70 करोड़ रुपये शासन द्वारा प०रा०स०/निकायों को जनवरी 2006 में 31 दिनों के विलम्ब से स्थानान्तरित किया गया। परिणामतः शासन को 26.35 लाख रुपये का ब्याज भुगतान (सितम्बर 2006) निकायों को करना पड़ा।

अतः निर्धारित अवधि में बीमा कम्पनी को प्रीमियम के भुगतान न करने तथा स्थानीय निकायों को आयोग के अनुदान के स्थानान्तरण में विलम्ब के कारण शासन को 54.04 लाख रुपये ब्याज पर परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

प्रकरण शासन को मई 2007 में संदर्भित किया गया था; परन्तु उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। तथापि, विचार-विमर्श (सितम्बर 2007) के दौरान, प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग ने

¹ (1) चेक सं 95609 दि. 31-3-01 रु.1974890 (2) चेक सं. 169368 दि. 31-3-02 रु. 113652 (3) चेक सं. 249545 दि. 31-3-03 रु. 113652 (4) चेक सं. 578532 दि. 31-3-04 रु. 267082 एवं (5) चेक सं. 674974 दि. 18-5-05 रु. 299285

आश्वासन दिया कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियों से बचने हेतु नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जायेगा।

4.4. निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधि का अवरोधन/उपकरणों के प्रतिस्थापन में विलम्ब/अपवर्तन/निधियों का दुरुपयोग

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

4.4.1. ऊर्जा पार्क हेतु निर्धारित निधियों का अवरोधन

इलाहाबाद में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क के लिये उपयुक्त स्थल की व्यवस्था करने में शासन की विफलता के परिणामस्वरूप 1.26 करोड़ रुपये की निधि का अवरोधन।

भारत सरकार (भा स) द्वारा इलाहाबाद में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की 1.99 करोड़ रुपये की लागत से स्थापना की स्वीकृति (मार्च 2003) प्रदान की गयी थी। पार्क के लिये ऊर्जा तन्त्र एवं उपकरणों की लागत 94 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा वहन की जानी थी एवं आधार भूत एवं सिविल निर्माण कार्य के लिये शेष 1.05 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। ऊर्जा तन्त्र एवं उपकरणों को एक वर्ष की अवधि में स्थापित किये जाने थे एवं किसी भी स्थिति में परियोजना स्वीकृति की तिथि से 24 माह से अधिक नहीं होना था।

भा स द्वारा ऊर्जा तन्त्र एवं उपकरणों के कारण के लिये अपने हिस्से की धनराशि का 50 प्रतिशत अंश 47.15 लाख रुपये जारी किया गया। राज्य सरकार द्वारा भी गैर पारम्परिक ऊर्जा विकास अभियान (नेडा) को आधारभूत एवं सिविल निर्माण कार्य के विकास के लिये 78.80 लाख रुपये जारी¹ किया गया। जिला प्रशासन इलाहाबाद द्वारा मई 2003 में नेडा को पार्क की स्थापना के लिये भूमि उपलब्ध करा दी गयी थी एवं उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम (उ प्र रा नि नि) को कार्यदायी संस्था बनाया (जून 2003) गया था। तथापि परियोजना, उत्तर रेलवे द्वारा निर्माण स्थल पर स्वामित्व का दावा करने एवं उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश (अक्टूबर 2003) के कारण प्रारम्भ नहीं हो सकी।

पार्क के लिये नवम्बर 2005 में वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराया गया था एवं नेडा द्वारा सिविल निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिये उ प्र रा नि नि को 49.07 लाख रुपये निष्क्रियित किया गया था। यमुना नदी के किनारे स्थित होने एवं बाढ़ की आशंका के कारण यह भूमि भी उपयुक्त नहीं पाई गयी थी। इसके अतिरिक्त, स्थल के सड़क से नीचे के स्तर पर होने के कारण इसके विकास हेतु बड़े निवेश की आवश्यकता थी। तदन्तर परियोजना निदेशक, नेडा इलाहाबाद द्वारा ऊर्जा पार्क के लिये मुफ्त उपयुक्त स्थल कराने के लिये एक नया प्रस्ताव शासन को भेजा (अप्रैल 2007) गया। यद्यपि जुलाई 2007 तक प्रस्ताव शासन के पास लम्बित था।

इस प्रकार, ऊर्जा पार्क के लिये उपयुक्त स्थल आवंटित होने में विलम्ब के कारण उ प्र रा नि नि के पास 49.07 लाख रुपये तथा नेडा के पास 76.88 लाख रुपये जुलाई 2007 तक अप्रयुक्त पड़े हुए थे। इस बीच राज्य सरकार द्वारा वहनीय परियोजना के लागत के घटकों में 1.90 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी।

¹ मार्च 2003 : 49.10 लाख रुपये एवं मार्च 2004 : 29.70 लाख रुपये।

शासन द्वारा अपने उत्तर एवं विचार विमर्श (सितम्बर 2007) में बताया गया कि राजस्व विभाग के माध्यम से लागत मुफ्त भूमि की उपलब्धता के लिये कार्यवाही की जा रही थी।

पशुपालन विभाग

4.4.2 रेफ्रीजरेटरों के क्षय पर अलाभकारी व्यय

आवश्यकता का आकलन एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना रेफ्रीजरेटरों के क्षय पर किया गया व्यय 1.15 करोड़ रुपये अलाभकारी रहा।

'उ0प्र0 में कोल्ड चेन की स्थापना' परियोजना (परियोजना) के अन्तर्गत टीकाकरण कार्यक्रम हेतु वैक्सीन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए शासन द्वारा सात करोड़ रुपये स्वीकृत (दिसम्बर 2005) किया गया एवं परियोजना को प्रदेश के 29 जिलों¹ में वर्ष 2005–06 में क्रियान्वित करने हेतु 5.35 करोड़ रुपये आवंटित (दिसंबर 2005) किया गया। परियोजना के अन्तर्गत कुल 2.24 करोड़ रुपये लागत में 1495 रेफ्रीजरेटरों के क्षय एवं स्थापना (प्रत्येक जिला एवं ब्लाक स्तर पशु चिकित्सालयों में दो तथा प्रत्येक डी श्रेणी² पशुचिकित्सालय में एक) का प्राविधान था।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (मु प चि) मैनपुरी कार्यालय के अभिलेखों की जाँच (सितंबर 2006) एवं निदेशालय पशुपालन विभाग तथा 12 जिलों³ के मु प चि कार्यालयों से एकत्रित (मार्च 2007) सूचनाओं से संज्ञान में आया कि वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना एवं आवश्यक संसाधनों जैसे पशु चिकित्सालय भवन का विद्युतीकरण, निरंतर विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यवस्था के लिए जेनेरेटर, रेफ्रीजरेटरों के सुरक्षित संचालन हेतु स्टैबलाइजर का प्राविधान, की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना निदेशक द्वारा (मार्च 2006) 1495 रेफ्रीजरेटरों (क्षमता 300–310 लीटर प्रत्येक) बिना स्टैबलाइजर कुल लागत रु0 2.12 करोड़⁴ (कर सहित) के आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश किया गया। रेफ्रीजरेटरों की प्राप्ति किये बगैर और प्रदर्शन संबंधी आपूर्ति आदेश की शर्तों का अनुपालन किये बिना भुगतान किया गया (मार्च 2006)। बिना किसी माँग के अप्रैल 2006 में प्राप्त किये गये रेफ्रीजरेटरों को जिलों को निर्गत किया गया। नमूना जाँच के 13 मु प चि⁵ को आपूर्तित 923 रेफ्रीजरेटरों के अभिलेखों से ज्ञात हुआ है कि मात्र 112 रेफ्रीजरेटरों को स्थापित किया गया एवं उपयोग किया गया। शेष 811 रेफ्रीजरेटरों में से 504 भण्डार में निष्प्रयोज्य पड़े थे, 61 मानक से अधिक निर्गत किये गये एवं 246 उन कार्यालयों को निर्गत किये गये जो चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों में सम्मिलित नहीं थे। साथ ही, इन जिलों के अस्पतालों/औषधालयों को मई 2004 से वैक्सीन की आपूर्ति भी नहीं की गयी। इस प्रकार, प्रारम्भिक स्तर पर त्रुटिपूर्ण योजना

¹ लखीमपुर खीरी: 75, सीतापुर: 81, पीलीभीत: 35, शाहजहांपुर: 50, रामपुर: 36, बिजनौर: 43, मैनपुरी: 48, फैजाबाद: 56, आबेदकर नगर: 37, गोड़ा: 86, बलरामपुर: 36, बहराईच: 52, सुल्तानपुर: 94, प्रतापगढ़: 88, कौशाम्बी: 34, सिद्धार्थनगर: 53, बस्ती: 57, आवस्ती: 34, सत रविदास नगर: 22, बांदा: 41, महाबा: 21, चित्रकूट: 24, जौनपुर: 81, मऊ: 47, आजमगढ़: 102, झासी: 40, ललितपुर: 40, जालौन: 44 एवं हमीरपुर: 38।

² ग्रामीण क्षेत्र में दूरह स्थान पर स्थित।

³ प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, फैजाबाद, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोड़ा एवं बहराईच।

⁴ दर 13491 रुपये प्रत्येक।

⁵ मैनपुरी: 48, प्रतापगढ़: 88, सुल्तानपुर: 94, जौनपुर: 81, फैजाबाद: 56 सीतापुर: 81, शाहजहांपुर: 50, लखीमपुर खीरी: 75, आजमगढ़: 102, बस्ती: 57, सिद्धार्थनगर: 53, गोड़ा: 86, बहराईच: 52।

एवं सहायक संयंत्रों का अभाव तथा अन्य आधारभूत संसाधनों में कमी के कारण 811 रेफ्रीजरेटरों के क्रय पर किया गया 1.15 करोड़ रुपये¹ का व्यय अलाभकारी रहा।

शासन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2007) तथा विचार-विमर्श (नवम्बर 2007) में अवगत कराया कि रेफ्रीजरेटरों का वितरण मानक के अनुसार था और जिन स्थलों पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं थी वहाँ निकट के संस्थानों में विभिन्न प्रकार की वैक्सीन की सुरक्षा हेतु इन्हें स्थापित किया गया। शासन ने यह भी अवगत कराया कि विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया जा रहा था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि संबंधित मु प चि द्वारा स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया (जून 2007) कि उनके चिकित्सालयों/केन्द्रों पर रेफ्रीजरेटरों की न तो आवश्यकता थी और न ही प्रयोग में लाये गये एवं परियोजना के अन्तर्गत वैक्सीन की प्राप्ति से भी उनके द्वारा इंकार किया गया। साथ ही मु प चि द्वारा यह भी पुष्टि की गयी कि औषधालयों/अस्पतालों में मानक से अधिक रेफ्रीजरेटरों को निर्गत किया गया। इसके सिवाय विचार विमर्श के दौरान पशुचिकित्सा केन्द्रों पर मानक के अनुसार रेफ्रीजरेटरों के वितरण, वैक्सीन की आपूर्ति एवं रेफ्रीजरेटरों की उपयोगिता के संबंध में दिये गये तर्क के अनुसार अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

सिंचाई विभाग

4.4.3 अपूर्ण रजबाहे पर अलाभकारी व्यय

अज्जूपूरा रजबाहे के सम्पूर्ण रीच की भूमि का अधिग्रहण न किये जाने के परिणामस्वरूप 2.30 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय, क्योंकि रजबाहे के संरेक्षण पर गैप्स के कारण उसको कियाशील नहीं किया जा सका।

1525 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्वी गंगा नहर (पू.गं.न.) परियोजना के अन्तर्गत अज्जूपूरा रजबाहे (लम्बाई 14.30 कि.मी.) के निर्माण का प्रावधान किया गया था। रजबाहे के शीर्ष पर इसकी प्रवाह क्षमता 65 क्यूसेक थी और इसे पूर्वी गंगा नहर के नगीना शाखा-कम—एसकेप के दाहिने किनारे के 15.10 कि.मी. से निकाला गया था।

अधिशाषी अभियन्ता (अ.अ.), पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड 5, नजीबाबाद, बिजनौर के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अज्जूपूरा रजबाहे का कि.मी. 0.00 से 9.10 तक निर्माण कार्य, जो अप्रैल 2004 तक पूर्ण होना था, भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण कि.मी. 0.220 से 0.605, कि.मी. 0.814 से 0.848 और कि.मी. 4.187 से 4.465 पर गैप्स छोड़ते हुए बीच-बीच की रीच में किया गया। कार्य अक्टूबर 2007 तक अपूर्ण रहा। 1525 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य के विरुद्ध 0.220 कि.मी. की रीच तक मात्र 15 हेक्टेयर भूमि की ही सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकी और पानी की उपलब्धता के बावजूद रजबाहा कि.मी. 0.220 के आगे अकियाशील रहा। खण्ड द्वारा कि.मी. 0.00 से 0.220 रीच के बाद की रजबहा के निर्माण पर अब तक 2.30 करोड़ रुपये (जुलाई 2007) का व्यय किया गया था।

इस प्रकार वांछित भूमि का अधिग्रहण किये बिना रजबाहे का निर्माण कार्य कराये जाने के परिणामस्वरूप 2.30 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।

¹ 811 X 13491 रुपये = 1.09 करोड़ रुपये एवं 5 प्रति शत कर 5.47 लाख रुपये।

प्रकरण शासन को जुलाई 2007 में सन्दर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, शासन ने वार्ता (अक्टूबर 2007) के दौरान प्रमुख अभियन्ता को कारणों को अभिनिश्चित करने तथा बगैर भूमि का अधिग्रहण किये कार्य प्रारम्भ कराये जाने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु निर्देशित किया।

4.4.4 नाले के पुनर्निर्माण कार्य पर अलाभकारी व्यय

वित्तीय नियमों की अवहेलना के परिणामस्वरूप बहराइच जनपद के धोबिहा मेहराबाद नाले (न0 21) के निर्माण पर 1.55 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय।

सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत इमामगंज शाखा के कमाण्ड क्षेत्र में बारिश के मौसम में जलभाव की समस्या के हल हेतु धोबिहा-मेहराबाद (लम्बाई 21.480 कि.मी.) नाला संख्या 21 की वर्तमान क्षमता की पुनर्स्थापना एवं वृद्धि हेतु नाले के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना-प्रथम, फैजाबाद द्वारा 2.24 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान (फरवरी 2005) की गयी। फसल को बचाने हेतु बारिश के पानी को सात दिनों के अन्दर निकाल देना पुनर्निर्माण का लक्ष्य था। वर्तमान में, नाले के निकट का क्षेत्र 15 से 20 दिनों तक जलप्लावित रहता है जिसके कारण फसले नष्ट होती हैं।

अधिशाषी अभियन्ता (अ.अ.), सरयू नहर खण्ड-प्रथम बहराइच के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2007) में पाया गया कि नाले की पुनर्स्थापना हेतु वांछित 43.99 हेक्टेयर भूमि में से 3.32 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण खण्ड द्वारा अभी (जुलाई 2007) तक नहीं किया जा सका क्योंकि भू-स्वामियों द्वारा प्रतिकर की माँग उच्च दर से की गयी थी। तदनुसार, नाले का निर्माण कार्य, जो कि मार्च 2005 में विभिन्न रीचों पर प्रारम्भ हुआ था, 1.55 करोड़ रुपये का व्यय करने के उपरान्त जून 2006 में रोक देना पड़ा। फसलों को बचाने हेतु वर्षा के पानी को सात दिन के भीतर निकाल देने का उद्देश्य अप्राप्त रहा और कार्य पर किया गया व्यय अलाभकारी सिद्ध हुआ।

इस प्रकार वांछित भूमि पर उचित तरीके से कब्जा प्राप्त करने से पूर्व ही नाले पर पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ करा देने से 1.55 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को जुलाई 2007 में सन्दर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, शासन ने वार्ता (अक्टूबर 2007) के दौरान तथ्यों एवं ऑकड़ों को स्वीकार किया तथा वांछित भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना ही व्यय किये जाने के उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु प्रमुख अभियन्ता को निर्देशित किया।

4.4.5 कटक नाले पर निष्फल व्यय

कटक नाले का शीर्ष के बजाय टेल से निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से एक करोड़ रुपये का कार्य अपूर्ण रहने से व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

शासन के वित्तीय नियमों में प्रावधानित है कि किसी भूमि पर कोई भी कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसे सक्षम सिविल अधिकारी द्वारा उचित रूप से उपलब्ध न करा दिया जाये।

बुलन्दशहर और गाजियाबाद जिलों के बनखण्डा, नगला कटक आदि गाँवों में जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु शासन ने 13.400 कि.मी. लम्बे कटक नाले के निर्माण की लागत दो करोड़ रुपये में स्वीकृति प्रदान की (मई 2005)। तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, मध्य गंगा अलीगढ़ द्वारा प्रदान (मार्च 2006) की गयी। नाले का निर्माण कार्य जिसे अगस्त 2006 तक पूर्ण किया जाना था नवम्बर 2005 में प्रारम्भ किया गया।

अधिशासी अभियन्ता (अ.अ.), मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2007) में पाया गया कि उक्त कार्य के अंतर्गत मृदा कार्य, दो जिला सड़क सेतु और नौ ग्रामीण सड़क सेतु का निर्माण कार्य कराया जाना था। ठेकेदार द्वारा नाले का निर्माण कार्य शीर्ष के बजाय टेल से प्रारम्भ किया गया तथा बीच-बीच की रीचों पर निर्माण करते हुये 6.60 कि.मी. तक के कार्य मार्च 2006 तक पूर्ण किये गये जिसमें 16.12 लाख रुपये के मृदा कार्य, 37.80 लाख रुपये के पक्के कार्य और 46.08 लाख रुपये भूमि अधिग्रहण के कार्य समिलित थे। अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल –प्रथम, मेरठ ने ठेकेदार को (अगस्त 2006) “जैसा था वैसी स्थिति में ही” कार्य को अन्तिमीकरण कर बंद करने का निर्देश दिया।

इस प्रकार वांछित भूमि का अधिग्रहण न किये जाने के कारण कार्य को बन्द किये जाने और शीर्ष के बजाय टेल से निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के परिणामस्वरूप नाले पर किया गया समस्त व्यय एक करोड़ रुपया निष्फल हुआ।

प्रकरण शासन को जुलाई 2007 में सन्दर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, शासन ने वार्ता (अक्टूबर 2007) के दौरान लेखापरीक्षा के मन्तव्यों को स्वीकार किया एवं प्रमुख अभियन्ता को निर्देशित किया कि शीर्ष के बजाय टेल से एवं भूमि अधिग्रहण किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

4.4.6 उपकरण पर अलाभकारी निवेश

चिकित्सालय भवनों के पूर्ण होने से पूर्व उपकरणों के क्रय तथा दो वर्षों से उनका उपयोग न किये जाने से 2.13 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

नव सृजित अम्बेडकर नगर जनपद में 11.74 करोड़ रुपये की लागत से 100 शैया युक्त चिकित्सालय के निर्माण हेतु शासन ने स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 1999)। पन्द्रह विभागों से युक्त इस चिकित्सालय को मार्च 2005 तक कार्यशील किया जाना था। चिकित्सालय के भवनों का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (कार्यदायी संस्था) को इस शर्त के साथ सौंपा गया था (मार्च 2002) कि प्राक्कलित धनराशि (9.28 करोड़ रुपये) के 25 प्रतिशत की प्राप्ति के 36 माह के अन्दर निर्माण कार्य पूरा कर दिया जायेगा। कार्यदायी संस्था के साथ सम्पादित मेमोरेंडम आफ अण्डर स्टैडिंग (एम0ओ0यू०) के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मु0ची0अ0) को कार्य की प्रगति के अनुश्रवण तथा यह सुनिश्चित करने के लिये दायित्व सौंपा गया था कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाय। यद्यपि 2.80 करोड़ रुपये (प्राक्कलित धनराशि का 30 प्रतिशत) कार्यदायी संस्था को 2002–2003 तक अवमुक्त¹ कर दिया गया था फिर भी 15 में से 13 विभागों (85 प्रतिशत) का निर्माण कार्य अपूर्ण (मार्च 2007) था। इसी बीच कार्य की भौतिक प्रगति का मूल्यांकन किये बिना अवशेष धनराशि (6.48 करोड़ रुपये) भी वर्ष 2003–2007 की अवधि के दौरान कार्यदायी संस्था को अवमुक्त² कर दी गई थी।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (अधीक्षक) अम्बेडकर नगर के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2006 और फरवरी/मार्च 2007) में यह प्रकाश में आया कि चिकित्सालय उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि 2.46 करोड़ रुपये मु0ची0अ0/अधीक्षक को अगस्त 2005 में

¹ 1998–99: 0.20 करोड़ रुपये, 2000–01: 0.60 करोड़ रुपये, 2001–02:: 1.00 करोड़ रुपये, 2002–03: 1.00 करोड़ रुपये

² 2003–04: 0.75 करोड़ रुपये, 2004–05: 1.75 करोड़ रुपये, 2005–06: 2.50 करोड़ रुपये, 2006–07: 1.48 करोड़ रुपये,

अवमुक्त कर दी गई थी। चिकित्सालय भवन के निर्माण की भौतिक प्रगति का आकलन किये बिना मु0चि0अ0 ने चिकित्सालय के 15 विभागों जैसे आपात कालीन, पैथॉलॉजी, रेडियोलॉजी, सघन चिकित्सा इकाई आदि के लिये 300 से अधिक उपकरण (मूल्य: 2.13 करोड़ रुपये) सितम्बर और नवम्बर 2005 की अवधि में क्रय कर लिये जो दो वर्षों से अप्रयुक्त पड़े थे क्योंकि 15 में से 13 विभागों का निर्माण कार्य अक्टूबर 2007 तक अपूर्ण था।

शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2007) तथा वार्ता (नवम्बर 2007) में बताया कि नवनिर्भित चिकित्सालय के लिये उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया कब प्रारम्भ की जानी चाहिये, के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं थे। उत्तर मान्य न था क्योंकि निर्माण की प्रगति का आकलन किये बिना इतना अधिक पहले उपकरणों के क्रय से 2.13 करोड़ रुपये का निवेश अलाभकारी तथा इस जोखिम से भी परिपूर्ण था कि समयान्तराल के साथ ये पुराने न पड़ जायें।

4.4.7 सपोर्टिंग सिस्टम के बिना चिकित्सा उपकरण का क्रय

सपोर्टिंग सिस्टम के बिना उपकरण क्रय से 1.94 करोड़ रुपये के अनुपयोगी निवेश के साथ लाभार्थी भी उसके अभीष्ठ लाभों से विगत दो वर्षों से वंचित रहे।

हृदय रोग में विशिष्ट चिकित्सा सुविधाये उपलब्ध कराने हेतु शासन ने डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय लखनऊ में 4 करोड़ रुपये की लागत से कार्डियक वैसकुलर एन्जियोग्राफी सिस्टम की स्थापना का निर्णय (सितम्बर 2004) लिया। सिस्टम में प्रमुख उपकरण तथा एक कैथ लैब रिकार्डिंग सिस्टम (सी०आर०एस०) सम्मिलित था जिसे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया जाना था।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2006) में यह अभिव्यक्त हुआ कि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (महानिदेशक) की अध्यक्षता में केन्द्रीय क्रय समिति ने बिना सी०आर०एस० के ही उपरोक्त 3.30 करोड़¹ रुपये मूल्य: के उपकरण के क्रय एवं स्थापना की संस्तुति प्रदान (मार्च 2005) की। महानिदेशक ने तदनुसार उपकरण के लिये क्रय आदेश (मार्च 2005) दे दिया। 1.94 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान के सापेक्ष उपकरण दिसम्बर 2005 में प्राप्त हो गया। सी०आर०एस० के अभाव में आपूर्ति के दो वर्ष बाद भी उपकरण (नवम्बर 2007) निष्क्रिय पड़ा था। महानिदेशक ने 18.22 लाख रुपये मूल्य के सी०आर०एस० की आपूर्ति हेतु एक नया आपूर्ति आदेश (फरवरी 2007) आपूर्तिकर्ता को दिया। सी०आर०एस० की आपूर्ति नवम्बर 2007 तक नहीं हो पाई थीं क्योंकि मई 2007 में आपूर्ति का मूल देश जापान से इजरायल परिवर्तित कर दिया गया था। इसी बीच उपकरण की वारंटी अवधि मई 2007 में समाप्त हो गई।

इस प्रकार उच्च स्तर पर उपकरण की कियाविधि जानने के लिए तकनीकी बोली की समुचित समीक्षा न करने के कारण 1.94 करोड़ रुपये का निवेश अनुपयोगी सिद्ध होने के साथ ही उपकरण के अभीष्ठ लाभों से रोगी वंचित रह गये।

¹ कुटेशन में दिये गये उपकरण का मूल्य: 2.90 करोड़ रुपये, कस्टम ड्यूटी 5.1 प्रतिशत की दर से: 0.11 करोड़ रुपये, 125 केवीए तीन फेज सर्वे स्टेबलाइजर: 0.16 करोड़ रुपये, टर्न की: 0.19 करोड़ रुपये एवं वार्षिक अनुरक्षण 5 वर्षों हेतु: 0.75 करोड़ रुपये

शासन ने अपने उत्तर एवं वार्ता (नवम्बर 2007) में बताया कि अधुनातम एवं उच्च तकनीक युक्त उपकरण की विशिष्टियों के सम्यक ज्ञान के अभाव में त्रुटिपूर्ण आपूर्ति आदेश निर्गत कर दिया गया था।

लोक निर्माण विभाग

4.4.8 अनुरक्षण कार्य पर अतिरिक्त व्यय

शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर अनुरक्षण कार्यों को टुकड़ों में विभक्त कर सम्पादित करने के परिणामतः 33.62 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय के साथ ही साथ गुणवत्ता नियन्त्रण का अवमिश्रण।

वित्तीय नियमानुसार प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त करने हेतु निविदाओं को पूर्णतः खुले एवं सार्वजनिक ढंग से आमन्त्रित करने के पश्चात कार्यों को सम्पादन हेतु सौंपा जाना चाहिए। कार्यादेशों (डब्लूओ) द्वारा कार्यों का निष्पादन केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में एवं छोटे कार्यों की सीमा के अन्तर्गत ही कराया जाना अनुमन्य था। मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने एवं लोकधन की चोरी को रोकने के उद्देश्य से शासन द्वारा अग्रेत्तर (अप्रैल 2001 तथा अक्टूबर 2002) यह नियत किया गया था कि नवीनीकरण तथा अनुरक्षण कार्यों के अनुबन्ध निविदत्त लागत सहायक अभियन्ता के वित्तीय सामर्थ्य के अधीन आने पर भी अधिशाषी अभियन्ता (अ.अ.) द्वारा अपने वित्तीय अधिकारों की सीमा के अन्तर्गत निष्पादित किये जायेंगे। शासन के आदेश में यह भी नियत था कि अनुरक्षण कार्य को उसकी विशिष्टियों के अनुरूप एवं वांछित गुणवत्ता को ध्यान में रखकर स्थायित्व को सुनिश्चित करते हुए निष्पादित किया जाये। उच्चाधिकारियों द्वारा भी निष्पादित कार्य की गुणवत्ता की जाँच आवश्यक थी।

अधिशाषी अभियन्ता (अ.अ.), प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि, प्रतापगढ़ के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2006) से यह प्रकाश में आया कि शासन ने मार्गों के नवीनीकरण/सामान्य मरम्मत (274.62 किमी लम्बाई) हेतु वर्ष 2006–07 में 6.04 करोड़ रुपये की स्वीकृति (अप्रैल 2006) प्रदान की। नवीनीकरण कार्यों में द्वितीय सतह लेपन (पी 2) सेमीडेन्स बिटुमिन्स कन्कीट (एस.डी.बी.सी.) एवं सामान्य मरम्मत समाविष्ट थीं। वर्ष 2006–07 में नवीनीकरण/सामान्य मरम्मत के कार्यों के निष्पादन पर खण्ड द्वारा 6.04 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जिसमें तीन करोड़ रुपये के मैक्स फाल्ट की उपार्जन लागत सम्मिलित थी।

खण्ड द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कार्यादेशों के अधिकतम अनुमन्य सीमा 20 हजार रुपये के अन्तर्गत कार्यों को विखंडित करते हुए 2.25 करोड़ रुपये (74 प्रतिशत) का कार्य सम्पादन 1025 कार्यादेशों के माध्यम से किया एवं अवशेष कार्यों को 90 अनुबन्ध पत्रों के माध्यम से अनुमानित लागत से 19.94 प्रतिशत (औसतन) कम दर पर कराया गया। कार्यादेशों को अनुमानित लागत से 5 प्रतिशत कम दर पर निष्पादित किया गया था। बिना निविदा आमन्त्रित किए कार्यादेशों द्वारा नवीनीकरण के कार्यों के निष्पादन से शासन को न केवल प्रतिस्पर्धात्मक लाभ से वंचित होना पड़ा अपितु अनुबन्ध पत्रों की तुलना में 33.62 लाख रुपये¹ की हानि भी हुई। कार्यादेशों से कार्य निष्पादन से कार्यों की गुणवत्ता के स्तर का अवमिश्रण भी हुआ।

इस प्रकार आदेशों/वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए कार्यों को विखण्डित करके कार्यादेशों के माध्यम से 2.25 करोड़ रुपये लागत के कार्यों के निष्पादित कराने के

¹ 14.94 (19.94 – 5.00) प्रतिशत :- 2.25 करोड़ रुपये का

परिणामस्वरूप एवं कार्यों की गुणवत्ता के अवमिश्रण के साथ—साथ 33.62 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

प्रकरण शासन को जुलाई 2007 में सन्दर्भित किया गया; उत्तर अप्राप्त था। तथापि, शासन ने परिचर्चा (सितम्बर 2007) में तथ्यों एवं ऑकड़ों को स्वीकार करते हुए विस्तृत जाँच एवं दायित्व निर्धारण के आदेश दिये।

राजस्व विभाग

4.4.9 प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण में अनुपयोगी निवेश

कार्मिकों की नियुक्ति के अभाव में लेखपाल प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण में किया गया व्यय 1.17 करोड़ रुपये अनुपयोगी रहा।

राजस्व एवं प्रशासन के सुदृढ़ीकरण एवं भू अभिलेखों को अद्यतन किये जाने के लिये केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बरेली में छात्रावास सहित लेखपाल प्रशिक्षण संस्थान¹ के निर्माण हेतु शासन ने 1.20 करोड़ रुपये (अगस्त 1999) की स्वीकृति प्रदान की थी। 1.17 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित संस्थान का भवन जनवरी 2002 में निर्माण इकाई² से हस्तगत किया गया था। राज्य की भू अभिलेख नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व परिषद संस्थान के लिए अपेक्षित कार्मिकों की नियुक्ति के लिये उत्तरदायी था।

जिलाधिकारी बरेली (जिओआ०) एवं राजस्व परिषद के अभिलेखों की जाँच (फरवरी एवं मई 2007) से यह अभिव्यक्त हुआ कि कार्मिकों की नियुक्ति न किये जाने के कारण संस्थान कार्यशील नहीं किया जा सका। यहाँ तक कि अनुरक्षण कर्मियों की नियुक्ति भी नहीं की गई (जुलाई 2007)। समय—समय पर जिओआ० द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ०प्र० लखनऊ को अनुस्मारित किये जाने के बावजूद अन्य प्रशिक्षण संस्थानों से आन्तरिक रूप से प्रशिक्षण कर्मियों की तैनाती करके वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई थी। इस बीच, भारत सरकार द्वारा संस्थान को पुस्तकालय एवं फर्नीचर से सुसज्जित करने हेतु अवमुक्त की गई धनराशि 33.35 लाख रुपये (मार्च 2006) शासन स्तर पर अवरुद्ध रखी गई (जुलाई 2007)।

प्रकरण शासन को जून 2007 में संदर्भित किया गया था, परन्तु उत्तर नहीं प्राप्त हुआ (नवम्बर 2007)। तथापि, विचार—विमर्श (नवम्बर 2007) के दौरान शासन ने बताया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय की जायेगी। यह भी बताया गया कि शासन की नीति के अनुसार लेखपालों की भर्ती पर रोक लगा देने से संस्थान में प्रशिक्षण लेखपालों की अनुपलब्धता थी जिसके कारण प्रशिक्षण कार्मिकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी थी।

इस प्रकार मूलभूत ढाँचे के निर्माण में किया गया 1.17 करोड़ रुपये का व्यय अनुपयोगी रहा क्योंकि संस्थान में निर्माण की तिथि से कोई भी प्रशिक्षण कार्य अभी तक आयोजित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त पाँच वर्षों से अधिक समय से राजकीय धन से निर्मित संस्थान का भवन उपयोग एवं रख—रखाव के अभाव में उपेक्षित पड़ा रहा जो विभाग की विवक्षेशीलता पर प्रश्नचिन्ह है।

¹ 100 लेखपालों को प्रशिक्षण देने की क्षमता

² उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम

4.4.10 कोषागार प्रखण्ड के निर्माण पर अनुपयोगी निवेश

61.29 लाख रुपये की लागत से निर्मित कोषागार प्रखण्ड का तीन वर्ष से अधिक समय से कोई उपयोग नहीं हो सका और साथ ही उसे क्रियाशील बनाये जाने के लिये प्रति वर्ष 49.86 लाख रुपये के आवर्ती तथा 38.80 लाख रुपये के अनावर्ती व्यय के दायित्व का भी सूजन हुआ।

नवसृजित (मार्च 1989) सोनभद्र जिले के तहसील राबर्टसगंज से लगभग 7 किलोमीटर¹ दूर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर,² जिसके अन्दर ही कोषागार प्रखण्ड का निर्माण भी सम्मिलित था, के निर्माण हेतु शासन ने 5.09 करोड़ रुपये की स्वीकृति (सितम्बर 2002) प्रदान की। कार्यालय परिसर का निर्माण फरवरी 2004 में पूरा कर दिया गया था और जिलाधिकारी सोनभद्र को इसके पूर्ण होने का प्रमाण पत्र मई 2004 में प्रेषित कर दिया गया था।

जिलाधिकारी सोनभद्र के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2007) में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कलेक्टरेट फरवरी 2005 में नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित हो गया था किन्तु 61.29 लाख रुपये की लागत से निर्मित कोषागार प्रखण्ड कार्यशील नहीं किया जा सका था। लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर शासन ने जिलाधिकारी सोनभद्र को निर्देश (सितम्बर 2006) दिया कि वह कोषागार को एक पखवारे के अन्दर कार्यशील किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक सोनभद्र से शासन के निर्देशानुसार नवनिर्मित कोषागार खण्ड को कार्यशील किये जाने हेतु सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निवेदन किया (नवम्बर 2006) परन्तु पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा कारणों से वांछित प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया और कोषागार प्रखण्ड की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये एक नई पुलिस चौकी³ की स्थापना तथा एक प्लाटून पी०ए०सी०⁴ की नियुक्ति का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेज दिया (मार्च 2007)। चूंकि प्रस्ताव में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण में 38.80⁵ लाख रुपये के अनावर्ती व्यय के साथ ही पुलिस कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर प्रति वर्ष 49.86⁶ लाख रुपये का आवर्ती व्यय भी संनिहित था, पुलिस विभाग से प्रस्ताव की स्वीकृति जून 2007 तक प्रतीक्षित थी।

इस प्रकार कोषागार प्रखण्ड को कार्यशील न किये जाने के कारण 61.29 लाख रुपये का निवेश साढ़े तीन वर्ष से अनुपयोगी रहा।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2007 में संदर्भित किया गया था; उत्तर नहीं प्राप्त हुआ (नवम्बर 2007)। शासन ने विचार विमर्श (नवम्बर 2007) के दौरान कोषागार प्रखण्ड को निकट भविष्य में कार्यशील किये जाने की व्यवस्था करने के अपने पूर्व उत्तर की मात्र पुनरावृत्ति कर दी। अस्तु, एक वर्ष पूर्व शासन द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद स्थिति यथावत थी और प्रकरण में कोई प्रगति नहीं हुई।

¹ ग्राम लोधी

² जिलाधिकारी (डी०एम०) प्रखण्ड, संयुक्त प्रखण्ड, कोषागार तथा नजारत प्रखण्ड, जलपान ग्रह तथा शौचालय का निर्माण

³ एक उप-निरीक्षक, एक हेड कांस्टेबिल तथा 14 कांस्टेबिल

⁴ प्राविश्यालय आर्म्ड कान्स्टेबुलरी

⁵ आवासीय भवन: 28.50 लाख रुपये तथा अनावासीय भवन: 10.30 लाख रुपये

⁶ चौकी स्टाफ- 13.26 लाख रुपये तथा पी०ए०सी०- 36.60 लाख रुपये

ग्राम्य विकास विभाग

4.4.11— सरस केन्द्रों पर निष्फल व्यय

स्थानीय आवश्यकता और जरूरत का विचार किये बिना सरस केन्द्रों के निर्माण के फलस्वरूप 1.10 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।

राज्य में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (स्व ग्रा रो यो) के प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से, आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग ने स्व ग्रा रो यो के अन्तर्गत आधारभूत संरचना सुविधाओं के सृजन हेतु पूर्व वर्षों में निर्गत अनुदेशों के फिर से दुहराया (फरवरी 2002)/अनुदेशों में अन्तर्निहित किया गया था कि स्व ग्रा स्व यो निधियों से आधारभूत संरचना का सृजन केवल उन्हीं स्थलों पर किया जाना चाहिए जहाँ शासकीय भूमि उपलब्ध हो, आसपास के क्षेत्र में बाजार उपलब्ध हो एवं पर्याप्त स्वयं सहायता समूह (स्व स स) जो उत्पादित सामग्रियों, जिनका विपणन किया जा सके, से जुड़े हों। साथ ही इस पर भी बल दिया गया था कि स्व स स द्वारा उत्पादन का प्रारम्भ सुनिश्चित किये जाने और संचालकों¹ के साथ उपयुक्त विधिक अनुबंध के उपरान्त ही आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। योजना के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत स्व ग्रा स्व यो की निधियों का उपयोग शासकीय भवनों, सभागारों, प्रशिक्षण केन्द्रों आदि का निर्माण कार्य निषिद्ध था।

परियोजना निदेशक (प नि) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (जि ग्रा वि प्रा) मेरठ के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2006) में ज्ञात हुआ कि प नि ने, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है स्व ग्रा स्व यो के दिशा निर्देशों के प्रकाश में उपयोगिता का वस्तुनिष्ठ आकलन किये बिना स्व ग्रा स्व यो की आधारभूत संरचना निधि से 19 सरस केन्द्रों के निर्माण कार्य का अनुमोदन प्रदान किया (फरवरी 2001)। इन केन्द्रों का निर्माण कार्य नवम्बर 2001 से अप्रैल 2006 के बीच 1.35 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया गया। उन्नीस सरस केन्द्रों में से मात्र तीन (लागत 0.25 लाख रुपये) का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिये किया गया जबकि 1.10 करोड़ रुपये² की लागत से निर्मित 16 केन्द्रों का उपयोग इनकी अनुपयुक्त स्थिति के कारण नहीं किया जा सका। स्व स स के किसी मॉडल के बिना इन केन्द्रों को स्थापित किया गया था। इन 16 में से, पाँच केन्द्रों का उपयोग स्व स स की सभाओं के लिये, तीन का कार्यालय कार्य हेतु, छः विपणन उत्पादों की अनुपलब्धता के कारण खाली पड़े थे और दो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2007 में सन्दर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासन ने विचार विमर्श (सितम्बर 2007) में आयुक्त, ग्राम्य विकास को तथ्यों का आकलन करने का निर्देश दिया।

¹ स्वयं सहायता समूहों के कार्यालय वाहकों द्वारा गठित समिति

² समयपुर-रु0 7.15 लाख; डालमपुर: रु0 6.62 लाख; पिपलीखेड़ा: रु0 7.16 लाख; सथाला: रु0 7.25 लाख; लियाना: रु0 7.13 लाख; सौफपुर: रु0 6.61 लाख; सलावा: रु0 7.39 लाख; दबुजा: रु0 7.05 लाख; सिवाया: रु0 7.33 लाख; बहचोला: रु0 6.16 लाख; लालपुर: रु0 6.36 लाख; शाहजहांपुर: रु0 6.09 लाख; पूरी: रु0 6.97 लाख; हरी: रु0 4.87 लाख; ब्लाक परिसर (परीक्षितगढ़): रु0 7.31 लाख; ब्लाक परिसर (सखना): रु0 8.48 लाख

समाज कल्याण विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग

4.4.12 अन-अधिसूचित बैंकों में लेखा संचालन के कारण हानि।

आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा आर्थिक संव्यवहारों पर समुचित परीक्षणों का प्रयोग करने में असफलता से 98.31 लाख रुपये की हानि हुई।

जिला समाज कल्याण अधिकारी (जि स क अ) देवरिया, बहराइच एवं जिला विकास अधिकारी जौनपुर ने शासकीय धन को अन-अधिसूचित बैंकों में जमा किया जिसके परिणामस्वरूप इन बैंकों के लिये निर्गत चेकों को स्वीकार न करने के कारण 98.31 लाख रुपये की हानि हुई जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है :

अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं सामान्य श्रेणी के निर्धन परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण योजना के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारियों (जि स क अ) द्वारा आवंटित निधि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के बैंक के लेखे में अन्तरित किया जाना था जिससे छात्रवृत्ति की राशि कक्षा छ: एवं उसके ऊपर की कक्षाओं के छात्रों के संबंधित बैंक लेखों में जमा करने हेतु बैंक को निर्देशित करने एवं प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को नगद छात्रवृत्ति की राशि वितरित करने में उन्हें सुविधा हो। जि स क अ देवरिया (जनवरी 2006) एवं बहराइच (फरवरी 2007) के अभिलेखों की जांच में अभिव्यक्त हुआ कि 2004–06 की अवधि में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु राशि रुपये 79.27 लाख¹ उक्त जिलों में समीपवर्ती अधिसूचित बैंकों के बजाय जिला सहकारी बैंकों (बैंक) में अन्तरित की गई। परन्तु, बहराइच में वर्ष 2004–05 में 20.42 लाख रुपये तथा देवरिया में वर्ष 2005–06 में 58.85 लाख रुपये छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों को नहीं किया जा सका क्योंकि संबंधित बैंकों द्वारा भुगतान नहीं कर पाने की अपनी असमर्थता के कारण संबंधित विद्यालयों द्वारा छात्रों के लेखों में छात्रवृत्ति की राशि अंतरण संबंधी निर्देशों/नगद भुगतान हेतु आहरण को स्वीकार नहीं किया गया।

इसी प्रकार इन्दिरा आवास, बायो गैस, समग्र ग्राम्य रोजगार, क्षेत्रीय विकास इत्यादि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला विकास अधिकारी जौनपुर (जि वि अ) कार्यालय में चिन्हित निधि को समीपवर्ती अधिसूचित बैंकों के बजाय जिला सहकारी बैंक (बैंक) में जमा किया गया। जि वि अ द्वारा जनवरी 2005 से रुपये 19.04 लाख का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि बैंक दिवालिया हो गया। अन-अधिसूचित बैंक में बैंक लेखों के रखरखाव के कारण चिन्हित योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित हुआ।

प्रकरण शासन को जून 2007 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवंबर 2007)। तथापि, विचार विमर्श (नवम्बर 2007) के दौरान शासन ने कहा कि बैंक द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन न करने से यह हानि हुई।

पर्यटन विभाग

4.4.13 कार्यालय भवन के अप्रयुक्त भाग पर अलाभकारी व्यय

कार्यालय भवन के प्रथम एवं द्वितीय तल के अप्रयुक्त रहने/किराये पर न देने से निर्माण पर 3.08 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा इसके अतिरिक्त 3.23 करोड़ रुपये के किराये की हानि हुई।

गोमती नगर, लखनऊ में पर्यटन निदेशालय के चार मंजिला कार्यालय भवन² के निर्माण के लिये शासन ने 8.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति (मार्च 1998) प्रदान की तथा

¹ जि स क अ, देवरिया: 58.85 लाख रुपये एवं जि स क अ, बहराइच : 20.42 लाख रुपये।

² प्रथम, द्वितीय तल व्यवसायिक उपयोग के लिये तथा तृतीय, चतुर्थ तल कार्यालय उपयोग के लिये।

कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (निगम) को सौंपा गया (मार्च 1998)। मार्च 1998 में प्रारम्भ किया गया कार्य 9.77 करोड़ रुपये की लागत से मार्च 2002 में पूर्ण किया गया तथा पर्यटन विभाग (विभाग) को अक्टूबर 2003 में हस्तांतरित कर दिया गया।

सहायक निदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2006) में संज्ञान में आया कि शासन ने प्रथम एवं द्वितीय तल को बैंकों/सरकारी संस्थाओं को किराये पर दिये जाने का निर्णय लिया। प्राप्त किराये का उपयोग भवन के रख रखाव एवं जल तथा विद्युत शुल्क एवं करों के भुगतान हेतु किया जाना था। इस प्रकरण के सम्पादन हेतु महानिदेशक पर्यटन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया (मार्च 2002)। समिति की कोई भी बैठक मार्च 2005 तक नहीं हुई। मार्च 2005 में, महानिदेशक ने प्रथम एवं द्वितीय तल के साथ बहुउद्देशीय हाल, कुल क्षेत्रफल 27283.80 वर्गफुट को 6.71 लाख रुपये¹ प्रतिमाह की दर पर किराये पर दिये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा। किन्तु सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग स्थान के अनुपयुक्त होने के कारण अपने कार्यालयों को स्थानान्तरित करने हेतु इच्छुक नहीं थे जिसके कारण प्रस्ताव मूर्त रूप नहीं ले सका। परिणामस्वरूप यह हस्तांतरण के समय से ही खाली रहा। इस प्रकार, 3.08 करोड़ रुपये का व्यय (भवन के प्रथम एवं द्वितीय तलों के निर्माण की अनुमानित लागत के आधार पर) अलाभकारी रहा, इसके अतिरिक्त स्वयं विभाग के मूल्यांकन के अनुसार 3.23 करोड़ रुपये² के किराये की हानि हुई।

शासन ने अपने उत्तर में स्वीकार किया (सितम्बर 2007) कि भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर किया गया जहाँ कोई सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग भवन किराये पर लेने को तैयार नहीं थे। आगे विचार विमर्श (नवम्बर 2007) के दौरान शासन ने कहा कि द्वितीय तल के 2486 वर्गफुट क्षेत्रफल को किराये पर रेल कैटरिंग एवं ट्रूरिज्म कारपोरेशन को दे दिया गया (फरवरी 2007) है तथा शेष जगह को किराये पर दिये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही थी।

इस प्रकार, विभाग नवम्बर 2007 तक किराये हेतु निरूपित जगह के मात्र नौ प्रतिशत के ही किराये पर दिये जाने में समर्थ हो सका, परिणामस्वरूप 3.23 करोड़ रुपये के किराये की हानि हुई तथा भवन के अप्रयुक्त भाग पर 3.08 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

नगर विकास/आवास एवं नगर नियोजन विभाग

4.4.14. अव्यवहार्य परियोजना पर अलाभकारी व्यय

आवास योजना के लिये निम्न तलीय क्षेत्र में विवादित भूमि के आवंटन के परिणामस्वरूप 1440 आवासों के अपूर्ण निर्माण पर 4.47 करोड़ रुपये व्यय करने के पश्चात निर्माण कार्य का रुकना साथ ही 1.23 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त मदों का निर्माण कार्य।

शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में वाल्मीकी अम्बेदकर मण्डिन बस्ती आवास योजना (वाम्बे) लागू की गयी, जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में एवं

¹ बहुउद्देशीय हाल: 1.13 लाख रुपये, प्रथम तल: 2.89 लाख रुपये एवं द्वितीय तल: 2.69 लाख रुपये प्रतिमाह। किराये का आकलन प्रवलित बाजार दरों पर किया गया।

² नवम्बर 2003 से फरवरी 2007: 2.68 करोड़ रुपये, 6.71 लाख रुपये प्रतिमाह की दर से 40 माह के लिये तथा मार्च 2007 से नवम्बर 2007: 55 लाख रुपये, 6.09 लाख रुपये प्रतिमाह की दर से नौ माह के लिये।

शेष 50 प्रतिशत कार्यकारी संस्था द्वारा वहन किया जाना था। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा लखनऊ के नगरीय क्षेत्र में 4000 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के मकानों¹ (ई वी एस) के निर्माण का निर्णय (मई 2003) लिया गया एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण (ल वि प्रा) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक मकान के निर्माण की दर 42500 रुपये स्वीकृत की गयी। परियोजना की कुल लागत 17 करोड़ रुपये स्वीकृत की गयी थी एवं धनराशि ल वि प्रा के निस्तारण पर रखी गयी थी। जिलाधिकारी लखनऊ की पहल पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा) लखनऊ को कार्यदायी संस्था बनाया गया था तथा मई 2003 में 16.5 हेक्टेयर मुफ्त भूमि उपलब्ध करायी गयी थी।

झूड़ा लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2007) से ज्ञात हुआ कि ल वि प्रा द्वारा मई 2003 में 4.50 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त जारी की गयी। यद्यपि केवल 1984 मकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था जबकि अवशेष मकानों में यह भूमि के विवादित भाग पर उच्च न्यायलय के स्थगन आदेश (सितम्बर 2003) के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका। इन 1984 मकानों का निर्माण कार्य भी, 1440² मकानों के अधूरे निर्माण पर 4.47 करोड़ रुपये व्यय करने के पश्चात मार्च 2006 में रोक देना पड़ा। इनमें से भूतल के 1072 मकानों में हरबर्ट बटलर तकनीकी संस्थान (ह ब त स) कानपुर के विशेषज्ञों के सुझाव पर ड्राइंग एवं डिजाइन में परिवर्तन के कारण झूड़ा द्वारा 1.23 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त कार्य³ कराये गये थे। जल प्लावित क्षेत्र में स्थल चयन के कारण स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन में परिवर्तन आवश्यक हो गये थे। इस अवधि में श्रम तथा सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण ड्राइंग एवं डिजाइन में परिवर्तन से परियोजना की लागत प्रति मकान 50120 रुपये से संशोधित (मार्च 2006) हो गयी थी। लागत में अन्तर को परियोजना के लाभार्थियों से वसूला जाना प्रस्तावित था। ग्यारह माह के अन्तर के बाद झूड़ा द्वारा ल वि प्रा को सूचित (फरवरी 2007) किया गया कि परियोजना के लिये विनिहित भूमि राजस्व अभिलेखों में विवादित दर्ज है अतः कार्यकारी अभिकरण होने के कारण विवाद को हल करने का दायित्व ल वि प्रा में निहित थी। ल वि प्रा द्वारा सूचित किया गया (अक्टूबर 2007) कि कार्यदायी संस्था होने के कारण अधूरे निर्माण को पूर्ण किया जाना झूड़ा द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए। यद्यपि अपूर्ण मकानों का कार्य भी पुनः प्रारम्भ नहीं किया गया था क्योंकि ल वि प्रा ने न तो अतिरिक्त निधि जारी किया और न ही जारी निर्माण कार्यों के सापेक्ष भूमि विवाद निस्तारित किया गया।

इस प्रकार, झूड़ा के स्तर से स्थल का बिना पूर्व जाँच किये कार्य प्रारम्भ करने, प्रस्तावित ढाँचागत परिवर्तनों के लागत के प्रभावों के आकलन और अतिरिक्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रहने के कारण 4.47 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद योजना का पूर्ण होना संशयप्रस्त था।

प्रकरण शासन को मई 2007 में सन्दर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासन द्वारा विचार विमर्श (अगस्त 2007) में बताया गया कि योजनान्तर्गत 4.47 करोड़ रुपये का व्यय किये जाने के बाद, निर्माण कार्य आगे जारी नहीं रखा जा सकता क्योंकि प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज थी तथा उच्च न्यायलय द्वारा ऐसे जल स्रोतों पर निर्माण प्रतिबन्धित था। राजस्व अभिलेखों के अनुसार बाधामुक्त भूमि पर कार्य प्रारम्भ किये जाने से व्यय अलाभकारी रहा।

¹ 2001-02 : 2000 संख्या एवं 2002-03 : 2000 संख्या

² निष्पादन का विवरण—प्लान्ट स्तर तक : 392, सिल स्तर तक : 48, लिन्टेल स्तर तक : 168, रुफ स्तर तक : 176, छत डाली गई 576 पर और प्लास्टर कार्य—80 आवासों में।

³ (1) पाइल और ग्रिड बीम की बढ़ी लागत : 7500 रुपये

(2) प्लान्ट स्तर की ऊंचाई में वृद्धि के कारण मृदा कार्य : 3984 रुपये

शहरी विकास विभाग

4.4.15 अनुत्पादक व्यय

लखनऊ में गोमती नदी के जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम सम्बन्धी परियोजना पर धन उपलब्धता के बावजूद एवं भूमि विवाद के कारण पूर्ववर्ती चरण का कार्य अपूर्ण रहने से 33.66 करोड़ रुपये के व्यय का अनुत्पादक रहना।

भारत सरकार ने केन्द्र पुरोनिधानित लागत अंशदान आधार (70:30) पर प्रथम चरण के अन्तर्गत जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु लखनऊ शहर में कुकरैल नाले को अवरोधित एवम् परिवर्तित कर गोमती नदी में गिराने की परियोजना, एवम् कुकरैल में माध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु 8.06¹ करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की (जून 2003)। भारत सरकार ने परियोजना के द्वितीय चरण में शहर के ठोस कचरा प्रबन्धन प्रणाली को उन्नत करने एवम् ठोस कचरा के प्रवाह को नदी में गिराने से रोकने के लिए भी रु0 263.04 करोड़² की स्वीकृति प्रदान की थी। द्वितीय चरण के कार्यों की 30 मदों में शहर के 16 नालों को अवरोधित एवम् परिवर्तित करने, वर्तमान सीवर को पुनर्स्थापित करने एवम् सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (एस टी पी) के निर्माण का कार्य भी सम्मिलित था। परिशिष्ट 4.2 के अनुसार स्थल योजना में समस्त 16 नालों में बहने वाले शहरी जल-मल के कुकरैल नाला मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन (प्रथम चरण कार्य) से होते हुए एस टी पी में सम्बन्धित होकर गोमती नदी की निचली धारा में प्रवाहित होना था। प्रथम एवं द्वितीय चरण के कार्यों को कमशः सितम्बर 2005 एवम् मार्च 2007 तक पूर्ण होना था।

उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (फरवरी/मार्च 2007) में ज्ञात हुआ कि कुकरैल नाले को अवरोधित एवम् परिवर्तित करने एवम् मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन (प्रथम चरण) के निर्माण का कार्य, राज्य सरकार द्वारा 33 माह विलम्ब से धनराशि अवमुक्त करने के कारण मार्च 2006 में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा लिया गया। रक्षा विभाग के प्राधिकारियों के साथ विवाद के फलस्वरूप 41.99 लाख रुपये व्यय करने के उपरान्त कार्य को रोकना पड़ा। भूमि विवाद का बाद माननीय उच्च न्यायालय में मई 2006 से विचाराधीन था एवम् अगस्त 2007 तक अन्य किसी वैकल्पिक स्थल का चयन नहीं किया गया था। इसी बीच, शहर के 16 नालों को अवरोधित एवम् परिवर्तित करने, वर्तमान सीवर को सुदृढ़ीकृत करने, एस टी पी के निर्माण, वनीकरण एवम् द्वितीय चरण के अन्य सम्बन्धित कार्यों को प्रारम्भ किया गया था और इन कार्यों पर जनवरी 2007 तक 33.24 करोड़ रुपये व्यय किया गया था। प्रथम चरण में कुकरैल नाले को अवरोधित एवम् परिवर्तित करने एवम् लखनऊ स्थित कुकरैल में मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन का कार्य अपूर्ण रहने के कारण इन कार्यों पर जनवरी 2007 तक किया गया व्यय अनुत्पादक हो गया।

इस प्रकार, इस परियोजना पर किया गया 33.66 करोड़ रुपये का व्यय प्रथम चरण के भूमि विवाद के कारण अलाभकारी रहा। सम्पूर्ण घटनाक्रम से यह भी प्रदर्शित होता है कि प्रशासनिक विभाग, कार्यों का अनुश्रवण करने एवम् इस महत्वपूर्ण परियोजना के दोनों चरणों के कार्यों में समन्वय स्थापित कर सकने में असफल रहा था। साथ ही धन एवम् साधनों की उपलब्धता के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के कार्य का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका था।

¹ केन्द्रीय अंशदान 5.64 करोड़ रुपये व राज्य अंशदान 2.48 करोड़ रुपये

² केन्द्रीय अंशदान 183.13 करोड़ रुपये एवम् राज्य अंशदान 78.91 करोड़ रुपये

शासन द्वारा अपने उत्तर एवं विचार विमर्श (अगस्त 2007) में बताया गया कि उक्त भूमि का स्वामित्व विवादित होने के कारण लखनऊ नगर निगम ने एक वैकल्पिक भूमि (8872.5 वर्ग मीटर) की व्यवस्था (अगस्त 2007) इस शर्त के साथ की थी कि इसका स्वामित्व नगर निगम का ही रहेगा। तथ्य यह था कि परियोजना के प्रथम चरण का कार्य अक्टूबर 2007 तक पुनः प्रारम्भ नहीं हो सका था जिसके कारण 33.66 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

4.5 नियमितता एवं अन्य प्रकरण

वन विभाग

4.5.1 क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागत की कम वसूली

सरकारी आदेश के गलत ढंग से पालन के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागत की कम वसूली 55.16 लाख रुपये।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नियत वर्ष 1989–90 के दौरान किये जाने वाले विविध प्रकार के वृक्षारोपण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरें नियत करते हुए आदेश निर्गत किया था (नवम्बर 1989)। आदेश के अनुसार निर्धारित की गयी दरें (आधार वर्ष 1989–90) उसके आगे के वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए दरें निर्धारित की जानी थी। आदेश के अनुपालन में नोडल अधिकारी और वन संरक्षक, वन उपयोग सर्किल, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने विभिन्न प्रकार के क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वर्ष 2005–06 में वसूल की जाने हेतु दरें परिचारित (अप्रैल 2005) की थी।

प्रभागीय वनाधिकारी, झौंसी वन प्रभाग के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2007) में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा मार्च 2006 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या –25 (80 किमी. से 173 किमी) को 4 लेन सड़क से 6 लेन तक विस्तार करने के लिए 1.6 हेक्टेयर संरक्षित वन हस्तांतरण हेतु अनुमोदित किया गया था। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (रा.रा.प्रा.) को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए 5.52 करोड़ रुपये की मॉग प्रेषित (जून 2006) की थी और जुलाई 2006 में भुगतान प्राप्त कर लिया गया था। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर वर्ष 2005–06 की दर के अनुसार निर्धारित की गयी थी किन्तु वर्ष 2006–07 में 10 प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया था जिसके परिणामस्वरूप 55.16 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

प्रकरण शासन को जुलाई 2007 में सन्दर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, सरकार से वार्ता के दौरान (अक्टूबर 2007) में प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि 10 प्रतिशत वृद्धि जैसा कि निर्दिष्ट था, भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये दावे में सम्मिलित थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भेजे गये दावे में 10 प्रतिशत सम्मिलित नहीं थी।

उच्च शिक्षा विभाग

4.5.2 अनुश्रवण में विफलता के कारण अलाभकारी व्यय

निर्माण कार्य की प्रगति के अनुश्रवण की विफलता के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा चहारदीवारी निर्माण को अपूर्ण रखकर तथा निर्माण कार्य की डिजाइन एवं विशिष्टियों परिवर्तित कर 60.95 लाख रुपये व्यय किया जाना।

राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, फाफामऊ, इलाहाबाद (विश्वविद्यालय) परिसर की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा 2071 मीटर चहारदीवारी निर्माण हेतु विश्वविद्यालय को 69.70 लाख रुपये अवमुक्त¹ किया गया। चहारदीवारी की ऊँचाई 1.80 मीटर होनी थी तथा समीपस्थ तीन प्लाटों में 15.21 एकड़ भूमि आच्छादित होनी थी। निर्माण कार्य 69.70 लाख रुपये की लागत पर उत्तर प्रदेश जल निगम को इस आशय से सौंपा गया (फरवरी 2004) कि निर्माण तीन माह में पूर्ण हो जायेगा। विश्वविद्यालय के उपकुलपति (उ कु) ने कार्य का पर्यवेक्षण एक निजी वास्तुविद् को सौंपा² (सितम्बर 2004) तथा अनुमोदित विशिष्टियों तथा डिजाइन के अनुसार गुणवत्ता नियन्त्रण सुनिश्चित किये जाने तथा कार्यों के अनुश्रवण हेतु विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय (उक्त वास्तुविद् सहित) समिति का गठन किया।

निर्माण एवं डिजाइन सेवायें, इकाई-10 उम्प्रो जल निगम³ (उ प्र ज नि) इलाहाबाद के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2007) में तथा विश्वविद्यालय से प्राप्त (अप्रैल तथा जून 2007) सूचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वांछित अवधि में कार्य पूर्ण किये जाने हेतु विश्वविद्यालय ने 68.83 लाख रुपये⁴ अवमुक्त किया। कार्य फरवरी 2004 में प्रारम्भ किया गया था। कार्यदायी संस्था द्वारा यद्यपि अनुमोदित 1.80 मीटर के बजाय 3 मीटर ऊँचाई की चहारदीवारी का निर्माण किया गया तथा स्तम्भों की डिजाइन कंकीट मिश्रण एवं चूना मिश्रण की विशिष्टियों में परिवर्तन भी किया गया। अनुमोदित प्राक्कलन में प्रावधान के बिना पानी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु तीनो प्लाटों में वोरिंग का कार्य तथा सबरसेबिल पम्पों का स्थापन किया गया। वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित देयकों के आधार पर कार्य की प्रगति के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी समिति द्वारा कार्यदायी संस्था को अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु अनुशंसा दे दी गयी (अक्टूबर 2004)। परिणामस्वरूप, उ कु द्वारा कार्यदायी संस्था को 43.83 लाख रुपये⁵ अवमुक्त कर दिया गया। पुनर्श्च, कार्य में बढ़ोत्तरी के कारण केवल प्लाट 'ब' की चहारदीवारी पूर्ण हुई थी जबकि मार्च 2005 तक प्लाट 'आ' में 70 प्रतिशत निर्माण कार्य के पश्चात कार्य रोक दिया गया था। मात्र इन पर 60.95 लाख रुपये का व्यय किया गया तथा प्लाट 'स' में निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ होना था। इसी बीच उ कु ने शासन को कार्य के माप में वृद्धि तथा सामग्री के मूल्य वृद्धि के कारण 1.15 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया। (सितम्बर 2005) यद्यपि, शासन की स्वीकृति अगस्त 2007 तक प्रतीक्षित थी।

इस प्रकार, समिति के द्वारा कार्य की प्रगति के अनुश्रवण में शिथिलिता एवं आवश्यक धन उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना ही कार्यदायी संस्था को पूर्व में अनुमोदित

¹ मार्च 2003 : 50 लाख रुपये एवं मार्च 2004 : 19.70 लाख रुपये।

² प्लाट संख्या ए : 666 मी०, दी : 637 मी० एवं सी : 768 मी०।

³ उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम-1999 ने के प्रस्तर 3.19 के अतर्गत।

⁴ एक शासकीय निगम।

⁵ मार्च 2004 : 25 लाख रुपये, नवम्बर 2004 : 24.13 लाख रुपये एवं मार्च 2005 : 19.70 लाख रुपये

⁶ नवम्बर 2004 : 24.13 लाख रुपये एवं मार्च 2005 : 19.70 लाख रुपये

डिजाइन एवं विशिष्टियों में परिवर्तन किये जाने की अनुमति देने से अपूर्ण चहारदीवारी पर 60.95 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

शासन द्वारा अपने उत्तर एवं विचार विमर्श (अगस्त 2007) में बताया गया कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कार्य में शिथिलता बरतने वाले, बिना विभाग/शासन के अनुमति के ड्राइंग में परिवर्तन करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गयी कारवाई से अवगत कराने के लिये निर्देशित किया गया था तथा शासन के अनुमोदन हेतु यथोचित कारण सहित अवशेष कार्य पूर्ण किये जाने के लिए पुनरीक्षित आकलन प्रस्तुत करने को कहा गया था।

श्रम विभाग

4.5.3 समारोहों के आयोजन पर अनियमित व्यय

स्थानीय अभ्यर्थियों की परिवहन व्यवस्था, मानक से अधिक दरों पर बसों के किराये पर लिये जाने एवं योजना के अन्तर्गत आच्छादित न होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर 3.74 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय होना।

सरकार द्वारा राज्य में ‘बेरोजगारी भत्ता योजना 2006’ लागू की गयी (अप्रैल 2006)। योजनान्तर्गत बेरोजगार स्नातक/परास्नातक अभ्यर्थियों जो दिनांक 28 फरवरी 2006 तक सेवायोजन कार्यालयों (से का) में पंजीकृत थे, उन्हें 500 रुपये प्रतिमाह एकाउट पेयी चेक के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता वितरण का प्राविधान किया गया। संबंधित क्षेत्रीय/जिला सेवा योजना अधिकारी (क्षे से अ/जि से अ) की सहायता से योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिये जिलाधिकारी उत्तरदायी थे।

सेवायोजन कार्यालय के आठ जनपदों¹ के 2006–07 की अवधि के अभिलेखों की जांच (जून 2007) में पाया गया कि शासन द्वारा निर्णय (जून 2006) लिया गया कि लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता एकाउट पेयी चेक द्वारा समारोह आयोजित करके जनपदों में वितरित किया जाय। शासन के आदेशों के अनुसार समारोह आयोजन हेतु व्यय की अनुमन्य मर्दे (i) अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के लिए समारोह स्थल तक परिवहन हेतु 1.07 रुपये प्रति अभ्यर्थी प्रति किलोमीटर की दर से किराये पर बसों को लिया जाना तथा (ii) पंडाल/लाइट/सुरक्षा व्यवस्था, पब्लिक संबोधन प्रणाली इत्यादि पर व्यय थीं। शासन द्वारा निर्धारित मानक के विपरीत जनपद के अन्तर्गत स्थानीय अभ्यर्थियों के परिवहन पर 1.79 करोड़ रुपये² व्यय किया गया। नमूना जांच किये गये चार जिलों में पाया गया कि शासन द्वारा अनुमन्य दरों से अधिक दर पर बाहरी जिलों के अभ्यर्थियों के परिवहन हेतु बसों/वाहनों के किराये पर 47.80 लाख रुपये³ अधिक व्यय किया गया। नमूना जांच किये गये पांच जनपदों में योजना के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन कर, हैलीपैड, संपर्क मार्ग, स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था, पानी की टंकी, पक्का मंच, सजावट आदि पर 1.47 करोड़ रुपये⁴ की लागत से निर्माण कार्य कराया गया। इस प्रकार स्थानीय विद्यार्थियों की परिवहन व्यवस्था, अधिक दर पर बसों को किराये पर लेने एवं सिविल कार्यों के सम्पादन जो योजना में आच्छादित नहीं थे, पर मानक से अधिक 3.74 करोड़ रुपये व्यय किया गया।

¹ इलाहाबाद, आगरा, बांदा, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, वाराणसी।

² लखनऊ 1.72 लाख रुपये, इलाहाबाद 87.40 लाख रुपये, मिर्जापुर 20.25 लाख रुपये, वाराणसी 31.53 लाख रुपये, बांदा 22.73 लाख रुपये, मेरठ 14.14 लाख रुपये एवं बरेली 1.28 लाख रुपये।

³ इलाहाबाद 8.08 लाख रुपये, वाराणसी 26.54 लाख रुपये, बांदा 9.11 लाख रुपये एवं मेरठ 4.07 लाख रुपये।

⁴ लखनऊ 4.62 लाख रुपये, इलाहाबाद 7.39 लाख रुपये, मिर्जापुर 14.46 लाख रुपये, वाराणसी 58.10 लाख रुपये एवं बांदा 62.81 लाख रुपये।

शासन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2007) एवं विचार विमर्श (नवम्बर 2007) के दौरान कहा कि भत्ते के वितरण हेतु समारोह आयोजित करने के लिये प्रत्येक जनपद हेतु निर्धारित मानक के अनुसार अलग-अलग निर्देश दिये गये। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, समान मानक के आधार पर उपर्युक्त उद्देश्य हेतु राज्य में धन अवमुक्त किया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

4.5.4 बारहवें वित्त आयोग के अनुदान का विचलन

स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति व्यय में सुधार के लिए बारहवें वित्त आयोग अनुदान की धनराशि 10 करोड़ रुपये का निर्णीत अवधि (2005–10) के पूर्व के लम्बित दायित्वों का भुगतान कर विचलन किया गया।

बारहवें वित्त आयोग (आयोग) ने अपनी निर्णीत कार्य अवधि (2005–10) में प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2312.38 करोड़¹ रुपये का अतिरिक्त अनुदान अनुमोदित किया था जोकि इस क्षेत्र में राज्य द्वारा किये जाने वाले सामान्य व्यय के अतिरिक्त था। इसका उपयोग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्धारित विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के रूप में किया जाना था तथा इसका उद्देश्य वर्ष 2005–10 की अवधि में राज्यों के बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय की असमानता को कम करना था।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ (महानिदेशक) के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2006) में यह अभिव्यक्त हुआ कि वर्ष 2005–06 की अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये भारत सरकार ने आयोग की संस्तुति पर अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में 367.63 करोड़ रुपये स्वास्थ्य विभाग को अवमुक्त किया। इस टीएफसी धनराशि से जिसका तात्पर्य वर्ष 2005–06 में स्वास्थ्य क्षेत्र में अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करना था, विभाग ने 10 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोग कर ग्रामीण एवं शहरी सभी चिकित्सालयों/औषधालयों के भवनों के वर्ष 2003–04 में कराये गये गुलाबीकरण कार्य से सम्बन्धित लम्बित बिलों का भुगतान (117. आहरण व वितरण अधिकारियों के माध्यम से) कर दिया। अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि इस कार्य हेतु राज्य के बजट में न तो कोई प्रावधान था और न ही इसके लिए कोई प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इस प्रकार देनदारी का सृजन कर दो वर्षों से अधिक तक उसका भुगतान रोके रख कर चालू आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के लिये प्राप्त अतिरिक्त अनुदान से उसका समायोजन करना वित्तीय नियमों की अवहेलना थी।

सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन ने उत्तर में (अक्टूबर 2007) तथा वार्ता के दौरान (नवम्बर 2007) में कहा कि वर्ष 2003–04 के नियमित बजट से गुलाबीकरण के बिलों का भुगतान सम्भव नहीं था जिसके कारण सृजित इस देनदारी का भुगतान 2005–06 में आयोग के अनुदान से किया गया। वर्ष 2003–04 में बिना प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के कार्य कराने का कोई भी स्पस्टीकरण शासन द्वारा नहीं दिया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बिना प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के कार्य सम्पादित कराना तथा देनदारी सृजित कर दो वर्षों से अधिक तक उन्हें बनाये रखना वित्तीय नियमों का उल्लंघन था।

¹ 2005–2006 367.63 करोड़ रुपये, 2006–2007 409.90 करोड़ रुपये, 2007–2008 457.04 करोड़ रुपये, 2008–2009 509.60 करोड़ रुपये, तथा 2009–2010 568.21 करोड़ रुपये,

लोक निर्माण विभाग

4.5.5 निधियों का अपवर्तन तथा परिहार्य व्यय

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये बिना 53.34 लाख रुपये को एक कार्य मद से दूसरे में अपवर्तित किया गया। अपवर्तित निधियों में पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में 3.04 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय सम्मिलित था।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के अनुसार धनावंटन केवल उन्हीं उद्देश्यों पर विनियोजित किया जाना चाहिए जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की गयी हो। सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकृत कराये बिना निधियों का अपवर्तन वित्तीय अनियमितता समझी जायेगी और तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

प्रमुख अभियन्ता (प्र.अ.), लो.नि.वि., लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2006) में यह स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2005–06 में प्र.अ. द्वारा 63 कम्प्यूटर आपरेटरों को ठेकेदारों के माध्यम से अपने कार्यालय एवं लो.नि.वि. संचालन के दैनिक कार्यों के लिए लगाया गया और 33.36 लाख रुपये का भुगतान ठेकेदारों को किया गया था। ठेकेदारों को किए गए भुगतान में 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार 3.04 लाख रुपये शामिल था। ठेकेदारों के माध्यम के बजाय आपरेटरों को सीधे सम्बद्ध करके अतिरिक्त व्यय को बचाया जा सकता था। भुगतान हेतु कोई बजट प्रावधान न होने से निधियों को अन्य कार्यों से अपवर्तित किया गया। यह भी संज्ञान में आया कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा भी प्र.अ. कार्यालय की भाँति ठेकेदारों के माध्यम से आपरेटरों को लगाया गया और कार्यों हेतु आवंटित धनराशियों से अपवर्तित करके 19.98 लाख रुपये¹ का भुगतान किया गया। सक्षम प्राधिकारी के प्राधिकार के बिना निधियों का एक से दूसरे कार्य मद में अपवर्तन किया जाना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता थी।

इस प्रकार प्राधिकारियों द्वारा वित्तीय नियमों के अनुपालन न किये जाने से वित्तीय वर्ष 2005–06 में 53.34 लाख रुपये का अपवर्तन किया गया एवं पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में ठेकेदारों को 3.04 लाख रुपये परिहार्य अतिरिक्त व्यय का भुगतान करना पड़ा।

प्रकरण शासन को जुलाई 2007 में सन्दर्भित किया गया; उत्तर अप्राप्त था। तथापि, शासन द्वारा परिचर्चा (सितम्बर 2007) के दौरान प्रतिकारी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

लोक निर्माण / सिंचाई विभाग

4.5.6 व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण

वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए 11.03 करोड़ रुपये की धनराशि का वितरण हेतु तुरन्त आवश्यकता न होते हुए भी आहरण कर बैंक डाफ्ट में बदलकर बजट को व्यपगत होने से बचाना।

प्रशासकीय विभाग / विभागाध्यक्ष अपने नियन्त्रणाधीन खर्चों की प्रगति पर सतर्क रहने के लिए उत्तरदायी है। प्रभावी एवं वास्तविक नियन्त्रण हेतु विभागों से अपेक्षित है कि वे व्यय की स्थिति का मासिक आधार पर आकलन इस उद्देश्य से करेंगे कि सम्भावित बचत पर उसके विनियोग अथवा उसके अंश जिसकी वर्ष में आवश्यकता सम्भावित न

¹ वर्ष 2005–06 में 37 कार्यालयों हेतु 4500 रुपये प्रतिमाह की दर से।

हो, को समर्पित (वित्तीय वर्ष के 25 मार्च तक में) करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। वित्तीय नियमों के अन्तर्गत बजट को मात्र व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषागार से धन का आहरण करना पूर्णतः वर्जित है।

तीन खण्डों के अभिलेखों की जाँच (जून 2006 तथा फरवरी 2007) से यह स्पष्ट हुआ कि तात्कालिक आवश्यकता के न होते हुए भी 11.03 करोड़ रुपये की धनराशि का आहरण कर उसे कथित रूप से बिटुमिन की खरीद एवं भूमि अधिग्रहण के भुगतान के लिए भू-स्वामियों एवं इण्डियन आयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.), मथुरा के पक्ष में बैंक ड्डाफ्टों (बी.डी.)में बदल कर रखा गया। आहरित धनराशि को सीधे सम्बन्धित कार्य को डेबिट कर दिया गया था। विवरण निम्नवत् था :

क्र. सं.	खण्ड/कार्य का नाम	आहरित धनराशि (करोड़ रुपये में)	आहरण का माह	धन आहरण का कथित कारण	फर्म/व्यक्ति जिसके पक्ष में बैंक ड्डाफ्ट तैयार किया गया	बैंक ड्डाफ्टों को निस्तारित करने की विधि/वर्तमान स्थिति
1.	प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि, बदायूँ सहसवां-उझौनी मार्ग सहसवां-बबराला मार्ग एवं बदायूँ-मुरादाबाद मार्ग	4.36	मार्च 2005	बिटुमिन का कथ	आई.ओ.सी. मथुरा	1) वर्ष 2005-07 में आई.ओ.सी को भुगतान की गयी 2.48 करोड़ रुपये 2) वर्ष 2005-07 में ठेकेदारों/अन्य खण्डों को भुगतान की गयी 1.88 करोड़ रुपये परिशिष्ट 4.3 एवं परिशिष्ट 4.4
2.	निर्माण खण्ड- ॥, लोनिवि, बदायूँ मुरादाबाद-फर्लखाबाद मार्ग किमी 47 से किमी 101	4.62	तदैव	तदैव	तदैव	1) अप्रैल 2005 से मई 2007 के बीच आई.ओ.सी को 1.90 करोड़ रुपये का भुगतान 2) वर्ष 2006-07 में ठेकेदारों को 2.72 करोड़ रुपये का भुगतान
3.	मूसा खण्ड डैम डिवीजन, वाराणसी नरायणपुर पम्प कैनाल सिस्टम हेतु 51.949 हैक्टेएक्टर भूमि का अधिग्रहण	2.05 ⁴	मार्च 2005 दिसम्बर 2005	भू-स्वामियों को प्रतिकर का भुगतान	भू-स्वामियों	सितम्बर 2007 में कोषागार में जमा
योग		11.03				

प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि तथा निर्माण खण्ड- ॥, लोनिवि, बदायूँ द्वारा कराये गये निर्माण कार्य सकल ग्राह्यता निविदा के आधार पर थे जिसमें ठेकेदारों को किसी पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी से बिटुमिन एवं परिष्कृत बिटुमिन की प्राप्ति, उनके स्वयं के व्यय पर की जानी थी। तथापि दोनों खण्डों द्वारा निधियों का आहरण कर आई.ओ.सी मथुरा के पक्ष में बैंक ड्डाफ्ट बनवाये गये। पुनः, निर्माण खण्ड- ॥ द्वारा बिटुमिन लागत धनराशि 96.55 लाख रुपये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यू.पी.आर.एन.एन.) को नगद रूप निर्गत (जून एवं जुलाई 2005 के मध्य) किया गया। यू.पी.आर.एन.एन. से प्राप्त नकद धनराशि के साथ-साथ बचे बिटुमिन स्टॉक को मुरादाबाद फर्लखाबाद

¹ 2005-06 2.08 करोड़ रुपये तथा 2006-07: 0.4 करोड़ रुपये

² 2005-06 1.19 करोड़ रुपये तथा 2006-07: 0.69 करोड़ रुपये

³ 2005-06: 1.05 करोड़ रुपये, 2006-07: 0.75 करोड़ रुपये तथा मई 2007: 0.10 करोड़ रुपये

⁴ अव्ययित धनराशि 2004-05: 0.20 करोड़ रुपये तथा 2005-06: 1.85 करोड़ रुपये

मार्ग/अन्य कार्यों पर उपयोग किया गया। इस प्रकार कार्य हेतु निधियों की आवश्यकता के न होते हुए भी बजट को व्यपगत होने से बचाने हेतु आहरण किया गया।

इसी प्रकार, मूसा खण्ड बौध खण्ड, वाराणसी द्वारा भूमि अधिग्रहण की दर का निर्धारण किये बिना धन का आहरण कर उक्त धनराशि के वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में बैंक ड्राफ्ट बनवाये गये। अन्ततः इन बैंक ड्राफ्टों को सितम्बर 2007 में शासकीय खाते में जमा कर दिया गया। इस प्रकार धन के तुरन्त भुगतान की आवश्यकता न होते हुए भी मात्र बजट को व्यपगत होने से बचाने हेतु आहरण किया गया।

प्रकरण शासन को जुलाई 2007 में सन्दर्भित किया गया; उत्तर अप्राप्त रहा। तथापि, सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने वार्ता क्रमशः सितम्बर 2007 और अक्टूबर 2007 के दौरान शासन स्तर पर प्रणाली में सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग ने प्रमुख अभियन्ता को निर्देशित किया (अक्टूबर 2007) कि मूल्य निर्धारण किये बिना ही भू-स्वामियों के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में जिम्मेदारी निर्धारित करे।

ग्राम्य विकास विभाग

4.5.7 शासकीय लेखे से बाहर धन का अवरोधन

वित्तीय नियमों की उपेक्षा कर बिना तत्काल आवश्यकता के राजकोष से 1.49 करोड़ रुपये का आहरण किया गया तथा एक से तीन वर्षों तक बैंक के बचत खाते में एवं कार्यदायी संस्थाओं के पास रखा गया।

वित्तीय नियमों के अनुसार तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बगैर राजकोष से धन का आहरण निषिद्ध है। नियमों में आहरण अधिकारी से यह भी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कोई धनराशि जिसकी वर्ष के दौरान आवश्यकता न हो, अन्य प्रयोजनों हेतु इसे पुनर्विनियोजन के लिये तत्काल समर्पित कर दी जाए। शासन द्वारा भी स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते में रखे जाने पर प्रतिबंध लगाया गया (सितम्बर 2003)।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल) (प्र म ग्रा यो) एक केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना, में यह प्राविधिक था कि इस योजना के कुल आवंटन का 25 प्रतिशत (2005–06 से संशोधित 20 प्रतिशत) जल की आवश्यकता/सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वाटर कंजरवेशन, रेन वाटर हारवेस्टिंग, ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग एवं पेयजल स्रोतों को स्थिर बनाये रखने संबंधी परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग किया जायेगा तथा अवशेष धनराशि का उपयोग ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने संबंधी परियोजनाओं/योजनाओं पर किया जाना था। वाटर रिचार्जिंग एवं कंजरवेशन की धनराशि का उपयोग परियोजनाओं पर शासन की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही किया जाना था।

जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद (जि वि अ) के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2006) से संज्ञान में आया कि योजना के कियान्वयन हेतु वर्ष 2003–2007 के दौरान 11.05 करोड़ रुपये¹ की धनराशि उपलब्ध थी। इसमें से 8.52 करोड़ रुपये सुरक्षित पेयजल हेतु आवंटित था तथा 2.53 करोड़ रुपये वाटर कंजरवेशन, रेन वाटर हारवेस्टिंग इत्यादि के लिए निर्दिष्ट था। जि वि अ ने उत्तर प्रदेश जल निगम (उ प्र ज नि) को 9.92

¹ 2003–04: 1.97 करोड़ रुपये, 2004–05: 3.98 करोड़ रुपये, 2005–06: 2.80 करोड़ रुपये एवं 2006–07: 2.30 करोड़ रुपये।

करोड़ रुपये¹ एवं यू.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (एग्रो) को 1.13 करोड़ रुपये² ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए वाटर कंजरवेशन की धनराशि को समिलित करते हुये परियोजनाओं के चिन्हीकरण एवं अनुमोदन के बिना ही इस योजना के अन्तर्गत अवमुक्त कर दिया। उ.प्र. ज.नि. एवं एग्रो द्वारा 44 लाख रुपये³ अपने पास रोककर (नवम्बर 2007) मार्च 2004 एवं अक्टूबर 2006 के मध्य किश्तों में 2.09 करोड़ रुपये वापस कर दिया गया। वापस प्राप्त धनराशि में से मात्र 1.04 करोड़ रुपये का उपभोग जि.वि.अ द्वारा योजना पर किया गया तथा 1.05 करोड़ रुपये⁴ जि.वि.अ द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन के अभाव में पंजाब नेशनल बैंक फैजाबाद के बचत खाते में रखा गया। इस प्रकार राजकोष से 1.49 करोड़ रुपये की धनराशि को व्यपगत होने से बचाने की दृष्टि से आहरण तथा उसे परियोजनाओं की स्वीकृति के बगैर कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करने एवं उनका बैंक के बचत खातों तथा कार्यदायी संस्थाओं के पास अनुचित अवरोधन कर वित्तीय नियमों की पूर्णतया उपेक्षा की गई।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2007 में संदर्भित किया गया; उत्तर अप्राप्त था (नवम्बर 2007)। तथापि शासन ने विचार विमर्श (नवम्बर 2007) के दौरान कहा कि अवशेष धनराशि को व्यय किये जाने के निर्देश दिये जा चुके थे। शासन ने यह भी कहा कि शासकीय धन को बैंक के खाते में रखे जाने के प्रकरण की जाँच की जा रही थी।

¹ 2003–04: 1.75 करोड़ रुपये, 2004–05: 3.59 करोड़ रुपये, 2005–06: 2.52 करोड़ रुपये एवं 2006–07: 2.06 करोड़ रुपये।

² 2003–04: 22 लाख रुपये, 2004–05: 40 लाख रुपये, 2005–06: 28 लाख रुपये एवं 2006–07: 23 लाख रुपये।

³ उ.प्र. ज.नि.: 42 लाख रुपये एवं एग्रो: 2 लाख रुपये।

⁴ 2004–05: 37.70 लाख रुपये, 2005–06: 65 लाख रुपये एवं 2006–07: 2.30 लाख रुपये।

अध्याय - 5**प्रहृति विभाग****5. कारगार प्रशासन एवं सुव्यवस्था विभाग में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली**

आन्तरिक नियंत्रण संगठन के प्रबन्धन प्रक्रिया के लिये एक समग्र अवयव है जिसे स्थापित इसलिये किया गया है जिससे कि यह युक्ति युक्त आश्वासन दे सके कि क्रिया-कलापों का संचालन प्रभावशाली तथा दक्षतापूर्ण किया जा रहा है, वित्तीय प्रतिवेदन तथा परिचालन डाटा विश्वसनीय हैं तथा लागू कानून तथा अधिनियमों का अनुपालन इस प्रकार से है जिससे कि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। कारगार प्रशासन एवं सुधार विभाग के चुने हुए क्षेत्रों पर आन्तरिक नियंत्रण की समीक्षा ने यह दर्शाया कि विभाग में नियंत्रण प्रभावी नहीं थे।

मुख्य अंश

उदाहरणार्थे बाजार प्राविलेज समर्पण तथा लायल्ड कम्पनीज नियंत्रण में विभावी प्रतिवेदन तथा नियंत्रण की विवरणों का विवरण दिया गया है।

(प्रस्तर 5.5)

राज्य सरकार द्वारा बाजार प्राविलेज समर्पण, मैन्युअल को अभी तक प्रहृति लागू नहीं किया गया है। अक्रियाशील सीधी टी वी के कारण कारगार के अन्तर बहिर्भूत की नियंत्रणीयता नहीं थी। विभावी विवरणों का विवरण सम्पूर्ण रूप से स्थापना में विलम्ब होने के कारण 210 बांट्यों का प्रतिसंबंधित अभियान ज्ञात समय प्रलापन हुआ।

(प्रस्तर 5.6.1 तथा 5.6.2)

कारगार प्रशासन द्वारा किये गये नियंत्रण/तलाशी प्रभावशाली नहीं थे क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा किये गये संयुक्त नियंत्रणों में प्रतिबंधित चर्चाएं जैसे कि मांडाइलफोन, गुटका, द्रान्जिस्टर आदि बांट्यों के पास से पाप्त हुए।

(प्रस्तर 5.6.3)

कारगार आधिकारिकरण योजना (2002-07) के अन्तर्गत सात नये कारगारों तथा अतिरिक्त बैरकों के अपूर्ण रहने के कारण कारगारों में वर्ष 2004-07 में 56 से 100 प्रतिशत तक बढ़ी अधिक भीड़ की समस्या का समाधार नहीं हुआ।

(प्रस्तर 5.6.4)

कारगारों के विरिष्ट अधीक्षक/अधीक्षकों तथा महानिदेशक द्वारा कारगारों पर तैयार किया जाने वाला वास्तविक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2004-07 के दौरान तैयार नहीं किये गये थे। मैन्युअल द्वारा कारगारों के नियंत्रण अपरिवृत थे।

(प्रस्तर 5.8.1)

मुख्य सचिव की अध्यक्षतामें कारगार के क्रिया-कलापों की समीक्षा के लिये कारगार सुरक्षा-समीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने गली वैमासिक बैठक जुलाई 2004 के उपरान्त नहीं की गई। विभाग में सत्रकारा व्यवस्था स्थापित नहीं थी। स्टाफ के विलम्ब जाँच तथा शिकायतों के नियंत्रण के लिये भोजपुर समय-सीमा निर्धारित नहीं थी।

(प्रस्तर 5.8.1)

5.1 प्रस्तावना

कारागार प्रशासन अपराध न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण तथा समग्र भागों में से एक है। कारागार प्रशासन तथा सुधार विभाग, (विभाग) गृह विभाग से अलग होने (अगस्त 1999) पर मई 2007 तक स्वतन्त्र रूप से क्रियाशील था। पुनः जून 2007 में इसका विलय गृह विभाग में हुआ। विभाग का मुख्य उद्देश्य कौदियों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा उनके सुधार तथा पुनर्स्थापना सुनिश्चित करना था।

5.2 संगठनात्मक लेखा

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, गृह तथा कारागार, विभाग के क्रिया-कलापों की देखभाल करते हैं जबकि महानिदेशक (म नि), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, विभागीय स्तर पर मुखिया हैं जिनके सहयोगी अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशासन) तथा वित्त नियंत्रक (वि नि) हैं। वि नि वित्तीय प्रबन्धन के साथ-साथ अनुदान/विनियोजन पर नियंत्रण के लिये उत्तरदायी हैं तथा विभाग के मुख्य आन्तरिक लेखा परीक्षक भी हैं। परिक्षेत्रीय स्तर पर म नि के सहयोगी अतिरिक्त म नि (प्रशिक्षक) हैं जो कि सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के मुखिया हैं तथा छः परिक्षेत्रीय¹ उपमहानिदेशक (उ म नि), कारागार हैं जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में वरिष्ठ अधीक्षक (व अ)/अधीक्षकों द्वारा प्रबन्धित पाँच केन्द्रीय कारागार (के का), 51 जिला कारागार (जि का), तीन विशेष कारागार, तीन उपकारागारे हैं।

5.3 लेखा परीक्षा का उद्देश्य

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि :

- वित्तीय प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी तथा दक्ष थे;
- विभाग के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये क्रिया-कलापों पर नियंत्रण प्रभावी तथा दक्ष थे;
- मानव संसाधन प्रबन्धन को सही ढंग से सुनिश्चित करने के लिये जन शक्ति पर नियंत्रण प्रभावी तथा दक्ष थे; एवं
- विभाग के सुगम संचालन को सुनिश्चित करने के लिये अनुश्रवण, आन्तरिक लेखा परीक्षा तथा सतर्कता व्यवस्था प्रभावी तथा दक्ष थे।

5.4 लेखा परीक्षा का कागजात एवं पणाली

वर्ष 2004–07 की अवधि के कौदियों की जनसंख्या पर आधारित प्रोबेलिटी प्रपोर्शनल दू साइज विदाउट रिप्लेसमेंट आफ रैन्डम सैम्पलिंग द्वारा सचिवालय, निदेशालय तथा परिक्षेत्रीय उ म नि, कारागार बरेली, लखनऊ तथा 16 कारागारों² के अभिलेखों की जाँच मार्च से जुलाई 2007 के मध्य की गयी। प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार के साथ की गयी परिचयात्मक गोष्ठी (अप्रैल 2007) में लेखा परीक्षा के उद्देश्यों पर विचार किया गया था तथा सहमति बनी थी। एक समापन गोष्ठी भी सम्पन्न (अक्टूबर 2007) हुई जिसमें शासन ने तथ्यों तथा आंकड़ों की पुष्टि की तथा सम्रेक्षा के सुझावों पर सहमति व्यक्त की थी।

¹ आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ तथा मेरठ

² के का (इलाहाबाद जिले में नैनी, बरेली तथा वाराणसी) जि का (बरेली, फैजाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, लखनऊ, मऊ, मुरादाबाद, रामपुर तथा सुल्तानपुर), आदर्श कारागार लखनऊ, नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ, किशोर सदन, बरेली तथा उप कारागार ज्ञानपुर

लेखा परीक्षा परिणाम

5.5 वित्तीय पब्लिक बजटीय नियंत्रण

वित्तीय वर्ष 2004–07 के दौरान बजट आवंटन तथा व्यय की स्थिति निम्न थी :
(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट	व्यय	वेतन	कार्य	अन्य	योग
	आवंटन		वेतन	कार्य	अन्य	योग
2004–05	187.95	163.03	0.03	24.88	0.01	24.92
2005–06	210.58	181.69	8.70	20.14	0.05	28.89
2006–07	215.83	205.83	0.61	9.32	0.06	10.00
योग	614.36	550.55	9.34	54.34	0.12	63.81

विभाग द्वारा बजट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों तथा दिशा निर्देशों के परिपालन की समीक्षा ने निम्न को परिलक्षित किया :

5.5.1 वेतन के लिए बढ़ाया हुआ बजट प्राक्कलन

वेतन बजट बढ़ाये जाने से बचतें हुयीं।

बजट मैनुअल के प्रस्तर 32 के अनुसार कर्मचारियों का वेतन सम्बन्धी बजट प्राक्कलन स्वीकृत पद संख्या के स्थान पर कार्यरत स्टाफ के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। वित्त विभाग ने भी इन प्राविधानों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी किये थे (सितम्बर 2004)। नमूने जाँच कारागारों के अभिलेखों से यह विदित हुआ कि 2004–07 के दौरान वेतन का प्राक्कलन स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर तैयार किया गया था जिसमें रिक्त पदें भी सम्मिलित थीं। ऐसे बढ़कार बनाये गये प्राक्कलन में नि को प्रस्तुत किये गये थे जिन्होंने इसे वित्त विभाग को अग्रसारित किया जिसने रिक्त पदों की माँग में भी कठौती नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 2004–07 के दौरान इस लेखे में बचत हुयी तथा 9.34 करोड़ रुपये (छह प्रतिशत) समर्पित कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष में वेतन मद में बढ़े हुए प्राक्कलन पर दिया गया अनुमोदन, विभाग में बजट की तैयारी की जाँच तथा उस पर नियंत्रण की कमी दर्शाता था।

5.5.2 अधिशेष निधियों का विलम्ब से समर्पण

वित्तीय वर्ष के अन्त में (31 मार्च) 63.81 करोड़ रुपये का समर्पण।

बजट मैनुअल के प्रस्तर 140 के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत अनुमानित सभी बचतों को प्रत्येक वर्ष आहरण तथा वितरण अधिकारी (डी डी ओ) द्वारा नियंत्रण अधिकारी (सी ओ) को तथा सी ओ द्वारा वित्त विभाग को विलम्बतम 25 जनवरी तक सूचित किया जाना चाहिए। यद्यपि, के का/जि का,¹ विशेष कारागार², उपकारागार ज्ञानपुर के वरिष्ठ अधीक्षकों/अधीक्षकों तथा में नि ने वित्त विभाग को पूर्वानुमानित बचतों को समर्पित किये जाने सम्बन्धी नियत समय-सारिणी का अनुपालन नहीं किया तथा वित्तीय वर्ष (2004–07) की बन्दी (31 मार्च) पर 63.81 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत) को समर्पित किया। 63.81 करोड़ रुपये में 9.34 करोड़ रुपये का समर्पण बजट के वेतन पर अधिक अनुमान लगाने के कारण किया गया तथा 54.34 करोड़ रुपये का समर्पण कारागार आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत नये कारागारों तथा अतिरिक्त बैरकों इत्यादि के निर्माण के लिये भारत सरकार से आवश्यक वित्तीय स्वीकृति न मिलने के

¹ के का, बरेली, नैनी, तथा वाराणसी तथा जि का, मुरादाबाद, रामपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, मऊ, फिरोजाबाद तथा लखनऊ

² आदर्श कारागार/नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ, किशोर सदन, बरेली तथा उप कारागार, ज्ञानपुर

कारण किया गया। इससे यह इंगित हुआ कि अनुमानित बचतों का अनुश्रवण नहीं किया गया था तथा डी डी ओ/सी ओ के द्वारा समर्पण सम्बन्धी समय-सारिणी का अनुपालन नहीं किया गया था।

5.5.3 निधियों का अपवर्तन

बजट मैनुअल के प्रस्तर 107 तक 108 के अन्तर्गत सी ओ/डी डी ओ को वित्तीय औचित्य के मानकों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीन रखी गयी निधि का व्यय उन्हीं उद्देश्यों पर होना है जिसके लिये उसका प्राविधान किया गया है।

के का (बरेली तथा वाराणसी) जि का (सुल्तानपुर, रामपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, बरेली) तथा आदर्श कारागार, लखनऊ के अभिलेखों से यह ज्ञात हुआ कि नियमों के विरुद्ध वर्ष 2004–07 की अवधि में मजदूरी तथा वेतन के लिये निश्चित निधि का अपवर्तन कर 30.63 लाख रुपये का व्यय भोजन, औषधि आदि पर किया गया। इसी तरह से उपकारागार ज्ञानपुर में कारापाल ने अनाधिकृत रूप से अपने इलाज के लिये 0.75 लाख रुपये का व्यय भोजन (0.50 लाख रुपये), मजदूरी (0.10 लाख रुपये), अन्य व्यय (0.15 लाख रुपये) के लिये आहरित की गयी धनराशि से किया (मार्च 2007) तथा अधीक्षक जि का, फैजाबाद ने वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर वर्ष 2004–07 में अन्य व्यय के लिये निश्चित निधि का अपवर्तन कर कारागार मंत्री के रक्षार्थ गाड़ियों के पेट्रोल, तेल तथा लूब्रिकेंट्स (पी ओ एल) पर 4.31 लाख रुपये का व्यय किया। आगे, वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 में आदर्श कारागार, लखनऊ द्वारा कारागार की गाड़ियों के पी ओ एल के लिये निश्चित निधि का अपवर्तन कर क्रमशः 3.82 लाख रुपये तथा 2 लाख रुपये का व्यय मंत्री की रक्षार्थ गाड़ियों के पी ओ एल पर किया गया।

उत्तर में म नि ने बताया (जुलाई 2007) कि म नि कार्यालय के लिये अनुरक्षण तथा ईंधन मद के लिये अपर्याप्त बजट प्राविधान के कारण कारागार की गाड़ियों के लिये निश्चित निधियों का अपवर्तन कर कारागार मंत्री की रक्षार्थ गाड़ियों के पी ओ एल पर व्यय पर किया गया। म नि का उत्तर वित्तीय नियमों के अनुपालन न किये जाने को प्रतिबिम्बित करता है।

5.5.4 दायित्वों का सृजन

बजट मैनुअल का प्रस्तर 105 यह प्राविधानित करता है कि विभागाध्यक्ष अपने अधीन रखे गये अनुदान या विनियोजन को स्वीकृत अनुदान पर विनियोजन के अन्दर ही व्यय नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होगा। विभागाध्यक्ष को नियंत्रण अधिकारी होते हुए पिछले वर्षों सहित समस्त वचनबद्धता तथा सृजित दायित्वों का एक स्पष्ट अभिलेख रखना चाहिए तथा जहाँ आवश्यकता हो अतिरिक्त निधियों को प्राप्त करने के लिये समय से कार्यवाही करनी चाहिए।

म नि तथा कारागारों के अभिलेखों से यह ज्ञात हुआ कि 40.58 करोड़ रुपये¹ का दायित्व मार्च 2007 तक अदत्त था। इसमें से 20.69 करोड़ रुपया मजदूरी, विद्युत प्रभार, भोजन तथा अन्य सामग्रियों की आपूर्ति इत्यादि से सम्बन्धित था (**परिशिष्ट-5.1**)। शेष (19.89 करोड़ रुपये) कारागारों (के का—नैनी, वाराणसी, आगरा, बरेली, फतेहगढ़, जि का—गोंडा, सीतापुर, उन्नाव तथा आदर्श कारागार, लखनऊ) में निर्मित किये सामग्रियों एवं अन्य कारागारों को आपूर्ति से सम्बन्धित था तथा बजट आबंटन के अभाव में जिनका समायोजन लम्बित था।

¹ 2003–04 तक : 28.94 करोड़ रुपये; 2004–05: 3.33 करोड़ रुपये; 2005–06: 1.42 करोड़ रुपये तथा 2006–07: 6.89 करोड़ रुपये

सामग्री आपूर्ति, भोजन, औषधि, मजदूरी, विद्युत प्रभार इत्यादि के दायित्वों को बजट मैनुअल के प्राविधानों के विरुद्ध निर्धारित प्रोफार्मा (बी एम-7) में निदेशालय को सूचित नहीं किया गया था।

मनि ने उत्तर में बताया (जुलाई 2007) कि अपर्याप्त बजट प्राविधान के कारण दायित्वों का सृजन किया गया जिसके लिये माँग शासन को प्रस्तुत की गयी (मई 2007) तथा कारागारों के समस्त व अ/अधीक्षकों को दायित्वों के मासिक विवरण बी एम-7 में, जिसमें परिस्थितियाँ जिसके अन्तर्गत दायित्वों का सृजन किया गया तथा अधिकारी का नाम जिसने दायित्व का सृजन किया के विवरणों सहित प्रेषित करने के लिये परिपत्र निर्गत किया गया (मई 2007)। वास्तविकता यह रही थी कि दायित्वों के सृजन एवं उनके स्पष्टीकरण सम्बंधी बजट मैनुअल के प्राविधानों का अनुपालन विभाग में सुनिश्चित नहीं किया गया था।

5.5.5 पीड़ितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान

पीड़ितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान न होना।

भारत के उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों (सितम्बर 1998) पर आधारित शासन ने कैदियों को प्रतिदिन मजदूरी भुगतान की दर¹ को संशोधित किया (अप्रैल 2000) तथा, पीड़ित क्षतिपूर्ति भुगतान (पी सी वी) नियम 2005, बनाया (जून 2005) जिसके अन्तर्गत प्रत्येक सिद्धदोष बन्दी द्वारा अर्जित मजदूरी में से 15 प्रतिशत की धनराशि घटाकर प्रत्येक कारागार में एक सामान्य निधि का रख रखाव किया जाना था जिससे बन्दियों द्वारा किये गये आपराधिक कृत्यों से पीड़ित जरूरतमंदों को भुगतान किया जा सके।

नमूना जाँच कारागारों के अभिलेखों की जाँच में यह विदित हुआ कि केवल तीन कारागारों² में 7.90 लाख रुपये सामान्य निधि का रख रखाव किया गया था, पीड़ितों को किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया था। के का, बरेली के व अ ने सामान्य निधि में से 97 हजार रुपये का उपयोग अन्य व्यय में अनाधिकृत रूप से कर लिया था।

मनि ने इस नियम का कड़ाई से परिपालन तथा पीड़ितों को भुगतान का त्रैमासिक विवरण प्रेषित करने के लिये कारागारों के सभी व अ/अधीक्षकों को निर्देश निर्गत किया (जुलाई 2007)।

5.5.6 निष्प्रयोज्य भण्डार का निस्तारण

34.75 लाख रुपये के निष्प्रयोज्य रसोई बर्तनों का निस्तारण न होना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-पांच के प्रस्तर 259 तथा 260 ए के अनुसार प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन के समय निष्प्रयोज्य भण्डार को चिन्हित किया जाना चाहिए तथा शीघ्रातिशीघ्र नीलामी के माध्यम से उनका निस्तारण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनि ने सभी परिक्षेत्रीय उम्मि को स्टाक में पंडे निष्प्रयोज्य पीतल के बर्तन को मई 2005 तक एकत्र तथा निस्तारण करने के लिये निर्देश निर्गत किया था (अप्रैल 2005)।

यद्यपि, परिक्षेत्रीय उम्मि के द्वारा उनके अधीनस्थ कारागारों से एकत्र किये गये 215.39 कुन्तल पीतल बर्तन लागत 34.75³ लाख रुपये अक्टूबर 2007 तक अनिस्तारित पंडे रहे।

उत्तर में मनि ने यह बताया (अक्टूबर 2007) कि शासन के निर्देशों (जून 1996) के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य सामग्रियों के निस्तारण के लिये कमेटी गठित नहीं की गयी थी।

¹ कुशल: 18 रुपये प्रतिदिन, अर्द्धकुशल: 13 रुपये प्रतिदिन तथा अकुशल: 10 रुपये प्रतिदिन

² आदर्श कारागार, लखनऊ (2.79 लाख रुपया), केन्द्रीय कारागारों, नैनी, इलाहाबाद (4.13 लाख रुपया) तथा बरेली (0.98 लाख रुपया)

³ आगरा परिक्षेत्र: 45.13 कुन्तल लागत 6.41 लाख रुपया; बरेली परिक्षेत्र: 74.10 कुन्तल लागत 12.60 लाख रुपये तथा लखनऊ परिक्षेत्र: 96.16 कुन्तल लागत 15.74 लाख रुपये

5.6 परिचालन नियन्त्रण

कारागारें, उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्राविधानों के अधीन, मुख्यतः प्रिजनर एक्ट, 1894 व प्रिजनर एक्ट, 1900 के प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए, संचालित की जाती है। जेल मैनुअल वर्ष 1927 में जेलों के प्रशासन एवं प्रबन्धन हेतु बनाया गया था, जिसे 1941 में अंतिम बार संशोधित किया गया था। भारत सरकार द्वारा मॉडल प्रिजन मैनुअल जिसे सभी राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाने हेतु दिसम्बर 2003 में स्वीकृत किया था, विभाग द्वारा अक्टूबर 2007 तक लागू नहीं किया गया था। विभागीय मैनुअल के प्राविधानों के अनुपालन की समीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आए:

5.6.1 सुरक्षा उपाय तथा व्यवस्थायें

कारागारों तथा निदेशालय के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नवत परिलक्षित हुआ:

अक्रियाशील मोबाइल जैमर एवं सी.सी.टी.वी. के कारण सुरक्षा उपाय अपर्याप्त थे।

- के का (आगरा, बरेली, वाराणसी व नैनी) तथा जि का (लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद) में दिसम्बर 2000 से जुलाई 2001 के मध्य 40.23 लाख रुपये की लागत से मोबाइल जैमर बन्दियों के वाह्य सम्पर्क को रोकने तथा उनकी आपराधिक गतिविधियों को नियन्त्रित तथा कारागार सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु स्थापित किये गये थे। यद्यपि ये अप्रैल 2001 से खराबी तथा उनके उच्च क्षमता के मोबाइल फोन के जाम करने में अक्षमता के कारण अक्रियाशील थे। उनके मरम्मत एवं प्रतिस्थापन के लिए कोई प्राथमिकता नहीं प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप मोबाइल फोनों का अनधिकृत रूप से बन्दियों द्वारा कारागारों में उपयोग किया गया जो जिला प्रशासन द्वारा 2004–07 के दौरान नमूना जांच कारागारों के निरीक्षणों में जब्त किये गये मोबाइलों से स्पष्ट था जैसा कि प्रस्तर 5.6.3 में उल्लिखित है।
- कारागार परिसर के अन्दर बन्दियों की गतिविधियों को देखने तथा कारागार की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन (सी सी टी वी) के का बरेली (10 कैमरे) अक्टूबर 1993 व वाराणसी (10 कैमरे) अगस्त 1993 में स्थापित किए गए थे। ये बरेली में दिसम्बर 2004 तथा वाराणसी में अप्रैल 1997 से कैमरों के निष्प्रयोज्य होने के कारण अक्रियाशील हो गए। यद्यपि, सी सी टी वी जो जि का लखनऊ व बरेली में स्थापित थे, के मात्र दो से तीन कैमरे ही आंशिक रूप से क्रियाशील थे। बन्दियों की गतिविधियों पर निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु निष्प्रयोज्य कैमरों के प्रतिस्थापन हेतु अक्टूबर 2007 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।
- मैनुअल के प्रस्तर 1267 व 1268 में वर्णित है कि कारागार अधीक्षक बन्दीरक्षकों से माह में एक बार तथा कारागार अधिकारियों को वार्षिक आधार पर फाइरिंग प्रैकिट्स सुनिश्चित करायें। नमूना जांच कारागारों की शस्त्रागार में प्राचीनकालित .410 मस्कट तथा पुराने .303 राइफल तथा उनके कारतूस थे, जो कभी—कभी पुलिस विभाग के आरमोरर द्वारा निरीक्षण की जाती थी। वर्ष 2004–06 के दौरान के का नैनी के परिचालन स्टाफ के द्वारा पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, चुनार में दो बार फाइरिंग प्रैकिट्स की गई। वर्ष 2004–07 के दौरान अन्य नमूना जांच कारागारों के स्टाफ द्वारा फाइरिंग प्रैकिट्स नहीं की गई थी। यह मैनुअल के प्राविधानों का अनुसरण न करने को इंगित करता है।
- मैनुअल के प्रस्तर 1257 के अनुसार कारागारों पर अप्रत्याशित आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा हेतु व अ के का के कार्यालय में छ: राइफलें तथा अधी जि का के कार्यालय में चार राइफलें रखे जाने की व्यवस्था निर्धारित है। नमूना जांच के का/जि का के अभिलेखों से प्रकाश में आया कि दो—दो राइफलें के का बरेली तथा जि का

परिचालन स्टाफ द्वारा निर्धारित फाइरिंग प्रैकिट्स नहीं की गई।

कारागार की अमेद सुरक्षा हेतु राइफलों की निर्धारित संख्या का न रखा जाना।

रामपुर के सिवाय किसी अन्य नमूना जाँच के का/जि का में एक भी राइफल नहीं रखी गई थी। अनुपालन न करने के कारण उपकारागार, ज्ञानपुर में कारागार सुरक्षा को तोड़ कर तीन सशस्त्र व्यक्ति बन्दीरक्षकों एवं द्वारपाल को डरा धमका कर बिना कारागार स्टाफ के प्रतिरोध के रात्रि में (अप्रैल 2007) कारागार में प्रवेश कर गये। यद्यपि घुसपैठियों को अगली सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

अ/अधी कारागार ने उत्तर में बताया (मार्च-जून 2007) कि सुरक्षा कारणों से राइफलों को व अ/अधी कार्यालय में नहीं रखा गया। शासन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2007) कि राइफलों की कमी के कारण इन्हें नहीं रखा गया था। यद्यपि, 250 राइफलों को पुलिस विभाग से प्राप्त करने हेतु आदेश जारी किये गये। शासन का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि व अ/अधी के उत्तर से स्पष्ट है कि राइफलें कारागारों में उपलब्ध थीं।

5.6.2 न्यायालयों से वीडियो कान्फ्रेंस सम्पर्क स्थापना में विलम्ब

वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली स्थापित न किये जाने से बन्दियों का पलायन।

कारागार व न्यायालय के मध्य पुलिस अभिरक्षा में बन्दियों के पलायन के जोखिम को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव महानिदेशक को अपराध दण्ड संहित (सीआरपीसी) 1973 के अन्तर्गत रिमाण्ड की अवधि बढ़ाने हेतु आपराधिक न्यायालयों के साथ कारागारों की वीडियो कान्फ्रेंस सम्पर्क स्थापना हेतु अग्रसारित (अगस्त 2001) किया था, जैसा कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2000 में स्थापित किया था। सीआर पी सी के प्राविधान को शासन द्वारा संशोधित भी किया जाना आवश्यक था।

महानिदेशक के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2007) से विदित हुआ कि आन्ध्र प्रदेश में संचालित वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली (वी सी एस) के अध्ययन (नवम्बर 2005) उपरान्त एक प्रस्ताव 9.97 लाख रुपये का के का नैनी तथा जि का लखनऊ में वी सी एस हेतु शासन को फरवरी 2006 में प्रस्तुत किया गया जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2007)। आगे, सीआर पी सी 1973 की धारा 167 (2) में आवश्यक संशोधन भी शासन द्वारा अक्टूबर 2007 तक अनुमोदित नहीं किया गया। 2004-07 की अवधि के दौरान पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय पेशी पर जाते समय 210 बन्दी पलायित हुये थे। आवागमन के दौरान बन्दियों के पलायन की घटनाएं वी सी एस के संस्थापन से बचायी जा सकती थीं।

5.6.3 प्रतिबन्धित वस्तुओं के प्रवेश पर नियंत्रण

मैनुअल के प्रस्तर 1117 व 1216 (3) के अनुसार बन्दियों के प्रवेश तथा प्रत्येक तत्पश्चात अवसर पर प्रवेश/निकास में कारागार स्टाफ द्वारा कारागार के अन्दर निषिद्ध वस्तुओं का प्रवेश रोकने हेतु भौतिक जांच की जायेगी। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो कारागार द्वारा से गुजरेगा तथा किसी निषिद्ध वस्तुओं को ले जाने का सन्देह होगा कारागार में प्रवेश/निकास के समय द्वारपाल तलाशी करेगा।

मैनुअल के प्रस्तर 1013 में आगे प्राविधान है कि व अ/अधी द्वारा कारागार का औचक निरीक्षण माह में कम से कम एक बार किया जाना है। 16 नमूना जांच कारागारों के व अ/अधी द्वारा 2004-07 की अवधि में अपेक्षित 576 के विरुद्ध 353 निरीक्षण किये गये किन्तु कोई भी प्रतिबन्धित वस्तु नहीं पाई गई। यद्यपि, जि का फैजाबाद में कारागार स्टाफ द्वारा उसी अवधि में किये गये औचक निरीक्षण में तीन मोबाइल फोन जब्त किये, 2004-05 में (एक मोबाइल फोन) और 2005-06 में (दो मोबाइल फोन)।

जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संयुक्त निरीक्षण में नमूना जांच कारागारों में निषिद्ध सामग्री इस प्रकार पायी गई:

वर्ष	कारागारों में जैल	निराकरण कोष	मोबाइल कोष	अन्य वस्तुएं
2004–05	03	05	—	—
2005–06	07	14	07	हाईटर, स्टोव, गुटका, तम्बाकू, ट्रान्जिस्टर आदि
2006–07	07	15	09	01 (नकद)
2007–08 (मई 2007 तक)	04	10	01	01 (देशी पिस्टल)

कारागारों में प्रतिबन्धित वस्तुओं का पाया जाना इसका द्योतक है कि बन्दियों के प्रवेश पर भौतिक सत्यापन का विद्यमान नियंत्रण प्रभावी नहीं था।

5.6.4 कारागारों में भीड़–भाड़ के निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही का न होना

राज्य के कारागारों में 2004–07 के दौरान 56 से 100 प्रतिशत तक उनकी क्षमता से अधिक भीड़–भाड़ इस प्रकार थी:

वर्ष	निराकरण कोष	विद्यार्थीजनकता	विद्यार्थीजनकता	शूल अनुकूली	आधिकार्य (परिवर्तन)
2004	33538	9624	42833	52457	18919 (56)
2005	34446	10985	43708	54693	20247 (59)
2006	36046	15026	48417	63443	27397 (76)
2007 (31.7.07 तक)	37589	19669	55644	75313	37724 (100)

भीड़–भाड़ ने बन्दियों के प्रबन्धन को प्रभावित किया, यथा—जैसा नमूना जांच कारागारों में पाया गया कि मैनुअल के प्राविधान के विरुद्ध विचाराधीन एवं सिद्धदोष बन्दियों को एक ही बैरक में रखा गया। इसके परिणामस्वरूप बन्दियों के बीच 69 मारपीट की घटनाएं तथा दंगे इत्यादि 2004–07 की अवधि में हुए।

कारागार आधुनिकीकरण योजना की धीमी प्रगति से जेलों में 56 से 100 प्रतिशत तक भीड़–भाड़ की समस्या हल नहीं हो सकी।

भारत सरकार ने भीड़–भाड़ की समस्या के निराकरण हेतु 231.25 करोड़ रूपये नई कारागारों के निर्माण, अतिरिक्त बैरकों, वर्तमान कारागार बैरकों की मरम्मत व पुनरुद्धार करने हेतु केन्द्र पोषित कारागार आधुनिकीकरण योजना (2002–07) नवम्बर 2002 में स्वीकृत की थी। राज्य शासन ने बिना खुली निविदा आमन्त्रित किए, अनुबंध या मेमोरांडम आफ अंडरस्टेडिंग गठित किए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को नौ नई कारागारों (सिद्धार्थ नगर, कानपुर देहात, सोनभद्र, कौशाम्बी, बागपत, कन्नौज, महराजगंज, बलरामपुर और लखनऊ) तथा अन्य शासकीय संस्थाओं को कार्यदायी संस्था के रूप में 116 अतिरिक्त कारागार बैरकों के निर्माण के लिए नामांकित (मार्च 2003) किया था। इन कार्यदायी संस्थाओं को 222.44 करोड़ रूपये मार्च 2007 तक आरंटित किया गया था जिसमें 12.5 प्रतिशत (27.80 करोड़ रूपये) सेटेंज प्रभार सम्मिलित था। इन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा केवल दो नई कारागारों (सिद्धार्थनगर व कानपुर देहात) तथा 77 बैरकों का निर्माण पूर्ण (मार्च 2007) किया गया जिससे 11660 लक्षित क्षमता के विरुद्ध 3620 बन्दियों की क्षमता वृद्धि हुयी। शेष सात नई कारागारों के निर्माण की प्रगति 44 से 85 प्रतिशत के मध्य तथा 39 अतिरिक्त बैरकों की स्थिति 40 से 80 प्रतिशत रही। निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना दर्शाता है कि महानिदेशक तथा शासन स्तर पर कारागारों में भीड़–भाड़ की समस्या के निराकरण हेतु निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा का अनुश्रवण तथा समुचित नियंत्रण अपर्याप्त था। शासन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2007) कि कार्यदायी संस्थायें शासकीय निर्माण संस्थायें थीं जिससे निविदा आमन्त्रण की प्रक्रिया तथा धीमी प्रगति के लिए अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया

गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासकीय संस्थायें भी निधियों के मितव्ययी एवं दक्ष उपभोग हेतु वित्तीय नियमों की परिधि में आती हैं।

5.6.5 अक्रियाशील किशोर कारागार

मैनुअल के प्रस्तर 326 व 332 में प्राविधान है कि 19 वर्ष से कम की आयु के किशोर सिद्धदोष बन्दियों जिनकी सजा की अवधि एक वर्ष से कम न हो, राज्य किशोर कारागार—किशोर सदन, बरेली में स्थानान्तरण के अहं होंगे। आगे, यह भी प्राविधानित है कि किशोर सिद्धदोष बन्दियों को पूरी अवधि में अलग अहाते में रखा जायेगा तथा किसी भी समय उन्हें वयस्क सिद्धदोष बन्दियों के सम्पर्क में नहीं लाया जायेगा।

यद्यपि, किशोर सदन, बरेली के अभिलेखों की जांच (मई 2007) में पता चला कि किशोर सिद्धदोष बन्दियों को के का बरेली में स्थानान्तरित कर रखा गया जबकि किशोर सदन की क्षमता से किशोर बन्दियों की संख्या बहुत कम थी जैसा निम्नवत वर्णित है:

वर्ष	क्षमता बन्दियों की ओसात संख्या	सिद्धदोष बन्दियों की ओसात संख्या	किशोर सदन में रखे जाने की अवधि	केन्द्रीय कारागार में रखे जाने की अवधि
2004	188	23	09 माह 15 दिन	02 माह 15 दिन
2005	188	28	12 माह	—
2006	188	19	08 माह 23 दिन	03 माह 17 दिन
2007 (मई 2007 तक)	188	19	—	05 माह

इसके अतिरिक्त किशोर कारागार बरेली से चमड़ा उद्योग को के का आगरा स्थानान्तरित किया गया सिलाई केन्द्र, जूनियर हाई स्कूल तथा म्यूजिकल बैंड किशोर सिद्धदोष बन्दियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु 2004–07 के दौरान अक्रियाशील थे क्योंकि प्रशिक्षक, शिक्षक तथा बैंड मास्टर को के का बरेली स्थानान्तरित कर दिये गये थे। किशोर सदन के 18 बन्दीरक्षकों को भी के का की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु के का बरेली स्थानान्तरित किया गया था।

उत्तर में महानिदेशक ने बताया (जुलाई 2007) कि सुरक्षा कारणों तथा स्टाफ की कमी के कारण किशोर सिद्धदोष बन्दियों को के का बरेली में रखा गया जिन्हें अब किशोर सदन में वापस स्थानान्तरित किया गया है। वस्तुतः मैनुअल के प्राविधानों के विरुद्ध किशोर सिद्धदोष बन्दियों को वयस्क सिद्धदोष बन्दियों के साथ किशोर सदन के मुख्य उद्देश्य को विफल करते हुए रखा गया था।

5.6.6 सिद्धदोष बन्दियों को परिहार न प्रदान किया जाना

मैनुअल के प्रस्तर 184 (2) में प्राविधानित है कि सिद्धदोष बन्दियों की सजाओं में विशेष परिहार दिया जायेगा, जिन्होंने विशेष योग्यता पढ़ने, लिखने, सीखने व परीक्षा पास करने में निपुणता प्राप्त की होगी। महानिदेशक ने भी निर्देश जारी (दिसम्बर 2004) किया कि साक्षरता/शिक्षा में सफल हुए सिद्धदोष बन्दियों को 15 दिन का परिहार प्रदान किया जाये।

निदेशालय एवं नमूना जांच कारागारों के अभिलेखों से यह परिलक्षित हुआ कि 5306 सिद्धदोष बन्दियों को 2004–07 की अवधि में शिक्षित किया गया था। यद्यपि, जि का सीतापुर के तीन सिद्धदोष बन्दियों को अक्तूबर 2006 में उनके अधीक्षक की संस्तुति पर प्रदान करने के अतिरिक्त किसी को भी महानिदेशक द्वारा परिहार नहीं दिया गया था। उत्तर में महानिदेशक ने बताया (जुलाई 2007) कि अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षकों से कोई

संस्तुति प्राप्त नहीं हुई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग का उद्देश्य बन्दियों की सुरक्षित अभिरक्षा के साथ उनका सुधार करना था। इसीलिए, सिद्धदोष बन्दियों को शिक्षा तथा साक्षरता के प्रति आकृष्ट करने के लिए समुचित अनुश्रवण निदेशालय स्तर से कारागारों से आवश्यक संस्तुतियों को प्राप्त करने हेतु किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के उपरान्त शासन ने अक्टूबर 2007 में बन्दियों के परिहार हेतु शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का निर्देश जारी किया।

5.7 जनशक्ति नियंत्रण

विभाग के मानव संसाधन प्रबन्धन की समीक्षा में यह प्रकाश में आया :

5.7.1 कारागार अधिकारियों की कमी

विभाग में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत स्टाफ की 2004–07 के दौरान स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-5.2** के अनुसार था।

कार्यरत स्टाफ से सम्बन्धित अभिलेख यह दर्शाते हैं कि समूह 'ख' के अन्तर्गत कारागार अधीक्षकों के 50 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 25 पद (50 प्रतिशत) एवं कारापालों के 77 पदों के विरुद्ध 18 पद (23 प्रतिशत) जुलाई 2007 तक रिक्त थे क्योंकि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा कारापाल एवं अधीक्षक पदों पर प्रोन्नति करने के विरुद्ध स्थगन आदेश (अक्टूबर 2002) पारित किया था। न्यायालय के विगत पांच वर्ष से लम्बित स्थगन आदेश को रद्द किये जाने के कोई प्रयास नहीं किए गए। महानिदेशक व शासन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि उच्चतम न्यायालय में स्थगन आदेश के विरुद्ध ऐसे एल पी दाखिल करने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

5.7.2 स्थानान्तरण नीति का आंशिक क्रियान्वयन

शासन द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2004–05, 2005–06 व 2006–07 के माह मई में जारी किये गये थे। स्थानान्तरण नीति में यह निर्धारित किया गया था कि जिस स्टाफ ने एक जिले में छ: वर्ष एवं मण्डल में 10 वर्ष की सेवा काल पूर्ण कर ली थी उन्हें दूसरे जिलों एवं मण्डलों में स्थानान्तरित कर दिया जाना था। यद्यपि, नमूना जांच के का/जि का अन्तर्गत 1947 परिचालन स्टाफ (कारापाल, उपकारापाल, बन्दीरक्षक) के विरुद्ध क्रमशः 416 एवं 205, उन्हीं कारागारों में छ: वर्षों एवं 10 वर्षों से अधिक अवधि से तैनात थे (**परिशिष्ट-5.3**)।

आगे, 2004–07 के दौरान क्रमशः 133 परिचालन स्टाफ (कारापाल, उपकारापाल, बन्दीरक्षक) स्थानान्तरण के बाद भी उन्हीं कारागारों जहां से स्थानान्तरित किए गए थे एवं 154 सदस्य अन्य कारागारों जहां स्थानान्तरित नहीं किए गये थे, सम्बद्ध थे। विभाग की स्थानान्तरण नीति के क्रियान्वयन में विफलता के कारण न्यायालय/शिकायती प्रकरण (पांच) आकर्षित हुए थे। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एक उपकारापाल द्वारा दायर याचिका पर स्थानान्तरण नीति के कड़ाई से क्रियान्वयन हेतु निर्देशित (मई 2007) किया गया था।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि स्टाफ के सम्बन्धीकरण को निरस्त कर दिया गया है तथा स्थानान्तरण नीति का पूर्ण पालन चालू वर्ष में किया गया।

5.7.3 कारागारों में कार्यरत फर्जी बन्दीरक्षक

मैनुअल के प्रस्तर 979 तथा 980 में प्राविधानित है कि कारागारों में बन्दीरक्षकों के स्थानान्तरण व तैनाती का सामान्य नियंत्रण महानिदेशक का है। महानिदेशक बन्दीरक्षकों को एक परिषेत्र से दूसरे परिषेत्र में कारागार अधीक्षक की संस्तुति पर

कारागारों में फर्जी बन्दी
रक्षकों को रोकने हेतु
बन्दी रक्षकों के कार्यभार
ग्रहण रिपोर्ट का
अनुश्रवण नहीं किया
जाना।

स्थानान्तरित करते हैं तथा बन्दीरक्षकों के कार्यभार ग्रहण की तिथि महानिदेशक कार्यालय को पत्र/रेडियोग्राम द्वारा सूचित की जाती है।

महानिदेशालय के अभिलेखों से विदित (जून 2007) हुआ कि तीन बन्दीरक्षक जो के का बरेली से स्थानान्तरित हुए थे, ने मई 2007 में जि का गोरखपुर में कार्यभार ग्रहण किया, जिनके सेवा अभिलेखों के सत्यापन में इन्हें फर्जी पाया गया। फलस्वरूप महानिदेशक द्वारा समस्त व अ/अधी को बन्दीरक्षकों के सेवा अभिलेखों के सत्यापन के निर्देश जारी किए गए (जून 2007)। इनके प्रमाण पत्रों, नियुक्ति पत्रों तथा स्थानान्तरण आदेशों के सत्यापन में व अ/अधी कारागार¹ द्वारा 100 बन्दीरक्षक फर्जी सूचित किये गये।

विभाग के नियंत्रण अधिकारी के रूप में महानिदेशक द्वारा कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट का अनुश्रवण तथा कार्यरत बन्दीरक्षकों की निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में समस्त व अ/अधी कारागार द्वारा प्रेषित मासिक विवरण का मूल्यांकन नहीं किया गया जिससे फर्जी बन्दीरक्षकों के कारागारों में कार्यरत रहने में सुगमता हुई थी। महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा सी बी सी आई डी पुलिस जांच के आदेश पारित (जुलाई 2007) किये गये हैं।

5.8 अनुश्रवण आन्तरिक लेखा परीक्षा और सतर्कता व्यवस्थाये

5.8.1 अनुश्रवण नियंत्रण

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन का प्रस्तुत न किया जाना

शासन को वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों का प्रस्तुत न किया जाना।

मैनुअल के प्रस्तर 1018 के अनुसार महानिदेशक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित कारागारों के वरिष्ठ अधीक्षकों/अधीक्षकों द्वारा एक वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन महानिदेशक को प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी तक बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार, महानिदेशक द्वारा कारागार प्रशासन के बारे में पूर्व कैलेण्डर वर्ष से संबंधित एक विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदन शासन को पहली मार्च तक प्रस्तुत करना चाहिए। महानिदेशक व नमूना जाँच किये गये कारागारों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वा प्र प्र का न तो कोई प्रारूप ही महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया गया था और न ही कोई प्रतिवेदन कारागारों के वरिष्ठ अधीक्षकों/अधीक्षकों द्वारा बनाया व महानिदेशक को प्रस्तुत किया गया था। महानिदेशक ने भी वर्ष 2004, 2005 व 2006 के कारागार प्रशासन के बारे में कोई प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत नहीं किया था।

शासन ने महानिदेशक को पूर्व वर्षों के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत (अगस्त 2007) किये।

यह महानिदेशक के साथ ही शासन स्तर पर भी कारागारों के अपर्याप्त अनुश्रवण को दर्शाता था।

अपर्याप्त निरीक्षण

कारागारों के निरीक्षण में कमी।

मैनुअल के प्रस्तर 938 के अनुसार महानिदेशक द्वारा प्रत्येक केन्द्रीय कारागार, विशेष कारागार और जिला कारागारों का जिसमें 500 बन्दी से अधिक हों, वर्ष में एक बार व सभी दूसरे जिला कारागारों का दो वर्षों में एक बार निरीक्षण किया जाना था व अपने

¹ के.का. आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी (इलाहाबाद) जि.का. झांसी, मेरठ, मुरादाबाद

द्वारा किये गये निरीक्षणों के विवरण को शासन को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक प्रस्तुत करना था।

महानिदेशक द्वारा वर्ष 2004, 2005 व 2006 में प्रत्येक वर्ष 49 वांछित कारागारों के निरीक्षण के सापेक्ष 15, 38 व 47 कारागारों का निरीक्षण किया गया था। महानिदेशक ने शासन को किसी भी वर्ष के निरीक्षणों का वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। उत्तर में महानिदेशक ने बताया (जुलाई 2007) कि अत्यधिक कार्यों के भार के बावजूद उन्होंने पर्याप्त संख्या में कारागारों का निरीक्षण किया व निरीक्षणों की अनुपालन का अनुगमन किया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निरीक्षण हेतु वांछित सभी कारागारों का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष नहीं किया गया एवं शासन को निरीक्षणों का वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

शासन द्वारा कारागार के क्रियाकलापों की समीक्षा

शासन द्वारा कारागार के कार्यों की कोई समीक्षा नहीं की गयी।

शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कारागार सुरक्षा समीक्षा बोर्ड की स्थापना (नवम्बर 1999) की थी, जिसमें प्रमुख सचिव, कारागार, गृह, वित्त, कानून, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महानिदेशक पुलिस व महानिदेशक कारागार सदस्य थे, जिनको कारागार सुरक्षा, अत्यधिक भीड़, पैरोल से पलायन इत्यादि की समीक्षा करनी थी। समीक्षा बोर्ड की बैठक तीन माह में एक बार होनी थी, जबकि जुलाई 2004 के बाद समीक्षा बोर्ड की कोई भी बैठक नहीं हुई थी।

उत्तर में शासन ने बताया (अगस्त 2007) कि महानिदेशक द्वारा वांछित सूचनाये प्रस्तुत न किये जाने के कारण बैठकें नहीं की जा सकी। यह कारागार क्रियाकलापों की समीक्षा के प्रति उदासीन मनोवृत्ति को दर्शाता है।

पैरोल से पलायन

सचिवालय के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2007) में पाया गया कि वर्ष 2004–07 के दौरान शासन द्वारा 338 बन्दियों को पैरोल पर छोड़ने की स्वीकृति दी गयी थी। आगे, पैरोल पर छोड़े गये बन्दियों में से भागे हुए 26 बन्दियों को अगस्त 2007 तक पुनः गिरफ्तार नहीं किया जा सका था।

उत्तर में शासन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि पैरोल के दौरान भागे हुए बन्दियों को पुनः पकड़े जाने हेतु निर्देश महानिदेशक पुलिस को निर्गत किया जा रहा है। यह पैरोल से पलायित हुए बन्दियों के मामलों के संबंध में अपर्याप्त अनुश्रवण को दर्शाता है क्योंकि न तो महानिदेशक पुलिस और न ही कारागार सुरक्षा समीक्षा बोर्ड के साथ बैठकें क्रमशः जून 2002 व जुलाई 2004 के बाद की गयी थीं।

शिकायतों का निस्तारण

शासन ने राज्य के सभी विभागों को सतर्कता व्यवस्थाओं की संस्थापना हेतु निर्देश निर्गत (मई 2001) किया था, जिसमें विभागाध्यक्ष पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी (मु स अ) था। विभागाध्यक्ष को एक वरिष्ठ अधिकारी को कर्मियों के जो भ्रष्टाचार, घूस इत्यादि आरोपों में लिप्त हों की जाँच और शिकायतों के निस्तारण हेतु विभाग का पदेन सतर्कता अधिकारी (स अ) नामांकित करना चाहिए था। यद्यपि, जुलाई 2007 तक कारागार विभाग में न तो स अ नामांकित किया गया था और न ही कोई सतर्कता प्रणाली संस्थापित की गयी थी।

विभाग में सतर्कता प्रणाली संस्थापित नहीं की गयी।

निदेशालय के आगे अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2007) में पाया गया कि कारागार कर्मी जो धूस, ब्रह्माचार और बन्दियों की सहायता जिससे वे प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे मोबाइल फोन, निषिद्ध औषधि इत्यादि को कारागार में ले जा सके, संबंधी शिकायतों के अनुश्रवण हेतु एक शिकायत अनुभाग कार्यरत था। 831 प्राप्त शिकायतों में से जुलाई 2007 तक 47 शिकायतें छः माह से, 82 मामले एक वर्ष से, 36 मामले दो वर्षों से और 30 मामले 3 वर्षों से लम्बित थे। विभाग ने शिकायतों की जाँच व निस्तारण की कोई समय सीमा नहीं निश्चित की थी।

शासन ने महानिदेशक को सतर्कता प्रणाली की संस्थापना और सतर्कता अधिकारी नामित करने हेतु निर्देशित (अक्टूबर 2007) किया था।

अकार्यशील बोर्ड ऑफ विजिटर्स

मैनुअल के प्रस्तर 669 व शासनादेश (जनवरी 2003) के अनुसार प्रत्येक कारागार के लिए एक बोर्ड ऑफ विजिटर्स (बी वी ओ) बनाया जाना था और नान आफीसियल विजिटर्स (एन ओ वी) को नामित किया जाना था। उनको बन्दियों की शिकायतों को सुनने और विजिटर्स की पंजिका में अपनी टिप्पणी अंकित करने व कारागार प्रशासन से बन्दियों की शिकायतों के निदान हेतु कारागार में जाना था। शासन ने जुलाई 2007 तक किसी भी कारागार में बी ओ वी नहीं संस्थापित किया था। यद्यपि, इन्होंने मात्र 31 कारागारों में ही एन ओ वी नामित (नवम्बर 2006) किया था। एन ओ वी द्वारा जुलाई 2007 तक किसी भी कारागार का भ्रमण नहीं किया गया था। यह नामांकन कालान्तर में शासन द्वारा निरस्त (सितम्बर 2007) कर दिये गये थे। इससे बन्दियों को अपनी शिकायतों को गैर सरकारी व्यक्ति/निकाय से निदान कराने के अवसर से वंचित होना पड़ा।

बाह्य लेखा परीक्षा को कम महत्व

प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ प्र इलाहाबाद द्वारा निर्गत की जाने वाली निरीक्षण प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा प्रस्तरों के निस्तारण की वर्ष 2004–07 के दौरान स्थिति निम्नवत थी:

वर्ष	पारमिक अपश्याप	प्रस्तर दोषाज्ञाता	प्रस्तर निस्तारित	प्रस्तर अपश्या
2004–05	784	98	06	876
2005–06	876	75	12	939
2006–07	939	54	23	970

अक्टूबर 2007 तक धनराशि 421.96 करोड़ रुपये के नौ सौ सत्तर लेखा परीक्षा प्रस्तर अनिस्तारित थे।

आगे, वर्ष 2004–07 के दौरान निर्गत 76 निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि प्र) में से अक्टूबर 2007 तक 51 (नि प्र) के, जिनमें 159 लेखा परीक्षा प्रस्तर समाहित थे, प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। यह लेखा परीक्षा के प्रति अपर्याप्त अनुश्रवण व कम महत्व को दर्शाता है।

5.8.2 आन्तरिक लेखा परीक्षा

विभागीय आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल का न बनाया जाना।

आन्तरिक लेखा परीक्षा इकाई (आ ले प इ), जिसमें दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक व दो लेखा परीक्षक के पद स्वीकृत थे, वित्त नियन्त्रक (वि नि) के पर्यवेक्षण में कार्य कर रही थी जो कि परिक्षेत्रीय उ म नि और कारागारों के कार्यालयों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी था। आ ले प इ महानिदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती थी।

वि नि को विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा मैनुअल, जिसमें लेखा परीक्षा हेतु दिशानिर्देश, कारागारों व दूसरे कार्यालयों के निरीक्षणों हेतु एक वार्षिक कैलेण्डर बनाना था। जबकि, कोई विभागीय लेखा परीक्षा मैनुअल नहीं बनाया गया था। लेखा परीक्षा हेतु बनाये गये वार्षिक कैलेण्डर को पूरा नहीं किया गया था जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

वर्ष	लेखा परीक्षा किये जाने हेतु कैलेण्डर इकाइयों की संख्या	लेखा परीक्षा की गयी इकाइयों की संख्या	लेखा परीक्षा न की गयी इकाइयों की संख्या	कमी की प्रतिशतता
2004–05	36	24	12	33
2005–06	43	19	24	56
2006–07	40	24	16	40

महानिदेशक ने कमी को स्टाफ के अभाव से संदर्भित (अगस्त 2007) किया। आगे, आन्तरिक लेखा परीक्षा के उद्देश्य केवल वित्तीय नियमों के अनुपालन तक सीमित थे, जैसा कि आंतरिक लेखा परीक्षण निरीक्षण प्रतिवेदनों से स्पष्ट होता है। इसका कार्यक्षेत्र कारागारों के प्रशासन, प्रबंधन व निष्पादन तक नहीं फैला था। आन्तरिक लेखा परीक्षा की क्षमता भी पर्याप्त नहीं थी जैसा कि पूर्व के प्रस्तरों में वित्तीय नियमों व बजट नियम पुस्तिका के प्रावधानों का डी डी ओ के द्वारा अनुपालन न किया जाना इत्यादि इंगित किया गया है।

आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रस्तरों का निस्तारण न किया जाना

समीक्षा अवधि 2004–07 के दौरान आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रस्तरों के निस्तारण की स्थिति निम्नवत थी :

वर्ष	प्रारम्भिक अवशोषण	वर्ष में जोड़ा गया	प्रस्तर निस्तारित	अवशेष प्रस्तर
2004–05	4843	821	725	4939
2005–06	4939	605	1023	4521
2006–07	4521	1033	297	5257

अवशेष प्रस्तरों के शीघ्र निस्तारण हेतु शासन ने महानिदेशक की अध्यक्षता में विभागीय आंतरिक उप लेखा समिति (डी आई एस ए सी) के गठन व उसकी महीने में एक बार बैठक करने का निर्देश (जून 2004) दिया था। जबकि, वर्ष 2004–05 में तीन बैठकें व वर्ष 2005–06 और 2006–07 प्रत्येक में दो बैठकें हुई थीं, जिसमें तीन माहों में वर्ष 1970 से 1990 की अवधि के केवल 964 अनिस्तारित प्रस्तरों (लक्ष्य : 1373) का निस्तारण किया जा सका था व जुलाई 2007 तक 409 प्रस्तर अनिस्तारित थे।

5.9 निष्कर्ष

विभाग के आन्तरिक नियंत्रण कमजोरियों और कमियों से ग्रसित थे। वित्तीय प्रबंधन व बजट नियंत्रण अपर्याप्त था। माडल प्रिजन मैनुअल को लागू नहीं किया गया था। वीडियो कान्फ्रैन्सिंग सिस्टम की स्थापना में देरी से बन्दियों को भागने में मदद मिली, कारागारों में प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रवेश को रोकने में निरीक्षण/तलाशी प्रभावी नहीं थे। कारागारों में अत्यधिक भीड़ की समस्या कारागार आधुनिकीकरण योजना की धीमी प्रगति के कारण हल नहीं हुई थी। अपर्याप्त मानव संसाधन प्रबंधन के कारण कारागारों में फर्जी बन्दीरक्षक कार्यरत रहे थे। विभाग में कारागार के कार्यकलापों की समीक्षा के प्रति उदासीन मनोवृत्ति व सतर्कता प्रणाली को संरक्षित न किया जाना भी संज्ञान में आया।

5.10 संस्थातियाँ

- वर्ष के अन्त में बढ़े हुए प्रावधानों एवं निधियों के समर्पण से बचने के लिए शासन को बजट बनाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना चाहिए।
- शासन को माडल प्रिजन मैनुअल को शीघ्र ग्रहण/लागू करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- न्यायालयों से वीडियो कान्फ्रैंसिंग सम्पर्क की स्थापना और सीआर. पी. सी. 1973 की धारा 167(2) में संशोधन को प्राथमिकता से करना चाहिए।
- कारागारों में प्रतिबंधित वस्तुओं के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए निरीक्षण/तलाशी को प्रभावशाली बनाना चाहिए।
- कारागार के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए कारागार सुरक्षा समीक्षा बोर्ड की त्रैमासिक बैठक को दोबारा आरम्भ करना चाहिए।
- विभाग में सतर्कता प्रणाली को संस्थापित करना चाहिए।

उक्त बिन्दुओं को शासन को सूचित (सितम्बर 2007) किया गया था एवं प्राप्त उत्तर (अक्टूबर 2007) को समीक्षा में उचित स्थानों पर समिलित कर लिया गया था।

(नरेन्द्र सिंह)

प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)

उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद

दिनांक :

2 जनवरी 2008

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजयेन्द्र नाथ कौल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक :

4 जनवरी 2008

परिशिष्ट-1.1

भाग-अ : सरकारी लेखों का ढांचा एवं स्वरूप
(संदर्भ : प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 1)

सरकारी लेखों का ढांचा : राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है—
 (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।

भाग-I समेकित निधि

राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगा जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।

भाग-II आकस्मिकता निधि

संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय के पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है। निधि बाद में प्राप्त की जाती है जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग-III लोक लेखा.

प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुल लेनदेनों यथा लघु बचतों, भविष्य निधि, संचित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखा में रखा जाता हैं एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।

भाग—ब

वित्त लेखे का खाका

(संदर्भ : प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 1)

विवरण	खाका
विवरण संख्या 1	राज्य सरकार के लेन-देनों के सारांश को प्रदर्शित करता है—राज्य के लोक लेखे, आकस्मिकता निधि तथा समेकित निधि में प्राप्तियाँ एवं व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियाँ तथा संवितरण इत्यादि।
विवरण संख्या 2	में वर्ष 2006-07 के अन्त तक पूँजीगत परिव्यय आगे की ओर बढ़ने वाले व्यय का संक्षिप्त विवरण शामिल है।
विवरण संख्या 3	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियाँ, कार्यशील व्यय तथा रखरखाव प्रभारों, पूँजीगत परिव्यय, शुद्ध लाभ अथवा हानि इत्यादि को देता है।
विवरण संख्या 4	राज्य की ऋण स्थिति को संक्षिप्त में इंगित करता है जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से कर्ज, अन्य दायित्व एवं ऋण सेवायें शामिल हैं।
विवरण संख्या 5	सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, किये गये पुनर्मुर्गतानों लम्बित वसूलियों इत्यादि की संक्षिप्त रूप रेखा देता है।
विवरण संख्या 6	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि के पुनर्मुर्गतान हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करता है।
विवरण संख्या 7	रोकड़ शेष तथा इस तरह के शेषों से निवेश की संक्षिप्त रूपरेखा देता है।
विवरण संख्या 8	31 मार्च 2007 को समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेष को प्रदर्शित करता है।
विवरण संख्या 9	वर्ष 2006-07 के अंतर्गत विभिन्न लेखा शीर्षों के राजस्व एवं व्यय को राजस्व/व्यय के कुल प्रतिशत के रूप में दर्शाता है।
विवरण संख्या 10	वर्ष के दौरान किये गये दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के बीच विभाजन को इंगित करता है।
विवरण संख्या 11	लघु शीर्ष द्वारा राजस्व प्राप्तियों के विस्तृत लेखे को प्रदर्शित करता है।
विवरण संख्या 12	पृथक रूप में आयोजनेत्तर, राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय को लघु शीर्ष द्वारा तथा पूँजीगत व्यय का मुख्य शीर्षवार लेखा प्रस्तुत करता है।
विवरण संख्या 13	वर्ष 2006-07 के दौरान एवं अन्त तक किये गये विस्तृत पूँजीगत व्यय को प्रदर्शित करता है।
विवरण संख्या 14	वर्ष 2006-07 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं सोसाइटियों में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण दर्शाता है।
विवरण संख्या 15	वर्ष 2006-07 के अन्त तक पूँजीगत तथा अन्य व्यय तथा प्रमुख स्रोत जिनसे निधियों को व्यय हेतु प्रदान किया गया, को प्रदर्शित करता है।
विवरण संख्या 16	ऋण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत सम्बन्धित लेखा शीर्षों के प्राप्तियों, संवितरणों तथा शेषों का विस्तृत लेखा देता है।
विवरण संख्या 17	उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण तथा अन्य व्याज सम्बन्धी दायित्वों का विस्तृत लेखा प्रदर्शित करता है।
विवरण संख्या 18	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम वर्ष के दौरान प्रतिदान की राशि, 31 मार्च 2007 का शेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये व्याज को दर्शाता है।
विवरण संख्या 19	रक्षित निधि से रखे गये शेष का विस्तृत विवरण देता है।

भाग-स

अध्याय १ में प्रयुक्त शब्दों की सूची तथा उनकी गणना का आधार

(संदर्भ : प्रत्तर 1.2; पृष्ठ 3)

शब्द	गणना के आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर स रा घ उ वृद्धि
प्राचल (एक्स) की उत्प्लावकता अन्य प्राचल (वाई) के संदर्भ में	प्राचल (एक्स) की वृद्धि दर प्राचल (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर औ जी)	[(वर्तमान वर्ष की धनराशि / विगत वर्ष की धनराशि) - 1] x 100
विकास पर व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान / [(विगत वर्ष की राजकोषीय देयतायें + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयतायें) / 2] x 100
ब्याज विस्तार	स रा घ उ वृद्धि - आंकलित ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टाक x ब्याज विस्तार
बकाये ऋण से ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(प्रारम्भिक अवशेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतिम अवशेष) / 2] x 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + शुद्ध ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूँजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियां - लेखा शीर्ष 2048 - ऋण की कमी अथवा परिहार्य हेतु विनियोग के अंतर्गत व्यय को छोड़कर समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर व्यय

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ : प्रस्तर 1.2 एवं 1.7, पृष्ठ 3 एवं 19)

31 मार्च 2007 को उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार

		(करोड़ रुपये में)
31.3.2006 को	31.3.2007 को	31.3.2007 को
74451.96	आन्तरिक ऋण	82046.26
28325.44	ब्याज भारित बाजार ऋण	31067.19
42.76	ब्याज भार रहित बाजार ऋण	(-) 480.05
(-)10.78	जीवन बीमा निगम से ऋण	(-) 17.70
9590.48	अन्य संस्थानों से ऋण	9141.36
36534.75	निर्गत विशेष प्रतिमूलिया	42366.15
(-)30.69	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	(-) 30.69
23758.57	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	21963.69
9.96	1984-85 से पहले का ऋण	9.96
145.39	आयोजनेतर ऋण	138.13
23298.91	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	21522.46
1.26	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	1.16
301.62	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए ऋण	290.55
1.43	केन्द्र सरकार से अर्थोपाय अग्रिम	1.43
17230.42	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	19963.11
14163.38	जमा	15957.53
19263.46	आरक्षित निधियाँ	22225.39
—	रिजर्व बैंक में जमा	-
148867.79	योग	162155.98
31.3.2006 को		प्रिसम्पत्तिया
58221.13	अचल सम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	72205.26
13174.81	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	16592.19
45046.32	पूंजीगत परिव्यय	55613.07
8159.58	ऋण एवं अग्रिम	8691.49
3125.89	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	3160.89
5178.08	अन्य विकास ऋण	5639.97
(-)144.39	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	(-) 109.37
776.02	आवासिकता निधि	140.80
45.20	आरक्षित निधियों में निवेश	45.19
6.63	अग्रिम	7.03
(-)652.47	उचंत एवं विविध शेष	(-)2931.31
485.32	प्रेषण शेष	78.57
8494.69	रोकड़	15487.88
1.80	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	6.34
148.74	रिजर्व बैंक में जमा	6.86
13.77	विभागीय रोकड़ शेष	15.27
0.34	स्थायी अग्रिम	0.34
8330.04	रोकड़ शेष निवेश	15459.07
73331.69	सरकारी लेखों में घाटा	68431.07
1267.99	(i) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	(-) 4900.62
72063.70	(ii) संवित घाटा	73331.69
148867.79	योग	162155.98

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ : प्रस्तर 1.2; पृष्ठ 3)

वर्ष 2006-07 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(करोड़ रुपये में)

प्राप्तियाँ		संवितरण		प्राप्तियाँ		संवितरण	
2005-06	वर्ष 2006-07 के लिए प्राप्तियाँ	2006-07	2005-06	वर्ष 2006-07 के लिए प्राप्तियाँ	2006-07	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
45349.15	I. राजस्व प्राप्तियाँ	60599.52	46617.14	I. राजस्व व्यय	46000.42	9698.48	55698.90
18858.10	कर राजस्व	22997.97	20919.68	सामान्य सेवायें	24180.50	118.82	24299.32
2930.32	करेतर राजस्व	6532.64	15609.70	सामाजिक सेवायें	11879.62	7368.44	19248.06
18202.93	संघीय कर्त्ता में राज्यांश	23218.31	8789.89	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	8139.26	2565.18	10704.44
2026.50	आयोजनेतर अनुदान	2693.80	2595.61	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1971.89	848.27	2820.16
1916.24	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2837.57	753.34	जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	141.16	1047.21	1188.37
1415.06	केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोगतिहानित योजनाओं हेतु अनुदान	2319.23	24.32	सूचना एवं प्रसारण	24.94	2.32	27.26
		1467.27		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	580.83	921.22	1502.05
		130.58		श्रम तथा श्रमिक कल्याण	148.61	371.81	520.42
		1818.53		समाज कल्याण तथा पोषण	842.57	1612.43	2455.00
		30.16		अन्य	30.36	-	30.36
		7755.84		आर्थिक सेवायें	7198.05	2211.22	9409.27
		1480.40		कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	1247.59	601.13	1848.72
		2259.42		ग्राम्य विकास	814.43	1159.81	1974.24
		49.50		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	25.00	58.50	83.50
		1390.73		सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	1648.56	271.16	1919.72
		290.74		उद्योग एवं खनिज	155.61	76.82	232.43
		1401.05		ऊर्जा	1858.93	10.87	1869.80
		764.53		परिवहन	1333.59	1.48	1335.07
		7.60		विज्ञान, तकनीक एवं पर्यावरण	3.64	19.02	22.66
		111.87		सामान्य आर्थिक सेवायें	110.70	12.43	123.13
		2331.92		सहायक अनुदान एवं अंशदान	2742.25	-	2742.25
1267.99	II-राजस्व धारा खण्ड ख को प्रेषित			II-राजस्व अधिशेष खण्ड ख को प्रेषित			4900.62
46617.14	योग	60599.52	46617.14	योग			60599.52
	खण्ड ख- अन्य						
95.16	III- प्रारम्भिक रोकड़ शेष स्थानीय अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	8494.69		III- मार्कीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अत्याहरण			
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		8711.23	IV. पूँजीगत परिव्यय	671.64	13312.49	13984.13
		313.54		सामान्य सेवायें	298.31	355.50	653.81
		1158.83		सामाजिक सेवायें	37.72	2142.11	2179.83
		322.12		शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	12.50	284.83	297.33
		471.82		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14.47	1467.20	1481.67
		267.17		जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	9.82	309.22	319.04
		8.92		सूचना एवं प्रसार	-	-	-
		78.80		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	34.82	34.82
		5.34		समाज कल्याण तथा पोषण	0.36	5.51	5.87
		4.66		अन्य	0.57	40.53	41.10
		7238.86		आर्थिक सेवायें	335.61	10814.88	11150.49
		231.55		कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	(-) 423.84	272.32	(-) 151.52
		663.19		ग्राम्य विकास	-	505.25	505.25
		546.30		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	141.21	577.72	718.93
		1641.27		सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	(-) 0.08	2373.21	2373.13
		760.08		ऊर्जा	280.75	2803.00	3083.75
		166.18		उद्योग एवं खनिज	(-) 1.75	15.64	13.89
		3187.00		परिवहन	339.32	4217.98	4557.30
		----		विज्ञान तकनीक एवं पर्यावरण	-	-	-
		43.29		सामान्य आर्थिक सेवायें	-	49.76	49.76

31 मार्च 2007 को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

2005-06	प्राप्तियां	2006-07	2005-06	संवितरण	2006-07
585.05	V--ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	355.64	683.84	V- संवितरित ऋण तथा अग्रिम	
25.89	उद्योग एवं खनिज से	179.18	112.18	उद्योग एवं खनिज को	339.31
334.53	विद्युत परियोजनाओं से	-	89.91	विद्युत परियोजनाओं को	35.00
33.12	सरकारी कर्मचारियों से	30.56	10.40	सरकारी कर्मचारियों को	64.85
191.51	अन्य से	145.90	471.35	अन्य को	448.39
-----	VI- अधोनीत राजस्व अधिकार	4900.62	1267.99	VI- अधोनीत राजस्व धाटा	
14257.46	VII- लोक ऋण प्राप्तियां	11711.50	5252.34	VII- लोक ऋण की अदायगी	5912.08
13931.20	अर्थोपाय अग्रिमों एवं अत्याहरण से मिन्न आन्तरिक ऋण	11332.02	4045.12	अर्थोपाय अग्रिम एवं अत्याहरण से मिन्न आन्तरिक ऋण	3737.72
-----	अर्थोपाय अग्रिम के (रिजर्व बैंक) अन्तर्गत शुद्ध लेनदेन	-	25.48	अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत शुद्ध लेनदेन	-
326.26	केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम (अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर)	379.48	1181.74	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2174.36
-----	भारत सरकार से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	भारत सरकार से अर्थोपाय अग्रिम	-
-----	VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-	VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोग	
298.52	IX. आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरित राशि	644.79	182.77	IX. आकस्मिकता निधि से व्यय	9.57
52528.51	X. लोक लेखा प्राप्तियां	63075.25	43171.84	X. लोक सेवा संवितरण	52901.28
3605.37	अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां इत्यादि	4857.91	1645.29	अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां इत्यादि	2125.22
3181.42	आरक्षित निधियां	3073.80	19.10	आरक्षित निधियां	111.87
20951.61	उच्चन्त एवं विविध	27430.54	20195.05	उच्चन्त एवं विविध	25151.70
8240.72	प्रेषण	12463.56	8100.96	प्रेषण	12056.81
16549.39	जमा तथा अग्रिम	15249.44	13210.80	जमा तथा अग्रिम	13455.68
	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अत्याहरण का अन्तिम अवशोष		8494.69	XI. अन्त में रोकड़ शेष	15487.88
			0.68	कोशागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.01
			148.74	रिजर्व बैंक में जमा	6.86
			14.11	स्थानीय अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	15.61
			8330.04	रोकड़ शेष निवेश	15459.07
			1.12	लेनदेनों का प्रेषण	6.33
67764.70	लेनदेन	1489182.39	207763.50		89182.39

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ : प्रस्तर 1.2; पृष्ठ 3)

वर्ष 2006-07 के लिए निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(करोड़ रुपये में)

2005-06	स्रोत	2006-07
45349.15	राजस्व प्राप्तियां	60599.52
585.05	ऋणों एवं आगेमों को वसूलियां	355.64
9005.11	लोक ऋण में वृद्धि	5799.42
2007.61	-व्याज सहित विषयन ऋण	2741.75
(-)0.31	-व्याज रहित विषयन ऋण	(-) 522.81
(-)7.22	-जीवन बीमा से ऋण	(-) 6.92
7885.98	-अन्य संस्थाओं से ऋण	5382.28
(-)25.48	-अर्थोपाय अग्रिम (भारतीय रिजर्व बैंक)	----
(-)855.48	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	(-) 1794.88
(-)509.81	-1984-85 के पहले के ऋण	----
(-)897.67	-आयोजनेतर ऋण	(-) 7.26
545.65	-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	(-) 1776.45
(-)0.11	-केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	(-) 0.10
(-)6.42	-केन्द्र द्वारा पुरोन्धानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	(-) 11.06
12.88	-केन्द्र सरकार से अर्थोपाय अग्रिम	----
9356.68	लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियां	10173.97
1960.08	-अल्प बचतों में वृद्धि	2732.69
3338.59	-जमा और अग्रिमों में वृद्धि	1793.76
3161.73	-आरक्षित निधियों में वृद्धि	2961.93
756.52	-उच्चत एवं विविध लेनदेनों का शुद्ध प्रभाव	2278.84
139.76	-प्रेषण लेनदेनों का शुद्ध प्रभाव	406.75
115.75	-आकस्मिकता निधि से सम्बद्ध लेनदेनों का शुद्ध प्रभाव	635.22
64411.74	योग	77563.77
2005-06	उपयोग	2006-07
46617.14	राजस्व व्यय	55698.90
683.84	विकास एवं अन्य उददेश्यों के लिए ऋण	887.55
8711.23	पूजीगत व्यय	13984.13
-----	आकस्मिकता निधि से सम्बद्ध लेनदेनों का शुद्ध प्रभाव	----
8399.53	अन्तिम रोकड़ शेष में वृद्धि	6993.19
64411.74	योग	77563.77

- 1 पूर्ववर्ती प्रदर्शकों में संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखे में दिये गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय।
- 2 सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखों में घाटे जैसा कि रोकड़ की स्थिति विवरण 1 में दिखाया गया है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्त मद या हृस अथवा भण्डार लेखों में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है।
- 3 उच्चत एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्भात चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया राज्य की ओर से किये गये भुगतान एवं अन्य लम्बित समाधान समिलित हैं।

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ : प्रस्तर 1.2 एवं 1.3; पृष्ठ 3 एवं 6)

राज्य सरकार के वित्त के समबद्ध आंकड़े

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
भाग अ— प्राप्तियां						
भाग अ— प्राप्तियां	25598	27821	31638	37617	45349	60600
1. राजस्व प्राप्तियां	<i>10330(40)</i>	<i>12767(46)</i>	<i>13601(43)</i>	<i>15693(42)</i>	<i>18858(42)</i>	<i>22998(38)</i>
(I) कर राजस्व	<i>6163(59)</i>	<i>7124(56)</i>	<i>7684(56)</i>	<i>8888(57)</i>	<i>11285(60)</i>	<i>13279(58)</i>
बिक्री कर / व्यापार कर	<i>1961(19)</i>	<i>2555(20)</i>	<i>2472(18)</i>	<i>2686(17)</i>	<i>3089(16)</i>	<i>3551(15)</i>
राज्य आधारी	<i>503(5)</i>	<i>619(5)</i>	<i>677(5)</i>	<i>776(5)</i>	<i>965(5)</i>	<i>1018(4)</i>
वाहन पर कर	<i>1429(14)</i>	<i>2079(16)</i>	<i>2296(17)</i>	<i>2682(17)</i>	<i>2997(16)</i>	<i>4514(20)</i>
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	<i>73(1)</i>	<i>64(1)</i>	<i>118(1)</i>	<i>102(1)</i>	<i>109(1)</i>	<i>188(1)</i>
मू—राजस्व	<i>201(2)</i>	<i>326(2)</i>	<i>354(3)</i>	<i>559(3)</i>	<i>413(2)</i>	<i>448(2)</i>
अन्य कर	<i>1787(7)</i>	<i>1913(7)</i>	<i>2282(7)</i>	<i>2720(7)</i>	<i>2930(6)</i>	<i>6533(11)</i>
(II) करेतर राजस्व	<i>10189(40)</i>	<i>10832(39)</i>	<i>13273(42)</i>	<i>15055(40)</i>	<i>18203(40)</i>	<i>23218(38)</i>
(III) केन्द्रीय करों में राज्यांश	<i>3292(13)</i>	<i>2309(8)</i>	<i>2482(8)</i>	<i>4149(11)</i>	<i>5358(12)</i>	<i>7851(13)</i>
(IV) भारत सरकार से सहायक अनुदान	----	----	----	----	----	----
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियां	25598	27821	31638	37617	45349	60600
3. कुल राजस्व एवं ऋण रहित पूँजीगत प्राप्तियां (1+2)	366	219	12498	278	585	356
4. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	11383	12390	22110	17463	14257	11711
5. लोक ऋण प्राप्तियां	<i>7936(70)</i>	<i>9282(75)</i>	<i>19029(86)</i>	<i>14597(84)</i>	<i>13931(98)</i>	<i>11332(97)</i>
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरडाफट छोड़कर)	<i>690(6)</i>	---	---	<i>25(0)</i>	----	----
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरडाफट के अंतर्गत शुद्ध लेनदेन	<i>2757(24)</i>	<i>3108(25)</i>	<i>3081(14)</i>	<i>2841(16)</i>	<i>326(2)</i>	<i>379(3)</i>
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	<i>37347</i>	<i>40430</i>	<i>66246</i>	<i>55358</i>	<i>60191</i>	<i>72667</i>
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (3+4+5)	81	---	52	76	299	645
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	36965	37327	46875	45213	52529	63075
8. लोक ऋण प्राप्तियां	74393	77757	113173	100647	113019	136387
भाग ब— व्यय						
10. राजस्व व्यय	31793(89)	32939(88)	50221(83)	44610(88)	46617(83)	55699(79)
आयोजनागत	<i>3561(11)</i>	<i>3575(11)</i>	<i>3276(7)</i>	<i>5098(11)</i>	<i>6445(14)</i>	<i>9699(17)</i>
आयोजनेतर	<i>28232(89)</i>	<i>29364(89)</i>	<i>46945(93)</i>	<i>39512(89)</i>	<i>40172(86)</i>	<i>46000(83)</i>
सामान्य सेवायें (चाज भुगतान सहित)	<i>16178(51)</i>	<i>15583(47)</i>	<i>19540(39)</i>	<i>22761(51)</i>	<i>20919(45)</i>	<i>24300(44)</i>
आर्थिक सेवायें	<i>5350(17)</i>	<i>5883(18)</i>	<i>18970(38)</i>	<i>6976(16)</i>	<i>7756(17)</i>	<i>9409(17)</i>
सामाजिक सेवायें	<i>9337(29)</i>	<i>10308(31)</i>	<i>10354(21)</i>	<i>13090(29)</i>	<i>15610(33)</i>	<i>19248(35)</i>
सहायक अनुदान एवं अंशदान	<i>928(3)</i>	<i>1165(4)</i>	<i>1357(3)</i>	<i>1783(4)</i>	<i>2332(5)</i>	<i>2742(5)</i>
11. पूँजीगत व्यय	3556(10)	3794(10)	9320(15)	5653(11)	8711(16)	13984(20)
आयोजनागत	<i>2671(75)</i>	<i>3361(89)</i>	<i>3437(37)</i>	<i>4618(82)</i>	<i>8172(94)</i>	<i>13312(95)</i>
आयोजनेतर	<i>885(25)</i>	<i>433(11)</i>	<i>5883(63)</i>	<i>1035(18)</i>	<i>539(6)</i>	<i>672(5)</i>
सामान्य सेवायें	<i>128(4)</i>	<i>330(9)</i>	<i>224(2)</i>	<i>255(4)</i>	<i>313(4)</i>	<i>654(5)</i>
आर्थिक सेवायें	<i>3217(90)</i>	<i>3176(84)</i>	<i>8767(94)</i>	<i>4902(87)</i>	<i>7239(83)</i>	<i>11150(80)</i>
सामाजिक सेवायें	<i>211(6)</i>	<i>288(7)</i>	<i>329(4)</i>	<i>496(9)</i>	<i>1159(13)</i>	<i>2180(15)</i>
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	526(1)	804(2)	1242(2)	629(1)	684(1)	888(1)
13. योग (10+11+12)	35875	37537	60783	50892	56012	70571
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2942	6226	8988	9157	5252	5912
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरडाफट छोड़कर)	<i>1509(51)</i>	<i>1811(29)</i>	<i>2300(26)</i>	<i>2903(32)</i>	<i>4045(7)</i>	<i>3738(63)</i>
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरडाफट के अंतर्गत शुद्ध लेनदेन	----	<i>777(12)</i>	----	----	<i>25(0)</i>	----
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	<i>1433(49)</i>	<i>3638(59)</i>	<i>6688(74)</i>	<i>6254(68)</i>	<i>1182(23)</i>	<i>2174(37)</i>
15. आकस्मिकता निधि से विनियोग	----	----	----	----	----	----
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	38817	43763	69771	60049	61264	76483
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	10	69	85	43	183	10
18. लोक लेखा संवितरण	35397	34359	43480	40262	43172	52901
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	74224	78191	113336	100354	104619	129394

भाग सं- घाटा						
20. राजस्व घाटा (1-10)	(-) 6195	(-) 5118	(-) 18583	(-) 6993	(-) 1268	(+) 4901
21. राजकोषीय घाटा (3+4+13)	9911	9497	16647	12997	10078	9615
22. प्रारम्भिक घाटा (21-23)	(-) 1691	(-) 2437	(-) 6523	(-) 1124	(-) 980	(+) 862
भारद्वान्य आकड़े						
23. व्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	8220	7060	10124	11873	9098	10477
24. राजस्व बकाया (कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)	6589(54)	5891(40) ¹	6376(40)	7922(43)	8772(40)	14935(51)
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	2039	759	2835	3540	4960	8034
26. अर्थोपाय अधिगम एवं ओवरड्रॉफट (दिवसों की संख्या)	179	203	247	256	41	Nil
27. अर्थोपाय अधिगम / ओवरड्रॉफट पर व्याज	26	33	44	49	5	Nil
28. संकल राज्य धरेल उत्पाद (जी एस डी पी)	190407	205395	224859	242282	273785 ²	311709 ³
29. बकाया ऋण (वर्षान्त)	92982	102485	119240	131401	148868	162156
30. बकाया प्रतिभूतिया (वर्षान्त)	6997	6270	3601	10354	8433	11056
31. प्रतिभूति की गयी अधिकतम धनराशि (वर्षान्त)	11013	10840	10549	22770	15073	12235
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	89	27	24	35	27	58
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पंजी	8053	2073	2336	5804	3551	5407
34. राजस्व उत्स्वावकता / राज्य का अपना कर	(-1.731)	2.802	0.903	1.848	1.960	(-2.275)

¹ व्यापार कर एवं मनोरंजन कर शामिल है। अन्य आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

² वर्ष 2005-06 के स रा घ उ का आंकड़ा त्वरित है।

³ वर्ष 2006-07 के स रा घ उ का आंकड़ा अधिगम है।

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ : प्रस्तर 1.2.2; पृष्ठ 5)
राज्य के अपने राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम

(करोड़ रुपये में)

मद.	2003-04 वास्तविक	2004-05 पूर्व-वास्तविक	2005-06 बी ई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10 योग्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ. राजस्व लेखा									
1. रवयं का कर राजस्व	13601.22	15684.50	18290.58	19780.00	22640.00	25913.52	29660.36	33948.95	131942.83
2. स्वयं का करेतर राजस्व	2282.08	2718.86	2247.19	2247.19	2641.90	2782.47	2931.74	3090.27	13693.57
3. स्वयं का कर + करेतर राजस्व (1+2)	15883.30	18403.36	20537.77	22027.19	25281.90	28695.99	32592.10	37039.22	145636.40
4. केन्द्रीय कर एवं शुल्क का राज्याचा	13272.97	14724.65	17046.23	18306.23	20167.93	23141.59	26612.77	30671.38	118899.90
5 आयोजनागत अनुदान	1912.47	3721.82	3848.46	3712.91	4046.84	4414.17	4818.22	5262.79	22254.83
6 आयोजनेतर अनुदान	569.22	317.12	1235.15	2019.45	3101.49	3232.02	3375.57	3533.47	15262.00
7 कुल केन्द्रीय हस्तांतरण (4 से 6)	15754.66	18763.59	22129.84	24038.59	27316.26	30787.78	34806.56	39467.54	156416.73
8 कुल राजस्व (3+7)	31637.96	37166.95	42667.61	46065.78	52598.16	59483.77	67398.66	76506.76	302053.13
9 आयोजनागत व्यय	3275.97	5016.97	7090.44	5641.91	6283.03	6996.64	7791.35	8676.71	35389.64
10 आयोजनेतर व्यय	34667.75	39612.59	40980.64	44021.08	47972.97	53599.48	58408.66	64170.77	268172.96
11 वेतन व्यय	12444.82	13679.64	16012.45	15380.20	16303.01	17281.19	18318.06	19417.14	86699.59
12 पेशन	2900.10	3591.28	4149.58	4727.53	5021.87	5336.60	5673.30	6033.50	26792.80
13 व्याज भुगतान	10123.60	11865.24	10792.08	10092.00	11299.00	12383.00	13630.00	14888.00	62292.00
14 परिदान-सामान्य	105.89	117.43	129.17	129.17	142.09	156.30	171.93	189.12	788.61
15 परिदान-कर्जा	935.00	1001.80	1287.00	1251.80	1501.80	1700.00	1700.00	1700.00	7853.60
16 कुल राजस्व व्यय (9+10)	37943.72	44629.56	48071.08	49662.99	54256.00	60596.12	66200.01	72847.48	303562.60
17 वेतन+व्याज भुगतान+पेशन (11+12+13)	25468.52	29136.16	30954.11	30199.71	32623.88	35000.79	37621.36	40338.64	175784.39
18 राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत (17/8)	80.50	78.39	72.55	65.56	62.02	58.84	55.82	52.73	58.20
19 राजस्व अधिषेष/घाटा	-6305.76	-7462.60	-5403.47	-3597.21	-1657.84	-1112.35	1198.65	3659.28	-1509.47
20 बकाया क्रण	106407.04	119926.10	129154.91	132311.50	144056.28	155781.36	166610.87	177228.00	775988.01
ब. समेकित राजस्व लेखा									
1 कर्जा क्षेत्र के वास्तविक परिदान हस्तांतरण का शुद्ध घाटा/लाभ	1083.00	2108.00	2186.00	2186.00	2152.00	1776.00	1208.00	418.00	7740.00
2 वर्ष में कर्जा उपयोग लेखे के कर्जदारों में बढ़ोतरी [बढ़ोतरी(-)]	1070.00	1180.00	1170.00	1170.00	1031.00	854.00	617.00	309.00	3981.00
3 बजट से इतर क्रण पर व्याज भुगतान एवं पी एस यू/एस पी यू द्वारा बजट से इतर एस पी वी क्रण	521.77	517.26	531.12	531.12	594.18	743.00	827.14	862.77	3558.21
4 योग (1 से 3)	2674.77	3805.26	3887.12	3887.12	3777.18	3373.00	2652.14	1589.77	15279.21
5 समेकित राजस्व घाटा (अ 19+b 4)	8980.53	11267.87	9290.59	7484.33	5435.02	4485.35	1453.49	-2069.51	16788.68
स. समेकित क्रण									
1 बकाया क्रण एवं देयतारं	107490.04	122034.10	131340.91	134497.50	146208.28	157557.36	1678183.87	177646.00	783728.01
2 कुल बकाया प्रतिभूतिया जिनमें बजट से इतर क्रण की प्रतिभूति एवं एस पी वी क्रण शामिल हैं	10354.32	11154.32	11954.32	11954.32	12754.32	13544.32	14354.32	15154.32	67771.60
द. पूंजीगत लेखा									
1 पूंजीगत परिव्यय	3448.52	5652.10	7897.91	9154.47	9769.92	10278.31	11675.73	13905.41	54783.84
2 क्रण एवं अग्रिमों का संवितरण	1242.37	681.98	592.71	710.52	714.68	771.85	833.60	900.29	3930.94
3 क्रण एवं अग्रिमों की वसूली	220.36	277.63	361.51	1076.80	397.66	437.43	481.17	529.29	2922.35
4 अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	38540.58	37688.77	24464.98	26492.19	21818.14	21631.10	21277.25	20834.14	112052.82
य सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)	10776.29	13519.06	13532.58	12385.40	11744.78	11725.08	10829.91	10617.13	57301.90
1 सकल राज्य धरेलू उत्पाद (करोड़ रुपये में) वर्तमान मूल्य पर	217673.14	229413.80	256943.46	256943.46	287776.67	322309.87	360987.06	404305.50	1632322.56
2 वास्तविक/कलिप्त सामान्य वृद्धि दर (%)	---	---	---	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	---
कुल व्यय	42414.25	50686.01	56200.19	58451.18	64342.94	71208.85	78228.17	87123.89	359355.03

12277.40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त (यू पी एस ई वी के बट्टे खाते की धनराशि)

सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के अध्यापकों एवं अशैक्षिक कर्मचारियों के वेतन (सहायता अनुदान) शामिल हैं।

कर्जा बंधपत्र के 5871.83 करोड़ रुपये

माद	2003-04 वास्तविक	2004-05 पूर्व-वास्तविक	2005-06 बी इ	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10 योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 स्वयं का कर राजस्व की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	6.25%	6.84%	7.12%	7.70%	7.87%	8.04%	8.22%	8.40%	8.08%
2 स्वयं का करेतर राजस्व की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	1.05%	1.19%	0.87%	0.87%	0.92%	0.86%	0.81%	0.76%	0.84%
3 स्वयं का कर्स-करेतर राजस्व की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	7.30%	8.02%	7.99%	8.57%	8.79%	8.90%	9.03%	9.16%	8.90%
4 केन्द्रीय करों के राज्यांश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	6.10%	6.42%	6.63%	7.12%	7.01%	7.18%	7.37%	7.59%	7.28%
5 आयोजनागत अनुदान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	0.88%	1.62%	1.50%	1.45%	1.41%	1.37%	1.33%	1.30%	1.36%
6 आयोजनेतर अनुदान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	0.26%	0.14%	0.48%	0.79%	1.08%	1.00%	0.93%	0.87%	0.93%
7 कुल केन्द्रीय हस्तांतरण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	7.24%	8.18%	8.61%	9.36%	9.49%	9.55%	9.64%	9.76%	9.58%
8 कुल राजस्व प्रादियों की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	14.53%	16.20%	16.61%	17.93%	18.28%	18.46%	18.67%	18.92%	18.50%
9 आयोजनागत व्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	1.50%	2.19%	2.76%	2.20%	2.18%	2.17%	2.16%	2.15%	2.17%
10 आयोजनेतर व्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	15.93%	17.27%	15.95%	17.13%	16.67%	16.63%	16.18%	15.87%	16.43%
11 वेतन व्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	5.72%	5.96%	6.23%	5.99%	5.67%	5.36%	5.07%	4.80%	5.21%
12 पेशन की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	1.33%	1.56%	1.61%	1.84%	1.75%	1.66%	1.57%	1.49%	1.64%
13 व्याज भुगतान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	4.65%	5.17%	4.20%	3.93%	3.93%	3.84%	3.78%	3.68%	3.82%
14 परिदान-सामान्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
15 परिदान-ऊर्जा की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	0.43%	0.44%	0.50%	0.49%	0.52%	0.53%	0.47%	0.42%	0.48%
16 कुल राजस्व व्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	17.43%	19.45%	18.71%	19.33%	18.85%	18.80%	18.34%	18.02%	18.60%
17 वेतन+व्याज भुगतान+पेशन की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	11.70%	12.70%	12.05%	11.75%	11.34%	10.86%	10.42%	9.98%	10.77%
18 राजस्व अधिशेष / धाटे की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	-2.90%	-3.25%	-2.10%	-1.40%	-0.58%	-0.35%	0.33%	0.51%	-0.09%
19 पूरीगत परिव्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	1.58%	2.46%	3.07%	3.56%	3.39%	3.19%	3.23%	3.44%	3.36%
20 क्रण एवं अग्रिम के सवितरण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	0.58%	0.30%	0.23%	0.28%	0.25%	0.24%	0.23%	0.22%	0.24%
21 क्रण एवं अग्रिम की वसूली की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	0.10%	0.12%	0.14%	0.42%	0.14%	0.14%	0.13%	0.13%	0.18%
22 अन्य पूरीगत प्रादियों की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	17.71%	16.43%	9.52%	10.31%	7.58%	6.71%	5.89%	5.15%	6.86%
23 सकल राजकोषीय धाटे की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	4.95%	5.89%	5.27%	4.82%	4.08%	3.64%	3.00%	2.63%	3.51%
24 बकाया लोक क्रण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	48.9%	52.3%	50.3%	51.5%	50.1%	48.3%	46.2%	43.8%	%
25 समेकित क्रण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	49.4%	53.2%	51.1%	52.3%	50.8%	48.9%	46.5%	43.9%	48.0%

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ : प्रस्तर 1.5.5; पृष्ठ 19)

उपभोग प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	वांछित उपभोग प्रमाणपत्र		अवशेष उपयोगिता प्रमाणपत्र (अनुदान)		अवशेष उपयोगिता प्रमाणपत्र (ऋण)		कुल अवशेष उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि
1.	निदेशक, खेल, उ0प्र०	28	398.42	08	35.21	000	000	08	35.21
2.	निदेशक, सार्सकृति, उ0प्र०	16	263.37	000	000	000	000	000	000
3.	राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	04	24.00	000	000	000	000	000	000
4.	उच्च शिक्षा अनुभाग-4, संचिवालय	000	4158.03	000	3684.64	000	000	000	3684.64
5.	विज्ञान एवं तकनीकी	05	760.00	000	000	000	000	000	000
6.	निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार	02	9739.03	02	9739.03	000	000	02	9739.03
7.	चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	01	5.00	00	000	000	000	000	000
8.	निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	02	8.16	000	000	000	000	000	000
9.	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	000	545.07	000	545.07	000	000	000	545.07
10.	बोसिक शिक्षा निदेशालय	000	60938.69	000	60938.69	000	000	000	60938.69
11.	बोसिक शिक्षा परिषद	53	601.94	000	000	000	000	000	000
12.	तकनीकी शिक्षा	25	1654.33	08	430.13	000	000	08	430.13
13.	नगर विकास अनुभाग 5	83	58775.35	72	25129.44	000	3508.17	72	28637.61
14.	नगर विकास अनुभाग 9	628	5170.00	454	3356.80	000	000	454	3356.80
15.	सूडा	000	1774.78	000	1578.92	000	000	000	1578.92
16.	नगर विकास अनुभाग 1	01	383.20	000	000	000	000	000	000
17.	आयोस एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3	201	17051.00	199	16001.00	02	1050.00	201	17051.00
18.	आयुक्त, ग्रामीण विकास	210	159730.57	000	000	000	000	000	000
19.	संजय गांधी आयुविज्ञान संस्थान	02	3799.99	000	000	000	000	000	000
20.	अल्पसंख्यक कल्याण	112	500.49	03	40.00	02	50.00	05	90.00
21.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	30	1136.69	02	108.30	000	000	02	108.30
22.	होम्योपैथी विभाग	01	2.00	000	000	000	000	000	000
23.	परिवार कल्याण	12	121.47	000	000	000	000	000	000
24.	छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय	25	8317.96	10	3190.33	000	000	10	3190.33
25.	राज्य पिछड़ वर्ग अयोग	01	89.00	000	000	000	000	000	000
26.	विकलांग कल्याण	70	4178.54	000	000	000	000	000	000
27.	निदेशक, उद्योग	49	22139.25	22	5493.70	04	838.84	26	6332.54
28.	हथकरघा एवं वस्त्रोदयोग	782	2340.27	344	1515.29	117	146.55	461	1661.84
29.	राष्ट्रीय एकीकरण	90	8.15	41	2.55	000	000	41	2.55
30.	सहकारी समितियों	14	260.61	000	000	04	127.82	04	127.82
31.	रामगंगा कम्पाड परियोजना	40	2179.65	000	000	000	000	000	000
32.	मुख्य वन संरक्षक उ0 प्र०	01	37.50	000	000	000	000	000	000
33.	उ0प्र० पावर कारपोरेशन	000	117710.00	000	000	000	000	000	000
34.	निदेशक, कृषि	04	240.70	01	0.7	000	000	01	0.70
35.	पर्यटन निदेशालय	03	30.00	000	000	000	000	000	000
36.	निदेशक, मत्स्य	70	400.00	000	000	000	000	000	000
37.	परियहन आयुक्त	84	11.40	84	11.40	000	000	84	11.40
38.	पर्यावरण विभाग	02	1.98	000	000	000	000	000	000
39.	आयुक्त, गन्ना	84	446.58	000	000	000	000	000	000
40.	गैर पारम्परिक उर्जा	13	1035.16	13	1035.16	000	000	13	1035.16
41.	आयुक्त, चीनी	88	12608.97	88	108.97	000	000	88	108.97
42.	निदेशक, संरक्षि	16	263.37	000	000	000	000	000	000
43.	आयुक्त, दुध विकास	198	1590.69	128	1165.12	000	000	128	1165.12
44.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	05	157.02	000	000	000	000	000	000
45.	पशुपालन विभाग	02	131.00	000	000	000	000	000	000
46.	उ0प्र० खादी एवं ग्रामोदयोग बोर्ड	13	2907.84	000	000	000	000	000	000
	योग	3070	504627.22	1479	134110.45	129	5721.38	1608	139831.83

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ : प्रस्तर 1.5.6; पृष्ठ 19)

लेखों का अप्रस्तुतीकरण

क्रम संख्या	विभाग का नाम/घासा के अतर्गत	वर्ष जिसके लिए लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये
1.	वाराणसी जल संस्थान / 20(1)	2004-05, 2005-06 एवं 2006-07
2.	लखनऊ जल संस्थान / 20(1)	2006-07
3.	झांसी जल संस्थान / 20(1)	2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07
4.	इलाहाबाद जल संस्थान / 20(1)	2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07
5.	आगरा जल संस्थान / 20(1)	2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07
6.	कानपुर जल संस्थान / 20(1)	2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07
7	चित्रकूट जल संस्थान / 20(1)	2006-07
8	उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद / 19(3)	2004-05, 2005-06 एवं 2006-07

परिशिष्ट-1.9

(संदर्भ : प्रस्तर 1.6; पृष्ठ 19)

विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का विघटन जिनमें अंतिम कार्यवाही
सितम्बर 2007 तक लम्बित थी

(कोष्ठकों में संख्या रूपये लाख में इंगित करती है)

विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष से अधिक	कुल
कृषि	3 (8.91)	---	---	2 (0.34)	---	---	5 (9.25)
पशुपालन	---	2 (3.46)	6 (1.19)	7 (1.89)	---	1 (0.02)	16 (6.56)
सहकारिता	1 (1.98)	1 (1.68)	1 (0.17)	1 (0.44)	---	---	4 (4.27)
शिक्षा	---	1 (5.00)	---	---	---	---	1 (5.00)
वित्त	---	---	---	1 (0.67)	---	---	1 (0.67)
मत्स्य	---	---	4 (0.88)	2 (1.33)	2 (1.00)	---	8 (3.21)
खाद्य एवं आपूर्ति	1 (3.06)	---	1 (0.30)	4 (22.10)	3 (3.32)	---	9 (28.78)
सिंचाई	---	1 (1.60)	---	---	---	---	1 (1.60)
न्याय	1 (4.44)	---	---	---	1 (0.66)	---	2 (5.10)
भूमि अध्यापित	---	---	---	---	---	3 (331.44)	3 (331.44)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	---	1 (1.53)	4 (4.82)	9 (9.16)	4 (3.96)	---	18 (19.47)
पुलिस	---	---	1 (1.21)	---	1 (0.60)	3 (2.94)	5 (4.75)
पी ए सी	---	1 (47.48)	---	1 (0.51)	---	---	2 (47.99)
पी डब्ल्यू डी	5 (34.18)	1 (0.98)	---	---	---	---	6 (35.16)
राजस्व	---	---	---	---	3 (1.86)	---	3 (1.86)
ग्राम्य विकास	---	---	3 (1.65)	3 (0.65)	2 (0.26)	4 (1.28)	12 (3.84)
समाज कल्याण	---	---	---	1 (0.25)	---	2 (0.70)	3 (0.95)
प्राविधिक शिक्षा	---	1 (11.59)	---	---	---	---	1 (11.59)
बॉट एवं माप	---	---	---	1 (1.01)	---	---	1 (1.01)
कुल	11 (52.57)	9 (73.32)	20 (10.22)	32 (38.35)	16 (11.66)	13 (336.38)	101 (522.50)

परिशिष्ट-1.10

(संदर्भ : प्रस्तार 1.7.1; पृष्ठ 21)

प्रोफार्मा लेखे की तैयारी की लम्बित स्थिति

क्रम संख्या	विभाग का नाम	उपक्रमों की संख्या	उपक्रमों का नाम	वर्ष विभाग का शास्त्रिक है	विभाग
1	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	1	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली	2006-07	वर्ष 2003-04 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लेखे पूर्ण होने को।
2	पशु पालन विभाग	1	राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म का समेकित लेखा	2005-06	वर्ष 2004-05 तक लेखे पूर्ण हैं।
3	सिंचाई विभाग	7	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	-----	वर्ष 2005-06 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2006-07 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन
			सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झांसी	-----	वर्ष 2006-07 तक लेखे पूर्ण हैं।
			सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	-----	वर्ष 2006-07 तक लेखे पूर्ण हैं।
			सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	-----	वर्ष 2006-07 तक लेखे पूर्ण हैं।
			सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद	2006-07	वर्ष 2005-06 तक लेखे पूर्ण हैं।
			सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2006-07	विना प्रारम्भिक अवशेष के वर्ष 1987-88 से तैयार लेखा। वर्ष 2005-08 के लेखे अद्यतन हैं।
			उत्थापन खण्ड, फैजाबाद	1985-86	सृजन से लेखे तैयार नहीं
4	समाज कल्याण विभाग	1	क्रिमिनल टाइब्स सेटलमेंट टेलरिंग फैक्टरी, कानपुर	1980-81	-----
5	स्वास्थ्य विभाग	1	स्टेट फार्मसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	1988-89	-----
	योग	11			

परिशिष्ट-1.11

(संदर्भ : प्रस्तर 1.7.1; पृष्ठ 21)

शासन द्वारा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में किया गया निवेश

क्रम संख्या	विभाग का नाम	उपक्रमों की संख्या	उपक्रमों का नाम	विभाग लेखे के अनुसार निवेश (लाख रुपये)	टिप्पणी
1	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	1	खाद्यान् की सार्वजनिक वितरण प्रणाली	53675.48	वर्ष 2003-04 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लेखे पूर्ण होने को।
2	पशु पालन विभाग	1	राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म का समेकित लेखा	702.48	वर्ष 2004-05 तक लेखे पूर्ण हैं।
3	सिंचाई विभाग	7	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	22.81	वर्ष 2005-06 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2006-07 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन
			सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झांसी	44.19	वर्ष 2006-07 तक लेखे पूर्ण हैं।
			सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	171.42	वर्ष 2006-07 तक लेखे पूर्ण हैं।
			सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	14.94	वर्ष 2006-07 तक लेखे पूर्ण हैं।
			सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद	178.32	वर्ष 2005-06 तक लेखे पूर्ण हैं।
			सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	143.98	विना प्रारम्भिक अवधेष के वर्ष 1987-88 से तैयार लेखा। वर्ष 2005-06 के लेखे अद्यतन हैं।
			उत्थापन खण्ड, फैजाबाद	00.00	सृजन से लेखे तैयार नहीं
4	समाज कल्याण विभाग	1	फ्रिनिल ट्राइब्स सेटलमेंट टेलरिंग फैक्टरी, (कानपुर)	3.67	-----
5	स्वास्थ्य विभाग	1	स्टेट फार्मेसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	9.16	-----
	योग	11		54966.45	

परिशिष्ट-1.12

(संदर्भ : प्रस्तर 1.7.1; पृष्ठ 21)

शासकीय वाणिज्यिक एवं अर्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	इकाई को नाम	लेखा वर्ष (अन्तिम लेखा)	औसत पूँजी ¹	अवृद्धि पारस्थानि	संचय हासि	जाप(+) हानि(-)	शासकीय पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिवान	औसत पूँजी पर कुल प्रतिवान का प्रतिशत
अ. सिंचाई विभाग									
1.	आई डब्ल्यू डी, मेरठ	2005-06	216.47	36.03	23.61	4.04	11.91	15.95	7.37
2.	आई डब्ल्यू डी, झांसी	2006-07	(-)723.13	69.00	40.08	16.40	16.40
3.	आई डब्ल्यू डी, बरेली	2006-07	(-)713.76	201.78	80.86	5.80	5.80
4.	आई डब्ल्यू डी, कानपुर	2006-07	421.77	15.46	11.29	11.88	23.20	35.08	8.32
5.	आई डब्ल्यू डी, इलाहाबाद	2005-06	381.72	171.54	61.40	6.28	20.99	27.27	7.14
6.	आई डब्ल्यू डी, गोरखपुर	2006-07	614.93	458.40	68.74	2.30	33.82	36.12	5.87
	योग		198.00	952.21	285.98	46.70	89.92	136.62	28.70
ब. पशु पालन विभाग									
7.	राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म	2004-05	793.49	135.44	11.66	(-) 224.73	---	(-) 224.73	---
	योग		793.49	135.44	11.66	(-) 224.73	---	(-) 224.73	---
स. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग									
8.	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना	2003-04	30846.25	1041.83	67.10	(-)3073.67	1634.85	(-)1438.82	---
	योग		30846.25	1041.83	67.10	(-) 3073.67	1634.85	(-)1438.82	---
द. स्वास्थ्य विभाग									
9.	स्टेट कार्मसी आफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन	1987-88	72.11	22.96	7.59	(-) 8.46	3.83	(-) 4.63	---
	योग		72.11	22.96	7.59	(-) 8.46	3.83	(-) 4.63	---
ई. समाज कल्याण विभाग									
10.	क्रिमिनल ट्राइब्स सेटलमेंट टेलरिंग फैक्टरी, (कानपुर)	1979-80	4.16	0.26	0.28	0.89	0.21	1.10	26.44
	योग		4.16	0.26	0.28	0.89	0.21	1.10	26.44

नोट. यह सूचनाएं लेखा शाखा से मिलती हैं। राज्य के वित लेखों से नहीं ली जा सकती हैं। इस प्रकार सभ्य सरकार से जो भी उपलब्ध सूचनाएं उप-धारा के अंतर्गत ग्राहक की जाती हैं, वह उसी रूप में अन्य शीर्षों में की जाती हैं।

¹ औसत पूँजी प्रारम्भिक पूँजी + वर्ष में 50 प्रतिशत पूँजी जमा एवं संयोजनों के पश्चात शुद्ध आहरण को प्रदर्शित करना

² कुल प्रतिफल लाभ + शासकीय पूँजी पर ब्याज को प्रदर्शित करना है

परिशिष्ट-1.13

(संदर्भ : प्रस्तर 1.7.1; पृष्ठ 22)

परिवहन एवं ऊर्जा उपकरणों के पी एस यू के संग्रहित हानियों को दर्शाने वाले विवरण

क्रम संख्या	पी एस यू का नाम	अद्यतन उपलब्ध लेखे	संग्रहित हानियों की राजि राशि (रुपये)
-------------	-----------------	--------------------	---------------------------------------

परिवहन उपकरण

1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2005-06	768.34
----	-------------------------------------	---------	--------

ऊर्जा उपकरण

1.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2004-05	144.10
2.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2005-06	1508.03
3.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	2004-05	6321.39
4.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2002-03	305.89
5.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	लेखे अप्राप्त	
6.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2003-04	204.01
7.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2003-04	47.42
8.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	लेखे अप्राप्त	
9.	यू पी एस आई डी सी पावर कम्पनी लिमिटेड	2006-07	0.12

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ : प्रस्तर 2.2; पृष्ठ 35)

विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत प्रावधानों के विरुद्ध बचतों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	वर्तमान प्रावधान	व्यय	बचत
		अ. राजस्व-दत्तमत			
1.	1	आवासारी विभाग	41.91	37.29	4.62
2.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	56.76	51.70	5.06
3.	4	उद्योग विभाग (खनन एवं खनिज)	20.26	19.86	0.40
4.	5	उद्योग विभाग (हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग)	35.28	34.42	0.86
5.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	38.75	26.93	11.82
6.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन-सामग्री)	68.87	68.12	0.75
7.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उदान तथा रेशम विकास)	113.84	106.79	7.05
8.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	1007.30	926.83	80.47
9.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	134.12	124.64	9.48
10.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	852.76	563.14	289.62
11.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	239.20	213.72	25.48
12.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	35.56	33.21	2.35
13.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	62.44	60.79	1.65
14.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	2.39	1.93	0.46
15.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	1.82	1.61	0.21
16.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	136.23	122.30	13.93
17.	22	खेलकूद विभाग	20.88	18.61	2.27
18.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	73.04	72.28	0.76
19.	25	गृह विभाग (कारागार)	152.07	148.65	3.42
20.	26	गृह विभाग (पुलिस)	3094.22	3052.68	41.54
21.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	157.15	156.89	0.26
22.	28	गृह विभाग (राजनीतिक पैशन एवं अन्य व्यय)	87.72	74.73	12.99
23.	30	गोपनीय विभाग (राजस्व विशेष सतर्कता निदेशालय तथा अन्य व्यय)	1.47	1.35	0.12
24.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	782.90	777.05	5.85
25.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1280.98	1077.64	203.34
26.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	194.14	183.68	10.46
27.	34	चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	103.74	91.39	12.35
28.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	543.54	452.20	91.34
29.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	248.41	190.12	58.29
30.	37	नगर विकास विभाग	606.72	588.77	17.95
31.	39	भाषा विभाग	5.16	4.99	0.17
32.	40	नियोजन विभाग	61.62	52.35	9.27
33.	41	निवाचन विभाग	103.47	97.23	6.24
34.	42	न्याय विभाग	465.94	368.71	97.23
35.	43	परिवहन विभाग	40.66	38.22	2.44
36.	44	पर्यटन विभाग	13.68	10.82	2.86
37.	45	पर्यावरण विभाग	82.95	2.93	80.02
38.	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	3.89	2.86	1.03
39.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	104.50	98.46	6.04
40.	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	192.73	191.24	1.49
41.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1466.83	1266.36	200.47
42.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	240.54	218.81	21.73
43.	51	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के संबंध में राहत)	313.95	123.12	190.83
44.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	801.76	741.39	60.37

31 मार्च 2007को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

45.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.15	0.10	0.05
46.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	645.67	289.87	355.80
47.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार-पुल)	9.00	8.51	0.49
48.	59	लोक निर्माण विभाग (सम्पत्ति निदेशालय)	71.63	70.50	1.13
49.	60	वन विभाग	205.40	188.15	17.25
50.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	83.89	67.26	16.63
51.	64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	1.32	1.13	0.19
52.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचतें आदि)	78.40	73.03	5.37
53.	66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	1.28	1.17	0.11
54.	67	विधान परिषद् सचिवालय	15.82	13.50	2.32
55.	68	विधान सभा सचिवालय	44.80	40.63	4.17
56.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	36.86	32.29	4.57
57.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	7045.96	6977.84	68.12
58.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	3263.78	3259.14	4.64
59.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्)	64.39	44.52	19.87
60.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	98.77	89.13	9.64
61.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	492.52	463.95	28.57
62.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	204.58	183.43	21.15
63.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	717.37	684.98	32.39
64.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	1096.44	1061.44	35.00
65.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	30.53	17.47	13.06
66.	82	सत्रक्रता विभाग	15.02	14.97	0.05
67.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2243.87	1847.69	396.18
68.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	0.57	0.55	0.02
69.	85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	2.12	1.92	0.20
70.	86	सूचना विभाग	61.56	26.69	34.87
71.	87	सैनिक कल्याण विभाग	26.22	23.32	2.90
72.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	2.62	2.42	0.20
73.	89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	236.33	208.62	27.71
74.	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर)	50.24	49.67	0.57
75.	92	सांस्कृतिक विभाग	32.27	23.22	9.05
76.	96	सिंचारू विभाग (निर्माण कार्य)	1077.49	864.45	213.04
		योग (अ)	32049.02	29128.37	2920.65
ब. पूंजीगत-दत्तमत					
77.	1	आबकारी विभाग	0.35	0.04	0.31
78.	4	उद्योग विभाग (खनन एवं खनिज)	0.30	0.19	0.11
79.	9	ऊर्जा विभाग	3227.12	3074.45	152.67
80.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान तथा रेशम विकास)	2.05	1.92	0.13
81.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	201.27	118.07	83.20
82.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	814.28	814.21	0.07
83.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	10.03	8.54	1.49
84.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	56.88	50.87	6.01
85.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	5776.69	4170.00	1606.69
86.	22	खेलकूद विभाग	83.91	75.60	8.31
87.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	7.55	7.51	0.04
88.	25	गृह विभाग (कारागार)	66.04	56.73	9.31
89.	26	गृह विभाग (पुलिस)	314.00	156.13	157.87
90.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	576.25	552.15	24.10
91.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	13.76	13.10	0.66
92.	34	चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	8.21	8.13	0.08

93.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	25.76	25.27	0.49
94.	40	नियोजन विभाग	1052.00	1048.24	3.76
95.	42	न्याय विभाग	53.68	33.46	20.22
96.	43	परिवहन विभाग	62.15	49.78	12.37
97.	44	पर्यटन विभाग	81.58	67.66	13.92
98.	45	पर्यावरण विभाग	80.00	0.00	80.00
99.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	15.45	7.54	7.91
100.	48	मुस्लिम वक़्फ विभाग	17.91	7.37	10.54
101.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1.29	0.86	0.43
102.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	10.34	6.06	4.28
103.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.01	0.00	0.01
104.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	442.50	441.44	1.06
105.	59	लोक निर्माण विभाग (सम्पत्ति निदेशालय)	44.22	42.34	1.88
106.	60	वन विभाग	138.76	137.57	1.19
107.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाये तथा अन्य व्यय)	307.50	169.10	138.40
108.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भर्ते तथा पेशन)	100.00	48.47	51.53
109.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	1.37	1.21	0.16
110.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचतें आदि)	0.04	0.02	0.02
111.	67	विधान परिषद् सचिवालय	0.30	0.10	0.20
112.	68	विधान सभा सचिवालय	0.42	0.22	0.20
113.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	19.08	18.27	0.81
114.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	30.80	30.50	0.30
115.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्)	2.22	1.70	0.52
116.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	26.19	26.10	0.09
117.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	11.25	10.54	0.71
118.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	1.77	0.35	1.42
119.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1413.86	1328.96	84.90
120.	86	सूचना विभाग	18.49	18.48	0.01
121.	87	सैनिक कल्याण विभाग	1.06	1.05	0.01
122.	91	संरक्षण वित्त विभाग (टिकट एवं पंजीकरण)	1.00	0.88	0.12
123.	92	सांस्कृतिक विभाग	32.01	27.35	4.66
124.	95	सिंचाइ विभाग (अधिकान)	148.71	138.86	9.85
		योग (ब)	15300.41	12797.39	2503.02
		स. राजस्व-भारित			
125.	9	ऊर्जा विभाग	31.46	6.22	25.24
126.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	0.14	0.11	0.03
127.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	6.14	5.33	0.81
128.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	155.01	155.00	0.01
129.	22	खेलकूद विभाग	0.01	0.00	0.01
130.	25	गृह विभाग (कारागार)	0.08	0.02	0.06
131.	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.66	0.11	0.55
132.	29	गोपनीय विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	3.89	3.58	0.31
133.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.10	0.00	0.10
134.	35	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	0.10	0.00	0.10
135.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	0.07	0.00	0.07
136.	42	न्याय विभाग	74.66	68.74	5.92
137.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.10	0.00	0.10
138.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	0.16	0.01	0.15
139.	51	राजस्व विभाग (देवी आपदाओं के संबंध में राहत)	304.48	6.26	298.22
140.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिकान)	0.04	0.00	0.04
141.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	1.64	1.40	0.24

142.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क)	0.05	0.00	0.05
143.	60	वन विभाग	0.13	0.03	0.10
144.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	13319.06	13177.00	142.06
145.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	0.06	0.00	0.06
146.	66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	115.55	111.51	4.04
147.	67	विधान परिषद् सचिवालय	0.44	0.31	0.13
148.	82	सतर्कता विभाग	1.13	1.12	0.01
149.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.50	0.00	0.50
		योग (स)	14015.66	13536.75	478.91
		द. पूंजीगत-भारित			
150.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	13.64	13.46	0.18
151.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	0.79	0.78	0.01
152.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.10	(-)0.20	0.30
153.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	10.65	10.05	0.60
154.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क)	5.50	4.52	0.98
155.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	13052.14	4379.32	8672.82
156.	96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	4.00	1.44	2.56
		योग (द)	13086.82	4409.37	8677.45
		कुल योग (अ) +(ब) +(स) +(द)	74451.91	59871.88	14580.03

परिशिष्ट— 2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2 व 2.3.4; पृष्ठ 35 एवं 37)

अनुदानों/भारित विनियोगों से अधिक व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान की गणना/भारित विनियोग	करोड़ अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिकार्य	
					करोड़ आधिकार्य	वासिता नियमितीकरण
अ. राजस्व—दत्तमत						
1	2	आवास विभाग	19.62	63.80	44.18	--
2	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	19.73	23.97	4.24	--
3	9	ऊर्जा विभाग	1948.07	2197.57	249.50	249.50
4	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1248.63	1261.90	13.27	13.27
5	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुर्घटाला विकास)	14.90	17.19	2.29	--
6	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	70.44	73.49	3.05	--
7	38	नागरिक उद्डेश्य विभाग	10.41	10.42	0.01	--
8	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	18.13	19.40	1.27	1.27
9	58	लोक निर्माण विभाग (संचार-सङ्करण)	1233.08	1286.13	53.05	41.05
10	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2769.32	2824.17	54.85	54.85
11	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशन)	3426.53	3738.35	311.82	311.82
12	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	768.86	775.03	6.17	5.32
13	91	संस्थागत वित्त विभाग (टिकट एवं पंजीकरण)	67.69	68.48	0.79	0.79
14	95	सिंचाई विभाग (अधिकारी)	827.84	836.14	8.30	8.30
योग (अ)			12443.25	13196.04	752.79	686.17
ब. पूंजीगत—दत्तमत						
15	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	4.03	11.07	7.04	0.14
16	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	104.40	181.39	76.99	--
17	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुर्घटाला विकास)	0.51	7.46	6.95	0.09
18	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	62.50	164.59	102.09	--
19	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	206.76	208.36	1.60	0.18
20	37	नगर विकास विभाग	399.21	416.28	17.07	17.07
21	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	81.13	93.04	11.91	--
22	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	24.56	464.39	439.83	436.24
23	57	लोक निर्माण विभाग (संचार-पुल)	397.00	425.32	28.32	28.32
24	58	लोक निर्माण विभाग (संचार-सङ्करण)	2700.30	3561.82	861.52	861.52
25	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2.02	10.02	8.00	--
26	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	0.00	5.00	5.00	--
27	89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	8.31	27.42	19.11	0.84
28	96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	2253.97	2697.04	443.07	441.17
योग (ब)			6244.70	8273.20	2028.50	1785.57
स. राजस्व—भारित						
29	1	आबकारी विभाग	0.10	4.91	4.81	--
30	2	आवास विभाग	10.80	17.18	6.38	6.38
31	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	0.10	0.11	0.01	0.01
32	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान तथा रेशम विकास)	0.46	0.78	0.32	0.32
33	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.05	1.00	0.95	--
34	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	14.58	14.71	0.13	--
35	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.02	0.27	0.25	--

31 मार्च 2007को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

36	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	0.01	0.06	0.05	--
37	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.87	1.37	0.50	0.50
38	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तों तथा पेंशन)	0.76	0.79	0.03	0.03
39	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	0.00	1.00	1.00	--
40	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	0.05	0.02	--
41	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	0.00	2.35	2.35	--
42	89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	19.47	24.98	5.51	5.49
43	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर)	0.00	0.41	0.41	--
योग (स)			47.25	69.97	22.72	12.73
द. पूँजीगत—मारित						
44	42	न्याय विभाग	0.00	0.70	0.70	--
		योग (द)	0.00	0.70	0.70	--
		कुल योग (अ) + (ब) + (स) + (द)	18735.20	21539.91	2804.71	2484.47

* व्यय की प्रतिपूर्ति (290.06 करोड़ रुपये) वर्ष 1992–2006 के दौरान आकस्मिक निधि से तथा समायोजन (29.28 करोड़ रुपये) 111-विभागीय समायोजन लेखा, 8658-उच्चत लेखे से पूर्ण की गयी।

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.2; पृष्ठ 37)

प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक बचतों का विवरण जो कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक थीं

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण (अनुदान का विवरण)	कुल प्रावधान	विवरण को प्राप्त करने वाले कुल प्रावधान का प्रतिशत (कुल प्रावधान का प्रतिशत)
		अ. राजस्व-दत्तमत		
1.	1	आबकारी विभाग	41.91	4.62 (11)
2.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	38.75	11.82 (31)
3.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	852.76	289.62 (34)
4.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	239.20	25.48 (11)
5.	22	खेलकूद विभाग	20.88	2.27 (11)
6.	28	गृह विभाग (राजसैतिक पेशन एवं अन्य व्यय)	87.72	12.99 (15)
7.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1280.98	203.34 (16)
8.	34	चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	103.74	12.35 (12)
9.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	543.54	91.34 (17)
10.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	248.41	58.29 (23)
11.	40	नियोजन विभाग	61.62	9.27 (15)
12.	42	न्याय विभाग	465.94	97.23 (21)
13.	44	पर्यटन विभाग	13.68	2.86 (21)
14.	45	पर्यावरण विभाग	82.95	80.02 (96)
15.	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	3.89	1.03 (26)
16.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1466.83	200.47 (14)
17.	51	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के संबंध में राहत)	313.95	190.83 (61)
18.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिकार)	645.67	355.80 (55)
19.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	83.89	16.63 (20)
20.	67	विधान परिषद् सचिवालय	15.82	2.32 (15)
21.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	36.86	4.57 (12)
22.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्)	64.39	19.87 (31)
23.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	30.53	13.06 (43)
24.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2243.87	396.18 (18)
25.	86	सूचना विभाग	61.56	34.87 (57)
26.	87	सैनिक कल्याण विभाग	26.22	2.90 (11)
27.	89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	236.33	27.71 (12)
28.	92	सांस्कृतिक विभाग	32.27	9.05 (28)
29.	96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	1077.49	213.04 (20)
योग (अ)			10421.65	2389.83

31 मार्च 2007को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

ब. पूँजीगत—दत्तमत					
30.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	201.27	83.20 (41)	
31.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	10.03	1.49 (15)	
32.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	56.88	6.01 (11)	
33.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	5776.69	1606.69 (28)	
34.	25	गृह विभाग (कारागार)	66.04	9.31 (14)	
35.	26	गृह विभाग (पुलिस)	314.00	157.87 (50)	
36.	42	न्याय विभाग	53.68	20.22 (38)	
37.	43	परिवहन विभाग	62.15	12.37 (20)	
38.	44	पर्यटन विभाग	81.58	13.92 (17)	
39.	45	पर्यावरण विभाग	80.00	80.00 (100)	
40.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	15.45	7.91 (51)	
41.	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	17.91	10.54 (59)	
42.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	10.34	4.28 (41)	
43.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	307.50	138.40 (45)	
44.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेशन)	100.00	51.53 (52)	
45.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	1.77	1.42 (80)	
46.	92	सांस्कृतिक विभाग	32.01	4.66 (15)	
		योग (ब)	7187.30	2209.82	
स. राजस्व—भारित					
47.	9	ऊर्जा विभाग	31.46	25.24 (80)	
48.	51	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के संबंध में राहत)	304.48	298.22 (98)	
		योग (स)	335.94	323.46	
द. पूँजीगत—भारित					
49.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	13052.14	8672.82 (66)	
50.	96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	4.00	2.56 (64)	
		योग (द)	13056.14	8675.38	
		कुल योग (अ) + (ब) + (स) + (द)	31001.03	13598.49	

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.4; पृष्ठ 37)

1990-91 से 2005-06 तक से सम्बन्धित विगत वर्षों में प्रावधान के सापेक्ष अधिक व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अनुदान / विजियोग का सम्बन्ध	अनुदान / विनियोग	आधिकार्य की घनराशि	घनराशि जिसके लिए स्पष्टीकरण पी. ए. सी. को प्रस्तुत किया गया
1990-91	55	राजस्व—दल्लमत पूजीगत—दल्लमत अगणित अनुदान 1,4,10,11,14,15,22,24,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,52, 56,57,63,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,93 पूजीगत—दल्लमत 16,42,43,47,59,73,76,79 अगणित अनुदान राजस्व—भारित 2,6,7,21,42,60,62,65,67 पूजीगत—भारित 7,52,55	2450.89	28.86
1991-92	56	राजस्व—दल्लमत 8,22,29,33,34,36,37,41,42,44,56,66,71,72,73,74 75,76,78,81,82,83,84,85,88,90,93,94 पूजीगत—दल्लमत 1,8,10,13,23,27,32,35,47,52,63,73,76,79,86,92 राजस्व—भारित 2,7,11,40,55,59,65,67,74,89 पूजीगत—भारित 52,55	1158.06	22.37
1992-93	81	राजस्व—दल्लमत 1,8,9,10,11,12,13,21,23,24,25,35,36,37,38,39,41, 42,43,44,47,48,49,50,51,52,56,57,62,64,67,72, 77,81,83,85,87,89,90,91,93 पूजीगत—दल्लमत 3,12,13,15,16,18,19,21,27,35,38,49,55,58,63,73, 77,80,94,95 राजस्व—भारित 2,16,24,26,28,37,42,46,52,55,65,66,67,72,78,88,94 पूजीगत—भारित 24,51,52	1815.56	96.01
1993-94	73	राजस्व—दल्लमत 10,15,16,17,18,22,23,25,27,28,29,32,33,34,35,36,37,43, 50,52,53,54,55,56,57,58,70,73,81,83,85,89,90,91,93 पूजीगत—दल्लमत 4,12,15,16,17,18,21,28,33,38,40,43,50,55,58,69, 73,80,94 राजस्व—भारित 7,20,28,29,37,46,47,52,58,65,78,88 पूजीगत—भारित 18,23,26,42,52,61,95	930.59	207.63
1994-95	58	राजस्व—दल्लमत 1,5,9,10,23,25,35,4144,48,50,51,52,56,57,58,59,62,64,6 7,70,73,78,81,83,85,90,91,93 पूजीगत—दल्लमत 3,8,9,12,13,15,20,22,25,26,42,55,57,58,60,69,72, 77,80,94,95 राजस्व—भारित 1,24,29,42,61 पूजीगत—भारित 26,52,58,	2011.01	85.36
1995-96	43	राजस्व—दल्लमत 2,9,14,16,36,43,47,48,55,58,62,66,70,75,81,83,84,93,94 पूजीगत—दल्लमत 5,7,13,33,49,50,53,55,58,59,72,94 राजस्व—भारित 26,29,42,71,72,73,95 पूजीगत—भारित 2,5,24,26,52	621.43	247.95
1996-97	27	राजस्व—दल्लमत 2,35,39,51,56,58,59,62,64,70,83,93,94, पूजीगत—दल्लमत 4,32,40,55,58,60,65,81,94,95 राजस्व—भारित 95 पूजीगत—भारित 26,51,52	711.95	345.47

31 मार्च 2007को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

1997-98	16	राजस्व—दल्तमत 28,35,56,58,64,66,78,81,90 पूँजीगत—दल्तमत 11,34,42,55 पूँजीगत—मारित 2,52,61	590.21	203.26
1998-99	27	राजस्व—दल्तमत 1,4,9,10,27,50,51,58,66,78,81,87,89,90 पूँजीगत—दल्तमत 21,38,45,55,58,65,80,95 राजस्व—मारित 42,66,89 पूँजीगत—मारित 52,61	730.56	240.66
1999-2000	21	राजस्व—दल्तमत 4,12,14,23,51,66,78,81,90 पूँजीगत—दल्तमत 10,21,36,55,63,92 राजस्व—मारित 47,73,89 पूँजीगत—मारित 52,61,75	8785.95	347.56
2000-2001	17	राजस्व—दल्तमत 12,32,59,62,81,90,93,94 पूँजीगत—दल्तमत 36,55,59,93 राजस्व—मारित 3,48,52,72 पूँजीगत—मारित 61	843.87	
2001-02	29	राजस्व—दल्तमत 90,94 पूँजीगत—दल्तमत 10,21,42,55,73 राजस्व—मारित 2,12,13,17,26,27,28,31,33,34,36,52,55,65,72,75,76,77, 80,91 पूँजीगत—मारित 21,52	668.62	
2002-03	27	राजस्व—दल्तमत 5,27,39,46,51,55,58,62,94 पूँजीगत—दल्तमत 10,21,40,55,58,72,77,92 राजस्व—मारित 2,10,47,48,49,52,78 पूँजीगत—मारित 2,52,61	5532.40	
2003-04	16	राजस्व—दल्तमत 12, 39, 91, 94 पूँजीगत—दल्तमत 3, 10, 21, 23, 32, 34, 35, 55 राजस्व—मारित 52, 55 पूँजीगत—मारित 52, 61	3644.99	
2004-05	22	राजस्व—दल्तमत 2, 3, 9, 22, 25, 55, 58, 85 पूँजीगत—दल्तमत 4, 15, 16, 21, 32, 34, 55, 58, 59, 79 राजस्व—मारित 52, 55, 61 पूँजीगत—मारित 61	1899.33	
2005-06	29	राजस्व—दल्तमत 8, 12, 19, 53, 55, 57, 58, 72 पूँजीगत—दल्तमत 15, 16, 18, 23, 24, 33, 34, 37, 38, 40, 55, 56, 57, 58, 73, 75, 96 राजस्व—मारित 1, 52 पूँजीगत—मारित 52, 55	1026.78	
योग				33422.20 1825.13

परिशिष्ट- 2.5

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 38)

अनुदान जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुये

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्राप्त अनुपूरक प्रावधान	वर्गीकृत
		अ. राजस्व-दत्तमत		
1.	1	आबकारी विभाग	0.89	4.62
2.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	1.02	5.06
3.	4	उद्योग विभाग (खनन एवं खनिज)	0.20	0.40
4.	5	उद्योग विभाग (हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग)	0.69	0.86
5.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	0.23	11.82
6.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान तथा रेशम विकास)	2.28	7.05
7.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	46.42	80.47
8.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	2.16	9.48
9.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	8.79	289.62
10.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	4.51	25.48
11.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	0.03	0.46
12.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	0.04	0.21
13.	21	खाद्य एवं रसायन विभाग	3.81	13.93
14.	22	खेलकूट विभाग	0.21	2.27
15.	25	गृह विभाग (कारागार)	2.36	3.42
16.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय)	11.71	12.99
17.	30	गोपनीय विभाग (राजस्व विशेष सतर्कता निदेशालय तथा अन्य व्यय)	0.02	0.12
18.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.48	203.34
19.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	0.15	10.46
20.	34	चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	0.03	12.35
21.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	11.72	91.34
22.	39	भाषा विभाग	0.17	0.17
23.	40	नियोजन विभाग	5.72	9.27
24.	42	न्याय विभाग	10.19	97.23
25.	43	परिवहन विभाग	0.80	2.44
26.	44	पर्यटन विभाग	0.26	2.86
27.	45	पर्यावरण विभाग	0.02	80.02
28.	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	0.06	1.03
29.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	1.76	6.04
30.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	5.04	21.73
31.	51	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के संबंध में राहत)	8.99	190.83
32.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	30.54	60.37
33.	54	लोक नियर्ण विभाग (अधिष्ठान)	12.60	355.80
34.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	5.10	16.63
35.	64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	0.02	0.19
36.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचतें आदि)	1.66	5.37
37.	67	विद्यान परिषद सचिवालय	0.27	2.32
38.	68	विधान सभा सचिवालय	0.32	4.17
39.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद)	1.18	19.87
40.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2.08	9.64
41.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	8.43	21.15
42.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	0.52	32.39
43.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	0.09	13.06
44.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	0.20	396.18
45.	85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	0.04	0.20
46.	86	सूचना विभाग	30.45	34.87

31 मार्च 2007 को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

47.	87	सैनिक कल्याण विभाग	0.27	2.90
48.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	0.12	0.20
49.	89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	5.10	27.71
50.	92	सांस्कृतिक विभाग	0.24	9.05
		योग (अ)	229.99	2209.44
		ब. पूँजीगत—दत्तमत		
51.	9	ऊर्जा विभाग	146.68	152.67
52.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	6.50	83.20
53.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	0.50	1.49
54.	26	गृह विभाग (पुलिस)	60.00	157.87
55.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	5.81	24.10
56.	42	न्याय विभाग	3.23	20.22
57.	44	पर्यटन विभाग	0.96	13.92
58.	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	4.00	10.54
59.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	25.00	138.40
60.	68	विधान सभा सचिवालय	0.03	0.20
61.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	0.30	0.30
		योग (ब)	253.01	602.91
		स. राजस्व—भारित		
62.	9	ऊर्जा विभाग	0.01	25.24
63.	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.10	0.55
64.	29	गोपनीय विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	0.16	0.31
65.	42	न्याय विभाग	1.40	5.92
66.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.08	0.10
67.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	0.01	0.15
68.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.50	0.50
		योग (स)	2.26	32.77
		कुल योग (अ) +(ब) +(स)	485.26	2845.12

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ 38)

आधिकाय व्यय के आच्छादन हेतु अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान संस्थाएँ अनुदान का गम	अनुपूरक वाक्यालं	आधिकाय व्यय
(अ) अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान				
राजस्व—दत्तमत				
1	2	आवास विभाग	0.41	44.18
2	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	0.33	4.24
3	9	ऊर्जा विभाग	530.18	249.50
4	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	40.40	13.27
5	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुर्घटाला विकास)	0.21	2.29
6	24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.16	3.05
7	38	नागरिक उड्डयन विभाग	2.27	0.01
8	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	22.49	54.85
9	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	15.13	6.17
10	91	संस्थागत वित्त विभाग (टिकट एवं पंजीकरण)	0.74	0.79
11	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	3.71	8.30
		योग	616.03	386.65
पूजीगत—दत्तमत				
12	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	0.03	7.04
13	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	0.40	76.99
14	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुर्घटाला विकास)	0.52	6.95
15	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	25.00	102.09
16	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	113.81	1.60
17	37	नगर विकास विभाग	155.75	17.07
18	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	25.00	11.91
19	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	1.50	439.83
20	57	लोक निर्माण विभाग (संचार—पुल)	100.00	28.32
21	58	लोक निर्माण विभाग (संचार—सड़क)	656.00	861.52
22	89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	3.37	19.11
23	96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	50.01	443.07
		योग	1131.39	2015.50
राजस्व—भारित				
24	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	0.06	0.01
25	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उदान तथा रेशम विकास)	0.01	0.32
26	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	0.68	0.13
		योग	0.75	0.46
		कुल योग (अ)	1748.17	2402.61

(ब) प्रकरण जहां अनुपूरक अनुदान विभाग द्वारा प्रत्याशा नहीं थी।					
राजस्व—दत्तमत					
1.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	शून्य	1.27	
2.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार-सङ्कर)	शून्य	53.05	
3.	62	दित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेशन)	शून्य	311.82	
		योग	शून्य	366.14	
पूंजीगत—दत्तमत					
4.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	शून्य	8.00	
5.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	शून्य	5.00	
		योग	शून्य	13.00	
राजस्व मारित					
6.	1	आबकारी विभाग	शून्य	4.81	
7.	2	आवास विभाग	शून्य	6.38	
8.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	शून्य	0.95	
9.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	शून्य	0.25	
10.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	शून्य	0.05	
11.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	शून्य	0.50	
12.	62	दित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेशन)	शून्य	0.03	
13.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	शून्य	1.00	
14.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	शून्य	0.02	
15.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	शून्य	2.35	
16.	89	संस्थागत दित्त विभाग (व्यापार कर)	शून्य	5.51	
17.	90	संस्थागत दित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर)	शून्य	0.41	
		योग	शून्य	22.26	
पूंजीगत—मारित					
18.	42	न्याय विभाग	शून्य	0.70	
		योग	शून्य	0.70	
		कुल योग (ब)	शून्य	402.10	

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ 38)

प्रत्येक प्रकरणों में एक करोड़ रुपये से अधिक की बचतों का विवरण जो अभ्यर्पित नहीं की गई

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदानों का विवरण	बचतें	अध्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई पैरें आंशिक
(अ) प्रकरण जहां बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई					
		राजस्व-दत्तमत			
1.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान तथा रेशम विकास)	7.05		7.05
2.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	80.47		80.47
3.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	25.48		25.48
4.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2.35		2.35
5.	22	खेलकूद विभाग	2.27		2.27
6.	26	गृह विभाग (पुलिस)	41.54		41.54
7.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	5.85		5.85
8.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	203.33		203.33
9.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	10.46		10.46
10.	34	चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	12.35		12.35
11.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	91.34		91.34
12.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	58.29		58.29
13.	44	पर्यटन विभाग	2.86		2.86
14.	45	पर्यावरण विभाग	80.02		80.02
15.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	6.04		6.04
16.	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	1.49		1.49
17.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	200.47		200.47
18.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	21.73		21.73
19.	51	राजस्व विभाग (देवी आपदाओं के संबंध में राहत)	190.83		190.83
20.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	60.37		60.37
21.	60	वन विभाग	17.25		17.25
22.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	68.12		68.12
23.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	4.64		4.64
24.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद)	19.87		19.87
25.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	9.64		9.64
26.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	32.39		32.39
27.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	35.00		35.00
28.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	13.06		13.06
29.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	396.18		396.18
30.	87	सैनिक कल्याण विभाग	2.90		2.90
		योग	1703.64		1703.64
		पूँजीगत-दत्तमत			
31.	9	ऊर्जा विभाग	152.67		152.67
32.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	83.20		83.20
33.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	6.01		6.01
34.	22	खेलकूद विभाग	8.31		8.31
35.	26	गृह विभाग (पुलिस)	157.87		157.87
36.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	24.10		24.10
37.	44	पर्यटन विभाग	13.92		13.92
38.	45	पर्यावरण विभाग	80.00		80.00
39.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	7.91		7.91
40.	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	10.54		10.54
41.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	4.28		4.28

31 मार्च 2007को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

42.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	1.06		1.06	
43.	59	लोक निर्माण विभाग (सम्पत्ति निदेशालय)	1.88		1.88	
44.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	51.53		51.53	
45.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	1.42		1.42	
46.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	84.90		84.90	
		योग	689.60		689.60	
		राजस्व-भारित				
47.	9	ऊर्जा विभाग	25.24		25.24	
48.	51	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के संबंध में राहत)	298.22		298.22	
49.	66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	4.04		4.04	
		योग	327.50		327.50	
		पूँजीगत-भारित				
50.	96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	2.56		2.56	
		योग	2.56		2.56	
		कुल योग	2723.30		2723.30	
(ब) आंशिक अम्यर्यण का विवरण						
		राजस्व-दत्तमत				
1.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	5.06	0.84		4.22
2.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	289.62	270.06		19.56
3.	25	गृह विभाग (कारागार)	3.42	0.67		2.75
4.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय)	12.99	9.66		3.33
5.	40	नियोजन विभाग	9.27	5.39		3.88
6.	42	न्याय विभाग	97.23	95.10		2.13
7.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	355.80	21.58		334.22
8.	59	लोक निर्माण विभाग (सम्पत्ति निदेशालय)	1.13	0.44		0.69
9.	63	वित्त विभाग (कौशागार तथा लेखा प्रशासन)	16.63	9.80		6.83
10.	68	विधान सभा सचिवालय	4.17	2.80		1.37
11.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	28.57	22.59		5.98
12.	86	सूचना विभाग	34.87	23.58		11.29
13.	89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	27.71	6.29		21.42
14.	96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	213.04	6.06		206.98
		योग	1099.51	474.86		624.65
		पूँजीगत-दत्तमत				
15.	40	नियोजन विभाग	3.76	0.80		2.96
16.	92	सारकृतिक विभाग	4.66	0.58		4.08
17.	95.	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	9.85	5.79		4.06
		योग	18.27	7.17		11.10
		राजस्व-भारित				
18.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	142.06	6.59		135.47
		योग	142.06	6.59		135.47
		कुल योग	1259.84	488.62		771.22

परिशिष्ट—2.8

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ 38)

मार्च 2007 में अभ्यपर्ण

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदानों का विवरण	घनराशि
राजस्व—दत्तमत			
1	1	आबकारी विभाग	4.66
2	2	आवास विभाग	2.78
3	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन—सामग्री)	5.41
4	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	10.84
5	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2.50
6	21	खाद्य एवं रसद विभाग	15.37
7	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	8.20
8	37	नगर विकास विभाग	42.59
9	41	निर्बाचन विभाग	6.60
10	43	परिवहन विभाग	2.55
11	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	1.14
12	57	लोक निर्माण विभाग (संचार—पुल)	1.04
13	58	लोक निर्माण विभाग (संचार—सड़क)	62.81
14	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	33.82
15	67	विद्यान परिषद् सचिवालय	2.32
16	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	7.52
17	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	1.19
18	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	22.06
19	92	सांस्कृतिक विभाग	9.56
	योग		242.96
पूँजीगत—दत्तमत			
20	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	28.29
21	21	खाद्य एवं रसद विभाग	1801.60
22	42	न्याय विभाग	22.19
23	43	परिवहन विभाग	12.37
24	57	लोक निर्माण विभाग (संचार—पुल)	8.25
25	58	लोक निर्माण विभाग (संचार—सड़क)	124.40
26	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	203.31
27	89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	1.06
28	96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	31.69
	योग		2233.16
राजस्व—मारित			
29	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1.19
30	42	न्याय विभाग	6.58
	योग		7.77
पूँजीगत—मारित			
31	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	8722.00
	योग		8722.00
	कुल योग		11205.89

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ : प्रस्तर 2.5; पृष्ठ 40)

व्यय का बाहुल्य

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय का मार्च माह से व्यय का प्रतिशत
1	2015- निर्वाचन	94.51	113.15	68.47	61
2	2215- जल आपूर्ति तथा सफाई	569.90	589.98	254.56	43
3	2217-- शहरी विकास	487.02	420.48	247.98	59
4	2505 – ग्राम रोजगार	525.32	457.86	202.94	44
5	2575 – अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	88.00	83.50	43.00	51
6	2810 – अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	25.84	14.02	6.86	49
7	2852 – उद्योग	58.87	59.29	34.37	58
8	3452 – पर्यटन	12.94	10.80	5.19	48
9	3456 – सिविल पूर्ति	8.16	13.20	6.14	47
10	4055 – पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	316.15	158.56	96.65	64
11	4058 – लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	7.00	7.00	7.00	100
12	4202 – शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	340.73	302.32	167.22	55
13	4210 – चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1519.18	1463.36	717.58	49
14	4225 – अनसूचित जातियों / जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	55.91	29.82	26.11	88
15	4235 – सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6.58	5.56	4.76	86
16	4250 – अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	42.01	41.10	35.44	86
17	4711 – बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	284.59	374.87	212.39	57
18	4859 – दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4.61	4.61	2.52	55
19	5053 – नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	138.51	158.51	151.05	95
20	5452 – पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	41.59	45.01	39.29	87
	योग	4627.42	4353.00	2329.52	54

परिशिष्ट – 3.1.1

(संदर्भ : प्रस्तर 3.1.5; पृष्ठ 44)

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत न किये गये अभिलेखों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किये गये अभिलेखों एवं सूचनाओं का विवरण
1.	वित्तीय वर्ष 2006–07 के वार्षिक लेखें, वर्ष 2002–03 से 2006–07 के दौरान अवस्थापना विकास संचित निधि से किये गये व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां
2.	वर्ष 2002–03 से 2006–07 के पेंशन निधि एवं अंशदायी भविष्य निधि के अभिलेख
3	मण्डी समिति, लेसा, जजेज कोआपरेटिव सोसाइटी, जय जवान आवासीय समिति एवं आई०एस० कोआपरेटिव सोसाइटी को बल्क सम्पत्तियों के विकाय से सम्बन्धित अभिलेख
4	अधिकारियों/कर्मचारियों, जो कि प्राधिकरण से उन्हे 1987–88 से 2006–07 के अवधि में दिये गये अग्रिमों को समायोजित कराये बिना सेवानिवृत्त / स्थानान्तरित हो गये थे, के अभिलेख ।
5	प्राधिकरण की स्वीकृत पदस्थापना से सम्बन्धित सूचनाएं
6	वर्ष 2002–03 से 2006–07 के दौरान किये गये निवेश की सूचनाएं एवं उनके अभिलेख
7	सम्पत्ति पंजिका, सुरक्षित जमा पंजिका तथा वर्ष 2002–03 तथा 2006–07 के बैंक समाधान विवरण ।
8	सभी आवासीय योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, महा योजना 2021 के तैयार करने से सम्बन्धित पत्रावली, वर्तमान स्थितियों के निर्धारण के विभिन्न सर्वेक्षणों सहित ।
9	रमाबाई स्मारक स्थल, सीएसआई हास्टल, कैसरबाग हेरिटेज जोन, बेगम हजरत महल पार्क, विशेष सुरक्षा बल, पीएसी बैरक एवं जय प्रकाश नारायण अंतराष्ट्रीय केन्द्र के निर्माण से सम्बन्धित पत्रावलियां
10	जोन-1 के वर्ष 2006–07 के अनुबंध संख्या 20, 44, 50, 51, 59, 60, 65 एवं 67 की पत्रावलियां
11	अनुबंध संख्या 93/ए ए /ई/एम 06–07
12	कानपुर रोड से बिजनौर रोड के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित पत्रावली एवं अनुबंध संख्या 553/सीई/06
13	ट्रांसपोर्ट नगर की जोनल सड़कों के नवीनीकरण से सम्बन्धित अनुबंध संख्या 227/ई(पी) /07
14	हरदोई रोड के नवीनीकरण से सम्बन्धित अनुबंध संख्या 794 /सीई/06
15	विपुल खंड गोमतीनगर के 33/11 केवी उप केन्द्र से सम्बन्धित अनुबंध संख्या 395 /ईई / (ई/एम)
16	आयुक्त लखनऊ मण्डल, उपाध्यक्ष/सचिव प्राधिकरण, टीएसी शासन स्तर, विजिलेंस एवं सीबीआई स्तर पर जांच के अन्तर्गत पत्रावलिया, अनुशासनात्मक मामलों से सम्बन्धित पत्रावलियां
17	विभिन्न आवासीय योजनाओं की आर्थिक विवेचना से सम्बन्धित अभिलेख तथा इन योजनाओं से सम्बन्धित अद्यतन आय व्यय की सूचनाएं
18	नक्शों की स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियां
19	भवन उपविधियों से संबंधित अभिलेख/पत्रावलियां
20	विभिन्न अभियत्रण जोनों के मध्य कार्य वितरण से सम्बन्धित आदेशों की पत्रावलियां
21	वृक्षारोपण 2006–07 के लिये ठेकेदार के चयन एवं पौधों की दरों की स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलियां
22	बिना लाटरी के आबंटित सम्पत्तियों से सम्बन्धित, 56 पत्रावलियों के अतिरिक्त पत्रावलियां
23	241 अनाधिकृत कालोनियों के नियमतीकरण से सम्बन्धित पत्रावलियां
24	बिना बिकी सम्पत्तियों के निर्माण की अवधि से सम्बन्धित सूचनाएं तथा इनके निस्तारण की कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रावलियां
25	शासन द्वारा परिवर्तित भू-उपयोग या शासन स्तर पर लम्बित मामलों की पत्रावलियां
26	निजी व्यवित्रियों, शासन, अर्द्ध शासकीय विभागों इत्यादि द्वारा विकास निर्माण से सम्बन्धित पत्रावलिया
27	नजूल भूमि के रखरखाव से सम्बन्धित अभिलेख

परिशिष्ट संख्या-3.1.2

(संदर्भ : प्रस्तर 3.1.6.1; पृष्ठ 45)

वर्ष 2002-03 से 2005-06 की अवधि में लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियां तथा
दायित्व

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
दायित्व				
सामान्य निधि	404.07	375.76	357.63	331.24
अवस्थापना विकास संचित निधि	3.49	2.19	2.41	1.29
ऋण	34.46	12.60	1.99	00.00
चालू दायित्व	पंजीकरण जमा / विक्रय के विरुद्ध अग्रिम / आबंटन	32.81	58.53	45.93
	भूमि प्रतिकर का बकाया	46.04	70.18	129.92
	शासकीय ऋण पर देय ब्याज	00	00	29.10
	अनुदान एवं सहायता	12.29	00.15	1.73
	अन्य दायित्व	4.25	6.65	8.18
	जमा निर्माण कार्य	1.27	00	3.40
	विकास व्यय हेतु रिजर्व	00	105.96	347.39
	योग	538.68	632.02	927.68
				1138.60
सम्पत्तियां				
स्थायी सम्पत्तियां		19.21	18.53	18.06
पूँजीगत कार्य प्रगति में		00.33	00.37	00
चालू सम्पत्तिया	व्यापार में भण्डार (विना बिकी सम्पत्तिया)	300.36	305.73	362.34
	भण्डार	4.23	9.77	14.84
	विविध देनदार	38.44	33.53	34.63
	नगद एवं बैंक शेष	52.46	116.45	259.99
	निवेश	81.22	77.67	141.11
	अर्जित ब्याज	1.38	3.94	3.07
	ऋण एवं अग्रिम	41.05	66.03	93.64
	योग	538.68	632.02	927.68
				1138.60

(संदर्भ : प्रस्तर 3.1.6.1; पृष्ठ 45)

वर्ष 2002-03 से 2005-06 की अवधि में प्राप्तियों तथा भुगतानों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

लाखों का मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
प्राप्तियां				
राजस्व प्राप्तियां	किराया	3.82	5.57	3.15
	स्टैम्प डियूटी	2.20	15.22	10.60
	जल / सीवर प्रभार	0.58	0.46	0.57
	निवेशों पर ब्याज	3.01	0.93	0.37
	शुल्क एवं दण्ड	1.37	3.93	5.16
	प्रपत्रों का विक्रय	0.07	0.13	0.12
	अन्य आय	2.42	6.33	5.22
योग		13.47	32.57	25.19
पूंजीगत प्राप्तियां	शासकीय अनुदान	45.11	37.49	10.00
	जमा निर्माण कार्य	6.90	3.84	9.63
	सम्पत्ति का विक्रय	220.74	215.53	342.90
	अन्य आय(भूखण्डों, भवनों एवं दुकानों के पंजीकरण सहित)	115.19	93.99	50.49
	योग	387.94	350.85	413.02
भुगतान				
राजस्व भुगतान	बेतन	17.93	20.19	22.09
	यंत्र एवं संयंत्र	1.73	1.97	2.40
	ऋण पर ब्याज	2.89	0.25	00
	अन्य	14.66	14.43	19.88
	योग	37.21	36.84	44.37
पूंजीगत भुगतान	भू-अधिग्रहण	67.63	38.78	8.90
	यंत्र एवं संयंत्र	1.34	0.84	1.17
	भूमि विकास	51.68	93.15	109.87
	सम्पत्तियों का अनुरक्षण	7.53	5.84	6.14
	निर्माण	6.99	8.24	3.28
	ऋणों का पुर्णभुगतान	39.09	23.19	10.61
	अन्य व्यय (पंजीकरण धनराशि की वापसी सहित)	179.58	108.55	110.34
योग		353.84	278.59	250.31
				497.59

परिशिष्ट संख्या – 3.1.3

(संदर्भ : प्रस्तर 3.1.6.6; पृष्ठ 46)
31 मार्च 2007 को असभायोजित अग्रिमों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	अवधि				योग
		1987–88 से 1991–92	1992–93 से 1996–97	19978– से 2001–02	2002–03 से 2006–07	
1	प्राधिकरण के अधिकारी / कर्मचारी	16.89	12.19	2.65	3.70	35.43
2	सिंचाई विभाग	00	00		4.56	4.56
3	लोक निर्माण विभाग	00	00	0.04	00	0.04
4	वन विभाग	00	00	00	0.41	0.41
5	जल निगम	00	00	00	0.65	0.65
6	उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम	00	2.41	9.98	16.72	29.11
7	नगर निगम	0.80	0.33	00	0.34	1.47
8	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ	21.60	10.84	32.76	172.10	237.30
9	उत्तर रेलवे	00	00	00	0.84	0.84
योग		39.29	25.77	45.43	199.32	309.81

परिशिष्ट संख्या – 3.1.4

(संदर्भ : प्रस्तर 3.1.6.8; पृष्ठ 47)

मार्च 2007 तक अधिग्रहीत भूमि, अभिनिर्णीत प्रतिकर एवं ब्याज भुगतान का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	अधिग्रहीत	अधिग्रहीत भूमि का नि: वापल (एकड़ में)	अभिनिर्णीत प्रतिकर की घनराशि	ब्याज भुगतान
1	उजरियांव-1	1983	941.10	10.38	9.35
2	उजरियांव -2	1984	1776.02	11.50	8.59
3	उजरियांव -3	1992-93	260.78	6.73	2.63
4	उजरियांव -5	1993-94	119.43	3.50	5.06
योग			3097.33	32.11	25.63

परिशिष्ट संख्या – 3.1.5

(संदर्भ : प्रस्तर 3.1.8.7; पृष्ठ 52)

भवन उपविधियों के प्रवर्तन के आंकड़ों का विवरण

(संख्या में)

अवधि	अथ शेष				वर्ष के दौरान								इतिरेष				योग
	नोटिस निर्गत किन्तु ध्वस्तीकरण आदेश लम्बित	ध्वस्ती करण आदेश किन्तु ध्वस्ती करण लम्बित	प्राप्ति सील किन्तु अन्तिम कार्यवाही शब्द	योग	अनधिकत निर्माण के नये पासले	नोटिस निर्गत	नोटिस पापस	व्यस्तीकरण आदेश निर्गत	व्यस्तीकरण किया गया	प्राप्ति सील हटाई गयी	ध्वस्तीकरण आदेश लम्बित	ध्वस्तीकरण लम्बित	अन्तिम कार्यवाही शब्द				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (2+7-9)	14 (3+9-10)	15 (4+11- 12)	16 (13+14 +15)		
2003-04	472	249	58	779	749	749	00	110	15	118	23	1111	344	153	1608		
2004-05	1111	344	153	1608	684	684	55	345	31	62	32	1395	658	183	2236		
2005-06	1395	658	183	2236	501	501	25	386	16	53	10	1485	1028	226	2739		
2006-07	1485	1028	226	2739	524	524	31	611	11	28	11	1367	1628	243	3238		
योग				2458	2458	111	1452	73	261	76							

परिशिष्ट संख्या – 3.1.6

(संदर्भ : प्रस्तर 3.1.9.2; पृष्ठ 53)

डा० राम मनोहर लोहिया पार्क के विकास में कार्यों के नाम, उनकी निविदा लागत तथा अन्तिम लागत

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	निविदा लागत	अन्तिम लागत	लागत में बढ़ोत्तरी	प्रतिशत में (कालम 6 से कालम 7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मिट्टी का भराव	मे० आजाद कंसद्कशन	16.22	146.40	130.18	803
2	प्रवेश प्रांगण में मिट्टी का भराव	मे० संजय बिल्डर्स	2.64	143.65	141.01	5341
3	प्रवेश प्रांगण एवं एप्रोच रोड के मध्य मिट्टी का भराव	मे० शहीन सिद्दकी	26.02	208.70	182.68	702
4	चहारदिवारी	यूपीआरएनएन	34.28	623.14	588.86	1718
5	पाथ वे	मे० शहीन सिद्दकी	126.33	176.49	50.16	40
6	निर्माण, विकास एवं लैण्ड स्केपिंग	मे० विलायती राम मित्तल	1922.31	3271.61	1349.30	70
योग			2127.80	4569.99	2442.19	115

परिशिष्ट संख्या – 3.1.7

(संदर्भ : प्रस्तर 3.1.10.2; पृष्ठ 57)

प्रत्येक योजना में बिना लाटरी के अन्य आवेदकों को आबंटित सम्पत्तियों की संख्या, योजनाओं के नाम तथा अस्तीकृत आवेदनों की संख्या का विवरण

(संख्या में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	बिना लाटरी के आबंटित सम्पत्तियों की संख्या	बिना लाटरी के आबंटित सम्पत्तियों की संख्या	अस्तीकृत आवेदनों की संख्या	बिना लाटरी के आबंटित सम्पत्तियों की संख्या
1	अलीगंज	47	13	3	3
2	आजाद नगर	2	2	-	-
3	चौक एरिया	-	-	2	2
4	देवपारा	20	20	-	-
5	गोमतीनगर	6432	1281	16	13
6	हरदाइ रोड	1223	48	-	-
7	कानपुर रोड	2446	315	34	24
8	मोतीझील	1	1	-	-
9	रायबरेली रोड	5965	155	-	-
10	रामनगर	4	4	-	-
11	सीतापुर रोड	930	840	3	3
12	टिकैट राय	9	5	-	-
13	वजीर हसन	2	1	-	-
योग		17081	2685	58	45

परिशिष्ट संख्या –3.1.8

(संदर्भ : प्रस्तर 3.1.10.3; पृष्ठ 57)

31 मार्च 2006 को बिना बिकी सम्पत्ति का विवरण

(करोड रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	वर्जनराशि
1	बल्क सेल भूखण्ड	187.51
2	शारदा नगर योजना	1.28
3	गोमती नगर विस्तार	11.57
4	विद्यालय भूखण्ड	6.75
5	बसन्त कुज, हरदोई रोड योजना	20.92
6	गोमती नगर योजना फेज-1	10.07
7	गोमती नगर योजना फेज-2	1.20
8	कानपुर रोड योजना / मानसरोवर योजना	1.72
9	वाणिज्यिक भूखण्ड	14.62
10	दुकानें	7.44
योग		263.08

परिशिष्ट— 3.2.1

(संदर्भ : प्रस्तर 3.2.6; पृष्ठ 61)
एफडब्लूपी का बजट आंबटन एवं व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	समर्पण
2002-03	411.96	274.82	137.14
2003-04	529.68	365.70	163.98
2004-05	558.95	395.48	163.47
2005-06	519.09	438.94	80.15
2006-07	574.94	481.13	93.81
योग	2594.62	1956.07	638.55

(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.6; पृष्ठ 61)
डीसीवीबीडी का बजट आंबटन एवं व्यय
(केन्द्र एवं राज्य के बीच निधियों की साझेदारी)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रावधान	मारत सरकार की सामग्री में साझेदारी	राज्य की साझेदारी	व्यय
2002-03	21.00	10.54	10.50	10.15
2003-04	21.00	9.57	10.50	10.15
2004-05	21.73	9.55	11.23	10.29
2005-06	21.00	16.28	10.50	10.15
2006-07	22.40	17.73	11.20	4.20
योग	107.13	63.67	53.93	44.94

(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.6; पृष्ठ 61)
एनबीसीपी का बजट आंबटन एवं व्यय (केन्द्र पुरोनिधानित योजना)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मारत सरकार से पास धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि*	व्यय	शेष
2002-03	3.40	6.22	6.16	0.06
2003-04	8.82	8.88	7.74	1.14
2004-05	6.29	7.44	4.91	2.53
2005-06	4.65	7.18	6.87	0.31
2006-07	10.26	10.57	6.27	4.30
योग	33.42	40.29	31.95	8.34

(संदर्भ: प्रस्तर : 3.2.6; पृष्ठ 61)
आरएनटीसीपी का बजट आंबटन एवं व्यय (केन्द्र पुरोनिधानित योजना)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मारत सरकार से पास धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि*	व्यय	शेष
2002-03	6.04	10.33	5.74	4.59
2003-04	6.01	10.64	8.20	2.44
2004-05	10.24	13.69	9.66	4.03
2005-06	17.03	21.33	17.80	3.53
2006-07	20.75	24.46	21.91	2.55
योग	60.07	80.45	63.31	17.14

* प्रारम्भिक अवशेष को सम्मिलित करते हुए कुल उपलब्ध धनराशि

परिशिष्ट— 3.2.2
(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.7.2; पृष्ठ 63)
एमएमआर लक्ष्य को न प्राप्त करना

(संख्या में)

क्रम संख्या	जिले/नगर नाम	मजाकुत अधिकारी नाम/लाभ	ग्रामवाली गाहिलाड़ी कोड एवं एकाउट बलेट कार्यपाल	प्रति वर्षीय बजेट
1	ओरेया	136226	1,01,582	34644
2	बाराबंकी	4,85,081	2,16,960	2,68,121
3	बस्ती	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
4	ब्लेली	5,54,240	4,29,371	1,24,869
5	फतेहपुर	3,49,256	1,90,347	1,58,909
6	जौनपुर	7,30,509	3,62,455	3,68,054
7	कानपुर देहात	2,93,006	1,26,823	1,66,183
8	कौशाम्बी	73,018	62,508	10,510
9	कुरुक्षेत्र	3,76,656	1,47,090	2,29,566
10	लखनऊ	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
11	महाराजगंज	3,98,288	2,47,862	1,50,426
12	मुरादाबाद	5,39,624	2,37,605	3,02,019
13	मुजफ्फर नगर	6,52,975	2,84,926	3,68,049
14	प्रतापगढ़	4,06,982	2,34,978	1,72,004
15	सुल्तानपुर	5,89,246	2,50,239	3,39,007
16	सीतापुर	5,08,096	4,48,216	59,880
	योग	60,93,203	33,40,962	27,52,241

परिशिष्ट— 3.2.3

(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.7.3; पृष्ठ 64)
गुणवत्ता जॉच के बिना औषधियों का वितरण

क्र. सं.	ज़िले का नाम/वर्ष	2002-03			2003-04			2004-05			2005-06			2006-07			योग		
		(अ) व्याय	(ब) नमूने एकांकित करने थे	(स) नमूने एकांकित किए गए	(अ)	(ब)	(स)	(अ)	(ब)	(स)	(अ)	(ब)	(स)	(अ)	(ब)	(स)	(अ)	(ब)	(स)
1.	फतेहपुर	14.61	67	0	30.50	53	0	16.81	72	0	35.9	70	8	54.01	83	18	151.83	345	26
2.	बाराबंकी	20.87	136	13	60.86	165	16	48.86	170	0	60.00	200	0	31.12	205	0	221.71	876	29
3.	मुजफ्फरनगर	32.86	79	20	58.87	164	8	64.47	157	7	68.44	85	6	60.18	78	7	284.82	563	48
4.	सीतापुर	75.19	22	0	60.11	45	0	88.16	43	5	70.15	38	4	76.42	36	0	370.03	184	9
5.	ओरैथा	4.71	35	0	5.42	32	0	9.50	35	0	17.78	70	0	40.30	92	0	77.71	264	0
6.	मुरादाबाद	12.60	24	0	56.13	43	0	46.14	32	19	52.85	36	18	54.36	25	10	222.08	160	47
7.	बरेली	16.24	30	0	58.07	40	2	57.97	50	0	62.41	70	0	85.15	45	0	277.84	235	2
8.	कानपुर देहात	36.84	25	0	61.03	48	0	31.40	31	10	51.65	44	3	32.07	29	8	212.99	177	21
9.	महराज गंज	8.22	129	00	38.98	171	00	38.47	199	05	16.50	201	00	44.90	185	05	147.07	885	10
10.	कुशीनगर	51.76	103	05	85.02	140	06	89.86	145	00	106.16	205	00	94.99	183	02	427.78	776	13
	योग	273.90	650	38	514.99	901	32	491.64	934	46	541.84	1019	39	573.50	961	50	2395.87	4465	205 (5 प्रतिशत)

परिशिष्ट— 3.2.4

(संदर्भ: प्रस्तर 3.27.4; पृष्ठ 65)

नये स्पुटम धनात्मक की खोज दर का आरएनटीसीपी में लक्ष्य एवं उपलब्धि

(जनसंख्या प्रति

लाख)

वर्ष	2002	2003	2004	2005	2006
लक्ष्य	67	67	67	67	67
उपलब्धि	62	52	52	47	50
कमी	5	15	15	20	17
कमियों का प्रतिशत	7	22	22	30	25

(संदर्भ: प्रस्तर 3.27.4; पृष्ठ 66)

माइक्रोस्कोप केन्द्रों/डॉट्स केन्द्रों की कमियों, आरएनटीसीपी के अन्तर्गत प्रशिक्षण की स्थिति

इकाई का नाम	आवश्यक	कार्यरत	कमी (प्रतिशत)
माइक्रोस्कोप केन्द्र	1,839	1,531	308 (17)
डॉट्स केन्द्र	18,390	16,177	2,213 (12)

पद नाम	त्रिवर्त	प्रशिक्षित	आरएनटीसीपी में अप्रशिक्षित (प्रतिशत)
मेडिकल ऑफिसर	6,767	4,233	2,534 (37)
टीटमेन्ट आर्गनाइजर	145	62	83 (57)
एमएचडब्लू	23,617	13,430	10,187 (43)

परिशिष्ट—3.2.5

(संदर्भ: प्रस्तर 3.2 10.1 पृष्ठ 68)

मानव शक्ति, 31 मार्च 2007 को मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृत पदों एवं कार्यरत की स्थिति।

क्रम संख्या	पदों का वर्गीकरण	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिपो (प्रतिशत)
-------------	------------------	------------	------------	----------------

1.	जनरल(मेल)	6,468	4,940	1,528 (24)
2.	विशेषज्ञ (मेल)	4,128	3,694	434 (11)
3.	जनरल (महिला)	517	692	-175
4.	विशेषज्ञ (महिला)	1,223	627	596 (49)
	योग	12,336	9,953	2,383 (19)

पैरामेडिकल				
1.	मेल हेल्थ वर्कर(एमएचडब्ल्यू)	8,269	1,886	6,383 (77)
2.	स्टाफ नर्स	4,948	3,678	1,270 (26)
3.	लैब टेक्निशियन	1,949	1,348	601 (31)
4.	हेल्थ असिस्टेन्ट फीमेल / लोकल हेल्थ विजिटर(एल०एच०वी०)	3,484	3,195	289(8)
5.	आक्जिलरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम)	23,549	21,919	1,630 (7)
6.	हेल्थ असिस्टेन्ट	4,529	3,398	1,131 (25)
7.	फर्मासिस्ट	5,110	4,342	768 (15)
8.	एक्सरे टेक्निशियन	544	452	92 (17)
9.	डाक रूम असिस्टेंट	193	108	85(44)
10.	आप्टोमेडिस्ट	923	833	90 (10)
	योग	53498	41159	12,339 (23)

परिशिष्ट— 3.2.6

(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.10.1 पृष्ठ 69)

31 मार्च 2007 को नमूना जांच जिलो के 101 साठ स्वाठ केंद्रों में कर्मचारियों की स्थिति।

(अ) मेडिकल

पद नाम	स्वीकृत	वर्तमान में दौजात	कमी (प्रतिशत)
सर्जन	96	65	31 (32)
स्त्री रोग विशेषज्ञ	108	43	65 (60)
फिजिशियन	95	62	33 (35)
बाल रोग विशेषज्ञ	47	15	32 (68)
निश्चयात्रक	83	26	57 (69)
दन्त सर्जन	50	20	30 (60)
नेत्र सर्जन	12	7	5 (42)
रेडियोलोजिस्ट	86	21	65 (76)

(ब) पैरामेडिकल

पद नाम	स्वीकृत	वर्तमान में दौजात	कमी (प्रतिशत)
फर्मासिस्ट	331	232	99 (30)
एक्सरे टेक्निशियन	58	39	19 (33)
डार्क रूम असिस्टेन्ट	51	16	35 (69)
स्टाफ नर्स	254	178	76 (30)
लैब टेक्निशियन	132	80	52 (39)

31 मार्च 2007 को नमूना जांच जिलो के 719 पीएचसी में मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की स्थिति।

पद नाम	स्वीकृत	वर्तमान में दौजात	कमी (प्रतिशत)
मेडिकल आफिसर	1411	935	476 (34)
फर्मासिस्ट	768	570	198 (26)
हेल्थ असिस्टेन्ट (फिमेल)	527	474	53 (10)
हेल्थ असिस्टेन्ट (मेल)	587	455	132 (22)
हेल्थ वर्कर (फिमेल)	3656	3389	267 (7)
लैब टेक्निशियन	186	96	90 (48)

परिशिष्ट— 3.2.7

(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.10.3 पृष्ठ 70)

वर्ष 2002 –07 में प्रशिक्षण के संचालन की प्रगति।

क्रम संख्या	पर्याकरण	उपलब्ध कर्मचारी	एसआईएचएफडब्लू द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	कमी (प्रतिशत)
आईएसटी					
1.	एमओ	9,266	2,554	2,033	521 (20)
2.	एएनएम	20,973	11,015	9,314	1701 (15)
3.	हेल्थ सुपरवाइजर मेल (एचएसएम)	3,361	2,237	1,611	626 (28)
4.	एलएचवी	2,702	1,337	1,112	225 (17)
5.	स्टाफ नर्स	4,528	449	423	26 (6)
6.	एमएचडब्लू	3,727	0	72	--
	योग	44,557	17592	14565	3,027 (17)
एसएसटी					
क्रम संख्या	प्रशिक्षण का केन्द्र	एसआईएचएफडब्लू द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	कमी (प्रतिशत)	
1.	एमटीपी	268	254	14 (5)	
2.	लैप्रोस्कोपी	94	50	44 (47)	
3.	मिनी लैप्रोस्कोपी	198	39	159 (80)	
4.	आइयूडी	12,227	3,088	9,139 (75)	
	योग	12787	3431	9,356 (73)	
टीओटी					
1.	टीओटी	250	342	--	

परिशिष्ट— 3.2.8
(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.12.2 पृष्ठ 72)
डीडी किटो एवं औषधियों की कम प्राप्ति

कम सं	जिलो का नाम	डीडी किटो की संख्या		कम प्राप्ति (3-4)	लागत (लाख रुपये में)
		आपूर्ति	प्राप्ति		
1.	2	3	4	5	6
1.	औरेया	57,551	23,800	33,751	5.00
2.	बाराबंकी	1,09,063	27,163	81,900	12.12
3.	बरेली	1,45,450	95,450	50,000	7.40
4	बस्ती	90,600	50,000	40,600	6.00
5.	फतेहपुर	1,04,000	79,304	24,696	3.66
6.	जौनपुर	1,87,551	1,22,855	64,696	9.57
7.	कानपुर देहात	71,321	930	70,391	10.41
8.	कौशाम्बी	59,594	51,177	8,417	1.25
9.	लखनऊ	1,56,763	1,16,710	40,053	5.93
10	मुरादाबाद	1,48,824	0	1,48,824	22.03
11	सीतापुर	1,81,775	77,000	1,04,775	15.51
	योग	1312492	644389	668103	98.88

परिशिष्ट— 3.2.9

(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.13 पृष्ठ 72)

31 मार्च 2007 को आन्तरिक लेखा परीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

वर्ष	लेखा परीक्षित इकाइया	पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तरों की विचाराधीन अनुपालन	वर्तमान लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान निस्तारण (प्रतिशत)	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या
2002-03	61	4,066	264	4,330	605 (14)	3,725
2003-04	62	3,725	460	4,185	215 (5)	3,970
2004-05	34	3,970	546	4,516	245 (5)	4,271
2005-06	66	4,271	596	4,867	318 (6)	4,549
2006-07	30	4,549	643	5,192	376 (7)	4,816

परिशिष्ट-3.3.1

(संदर्भ : प्रस्तर 3.3.9; पृष्ठ 81)

मैनुअल एवं कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों के अनुसार तहसीलों के क्षेत्रफल में अंतर

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

तहसील का नाम (1)	मैनुअल अभिलेख के अनुसार क्षेत्रफल (आर-57) (2)	साफ्टवेयर की ग्राम सूची रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल (3)	प्रतिशत गलतियाँ (2 एवं 3 में) (4)
सवायजपुर	1,03,099.342	99,915.38	3.09
लहरपुर	94,916.000	84,708.54	10.75
बिसवां	99,386.000	57,202.00	42.44
मोहम्मदी	1,27,635.000	6,26,186.02	(-)390.61
कादीपुर	78,868.000	85,786.33	(-)8.77
मुसाफिरखाना	80,379.000	30,668.37	61.85
गुन्नौर	93,539.000	68,332.97	26.95
बिल्सी	60,031.000	59,087.60	1.57

परिशिष्ट-3.5.1
(सन्दर्भ प्रस्तर 3.5.1; पृष्ठ 94)
स्वीकृत, अवमुक्त तथा व्यय का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	विभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	जोपे गये उत्तरदायित्व
1.	मेला प्रशासन	10.15	10.15	7.8	विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित धनराशि, मेला का सुचाल रूप से सम्पन्न करने हेतु अवमुक्त करना तथा भूमि का अधिग्रहण एवं उन्हें विभिन्न संस्थाओं को आवंटन, मानविक्री दोगर करना तथा उसका अनुश्रवण करना।
2.	लोक निर्माण विभाग	47.42	46.88	46.88	पाटनु पुल, अस्थाई चेकड़ी प्लेट रोड आदि का निर्माण।
3.	उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०	37.91	31.91	31.91	लगातार विजली की आपूर्ति बनाये रखना।
4.	उ०प्र० जल निगम	36.31	32.53	32.53	जलापूर्ति सुनिश्चित करना।
5.	विकिस्ता एव स्वास्थ्य विभाग	10	9.69	9.46	तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाये प्रदान करना।
6.	सिचाइ विभाग	5.87	4.03	4.03	नदी के किनारे घाट का निर्माण तथा गंगा नदी में पानी की उपलब्धता बनाये रखना।
7.	नगर निगम	12	12	11.19	तीर्थयात्रियों को नागरिक सुविधाये प्रदान करना।
8.	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	1.5	1.5	1.21	पार्कों का सौन्दर्यीकरण।
9.	उ०प्र० राज्य परिवहन निगम	0.6	0.6	0.6	अस्थायी बस अड्डों का निर्माण।
10.	सूचना विभाग	1.08	1	0.97	फोटो, फिल्म तेजर करना तथा प्रदर्शनी/सारकृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना।
11.	होम्योपैथिक विभाग	0.09	0.09	0.09	तीर्थयात्रियों को होम्योपैथी स्वास्थ्य सुविधाये प्रदान करना।
12.	समागमी खाद्य नियंत्रक	0.27	0.27	0.27	ए०पी०ए० राशन कार्ड बनाना तथा प्रत्येक खण्ड में खाद्यान्न/मिट्टी तेल वितरण हेतु उचित मूल्य की दुकान उपलब्ध कराना।
13.	आर्योदिक एवं यूनानी विभाग	0.19	0.19	0.19	आर्योदिक एवं यूनानी स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना।
14.	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2.00	2.00	2.00	तीर्थयात्रियों के लिए रेन बर्सेन का निर्माण।
15.	उ०प्र० दूध उत्पादन कारपोरेशन (पराग)	0.17	0.17	0.17	तीर्थयात्रियों को दुध, मक्खन आदि वितरण हेतु मिल्क बूथ उपलब्ध कराना।
16.	उत्तर मध्य क्षेत्र सारकृतिक केन्द्र	0.15	0.15	0.15	सारकृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना।
17.	समागमी परिवहन विभाग	0.08	0.08	0.08	इलाहाबाद नगर को जोड़ने वाले आठ सड़कों पर अस्थायी चेक पोस्ट स्थापित करना।
18.	जिला प्रशासन	0.06	0.06	0.06	मेला उद्देश्य हेतु एक बैठक कक्ष का निर्माण।
19.	आयुष्म, इलाहाबाद मण्डल	0.07	0.07	0.07	तीर्थयात्रियों के लिए विश्रामालय का निर्माण।
20.	पुलिस विभाग	3.72	3.72	3.72	शान्ति एव सुरक्षा स्थापित करना तथा भीड़ को नियंत्रित करना।
21.	वन विभाग	0.06	0.05	0.04	जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराना।
22.	नगर पंचायत झूँसी	0.72	0.72	0.72	नगर पंचायत झूँसी में सड़क निर्माण, पेयजल/जल निकासी/विजली आपूर्ति आदि व्यवस्था सुनिश्चित करना।
23.	पर्यटन विभाग	0.33	0.33	0.33	अद्वितीय मेला फिल्म का निर्माण, अस्थायी हार्टल निर्माण आदि सुनिश्चित करना।
24.	जल संरक्षण	2.37	2.37	2.37	जलापूर्ति एवं जलनिकासी सुविधा प्रदान करना।
	योग	173.12	160.56	156.84	

टिप्पणी:- क्रम सं० 1-20 तक के विभाग संप्रेक्षित किये गये।

परिशिष्ट-3.5.2
(सन्दर्भ प्रस्तर 3.5.3; पृष्ठ 94)
महत्वपूर्ण अवसरों पर भीड़ का विवरण

क्र0 सं0	पर्व का नाम	तिथि	संभावित भीड़ जिसके आधार पर नियोजन किया गया	पर्व पर आगणित भीड़ (कालम 4 के सापेक्ष प्रतिशत)
				सं0 लाख में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पौष पूर्णिमा	03.01.07	80	40 (50)
2	मकर संक्रान्ति	14.01.07	75	50 (67)
3	—तदैव—	15.01.07	100	55 (55)
4	मौनी अमावस्या	19.01.07	300	180 (60)
5	बंसत पंचमी	23.01.07	200	60 (30)
6	माघ पूर्णिमा	02.02.07	175	55 (31)
7	महाशिव रात्रि	16.02.07	60	40 (67)
कुल तीर्थयात्री			990	480 (48)

परिशिष्ट-3.5.3
(सन्दर्भ प्रस्तर 3.5.4; पृष्ठ 96)
संगम क्षेत्र में उपलब्ध पानी की गुणवत्ता का विवरण

तिथि	संगम क्षेत्र	
	बी0ओ0डी0 / (मिलीग्राम / लीटर)	कुल कॉलिफार्म / 100 मिली0
03.01.07	4.8	21000
14.01.07	6.2	50000
15.01.07	10.0	50000
19.01.07	16.2	90000
23.01.07	9.2	28000
02.02.07	7.0	17000
16.02.07	4.0	13000
मानक	अधिकतम 3.0	अधिकतम 500

परिशिष्ट—3.6.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.2.2; पृष्ठ 103)
उपकरणों की स्थापना में विलम्ब

क्षेत्रीय नियान केन्द्र	निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि	उपकरणों की आपूर्ति			उपकरणों की स्थापना में विलम्ब		
		आपूर्ति तिथि	उपकरणों की संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)	उपकरणों की संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)	स्थापना तिथि
मिर्जापुर	मार्च 2004	मार्च 2004—जून 2005	36	98.95	11	57.49	अप्रैल 2004—दिसम्बर 2005
बस्ती	फरवरी 2005	जनवरी 2004—नवम्बर 2005	34	100.41	08	27.87	अप्रैल 2005—अक्टूबर 2005
गोण्डा	मार्च 2005	जनवरी 2004—नवम्बर 2005	37	193.91	09	106.44	मई 2005—जून 2006
वाराणसी	जनवरी 2004	मार्च 2004—नवम्बर 2005	51	305.24	24	255.77	मार्च 2004—अप्रैल 2006
सहारनपुर	नवम्बर 2003	मार्च 2004—नवम्बर 2005	39	97.92	15	54.71	अगस्त 2004—दिसम्बर 2005
लखनऊ	जुलाई 2004	मार्च 2004—नवम्बर	55	335.80	27	260.01	अक्टूबर 2004—जुलाई 2006
योग			252	1132.23	94	762.29	

परिशिष्ट—3.6.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.2.3; पृष्ठ 103)
उपकरणों का अकियाशील रहना

जनपद	कार्य किये गये उपकरण	स्थानान्तरित उपकरण	निष्क्रिय पड़े हए उपकरण	निष्क्रिय पड़े हुये उपकरणों का कारण		
				पश्चीमी खाराबी	चिकित्सीय स्टाफ	अन्य कारण
संख्या/मूल्य (लाख रुपयों में)						
मिर्जापुर	36/98.95	शून्य	12/75.42	2/17.55	4/20.60	6/37.27
सहारनपुर	39/97.92	शून्य	6/44.34	2/23.74	4/20.60	शून्य
बस्ती	34/100.41	1/3.21	14/74.67	शून्य	14/74.67	शून्य
लखनऊ	55/335.80	3/16.86	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वाराणसी	51/305.24	शून्य	12/107.73	शून्य	11/101.06	1/6.67
गोण्डा	37/193.91	4/17.06	7/33.49	शून्य	4/26.67	3/6.82
योग	252/1132.23	8/37.13	51/335.65	4/41.29	37/243.60	10/50.76

परिशिष्ट—3.6.3

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.3; पृष्ठ 105)

2004–07 की अवधि में सम्पादित वार्षिक रख—रखाव संबंधी
अनुबन्ध का विवरण

जनपद	2004.05		2005.06			2006.07		
	उपकरणों की संख्या	रख—रखाव	उपकरणों की संख्या	रख—रखाव	रख—रखाव	कमी (कोष्ठक में प्रतिशत)	उपकरणों की संख्या	रख—रखाव
	अनुबन्ध हेतु आवश्यकता		अनुबन्ध हेतु आवश्यकता	अनुबन्ध हेतु आवश्यकता	अनुबन्ध हेतु आवश्यकता		अनुबन्ध हेतु आवश्यकता	अनुबन्ध हेतु आवश्यकता
मिजापुर	5	शून्य	18	शून्य	18 (100)	23	शून्य	23 (100)
बस्ती	2	शून्य	12	शून्य	12 (100)	22	शून्य	22 (100)
गोण्डा	शून्य	शून्य	9	शून्य	9 (100)	21	6	15 (71)
वाराणसी	1	शून्य	27	2	25 (93)	33	16	17 (52)
सहारनपुर	3	शून्य	15	2	13 (87)	24	8	16 (67)
लखनऊ	3	शून्य	24	शून्य	24 (100)	33	15	18 (55)
योग	14	शून्य	105	4	101 (96)	156	45	111 (71)

परिशिष्ट—3.6.4

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.3; पृष्ठ 105)
उपकरणों के डाऊन—टाइम अवधि का विवरण

जनपद	उपकरण का नाम	खराकी का माह	वर्ष में न बलने की अवधि प्रतिशत में	मूल्य (लाख रुपये में)
मिजापुर	फुल्ली कम्प्यूटरइञ्जड बायो केमेस्ट्री एनालाइजर	1/05	100	17.07
	पल्स आक्सीमीटर	2/07	24	0.67
	कायो सर्जरी	3/05	100	0.48
सहारनपुर	फुल्ली कम्प्यूटरइञ्जड ब्लड गैस एनालाइजर	1/05	100	6.67
	फुल्ली कम्प्यूटरइञ्जड बायो केमेस्ट्री एनालाइजर	9/05	100	17.07
वाराणसी	फुल्ली कम्प्यूटरइञ्जड बायो केमेस्ट्री एनालाइजर	4/06	100	17.07
योग				59.03


परिशिष्ट 4.1

(सन्दर्भ : प्रस्तर 4.2.2, पृष्ठ 119)

मंगली सड़क गिट्टी के मूल्य के कारण अधिक भुगतान

खण्ड का नाम	अनबन्ध संख्या / दिनांक	बउचार नो/दिनांक	सड़क सामग्री की कॉल मात्रा (घन मी०)	सड़क सामग्री का संग्रहण प्रमाण दर (घन मी०)	अधिक भुगतान (लाभ रूपये में)
1. प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर एफ एम के रोड 4-05	15 अधीक्षण अभियन्ता 4-05	84 8/06	34826	17.25	6.00
2. प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी कुसारा रोड 11/05	34 अधीक्षण अभियन्ता 11/05	30 7/06	46970	17.25	8.1
3. प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., मुजफ्फरनगर दिल्ली-यमनोरी रोड एस.एच-57	14 अधीक्षण अभियन्ता 25.1.04	112 06/05	48016	17.25	8.282
4. प्रान्तीय खण्ड (लो.नि.वि.) फतेहपुर वी.आर.सी.एच बॉदा किमी 234 रसूलपुर यासीनपुर रोड	179 27.01.07	54 08/07	737.52	18.10	0.133
5. प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. फतेहपुर / एकडला रोड से अहमदगंज तिहार रोड 22.06.06	87 अधिक्षारी अभियन्ता 22.06.06	26 06/07	2100.95	18.10	0.380
6. नि.ख., लो.नि.वि. मैनपुरी चौ० / सु० शिकोहाबाद रोड एस.एच. 35-62	19 अधीक्षण अभियन्ता 30.03.05	8 11/05	33230	17.25	5.732
7. सी.डी. ।।। लो.नि.वि., कासगंज एटा चौ० / सु० अलीगढ़ सराय अगहट रोड सकिसा तक	76 अधीक्षण अभियन्ता 18-3-06	118 1/07	16976.91	17.85	3.030
	योग		182857.38		31.657

**परिशिष्ट 4.2
(सन्दर्भ : प्रस्तर : 4.4.15 यूष्ट 141)
प्रस्तावित कार्यों का साइट प्लान**



परिशिष्ट 4.3

(सन्दर्भ : प्रस्तर 4.5.6, पृष्ठ 147)
आई.ओ.सी को भेजी गयी धनराशि का विवरण

क्रमांक	लेखापरीक	कार्य का नाम	स्थानकर्ता	स्थानकर्ता का नाम	दिनांक	वेक नं०	वर्षातीसी लाभ कराये (में)	इक डफट न०	पुनर्देश दिनांक	इक डफट न०	पुनर्देश दिनांक	वाहवाही को देना: गया
1	3054-सड़क एवं पुल	विशेष मरम्मत	182	27.03.05	889153	9.90	601263	07.04.05	---	---	08.04.05	
2	3054-सड़क एवं पुल	विशेष मरम्मत /वाहिक मरम्मत	183	27.03.05	889154	9.90	601264	07.04.05	---	---	08.04.05	
3	4216 - कैमिट्स आइट ले आन हाजरिसा	आधिकारी हास्टल	185	27.03.05	889156		601266	07.04.05	---	---	08.04.05	
4	4216 - कैमिट्स	विशेष मरम्मत/ वाहिक मरम्मत	186	27.03.05	889157	9.90	601267	07.04.05	---	---	08.04.05	
5	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-उआनी	201	27.03.05	889172	9.90	601268	07.04.05	---	---	08.04.05	
6	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-उआनी	202	27.03.05	889173	9.90	601269	07.04.05	---	---	08.04.05	
7	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-उआनी	203	27.03.05	889174	9.90	601270	07.04.05	25.01.06	25.01.06	25.01.06	
8	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-उआनी	204	27.03.05	889175	9.90	601271	07.04.05	25.01.06	25.01.06	25.01.06	
9	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-उआनी	205	27.03.05	889176	9.90	601272	07.04.05	25.01.06	25.01.06	25.01.06	
10	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-उआनी	206	27.03.05	889177	9.90	602287	27.04.05	---	---	22.07.05	
11	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-उआनी	207	27.03.05	889178	9.90	602288	27.04.05	---	---	22.07.05	
12	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-उआनी	208	27.03.05	889179	9.90	602289	27.04.05	---	---	22.07.05	
13	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-उआनी	209	27.03.05	889180	9.90	602290	27.04.05	---	---	22.07.05	
14	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-उआनी	249	30.03.05	889204	9.90	602103	25.04.05	21.03.06	21.03.06	21.03.06	
15	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-उआनी	250	30.03.05	889205	9.90	602104	25.04.05	21.03.06	21.03.06	21.03.06	
16	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-बैंकाराता	251	30.03.05	889206	9.90	601205	25.04.05	21.03.06	21.03.06	21.03.06	
17	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-बैंकाराता	252	30.03.05	889207	9.90	602106	25.04.05	21.03.06	21.03.06	21.03.06	
18	3054-सड़क एवं पुल	बदाएँ-पुरादावाद सड़क की विशेष मरम्मत	256	30.03.05	889211	9.90	602110	25.04.05	21.03.06	21.03.06	21.03.06	
19	3054-सड़क एवं पुल	बदाएँ-पुरादावाद सड़क की विशेष मरम्मत	257	30.03.05	889212	9.90	602111	25.04.05	21.03.06	21.03.06	21.03.06	
20	3054-सड़क एवं पुल	विशेष मरम्मत	260	30.03.05	889215	9.90	602114	25.04.05	21.03.06	21.03.06	21.03.06	
21	3054-सड़क एवं पुल	बदाएँ-पुरादावाद सड़क की विशेष मरम्मत	261	30.03.05	889216	9.90	602122	25.04.05	15.04.06	20.04.06	20.04.06	
		यात्रा			207.90							
		कुल यात्रा			247.93							
		2006-07										
1	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-उआनी	211	27.03.05	889882	9.90	602292	27.04.05	15.04.06	20.04.06		
2	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-उआनी	237	30.03.05	889192	9.90	602009	23.04.05	15.04.06	20.04.06		
3	5054 - सड़क एवं पुल	सहस्रां-बैंकाराता	255	30.03.05	889510	9.90	602109	25.04.05	15.04.06	20.04.06		
4	3054-सड़क एवं पुल	बदाएँ-पुरादावाद	258	30.03.05	889513	9.90	602112	25.04.05	15.04.06	20.04.06		
5	3054-सड़क एवं पुल	बदाएँ-पुरादावाद	262	30.03.05	889517	0.43	602102	25.04.05	15.04.06	20.04.06		

परिशिक्षा 4.4

(सन्दर्भ : प्रस्तर 4.5.6 पृष्ठ 147)

बैंक डाफट की मूदी : रद्द एवं अन्य को भुगतान

क्रमांक	लेखा शीर्षे	नार्य का नाम	इंडिया इस्ट	दिनांक	चेक नं०	धनराशि (लाख रुपये में)	डैक्र चार्ट नं०	दिनांक	रद्द गोई नं० बैंक डाफटों की साथ्या	अन्य को भुगतान
2005-06										
1	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-उजानी	210	27.03.05	889181	9.90	602291	27.04.05	599430	02.03.06
2	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-उजानी	212	27.03.05	889183	9.90	602293	27.04.05	599429	02.03.06
3	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-उजानी	234	30.03.05	889189	9.90	602006	23.04.05	600165	22.03.06
4	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-बराला	243	30.03.05	889198	9.90	602015	23.04.05	600166	22.03.06
5	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-बराला	244	30.03.05	889199	9.90	602016	23.04.05	600808	31.03.06
6	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-बराला	245	30.03.05	889200	9.90	602017	23.04.05	599431	02.03.06
7	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-बराला	246	30.03.05	889501	9.90	602018	23.04.05	599428	02.03.06
8	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-बराला	247	30.03.05	889502	9.90	602019	23.04.05	599432	02.03.06
9	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-बराला	248	30.03.05	889503	9.90	602020	23.04.05	600167	22.03.06
10	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-बराला	253	30.03.05	889508	9.90	602107	25.04.05	600804	31.03.06
11	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-बराला	254	30.03.05	889509	9.90	602108	25.04.05	600805	31.03.06
12	5054 - सङ्क एवं पुल	बराहौं-भुवाराव	259	30.03.05	889514	9.90	602113	25.04.05	600168	22.03.06
					चाप	118.80				

क्रमांक	लेखा शीर्षे	नार्य का नाम	इंडिया इस्ट	दिनांक	चेक नं०	धनराशि (लाख रुपये में)	डैक्र चार्ट नं०	दिनांक	रद्द गोई नं० बैंक डाफटों की साथ्या	अन्य को भुगतान
2006-07										
1	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-उजानी	235	30.03.05	889190	9.90	602007	23.04.05	601203	13.04.06
2	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-उजानी	236	30.03.05	889191	9.90	602008	23.04.05	601204	13.04.06
3	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-बराला	238	30.03.05	889193	9.90	602010	23.04.05	601202	13.04.06
4	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-बराला	239	30.03.05	889194	9.90	602011	23.04.05	601201	13.04.06
5	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-बराला	240	30.03.05	889195	9.90	602012	23.04.05	601200	13.04.06
6	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-बराला	241	30.03.05	889196	9.90	602013	23.04.05	601199	13.04.06
7	5054 - सङ्क एवं पुल	सहस्रवा-बराला	242	30.03.05	889197	9.90	602014	23.04.05	601198	13.04.06
					चाप	69.30				
					कुल चाप	188.10				

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भ : प्रस्तर 5.5.4; पृष्ठ 154)

दायित्वों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	मदों का नाम	दायित्व की धनराशि
1.	मजदूरी	342.45
2.	यात्रा-भत्ता	12.32
3.	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	25.26
4.	कार्यालय व्यय	4.81
5.	विद्युत प्रभार	388.72
6.	जल कर/गृह कर	32.13
7.	लेखन सामग्री	2.08
8.	फर्नीचर	0.07
9.	टेलीफोन बिल	10.39
10.	पी ओ एल	40.75
11.	मशीनरी	9.22
12.	अनुरक्षण	17.31
13.	दवा	137.91
14.	राशन	490.72
15.	विविध प्रभार	409.64
16.	प्रशिक्षण	13.08
17.	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.60
18.	सामग्री आपूर्ति	119.84
19.	अन्य व्यय	8.34
20.	चिकित्सा व्यय	3.33
	योग	2068.97

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ : प्रस्तर 5.7.1; पृष्ठ 160)

कार्यरत स्टाफ की स्थिति

वर्ष तार्क) (31 मार्च)	स्वीकृत पात्र	कार्यरत स्टाफ को स्थिति	रिक्त (प्रतिशत)
समूह ए			
2004-05	42	35	07 (17)
2005-06	42	37	05 (12)
2006-07	42	37	05 (12)
समूह ब			
2004-05	206	165	41 (20)
2005-06	210	163	47 (22)
2006-07	215	166	49 (23)
समूह ग			
2004-05	7042	6614	428 (6)
2005-06	7184	6602	582 (8)
2006-07	7140	6483	657 (9)
समूह घ			
2004-05	629	615	14 (2)
2005-06	629	615	14 (2)
2006-07	629	615	14 (2)

परिशिष्ट—5.3

(संदर्भ : प्रस्तर 5.7.2; पृष्ठ 160)

परिचालन स्टाफ की स्थिति

क्रमांक	कारागार/कार्यालय	तैनात कर्मचारियों की स्थिति		
		कुल परिचालन स्टाफ की संख्या	6 वर्ष से अधिक	10 वर्ष से अधिक
1.	केन्द्रीय कारागार, बरैली	250	58	48
2.	केन्द्रीय कारागार, नैनी	273	03	14
3.	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	172	41	27
4.	जिला कारागार, फैजाबाद	128	43	22
5.	जिला कारागार, मुरादाबाद	67	28	14
6.	जिला कारागार, सुल्तानपुर	81	20	—
7.	जिला कारागार, रामपुर	51	10	15
8.	जिला कारागार, बरैली	137	51	12
9.	जिला कारागार, जौनपुर	75	08	03
10.	जिला कारागार, मऊ	123	27	01
11.	जिला कारागार, लखनऊ	176	42	17
12.	जिला कारागार, फिरोजाबाद	106	10	—
13.	आदर्श कारागार, लखनऊ	198	54	28
14.	किशोर सदन, बरैली	67	08	03
15.	उप कारागार, ज्ञानपुर	43	13	01
	योग	1947	416	205